IUC ACADEMY

INCLUSIVE UNIVERSAL CAREERS ACADEMY

Learn. Prepare. Progress. • www.iucacademy.com

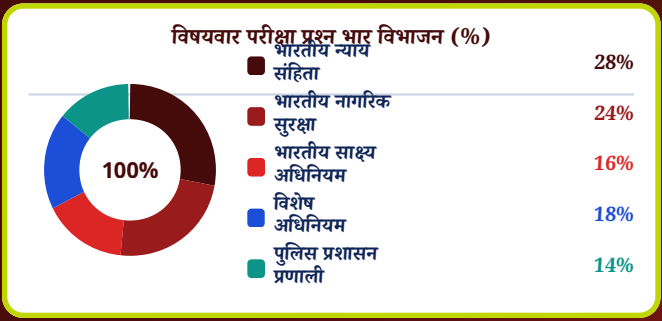
IUC अकादमी नोट्स

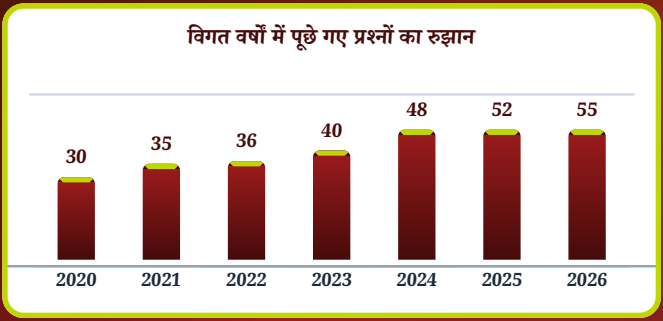
संपूर्ण
पाठ्यक्रम • विस्तृत व्याख्या • तुलनात्मक सारणियाँ • अभ्यास प्रश्न

भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023), BNSS, BSA एवं पुलिस/विधीय अभिरुचि

NEW CRIMINAL LAWS (BNS, BNSS, BSA 2023), POLICE SYSTEM & LEGAL APTITUDE

UP/Delhi/Bihar/MP/Rajasthan Police SI & Constable, RPF Rule 70/72, CLAT, CUET Law एवं न्यायिक परीक्षाओं के लिए
भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, विशेष अधिनियम, पुलिस प्रणाली एवं विधिक अभिरुचि





लक्षित प्रतियोगी, प्रवेश एवं विभागीय परीक्षाएँ (Target Exams Coverage)

UP Police SI & Constable • Delhi/Bihar/MP/Raj Police • RPF SI/Constable & Rule 70/72 • CLAT • CUET Law • Judiciary

इस पुस्तक के प्रमुख खंड एवं परीक्षा प्रश्न भार (%)

- भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023 — 20 अध्याय, 358 धाराएँ बनाम IPC) (28%)
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023 — Zero FIR, e-FIR, रिमांड, विचारण) (24%)
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA 2023 — इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य धारा 57, 61, 63) (16%)
- विशेष अधिनियम (POCSO, दहेज, घरेलू हिंसा, SC/ST, IT Act, RTI, मोटर वाहन) (18%)
- पुलिस प्रशासन प्रणाली, मानसिक अभिरुचि एवं विधिक तर्कशक्ति (CLAT/Law) (14%)

संपूर्ण पाठ्यक्रम
NCERT एवं मानक स्रोत

तुलनात्मक सारणियाँ
प्रवाह आरेख व चार्ट

स्मृति सूत्र
त्वरित रिवीजन बिंदु

अभ्यास प्रश्न
व्याख्या सहित हल

आमुख, परीक्षा भार विश्लेषण एवं अध्ययन रणनीति — भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023), BNSS, BSA एवं पुलिस/विधीय अभिरुचि

IUC Academy (Inclusive Universal Careers Academy | www.iucacademy.com) • आधिकारिक अध्ययन नोट्स

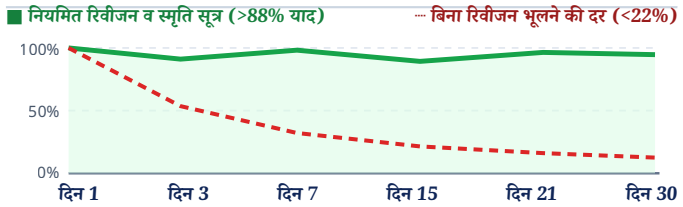
प्रिय अभ्यर्थियों,

अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं एवं विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं के नवीनतम पैटर्न में अवधारणात्मक स्पष्टता और सटीक तथ्यों का समन्वय अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से **IUC Academy (www.iucacademy.com)** द्वारा इन विस्तृत अध्ययन नोट्स का संकलन किया गया है। इसमें प्रत्येक अध्याय के साथ **तुलनात्मक सारणियाँ, प्रवाह आरेख, महत्वपूर्ण सूत्र, 'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स, 'परीक्षा सतर्कता (सामान्य गलतियाँ)', स्मृति सूत्र (Memory Tricks)** और **व्याख्या सहित हल प्रश्न** दिए गए हैं ताकि आपको पढ़ने और याद रखने में पूर्ण सुगमता रहे।

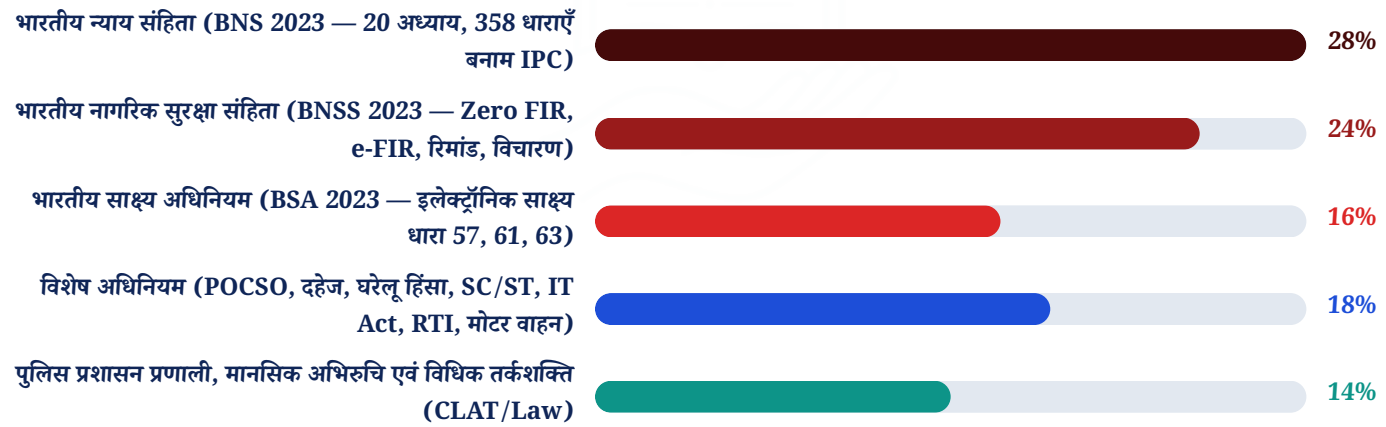
कठिनाई स्तर के अनुसार लक्ष्य सटीकता एवं कट-ऑफ (%)



नियमित रिवीजन (1-3-7-21 दिन नियम) एवं स्मृति धारण ग्राफ



अध्यायवार एवं खंडवार प्रश्न भार सूचकांक (Topic-wise Weightage %)



प्रामाणिक पाठ्यक्रम एवं आधिकारिक संदर्भ स्रोत (Verified Official Sources)

- भारतीय न्याय संहिता 2023 (IndiaCode) (https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/20062)
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (IndiaCode) (https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/20099)
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (IndiaCode) (https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/20063)
- NCRB संकलन पोर्टल (BNS 2023) (https://www.ncrb.mha.gov.in/uploads/SankalanPortal/DownloadPDF/BNS2023.pdf)

विस्तृत विषय-सूची एवं अध्याय संरचना (Table of Contents)

भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023), BNSS, BSA एवं पुलिस/विधीय अभिरुचि • संपूर्ण अध्याय, तुलनात्मक सारणियाँ, अभ्यास प्रश्न एवं त्वरित रिवीजन

1. मॉड्यूल 1: तीन नए आपराधिक कानूनों (1 जुलाई 2024 से प्रभावी) का ऐतिहासिक सुधार एवं संरचनात्मक तुलना

- 1.1 प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तन एवं दार्शनिक आधार
- 1.2 पुरानी बनाम नई संहिताओं की संरचनात्मक तुलनात्मक सारणी

2. मॉड्यूल 2: भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) — भाग 1: दंड, सामान्य अपवाद, दुष्प्रेरण, षड्यंत्र एवं महिला-बाल अपराध

- 2.1 दंड के प्रकार एवं सामुदायिक सेवा का नया प्रावधान (अध्याय 2: धारा 4 से 13)
- 2.2 सामान्य अपवाद एवं निजी प्रतिरक्षा का अधिकार (अध्याय 3: धारा 14 से 44)
- 2.3 दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र एवं प्रयत्न (अध्याय 4: धारा 45 से 62)
- 2.4 महिला एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध (अध्याय 5: धारा 63 से 99)
- 2.5 मॉड्यूल 2: पुरानी बनाम नई धाराओं की तुलनात्मक सारणी

3. मॉड्यूल 3: भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) — भाग 2: मानव शरीर, संगठित अपराध, राष्ट्र की संप्रभुता एवं संपत्ति के विरुद्ध अपराध

- 3.1 मानव शरीर के विरुद्ध अपराध (अध्याय 6: धारा 100 से 146)
- 3.2 राजद्रोह का विलोपन एवं भारत की संप्रभुता के विरुद्ध अपराध (अध्याय 7: धारा 152)
- 3.3 संपत्ति के विरुद्ध अपराध (अध्याय 17: धारा 303 से 334)
- 3.4 मॉड्यूल 3: पुरानी बनाम नई धाराओं की तुलनात्मक सारणी

4. मॉड्यूल 4: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023): अपराध वर्गीकरण, गिरफ्तारी, जीरो FIR, फॉरेंसिक जाँच एवं समयबद्ध न्याय

- 4.1 संज्ञेय व असंज्ञेय तथा जमानती व गैर-जमानती अपराध (धारा 2)
- 4.2 गिरफ्तारी के नियम, वृद्ध/अशक्त को संरक्षण एवं हथकड़ी के प्रावधान (अध्याय 5: धारा 35 से 62)
- 4.3 जीरो FIR, ई-FIR एवं अनिवार्य फॉरेंसिक जाँच (अध्याय 13: धारा 173 से 196)
- 4.4 पुलिस रिमांड, समयबद्ध आरोप-पत्र, निर्णय एवं दया याचिका की समय-सीमा
- 4.5 मॉड्यूल 4: पुरानी बनाम नई धाराओं की तुलनात्मक सारणी

5. मॉड्यूल 5: भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA 2023): मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य, डिजिटल रिकॉर्ड (धारा 61–63), संस्वीकृति एवं मृत्युकालिक कथन

- 5.1 साक्ष्य की मूल परिभाषाएँ एवं मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य
- 5.2 प्राथमिक एवं द्वितीयक साक्ष्य तथा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता (धारा 56 से 63)
- 5.3 संस्वीकृति (Confession) एवं मृत्युकालिक कथन (Dying Declaration)
- 5.4 मॉड्यूल 5: पुरानी बनाम नई धाराओं की तुलनात्मक सारणी

6. मॉड्यूल 6: विशेष अधिनियम एवं जनहित कानून (Special Acts & Public Interest Laws)

- 6.1 प्रमुख विशेष अधिनियमों का गहन विश्लेषण
- 6.2 मॉड्यूल 6: विशेष अधिनियमों एवं संबद्ध BNS/BNSS धाराओं की तुलनात्मक सारणी

7. मॉड्यूल 7: पुलिस प्रशासन, अपराध नियंत्रण एवं मानसिक अभिरुचि (Police System, Investigation & Mental Aptitude)

- 7.1 पुलिस अधिनियम, 1861 (The Police Act, 1861) के प्रमुख प्रावधान
- 7.2 पुलिस पदानुक्रम एवं बैज चिह्न तथा RPF नियम 70 एवं 72
- 7.3 अपराध अनुसंधान प्रक्रिया: GD, पंचनामा, केस डायरी एवं चार्जशीट
- 7.4 सामुदायिक पुलिसिंग, कानून-व्यवस्था एवं मानसिक अभिरुचि (Mental Aptitude)

- 7.5 मॉड्यूल 7: पुलिस अनुसंधान एवं प्रशासनिक प्रावधानों की तुलनात्मक सारणी

8. मॉड्यूल 8: विधीय अभिरुचि (Legal Aptitude for CLAT / LLB Entrance / Judiciary): अपकृत्य विधि, संविदा अधिनियम 1872, विधीय सूत्र एवं जनहित याचिका (PIL)

- 8.1 अपकृत्य विधि (Law of Torts) के मूल सिद्धांत एवं दायित्व
- 8.2 भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)
- 8.3 प्रमुख विधीय सूत्र (Important Legal Maxims for Exams)
- 8.4 जनहित याचिका (Public Interest Litigation — PIL)
- 8.5 मॉड्यूल 8: विधीय सिद्धांतों एवं ऐतिहासिक निर्णयों की तुलनात्मक सारणी

9. परिशिष्ट: संपूर्ण 15 स्मृति ट्रिक्स (Master Quick-Revision Index)

10. मॉड्यूल 1: आपराधिक न्याय प्रणाली का ऐतिहासिक कायाकल्प — औपनिवेशिक कानूनों से न्याय-केंद्रित संहिताओं तक (1 जुलाई 2024)

11. मॉड्यूल 2: भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) — दंड के 6 प्रकार, सामान्य अपवाद (धारा 14–44) एवं निजी प्रतिरक्षा का अधिकार

12. मॉड्यूल 3: महिला एवं बाल सुरक्षा के विशेष प्रावधान (BNS अध्याय V — धारा 63 से 99) एवं पॉक्सो (POCSO) समन्वय

13. मॉड्यूल 4: मानव शरीर के विरुद्ध अपराध — आपराधिक मानव वध, हत्या (धारा 101/103), मॉब लिंचिंग एवं हिट-एंड-रन (धारा 106)

14. मॉड्यूल 5: संगठित अपराध (धारा 111), छोटे संगठित अपराध (धारा 112), आतंकवादी कृत्य (धारा 113) एवं राष्ट्र की संप्रभुता के विरुद्ध अपराध (धारा 152)

15. मॉड्यूल 6: संपत्ति के विरुद्ध अपराध — चोरी, छीना-झपटी (Snatching - धारा 304), उद्यापन, लूट एवं डकैती (धारा 310)

16. मॉड्यूल 7: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) — जीरो FIR, ई-FIR (धारा 173), गिरफ्तारी के नियम एवं पुलिस रिमांड (धारा 187)

17. मॉड्यूल 8: BNSS 2023 में समयबद्ध अन्वेषण, अनिवार्य फॉरेंसिक जांच (धारा 176(3)), दया याचिका एवं अनुपस्थिति में विचारण (धारा 356)

18. मॉड्यूल 9: भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA 2023) — इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल साक्ष्य, प्राथमिक/द्वितीयक साक्ष्य एवं संस्वीकृति

19. मॉड्यूल 10: पुलिस प्रणाली, विधीय अभिरुचि (Legal & Mental Aptitude), जनहित याचिका (PIL), मानवाधिकार एवं साइबर सुरक्षा

20. अंतिम समय त्वरित वन-लाइनर रिवीजन कैप्सूल (100 महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु)

- पूरक विजुअल रेफरेंस: IPC 1860, CrPC 1973 एवं IEA 1872 से BNS, BNSS एवं BSA (2023) की 50 सर्वाधिक पूछी जाने वाली धाराओं की मास्टर रूपांतरण सारणी

21. अध्याय 1: तीनों नए आपराधिक कानूनों (2023) की संवैधानिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

22. अध्याय 2: भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) का गहन अध्याय-विस्तार (धारा 1 से 358)

- 2.1 प्रारंभिक प्रावधान, परिभाषाएँ एवं दंड के प्रकार (अध्याय 1 एवं 2: धारा 1 से 13)
- 2.2 साधारण अपवाद एवं प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार (अध्याय 3: धारा 14 से 44)
- 2.3 दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र एवं प्रयत्न (अध्याय 4: धारा 45 से 62)
- 2.4 महिलाओं एवं बालकों के विरुद्ध अपराध (अध्याय 5: धारा 63 से 99)
- 2.5 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध एवं नए विशेष अपराध (अध्याय 6: धारा 100 से 146)
- 2.6 राज्य, लोक प्रशांति एवं संपत्ति के विरुद्ध प्रमुख अपराध (अध्याय 7 से 20: धारा 147 से 358)

23. अध्याय 3: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) के क्रांतिकारी प्रावधान

24. अध्याय 4: भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA 2023) में डिजिटल एवं विधिक सुधार

25. अध्याय 5: विशेष अधिनियम एवं पुलिस मानसिक अभिरुचि (Special Acts & Police Aptitude)

- 5.1 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012)

लक्षित परीक्षाएँ: उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली एवं राजस्थान पुलिस उप-निरीक्षक (SI) व आरक्षी (Constable), रेलवे सुरक्षा बल नियम 1987 (नियम 70 एवं 72 पदोन्नति परीक्षा), केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF), सहायक अभियोजन अधिकारी (APO), न्यायिक सेवा (Judiciary) तथा विधि प्रवेश परीक्षाएँ (CLAT / LLB Entrance)।

प्रभावी तिथि एवं विधीय आधार: भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार तीनों नए आपराधिक कानून — भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) — **1 जुलाई 2024** से संपूर्ण भारत में प्रभावी हैं।

मॉड्यूल 1: तीन नए आपराधिक कानूनों (1 जुलाई 2024 से प्रभावी) का ऐतिहासिक सुधार एवं संरचनात्मक तुलना

औपनिवेशिक काल के दंड-केंद्रित शासन (दंड संहिता) को समाप्त कर नागरिक-केंद्रित न्याय प्रणाली (न्याय संहिता) स्थापित करने हेतु संसद द्वारा दिसंबर 2023 में तीन ऐतिहासिक विधेयक पारित किए गए, जिन्हें 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो - संकलन पोर्टल)।

1.1 प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तन एवं दार्शनिक आधार

- **औपनिवेशिक प्रतीकों का विलोपन:** ब्रिटिश क्राउन, लंदन गजट, जूरी ट्रायल, और राजद्रोह जैसे औपनिवेशिक शब्दों एवं प्रावधानों को पूर्णतः हटा दिया गया है (दिल्ली पुलिस प्रशिक्षण हैंडबुक - BNS 2023)।
- **महिला एवं बाल अपराधों को सर्वोच्च प्राथमिकता:** भारतीय न्याय संहिता, 2023 में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को एकीकृत कर अध्याय 5 (धारा 63 से 99) में रखा गया है, जो पूर्व में भारतीय दंड संहिता में विभिन्न अध्यायों में बिखरे हुए थे।
- **तकनीकी एवं डिजिटल एकीकरण:** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में ई-एफआईआर, ऑडियो-वीडियो माध्यम से तलाशी एवं जब्ती की रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा साक्ष्य और डिजिटल साक्ष्यों को प्राथमिक साक्ष्य का दर्जा प्रदान किया गया है।
- **समेकन एवं सरलीकरण:** भारतीय न्याय संहिता, 2023 में पूर्व की 511 धाराओं को घटाकर 358 धाराएँ और 23 अध्यायों को घटाकर 20 अध्याय किया गया है।

1.2 पुरानी बनाम नई संहिताओं की संरचनात्मक तुलनात्मक सारणी

तुलनात्मक बिंदु	भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) बनाम भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS)	दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) बनाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) बनाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA)
अधिनियम संख्यांक	IPC: 1860 का अधिनियम 45 → BNS: 2023 का अधिनियम 45	CrPC: 1974 का अधिनियम 2 → BNSS: 2023 का अधिनियम 46	IEA: 1872 का अधिनियम 1 → BSA: 2023 का अधिनियम 47
कुल अध्याय (Chapters)	IPC: 23 अध्याय (+3 उप-अध्याय) → BNS: **20 अध्याय**	CrPC: 37 अध्याय → BNSS: **39 अध्याय**	IEA: 3 भाग, 11 अध्याय → BSA: **4 भाग, 12 अध्याय**
कुल धाराएँ (Sections)	IPC: 511 धाराएँ → BNS: **358 धाराएँ**	CrPC: 484 धाराएँ → BNSS: **531 धाराएँ**	IEA: 167 धाराएँ → BSA: **170 धाराएँ**
अनुसूचियाँ (Schedules)	कोई अनुसूची नहीं	CrPC: 2 अनुसूचियाँ → BNSS: **2 अनुसूचियाँ**	IEA: कोई सक्रिय अनुसूची नहीं → BSA: **1 अनुसूची**
परिभाषाओं की व्यवस्था	IPC: धारा 6–52A (अलग-अलग) → BNS: **धारा 2** (वर्णानुक्रम में 39 उप-खंड)	CrPC: धारा 2 → BNSS: **धारा 2** (इलेक्ट्रॉनिक संचार व ऑडियो-वीडियो शामिल)	IEA: धारा 3 → BSA: **धारा 2** (दस्तावेज में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल)
प्रमुख नवीन समावेशन	सामुदायिक सेवा (धारा 4), संगठित अपराध (धारा 111), आतंकवादी कृत्य (धारा 113), छीना-झपटी (धारा 304)	जीरो FIR व ई-FIR (धारा 173), अनिवार्य फॉरेंसिक जाँच (धारा 176(3)), अनुपस्थिति में विचारण (धारा 356)	डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य का दर्जा (धारा 57 व धारा 61–63)

प्रमुख घटकों का तुलनात्मक अनुपात (%)

• धाराओं में संरचनात्मक परिवर्तन प्रतिशत (NCERT BNS मॉड्यूल एवं PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़ों पर आधारित गणना):

• **BNS 2023 में धाराओं की शुद्ध कमी:** 511 से घटकर 358 धाराएँ = **29.94% की कमी** (लगभग 30% संक्षेपण)।

• **BNSS 2023 में प्रक्रियात्मक धाराओं का विस्तार:** 484 से बढ़कर 531 धाराएँ = **9.71% की वृद्धि** (नागरिक सुरक्षा, समय-सीमा एवं डिजिटल प्रक्रिया के कारण)।

• **BSA 2023 में साक्ष्य धाराओं का विस्तार:** 167 से बढ़कर 170 धाराएँ = **1.80% की वृद्धि**।

• परीक्षा भारांक वितरण (प्रमुख पुलिस एवं विधि परीक्षाओं में इस मॉड्यूल का औसत योगदान):

• संरचनात्मक संख्यांक (अध्याय/धाराएँ/लागू तिथि): **35%**

• परिभाषा खंड (BNS धारा 2 के उप-खंड): **30%**

• निरसित एवं नव-समाविष्ट प्रावधानों की पहचान: **35%**

1.4 मॉड्यूल 1 की स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks 1 & 2)

★ स्मृति ट्रिक 1 (तीनों कानूनों के अधिनियम संख्यांक और धाराएँ याद रखने का सूत्र):
"45-46-47 का क्रम, 358-531-170 का दम!"

• **अधिनियम संख्यांक (2023):** BNS = **45**, BNSS = **46**, BSA = **47**।

• **धाराएँ एवं अध्याय:** BNS = **20 अध्याय, 358 धाराएँ**; BNSS = **39 अध्याय, 531 धाराएँ**; BSA = **12 अध्याय, 170 धाराएँ**।

★ स्मृति ट्रिक 2 (तीनों कानूनों में परिभाषा धारा):
"हर नए कानून में धारा 2 ही परिभाषा का द्वार है!"

• पुराने कानूनों में परिभाषाएँ अलग-अलग थीं (IPC में धारा 6 से 52A, CrPC में धारा 2, IEA में धारा 3), किंतु अब **BNS, BNSS और BSA तीनों में ही धारा 2** में समस्त परिभाषाएँ वर्णानुक्रम में दी गई हैं।

मॉड्यूल 2: भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) — भाग 1: दंड, सामान्य अपवाद, दुष्प्रेरण, षड्यंत्र एवं महिला-बाल अपराध

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 2: भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) — भाग 1: दंड, सामान्य अपवाद, दुष्प्रेरण, षड्यंत्र एवं महिला-बाल अपराध

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
दंड के प्रकार एवं सामुदायिक सेवा का नया प्रावधान (अध्याय 2: धारा 4 से 13)	सामान्य अपवाद एवं निजी प्रतिरक्षा का अधिकार (अध्याय 3: धारा 14 से 44)	दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र एवं प्रयत्न (अध्याय 4: धारा 45 से 62)	महिला एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध (अध्याय 5: धारा 63 से 99)

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रारंभिक पाँच अध्याय अपराध के मूलभूत सिद्धांतों, दंड व्यवस्था, सामान्य अपवादों, प्रारंभिक अपराधों (दुष्प्रेरण, षड्यंत्र, प्रयत्न) और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा से संबंधित हैं।

2.1 दंड के प्रकार एवं सामुदायिक सेवा का नया प्रावधान (अध्याय 2: धारा 4 से 13)

• धारा 4 (BNS 2023) के अंतर्गत दंड के 6 प्रकार निर्धारित हैं:

1. मृत्युदंड (Death)

2. आजीवन कारावास (Imprisonment for life)

3. कारावास — कठिन (Rigorous) और सादा (Simple)

4. संपत्ति का समपहरण (Forfeiture of property)

5. जुर्माना (Fine)

6. **सामुदायिक सेवा (Community Service) — छठा एवं पूर्णतः नया दंड:** छोटे अपराधों में सुधारात्मक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत पहली बार सामुदायिक सेवा को वैधानिक दंड बनाया गया है। यह मुख्य रूप से 6 छोटे अपराधों में लागू है:

• लोक सेवक का विधिविरुद्ध व्यापार में लगना (**BNS धारा 202**)

• लोक सेवक को आत्महत्या की धमकी देना (**BNS धारा 226**)

• ₹5,000 से कम मूल्य की संपत्ति की पहली बार चोरी पर संपत्ति लौटाने की स्थिति में (**BNS धारा 303(2)**)

• सार्वजनिक स्थान पर नशे में धुत होकर उत्पात मचाना (**BNS धारा 355**)

• मानहानि (**BNS धारा 356(2)**)

• **BNSS धारा 23** में सामुदायिक सेवा को ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिससे समुदाय को लाभ हो और जिसके लिए दोषी को कोई पारिश्रमिक न मिले।

• **एकांत परिरोध (Solitary Confinement):** **BNS धारा 11** (पूर्व IPC धारा 73) के अनुसार एकांत परिरोध कुल मिलाकर **3 माह** से अधिक नहीं हो सकता।

2.2 सामान्य अपवाद एवं निजी प्रतिरक्षा का अधिकार (अध्याय 3: धारा 14 से 44)

BNS 2023 के अध्याय 3 में वे परिस्थितियाँ वर्णित हैं जिनमें किया गया कार्य 'अपराध' की श्रेणी में नहीं आता:

• **तथ्य की भूल बनाम विधि की भूल: धारा 14** (पूर्व IPC 76) — विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण सद्भावपूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं है (*Ignorantia facti excusat, ignorantia juris non excusat*)। **धारा 17** (पूर्व IPC 79) — विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को न्यायानुमत समझकर किया गया कार्य अपराध नहीं है।

• **न्यायिक कार्य: धारा 15** (पूर्व IPC 77) — न्यायाधीश का न्यायिक कार्य; **धारा 16** (पूर्व IPC 78) — न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य।

• **दुर्घटना एवं आवश्यकता: धारा 18** (पूर्व IPC 80) — विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना; **धारा 19** (पूर्व IPC 81) — बड़ी अपहानि को रोकने के लिए आपराधिक आशय के बिना किया गया कार्य (आवश्यकता का सिद्धांत)।

• **आयु आधारित अक्षमता: धारा 20** (पूर्व IPC 82) — **7 वर्ष से कम** आयु के शिशु का कार्य पूर्णतः अपराध से मुक्त (*Doli Incapax*)। **धारा 21** (पूर्व IPC 83) — **7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम** आयु के अपरिपक्व समझ वाले बालक का कार्य।

• **विकृतचित्तता एवं मत्तता: धारा 22** (पूर्व IPC 84) — विकृतचित्त व्यक्ति का कार्य (मैकनॉटन नियम); **धारा 23** (पूर्व IPC 85) — इच्छा के विरुद्ध अनैच्छिक नशा दिए जाने पर किया गया कार्य।

• **सम्मति एवं सद्भाव: धारा 25 से 30** (पूर्व IPC 87–92) — सम्मति से या व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। **धारा 33** (पूर्व IPC 95) — तुच्छ अपहानि का कार्य (*De minimis non curat lex*)।

• **निजी प्रतिरक्षा का अधिकार (Right of Private Defence — धारा 34 से 44):**

• **धारा 34** (पूर्व IPC 96): निजी प्रतिरक्षा में की गई कोई बात अपराध नहीं है।

• **धारा 35** (पूर्व IPC 97): अपने या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर तथा अपनी या अन्य की जंगम/स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार।

• **धारा 37** (पूर्व IPC 99): वे कार्य जिनके विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है (लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक किया गया कार्य, और उतनी से अधिक अपहानि न करना जितनी प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक हो)।

• **धारा 38** (पूर्व IPC 100): **शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का मृत्यु कारित करने तक विस्तार (7 परिस्थितियाँ):** (1) मृत्यु की आशंका वाला हमला, (2) घोर उपहति की आशंका वाला हमला, (3) बलात्संग करने के आशय से हमला, (4) प्रकृतिविरुद्ध कामतृष्णा की तृप्ति के आशय से हमला, (5) व्यपहरण या अपहरण के आशय से हमला, (6) सदोष परिरोध के आशय से हमला जहाँ लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त न हो सके, और (7) अम्ल (एसिड) फेंकने या देने का कार्य या प्रयत्न।

• **धारा 41** (पूर्व IPC 103): **संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित करने का अधिकार (4 परिस्थितियाँ):** (1) लूट, (2) रात्रौ गृह-भेदन, (3) अग्नि द्वारा रिष्टि (मानव आवास या संपत्ति अभिरक्षा के स्थान पर), और (4) चोरी, रिष्टि या गृह-अतिचार जब उससे मृत्यु या घोर उपहति की युक्तियुक्त आशंका हो।

2.3 दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र एवं प्रयत्न (अध्याय 4: धारा 45 से 62)

• **दुष्प्रेरण (Abetment — धारा 45 से 60): धारा 45** (पूर्व IPC 107) के अनुसार दुष्प्रेरण 3 प्रकार से होता है — (1) उकसाना (Instigation), (2) षड्यंत्र में शामिल होना (Conspiracy), या (3) साशय सहायता करना (Intentional Aiding)। **धारा 46** में दुष्प्रेरक (Abettor) परिभाषित है और **धारा 48** में भारत से बाहर रहकर भारत में अपराध का दुष्प्रेरण करने का नया स्पष्ट प्रावधान जोड़ा गया है।

• **आपराधिक षड्यंत्र (Criminal Conspiracy — धारा 61):** (पूर्व IPC 120A व 120B) — जब दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करने, या कोई वैध कार्य अवैध साधनों द्वारा करने के लिए सहमत होते हैं, तो ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है।

• **अपराध करने का प्रयत्न (Attempt — धारा 62):** (पूर्व IPC 511) — आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध करने के प्रयत्न के लिए दंड।

2.4 महिला एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध (अध्याय 5: धारा 63 से 99)

उत्तर प्रदेश पुलिस तुलनात्मक संहिता सारणी के अनुसार अध्याय 5 के प्रमुख प्रावधान:

• **बलात्संग एवं यौन अपराध (धारा 63–73):**

• **धारा 63** (पूर्व IPC 375): बलात्संग की परिभाषा (पत्नी की आयु का अपवाद 15 वर्ष से बढ़ाकर **18 वर्ष** किया गया है)।

• **धारा 64** (पूर्व IPC 376): बलात्संग के लिए दंड (न्यूनतम 10 वर्ष से आजीवन कारावास)।

• **धारा 65** (पूर्व IPC 376AB/376DA): 16 वर्ष से कम (न्यूनतम 20 वर्ष से आजीवन कारावास) तथा **12 वर्ष से कम** आयु की बालिका से बलात्संग पर आजीवन कारावास या **मृत्युदंड**।

• **धारा 69 (नवीन धारा):** विवाह, रोजगार या पदोन्नति का झूठा वादा करके या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाना — **10 वर्ष तक का कारावास** और जुर्माना।

• **धारा 70** (पूर्व IPC 376D/DB): सामूहिक बलात्संग (Gang Rape) — 18 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ सामूहिक बलात्संग पर **आजीवन कारावास या मृत्युदंड** (धारा 70(2))।

• **महिला की लज्जा भंग एवं उत्पीड़न (धारा 74–79): धारा 74** (लज्जा भंग करने के आशय से हमला — पूर्व IPC 354), **धारा 75** (यौन उत्पीड़न — पूर्व IPC 354A), **धारा 76** (निर्स्त्र करने के आशय से हमला — पूर्व IPC 354B), **धारा 77** (ताक-झांक / Voyeurism — पूर्व IPC 354C), **धारा 78** (पीछा करना / Stalking — पूर्व IPC 354D), **धारा 79** (शब्द, अंगविक्षेप से महिला की लज्जा का अनादर — पूर्व IPC 509)।

• **विवाह संबंधी अपराध (धारा 80–87): धारा 80** (दहेज मृत्यु / Dowry Death — पूर्व IPC 304B: विवाह के 7 वर्ष के भीतर), **धारा 82** (द्विविवाह — पूर्व IPC 494), **धारा 85 एवं 86** (पति या नातेदारों द्वारा महिला के प्रति क्रूरता — पूर्व IPC 498A)।

• **गर्भपात एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध (धारा 88–99): धारा 88–92** (गर्भपात कारित करना — पूर्व IPC 312–316), **धारा 93** (12 वर्ष से कम आयु के शिशु का परित्याग — पूर्व IPC 317), **धारा 95 (नवीन धारा):** अपराध करने के लिए बालक को काम पर रखना या प्रयुक्त करना (7 से 10 वर्ष का कारावास), **धारा 96** (बालक का उपापन), **धारा 98–99** (वेश्यावृत्ति के लिए बालक को बेचना या खरीदना — पूर्व IPC 372–373)।

2.5 मॉड्यूल 2: पुरानी बनाम नई धाराओं की तुलनात्मक सारणी

अपराध / विधीय प्रावधान का विषय	पुरानी धारा (IPC 1860)	नई धारा (BNS 2023)	प्रमुख विधीय परिवर्तन / दंड प्रावधान
दंड के प्रकार (सामुदायिक सेवा सहित)	धारा 53	**धारा 4**	सामुदायिक सेवा को छठे वैधानिक दंड के रूप में जोड़ा गया
7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य	धारा 82	**धारा 20**	पूर्णतः अपराध से मुक्त (*Doli Incapax*)
विकृतचित्त व्यक्ति का कार्य	धारा 84	**धारा 22**	शब्द 'पागलपन' के स्थान पर 'मानसिक अस्वस्थता' (Mental Illness)
शरीर की निजी प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित करना	धारा 100	**धारा 38**	7 परिस्थितियों में मृत्यु कारित करने का अधिकार
संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित करना	धारा 103	**धारा 41**	लूट, रात्रौ गृह-भेदन, अग्नि द्वारा रिष्टि आदि 4 परिस्थितियाँ
दुष्प्रेरण (Abetment) एवं दुष्प्रेरक	धारा 107, 108	**धारा 45, 46**	धारा 48 में विदेश से भारत में अपराध के दुष्प्रेरण को जोड़ा गया
आपराधिक षड्यंत्र (Criminal Conspiracy)	धारा 120A, 120B	**धारा 61(1), 61(2)**	परिभाषा व दंड दोनों को एक ही धारा 61 में समेकित किया गया
बलात्संग की परिभाषा एवं दंड	धारा 375, 376	**धारा 63, 64**	वैवाहिक अपवाद में पत्नी की आयु 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई
धोखे/झूठे विवाह के वादे से यौन संबंध	कोई प्रत्यक्ष धारा नहीं	**धारा 69 (नवीन)**	पहचान छिपाकर या विवाह/नौकरी के झूठे वादे पर 10 वर्ष तक सजा
सामूहिक बलात्संग (Gang Rape)	धारा 376D / 376DB	**धारा 70(1), 70(2)**	18 वर्ष से कम आयु की पीड़िता के मामले में मृत्युदंड तक का प्रावधान
महिला की लज्जा भंग / यौन उत्पीड़न / पीछा करना	धारा 354, 354A–D	**धारा 74, 75–78**	क्रमानुसार धारा 74 से 78 में व्यवस्थित
दहेज मृत्यु (Dowry Death)	धारा 304B	**धारा 80**	विवाह के 7 वर्ष के भीतर असामान्य मृत्यु; 7 वर्ष से आजीवन कारावास
पति या उसके नातेदारों द्वारा क्रूरता	धारा 498A	**धारा 85, 86**	धारा 85 में दंड (3 वर्ष तक) एवं धारा 86 में 'क्रूरता' की परिभाषा
अपराध कराने हेतु बालक को प्रयुक्त करना	कोई विशिष्ट धारा नहीं	**धारा 95 (नवीन)**	बालक को अपराध में लगाने पर 7 से 10 वर्ष का कारावास

प्रमुख घटकों का तुलनात्मक अनुपात (%)

• BNS अध्याय 5 (धारा 63–99, कुल 37 धाराएँ) का आंतरिक विषयगत वितरण (%):

• यौन अपराध एवं बलात्संग (धारा 63–73 = 11 धाराएँ): **29.73%**

• महिला लज्जा एवं गरिमा के विरुद्ध आपराधिक बल (धारा 74–79 = 6 धाराएँ): **16.22%**

• विवाह एवं दहेज संबंधी अपराध (धारा 80–87 = 8 धाराएँ): **21.62%**

• गर्भपात, शिशु परित्याग एवं बाल शोषण अपराध (धारा 88–99 = 12 धाराएँ): **32.43%**

• सामान्य अपवाद (धारा 14–44, कुल 31 धाराएँ) का अनुपात:

• सामान्य प्रतिरक्षा एवं अक्षमता (धारा 14–33 = 20 धाराएँ): **64.52%**

• निजी प्रतिरक्षा का अधिकार (धारा 34–44 = 11 धाराएँ): **35.48%**

2.7 मॉड्यूल 2 की स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks 3 & 4)

★ स्मृति ट्रिक 3 (सामान्य अपवाद और निजी प्रतिरक्षा याद रखने का सूत्र):
"14 में भूल, 20 में 7 साल का फूल, 22 में मन बीमार, 34 से 44 निजी रक्षा का हथियार (38 देह, 41 संपत्ति)!"
• धारा 14 = तथ्य की भूल; धारा 20 = 7 वर्ष से कम का शिशु; धारा 22 = विकृतचित्तता; धारा 34–44 = निजी प्रतिरक्षा (धारा 38 = शरीर की रक्षा में मृत्यु, धारा 41 = संपत्ति की रक्षा में मृत्यु)।

★ स्मृति ट्रिक 4 (महिला अपराधों का क्रम — धारा 63 से 86):
"63-64 बलात्संग, 69 धोखे का संग, 70 गैंगरेप कठोर, 74 से 78 लज्जा-स्टॉकिंग की डोर, 80 दहेज मृत्यु और 85 में क्रूरता का शोर!"

मॉड्यूल 3: भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) — भाग 2: मानव शरीर, संगठित अपराध, राष्ट्र की संप्रभुता एवं संपत्ति के विरुद्ध अपराध

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 3: भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) — भाग 2: मानव शरीर, संगठित अपराध, राष्ट्र की संप्रभुता एवं संपत्ति के विरुद्ध अपराध

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
मानव शरीर के विरुद्ध अपराध (अध्याय 6: धारा 100 से 146)	राजद्रोह का विलोपन एवं भारत की संप्रभुता के विरुद्ध अपराध (अध्याय 7: धारा 152)	संपत्ति के विरुद्ध अपराध (अध्याय 17: धारा 303 से 334)

भारतीय न्याय संहिता, 2023 का अध्याय 6 (मानव शरीर के विरुद्ध अपराध — धारा 100 से 146), अध्याय 7 (राज्य के विरुद्ध अपराध — धारा 147 से 158) और अध्याय 17 (संपत्ति के विरुद्ध अपराध — धारा 303 से 334) प्रतियोगी परीक्षाओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण खंड हैं।

3.1 मानव शरीर के विरुद्ध अपराध (अध्याय 6: धारा 100 से 146)

• **आपराधिक मानव वध बनाम हत्या (Culpable Homicide vs. Murder):**

• **धारा 100** (पूर्व IPC 299): आपराधिक मानव वध (Culpable Homicide) की परिभाषा।

• **धारा 101** (पूर्व IPC 300): हत्या (Murder) की परिभाषा एवं इसके 5 अपवाद (जब आपराधिक मानव वध हत्या नहीं होता, जैसे गंभीर और अचानक प्रकोपन)।

• **धारा 103(1)** (पूर्व IPC 302): हत्या के लिए दंड (मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना)।

• **धारा 103(2) — मॉब लिंचिंग (Mob Lynching का नया विशिष्ट प्रावधान):** जब **5 या अधिक व्यक्तियों का समूह** मूलवंश, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर मिलकर हत्या करता है, तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को **मृत्युदंड या आजीवन कारावास** और जुर्माने से दंडित किया जाएगा (BNS धारा 103(2))।

• **धारा 105** (पूर्व IPC 304): हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध (गैर-इरादतन हत्या) के लिए दंड।

• **उपेक्षा द्वारा मृत्यु एवं हिट-एंड-रन (धारा 106):**

• **धारा 106(1)** (पूर्व IPC 304A): उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु कारित करना — 5 वर्ष तक का कारावास (चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय प्रक्रिया के दौरान होने पर 2 वर्ष तक का कारावास)।

• **धारा 106(2) (हिट-एंड-रन का नया प्रावधान):** उतावलेपन एवं लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना घटनास्थल से भाग जाना — **10 वर्ष तक का कारावास** और जुर्माना। (नोट: केंद्र सरकार द्वारा धारा 106(2) के प्रवर्तन को व्यापक परामर्श तक स्थगित रखा गया है, परंतु परीक्षा की दृष्टि से इसका प्रावधान अत्यंत महत्वपूर्ण है)।

• **उपहति, घोर उपहति एवं अम्ल हमला: धारा 114** (उपहति/Hurt — पूर्व IPC 319), **धारा 116** (घोर उपहति/Grievous Hurt — पूर्व IPC 320; इसमें अंगभंग होने की अवधि को 20 दिन से घटाकर **15 दिन** किया गया है), **धारा 124** (अम्ल हमला/Acid Attack — पूर्व IPC 326A)।

• **संगठित अपराध (Organised Crime — धारा 111, नवीन प्रावधान):**

• अपहरण, जबरन वसूली, सुपारी किलिंग, भूमि हड़पना, साइबर अपराध, मानव तस्करी, हथियारों या मादक पदार्थों की तस्करी आदि का सिंडिकेट के रूप में संचालन।

• दंड: यदि मृत्यु कारित हो तो **मृत्युदंड या आजीवन कारावास** (न्यूनतम ₹10 लाख जुर्माना); अन्य मामलों में न्यूनतम 5 वर्ष से आजीवन कारावास (न्यूनतम ₹5 लाख जुर्माना)।

• **धारा 112 (छोटे संगठित अपराध / Petty Organised Crime):** वाहन चोरी, जेबकतरी, टिकटों की कालाबाजारी, और **प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र लीक (Paper Leak)** करने वाले गिरोह — 1 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास।

• **आतंकवादी कृत्य (Terrorist Act — धारा 113, नवीन प्रावधान):**

• पहली बार सामान्य दंड संहिता में भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को संकट में डालने वाले कृत्य (जाली भारतीय मुद्रा की तस्करी और बम विस्फोट सहित) को धारा 113 में परिभाषित किया गया है।

• स्पष्टीकरण के अनुसार, पुलिस अधीक्षक (SP) के स्तर से नीचे का कोई अधिकारी यह निर्णय नहीं लेगा कि मामला इस धारा के अधीन दर्ज हो या **गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA)** के अधीन।

3.2 राजद्रोह का विलोपन एवं भारत की संप्रभुता के विरुद्ध अपराध (अध्याय 7: धारा 152)

• पूर्व **IPC की धारा 124A (राजद्रोह / Sedition)** को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है, जिसमें 'सरकार के प्रति असंतोष' शब्दावली थी।

• इसके स्थान पर **BNS धारा 152** जोड़ी गई है, जो **"भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य"** (अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियाँ) को दंडनीय बनाती है। इसके लिए **आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक का कारावास** और जुर्माना निर्धारित है।

3.3 संपत्ति के विरुद्ध अपराध (अध्याय 17: धारा 303 से 334)

• **चोरी (Theft — धारा 303):** (पूर्व IPC 378 एवं 379 एकीकृत) — किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी सम्मति के बिना किसी जंगम (चल) संपत्ति को बेईमानी से लेने के आशय से हटाना। ₹5,000 से कम की प्रथम चोरी में संपत्ति वापस करने पर सामुदायिक सेवा।

• **छीना-झपटी (Snatching — धारा 304, नवीन धारा):** यदि कोई व्यक्ति चोरी करने के लिए अचानक, तेजी से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से कोई चल संपत्ति (जैसे गले की चेन या मोबाइल फोन) झपटता है या छीनता है, तो वह **3 वर्ष तक के कारावास** और जुर्माने से दंडनीय होगा।

• **उद्दापन / जबरन वसूली (Extortion — धारा 308):** (पूर्व IPC 383–384) — किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालकर बेईमानी से संपत्ति देने के लिए उत्प्रेरित करना।

• **लूट (Robbery — धारा 309):** (पूर्व IPC 390, 392) — प्रत्येक लूट में या तो चोरी होती है या उद्दापन। जब चोरी या उद्दापन करते समय तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध कारित किया जाए या उसका भय दिखाया जाए। दंड: 10 वर्ष तक का कठिन कारावास (राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच लूट होने पर **14 वर्ष** तक का कारावास)।

• **डकैती (Dacoity — धारा 310):** (पूर्व IPC 391, 395, 396) — जब **5 या अधिक व्यक्ति** संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, तो वह डकैती कहलाती है। हत्या सहित डकैती (धारा 310(3)) के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास।

• **आपराधिक दुर्विनियोग, न्यासभंग एवं छल: धारा 314** (आपराधिक दुर्विनियोग — पूर्व IPC 403), **धारा 316** (आपराधिक न्यासभंग — पूर्व IPC 405–409), **धारा 318** (छल/Cheating — पूर्व IPC 415, 417, 420)।

3.4 मॉड्यूल 3: पुरानी बनाम नई धाराओं की तुलनात्मक सारणी

अपराध का नाम / प्रावधान	पुरानी धारा (IPC 1860)	नई धारा (BNS 2023)	प्रमुख अंतर एवं दंड प्रावधान
आपराधिक मानव वध एवं हत्या की परिभाषा	धारा 299, 300	**धारा 100, 101**	क्रमशः धारा 100 और 101 में स्थानांतरित

अपराध का नाम / प्रावधान	पुरानी धारा (IPC 1860)	नई धारा (BNS 2023)	प्रमुख अंतर एवं दंड प्रावधान
हत्या के लिए दंड एवं मॉब लिंचिंग	धारा 302 (केवल हत्या)	**धारा 103(1), 103(2)**	धारा 103(2) में 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा मॉब लिंचिंग पर मृत्युदंड/आजीवन कारावास
उपेक्षा से मृत्यु एवं हिट-एंड-रन	धारा 304A (2 वर्ष सजा)	**धारा 106(1), 106(2)**	सामान्य उपेक्षा में 5 वर्ष; हिट-एंड-रन (धारा 106(2)) में 10 वर्ष तक कारावास
घोर उपहति (Grievous Hurt)	धारा 320 (20 दिन पीड़ा)	**धारा 116**	गंभीर शारीरिक पीड़ा की अवधि 20 दिन से घटाकर **15 दिन** की गई
संगठित अपराध एवं छोटे संगठित अपराध	कोई धारा नहीं (MCOCA राज्य स्तर पर)	**धारा 111, 112 (नवीन)**	सिंडिकेट अपराध (111) और पेपर लीक/जेबकतरी गिरोह (112) अखिल भारतीय स्तर पर दंडनीय
आतंकवादी कृत्य (Terrorist Act)	कोई धारा नहीं (केवल UAPA में)	**धारा 113 (नवीन)**	राष्ट्र की सुरक्षा व आर्थिक संप्रभुता के विरुद्ध अपराध; SP स्तर से निर्णय
संप्रभुता, एकता और अखंडता के विरुद्ध अपराध	धारा 124A (राजद्रोह)	**धारा 152 (नवीन रूप)**	'राजद्रोह' शब्द समाप्त; देश की संप्रभुता व अखंडता पर प्रहार करने पर आजीवन कारावास
चोरी (परिभाषा एवं दंड एकीकृत)	धारा 378, 379	**धारा 303(1), 303(2)**	₹5,000 से कम की प्रथम चोरी में सामुदायिक सेवा का विकल्प
छीना-झपटी (Snatching)	कोई अलग धारा नहीं	**धारा 304 (नवीन)**	चेन/मोबाइल स्नैचिंग को चोरी से अलग स्वतंत्र अपराध बनाया गया (3 वर्ष तक सजा)
उद्दापन (Extortion), लूट एवं डकैती	धारा 383, 390, 391	**धारा 308, 309, 310**	परिभाषा एवं दंड को प्रत्येक अपराध की एकल मुख्य धारा के उप-खंडों में समेकित किया गया
छल (Cheating / धोखाधड़ी)	धारा 415, 417, 420	**धारा 318(1)–(4)**	प्रसिद्ध 'धारा 420' (छल द्वारा संपत्ति परिदत्त कराना) अब **BNS धारा 318(4)** है
मानहानि (Defamation)	धारा 499, 500	**धारा 356(1), 356(2)**	दंड में सामुदायिक सेवा का विकल्प शामिल

प्रमुख घटकों का तुलनात्मक अनुपात (%)

• मानव शरीर एवं संपत्ति अपराधों में दंड वृद्धि तुलना (%):

• उपेक्षा से मृत्यु (IPC 304A में 2 वर्ष → BNS 106(1) में 5 वर्ष): अधिकतम कारावास अवधि में **150% की वृद्धि**।

• घोर उपहति (Grievous Hurt) हेतु शारीरिक अक्षमता के मानक दिनों में कटौती (20 दिन → 15 दिन): समय-सीमा में **25% की कमी** (जिससे पीड़ित को त्वरित गंभीर धारा का संरक्षण मिले)।

• संपत्ति के विरुद्ध अपराध (अध्याय 17: धारा 303–334, कुल 32 धाराएँ) का वर्गीकरण (%):

• चोरी, स्नैचिंग, उद्दापन, लूट व डकैती (धारा 303–313 = 11 धाराएँ): **34.38%**

• दुर्विनियोग, न्यासभंग, चुराई हुई संपत्ति व छल (धारा 314–323 = 10 धाराएँ): **31.25%**

• रिष्टि (Mischief) एवं आपराधिक अतिचार/गृह-भेदन (धारा 324–334 = 11 धाराएँ): **34.37%**

3.6 मॉड्यूल 3 की स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks 5 & 6)

★ स्मृति ट्रिक 5 (मानव शरीर और राष्ट्र सुरक्षा की प्रमुख धाराएँ):
"100 में वध, 101 में कत्ल, 103 में फांसी व मॉब लिंचिंग का दंड; 106 में हिट-एंड-रन, 111 संगठित, 113 आतंक और 152 से अखंड रहे भारत अखंड!"

★ स्मृति ट्रिक 6 (संपत्ति के अपराधों का नया अनुक्रम — 303 से 318):
"303 में चोरी, 304 में झपट्टा (Snatching), 308 में वसूली, 309 में लूट, 310 में डकैती का गुट, और 420 की ठगी अब 318(4) में गई सिमट!"

मॉड्यूल 4: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023): अपराध वर्गीकरण, गिरफ्तारी, जीरो FIR, फॉरेंसिक जाँच एवं समयबद्ध न्याय

अध्याय
के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 4: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023): अपराध वर्गीकरण, गिरफ्तारी, जीरो FIR, फॉरेंसिक जाँच एवं समयबद्ध न्याय

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
संज्ञेय व असंज्ञेय तथा जमानती व गैर-जमानती अपराध (धारा 2)	गिरफ्तारी के नियम, वृद्ध/अशक्त को संरक्षण एवं हथकड़ी के प्रावधान (अध्याय 5: धारा 35 से 62)	जीरो FIR, ई-FIR एवं अनिवार्य फॉरेंसिक जाँच (अध्याय 13: धारा 173 से 196)	पुलिस रिमांड, समयबद्ध आरोप-पत्र, निर्णय एवं दया याचिका की समय-सीमा

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) का स्थान लेती है। इसमें **39 अध्याय, 531 धाराएँ और 2 अनुसूचियाँ** हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस अन्वेषण में वैज्ञानिकता लाना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और 'तारीख पर तारीख' की संस्कृति को समाप्त कर समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है (PRS इंडिया - BNSS विश्लेषण)।

4.1 संज्ञेय व असंज्ञेय तथा जमानती व गैर-जमानती अपराध (धारा 2)

• **जमानती एवं गैर-जमानती अपराध (BNSS धारा 2(1)(c)):** प्रथम अनुसूची में 'जमानती' (Bailable) के रूप में दर्शाया गया अपराध जमानती है, जिसमें अभियुक्त को अधिकार के रूप में जमानत मिलती है (BNSS धारा 478)। गैर-जमानती अपराध में जमानत न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती है (BNSS धारा 480)।

• **संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence — BNSS धारा 2(1)(g)):** गंभीर प्रकृति के अपराध जिनमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची या किसी अन्य विधि के अनुसार **बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के गिरफ्तार** कर सकता है और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अन्वेषण (Investigation) प्रारंभ कर सकता है।

• **असंज्ञेय अपराध (Non-Cognizable Offence — BNSS धारा 2(1)(o)):** सामान्य प्रकृति के अपराध जिनमें पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता और मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण नहीं किया जा सकता (BNSS धारा 174)।

4.2 गिरफ्तारी के नियम, वृद्ध/अशक्त को संरक्षण एवं हथकड़ी के प्रावधान (अध्याय 5: धारा 35 से 62)

• **बिना वारंट गिरफ्तारी (BNSS धारा 35, पूर्व CrPC 41 एवं 41A):**

• 7 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय अपराधों में पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी का कारण लेखबद्ध करना होता है और जहाँ गिरफ्तारी आवश्यक न हो, वहाँ **धारा 35(3)** के अंतर्गत उपस्थिति का नोटिस जारी किया जाता है।

• **धारा 35(7) (नवीन मानवीय प्रावधान):** ऐसे किसी अपराध के मामले में जो **3 वर्ष से कम** कारावास से दंडनीय है और अभियुक्त **अशक्त (Infirm) है या 60 वर्ष से अधिक आयु** का है, तो पुलिस उपाधीक्षक (DSP) की श्रेणी से नीचे के किसी अधिकारी की **पूर्व अनुमति के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं** की जाएगी।

• **गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार एवं नामित पुलिस अधिकारी:**

• **धारा 36** (पूर्व CrPC 41B): गिरफ्तारी की प्रक्रिया एवं गिरफ्तारी ज्ञापन (Arrest Memo) पर कम से कम एक साक्षी और गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर।

• **धारा 37** (पूर्व CrPC 41C): प्रत्येक जिले और प्रत्येक पुलिस थाने में एक **नामित पुलिस अधिकारी (Assistant Sub-Inspector/ASI से नीचे की रैंक का नहीं)** होगा, जो गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम, पते और अपराध का विवरण डिजिटल और भौतिक रूप से प्रदर्शित करेगा।

• **धारा 38** (पूर्व CrPC 41D): पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार।

• **हथकड़ी लगाने के स्पष्ट वैधानिक नियम (BNSS धारा 43(3), नवीन प्रावधान):**

• गिरफ्तारी की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारी निम्नलिखित श्रेणियों के अभियुक्तों को गिरफ्तार करते समय या न्यायालय में पेश करते समय **हथकड़ी (Handcuffs)** का प्रयोग कर सकता है:

1. आदतन या बार-बार अपराध करने वाला अपराधी (Habitual or repeat offender)

2. जो हिरासत से भाग चुका हो

3. जिसने संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, नशीली दवाओं से संबंधित अपराध, हथियारों का अवैध कब्जा, हत्या, बलात्संग, अम्ल हमला, सिक्कों/मुद्रा का कूटकरण, मानव तस्करी, बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध या राज्य के विरुद्ध अपराध किया हो।

• **महिला की गिरफ्तारी (BNSS धारा 43(1) एवं 43(5)):** असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा; यदि आवश्यक हो तो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

4.3 जीरो FIR, ई-FIR एवं अनिवार्य फॉरेंसिक जाँच (अध्याय 13: धारा 173 से 196)

• **जीरो FIR एवं ई-FIR (BNSS धारा 173, पूर्व CrPC 154):**

• **जीरो FIR को वैधानिक मान्यता (धारा 173(1)):** संज्ञेय अपराध की सूचना **अपराध किए जाने के क्षेत्र (Jurisdiction) पर ध्यान दिए बिना** किसी भी पुलिस थाने में मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा दी जा सकती है। थाना प्रभारी इसे शून्य संख्यांक (Zero FIR) पर दर्ज कर संबंधित क्षेत्राधिकार वाले थाने को स्थानांतरित करेगा।

• **ई-FIR (e-FIR):** यदि सूचना इलेक्ट्रॉनिक संचार (ई-मेल, पोर्टल, ऐप) द्वारा दी जाती है, तो सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा **3 दिन के भीतर** उस पर हस्ताक्षर किए जाने पर उसे पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में ले लिया जाएगा।

• **प्रारंभिक जाँच (Preliminary Inquiry — धारा 173(3)):** 3 वर्ष या उससे अधिक किंतु **7 वर्ष से कम** कारावास से दंडनीय अपराधों में थाना प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक (DSP) की पूर्व अनुमति से प्रथम दृष्टया मामला देखने हेतु **14 दिन के भीतर** प्रारंभिक जाँच कर सकता है।

• **7 वर्ष या अधिक सजा वाले अपराधों में अनिवार्य फॉरेंसिक जाँच (BNSS धारा 176(3), नवीन प्रावधान):**

• ऐसे सभी अपराध जिनमें 7 **वर्ष या उससे अधिक के कारावास** का दंड निर्धारित है, उनमें थाना प्रभारी को सूचना मिलते ही **फॉरेंसिक विशेषज्ञ (Forensic Expert)** को घटनास्थल पर बुलाना और साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया की मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से **वीडियो रिकॉर्डिंग** कराना **अनिवार्य** किया गया है।

• **तलाशी एवं जब्ती की अनिवार्य ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग (BNSS धारा 105 एवं 185):** पुलिस द्वारा किसी भी स्थान की तलाशी और संपत्ति की जब्ती की प्रक्रिया की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग (विशेषकर मोबाइल फोन से) अनिवार्य है और उसे बिना किसी देरी के मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा।

4.4 पुलिस रिमांड, समयबद्ध आरोप-पत्र, निर्णय एवं दया याचिका की समय-सीमा

• **पुलिस अभिरक्षा (Police Remand) का नया नियम (BNSS धारा 187, पूर्व CrPC 167):**

• कुल 15 दिनों की पुलिस अभिरक्षा (रिमांड) को अब केवल गिरफ्तारी के प्रथम 15 दिनों में ही नहीं, बल्कि 60 या 90 दिनों की कुल हिरासत अवधि के **प्रथम 40 दिनों या 60 दिनों** के भीतर टुकड़ों में भी लिया जा सकता है।

• **डिफ़ॉल्ट जमानत (Default Bail):** 60 दिन या 90 दिन (मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से कम न होने वाले कारावास के मामलों में 90 दिन) के भीतर आरोप-पत्र (Charge Sheet) दाखिल न होने पर अभियुक्त को वैधानिक जमानत का अधिकार।

• **समयबद्ध न्याय की वैधानिक समय-सीमाएँ (BNSS 2023):**

• **चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट (धारा 184(6)):** बलात्संग पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट चिकित्सक द्वारा **7 दिन के भीतर** अन्वेषण अधिकारी को भेजनी अनिवार्य है।

• **अन्वेषण की प्रगति की सूचना (धारा 193(3)(ii)):** पुलिस अधिकारी **90 दिनों के भीतर** पीड़ित या सूचनादाता को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अन्वेषण की प्रगति की जानकारी देगा।

• **आरोप विरचित करना (Framing of Charges — धारा 251):** प्रथम सुनवाई से **60 दिन के भीतर**।

• **उन्मोचन आवेदन (Discharge Application — धारा 250):** आरोप-पत्र की प्रति मिलने से **60 दिन के भीतर**।

• **निर्णय सुनाना (Judgment — धारा 258 एवं 392):** बहस समाप्त होने के बाद **30 दिन के भीतर** निर्णय सुनाना होगा (विशेष कारणों से अधिकतम **45 दिन** तक बढ़ाया जा सकता है), और निर्णय के 7 **दिन के भीतर** उसे पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

• **भगोड़े अपराधियों का अनुपस्थिति में विचारण (Trial in Absentia — धारा 356):** उद्घोषित अपराधी के उपस्थित न होने पर वारंट जारी होने के **90 दिन बाद** उसकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाकर सजा सुनाई जा सकती है।

• **दया याचिका (Mercy Petition — धारा 472, नवीन प्रावधान):** मृत्युदंड की पुष्टि के बाद दोषी **30 दिन के भीतर** राज्यपाल या राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर कर सकता है, और केंद्र सरकार राज्य सरकार की टिप्पणी मिलने के **60 दिन के भीतर** राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेजेगी। राष्ट्रपति के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी।

• **विचाराधीन कैदियों को जमानत (धारा 479, पूर्व CrPC 436A):** पहली बार अपराध करने वाले (First-time offender) विचाराधीन कैदी को अधिकतम सजा का **एक-तिहाई (1/3)** भाग जेल में बिताने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा (सामान्य विचाराधीन कैदी के लिए आधी अर्थात **1/2** अवधि)।

4.5 मॉड्यूल 4: पुरानी बनाम नई धाराओं की तुलनात्मक सारणी

प्रक्रियात्मक प्रावधान	पुरानी धारा (CrPC 1973)	नई धारा (BNSS 2023)	प्रमुख सुधार एवं समय-सीमा
बिना वारंट गिरफ्तारी एवं नोटिस	धारा 41, 41A	**धारा 35(1)–(7)**	60+ वर्ष या अशक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु DSP की पूर्व अनुमति (धारा 35(7))
गिरफ्तारी और हथकड़ी के नियम	धारा 46	**धारा 43(1)–(5)**	धारा 43(3) में गंभीर अपराधियों व भगोड़ों के लिए हथकड़ी का स्पष्ट प्रावधान
तलाशी और जब्ती की रिकॉर्डिंग	कोई अनिवार्य धारा नहीं	**धारा 105 (नवीन)**	प्रत्येक तलाशी व जब्ती की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य
भरण-पोषण (Maintenance) का आदेश	धारा 125	**धारा 144**	पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण का प्रावधान
लोक न्यूसेंस हटाने का सशर्त आदेश	धारा 133	**धारा 152**	कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा लोक न्यूसेंस हटाने का आदेश
आत्यंतिक न्यूसेंस/आशंकित खतरे का निषेधाज्ञा आदेश	धारा 144	**धारा 163**	प्रसिद्ध 'धारा 144' (कर्फ्यू/जमाव पर रोक) अब **BNSS धारा 163** है
संज्ञेय अपराध में FIR, जीरो FIR व ई-FIR	धारा 154	**धारा 173**	जीरो FIR और ई-FIR (3 दिन में हस्ताक्षर) को वैधानिक मान्यता
संज्ञेय मामलों का अन्वेषण व फॉरेंसिक जाँच	धारा 156, 157	**धारा 175, 176**	धारा 176(3) में 7+ वर्ष के अपराधों में फॉरेंसिक विशेषज्ञ की उपस्थिति अनिवार्य
मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन (कलमबंद बयान)	धारा 164	**धारा 183**	पीड़िता व साक्षियों के मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन
24 घंटे में अन्वेषण न होने पर रिमांड व डिफ़ॉल्ट बेल	धारा 167	**धारा 187**	15 दिन का पुलिस रिमांड प्रारंभिक 40 या 60 दिनों के भीतर कभी भी लिया जा सकता है
अन्वेषण पूर्ण होने पर पुलिस रिपोर्ट (चार्जशीट)	धारा 173	**धारा 193**	90 दिन में पीड़ित को सूचना; आगे के अन्वेषण (Further Investigation) की सीमा 90 दिन
मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (Inquest Report / पंचनामा)	धारा 174	**धारा 194**	पुलिस द्वारा अप्राकृतिक मृत्यु की जाँच एवं पंचनामा (24 घंटे में मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट)
उद्घोषित अपराधी का अनुपस्थिति में विचारण	कोई धारा नहीं	**धारा 356 (नवीन)**	भगोड़े अपराधियों का *Trial in Absentia*
मृत्युदंड के मामलों में दया याचिका	कोई समय-सीमा नहीं	**धारा 472 (नवीन)**	30 दिन में दया याचिका और राष्ट्रपति के निर्णय की अंतिम वैधता
अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail)	धारा 438	**धारा 482**	गिरफ्तारी की आशंका पर सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत
उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ	धारा 482	**धारा 528**	न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्तियाँ

प्रमुख घटकों का तुलनात्मक अनुपात (%)

• **BNSS 2023 की वैधानिक समय-सीमाओं का तुलनात्मक चार्ट (दिनों एवं प्रतिशत में):**

• **ई-FIR हस्ताक्षर अवधि: 3 दिन** (72 घंटे)।

- **बलात्संग चिकित्सा रिपोर्ट एवं निर्णय अपलोड अवधि: 7 दिन।**
- **प्रारंभिक जाँच (Preliminary Inquiry) की अधिकतम सीमा: 14 दिन।**
- **दया याचिका दायर करने एवं सामान्य निर्णय सुनाने की अवधि: 30 दिन।**
- **आरोप तय करने, उन्मोचन आवेदन एवं सामान्य डिफ़ॉल्ट बेल की अवधि: 60 दिन।**
- **गंभीर अपराधों में चार्जशीट (डिफ़ॉल्ट बेल) एवं पीड़ित को प्रगति सूचना की अवधि: 90 दिन।**
- **विचाराधीन कैदियों की रिहाई हेतु सजा पात्रता प्रतिशत (BNSS धारा 479):**
  - प्रथम बार के अपराधी (First-time Offender) के लिए अधिकतम सजा की अवधि: **33.33% (1/3 भाग)**।
  - सामान्य विचाराधीन कैदी (एकल अपराध) के लिए अधिकतम सजा की अवधि: **50.00% (1/2 भाग)**।

4.7 मॉड्यूल 4 की स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks 7 & 8)

★ स्मृति ट्रिक 7 (CrPC से BNSS की सबसे चर्चित धाराओं का रूपांतरण):
"भरण-पोषण 125 बना 144, कर्फ्यू की 144 बनी 163; 154 की FIR बनी 173, और 173 की चार्जशीट बन गई 193!"
- (यह अद्भुत श्रृंखला याद रखें: **CrPC 125 → BNSS 144, CrPC 144 → BNSS 163, CrPC 154 (FIR) → BNSS 173, CrPC 173 (Charge Sheet) → BNSS 193**!)

★ स्मृति ट्रिक 8 (BNSS की समय-सीमाओं का स्वर्णिम नियम — 3-7-14-30-60-90):
"3 दिन में ई-हस्ताक्षर, 7 दिन में मेडिकल-जजमेंट अपलोड, 14 दिन प्रारंभिक जाँच, 30 दिन में फैसला व दया याचिका, 60 दिन में आरोप तय, और 90 दिन में चार्जशीट व भगोड़े पर वार!"

मॉड्यूल 5: भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA 2023): मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य, डिजिटल रिकॉर्ड (धारा 61–63), संस्वीकृति एवं मृत्युकालिक कथन

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 5: भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA 2023): मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य, डिजिटल रिकॉर्ड (धारा 61–63), संस्वीकृति एवं मृत्युकालिक कथन

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
साक्ष्य की मूल परिभाषाएँ एवं मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य	प्राथमिक एवं द्वितीयक साक्ष्य तथा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता (धारा 56 से 63)	संस्वीकृति (Confession) एवं मृत्युकालिक कथन (Dying Declaration)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) ने 152 वर्ष पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लिया है। इसमें **4 भाग, 12 अध्याय, 170 धाराएँ और 1 अनुसूची** हैं (चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी - BSA अध्ययन सामग्री)।

5.1 साक्ष्य की मूल परिभाषाएँ एवं मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य

- **'दस्तावेज' (Document — BSA धारा 2(1)(d)):** किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिह्नों के साधन द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित कोई विषय जो अभिलेखन के प्रयोजन से हो। **बड़ा बदलाव:** अब 'दस्तावेज' की परिभाषा में **इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड (ई-मेल, सर्वर लॉग, स्मार्टफोन संदेश, वेबसाइट, क्लाउड डेटा, वॉयस मेल)** को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।
- **'साक्ष्य' (Evidence — BSA धारा 2(1)(e)):**

1. **मौखिक साक्ष्य (Oral Evidence):** वे सभी कथन (इलेक्ट्रॉनिक रूप से अर्थात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा दिए गए कथनों सहित) जिन्हें न्यायालय जांचाधीन तथ्यों के संबंध में साक्षियों द्वारा अपने समक्ष किए जाने की अनुमति देता है। **BSA धारा 54 एवं 55** के अनुसार मौखिक साक्ष्य सदैव **प्रत्यक्ष (Direct)** होना चाहिए (अर्थात सुनी-सुनाई बात / Hearsay साक्ष्य ग्राह्य नहीं है)।

2. **दस्तावेजी साक्ष्य (Documentary Evidence):** न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं।

5.2 प्राथमिक एवं द्वितीयक साक्ष्य तथा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता (धारा 56 से 63)

• **प्राथमिक साक्ष्य (Primary Evidence — BSA धारा 57, पूर्व IEA 62):**

• न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत मूल दस्तावेज।

• **नवीन जोड़े गए स्पष्टीकरण (स्पष्टीकरण 4 से 7):** जहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड एक साथ या क्रमिक रूप से कई फाइलों में बनाया या संग्रहीत किया जाता है, या किसी उचित अभिरक्षा से प्रस्तुत किया जाता है, या वीडियो रिकॉर्डिंग को बनाने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित और संग्रहीत किया जाता है, तो **प्रत्येक ऐसी फाइल प्राथमिक साक्ष्य** मानी जाएगी।

• **द्वितीयक साक्ष्य (Secondary Evidence — BSA धारा 58, पूर्व IEA 63):**

• प्रमाणित प्रतियाँ (Certified Copies), यांत्रिक प्रक्रिया से बनी प्रतियाँ, मूल से मिलान की गई प्रतियाँ।

• **नवीन विस्तार:** अब द्वितीयक साक्ष्य में **मौखिक स्वीकृति (Oral admissions)**, **लिखित स्वीकृति (Written admissions)** और किसी कुशल व्यक्ति का साक्ष्य जिसने ऐसे अनेक दस्तावेजों की जाँच की हो, को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।

• **इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता (धारा 61, 62 एवं 63):**

• **BSA धारा 61 (नवीन धारा):** इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को केवल इस आधार पर साक्ष्य में अस्वीकार नहीं किया जाएगा कि वह एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड है, और उसका वही विधीय प्रभाव, वैधता और प्रवर्तनीयता होगी जो किसी अन्य भौतिक दस्तावेज की होती है।

• **BSA धारा 62 (पूर्व IEA 65A):** इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अंतर्वस्तु को धारा 63 के प्रावधानों के अनुसार साबित किया जा सकेगा।

• **BSA धारा 63 (पूर्व IEA 65B — सर्वाधिक महत्वपूर्ण):** कंप्यूटर, संचार उपकरण, सेमीकंडक्टर मेमोरी या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उत्पन्न आउटपुट (कागज पर मुद्रित या ऑप्टिकल/मैग्नेटिक मीडिया में संग्रहीत) एक दस्तावेज माना जाएगा और बिना मूल उपकरण पेश किए साक्ष्य में ग्राह्य होगा, बशर्ते उसके साथ **BSA की अनुसूची में निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र (Certificate)** संलग्न हो (जिसमें उपकरण के प्रभारी व्यक्ति और एक विशेषज्ञ दोनों के प्रमाणीकरण के भाग निर्धारित हैं तथा हैश वैल्यू / Hash Value का उल्लेख अनिवार्य है)।

5.3 संस्वीकृति (Confession) एवं मृत्युकालिक कथन (Dying Declaration)

• **संस्वीकृति (Confession — BSA धारा 22 से 24, पूर्व IEA धारा 24 से 30):**

• **धारा 22** (पूर्व IEA 24, 28, 29 को एकीकृत किया गया): उत्प्रेरणा (Inducement), धमकी (Threat), प्रलोभन या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्यवाही में विसंगत (अग्राह्य) होती है। परंतु यदि मन से ऐसा भय या प्रलोभन पूरी तरह दूर हो जाने के बाद संस्वीकृति की जाती है (धारा 22 का प्रथम परंतुक), तो वह सुसंगत है।

• **धारा 23(1)** (पूर्व IEA 25): **पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति** किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी (पूर्णतः अग्राह्य)।

• **धारा 23(2)** (पूर्व IEA 26): **पुलिस की अभिरक्षा (Custody)** में रहते हुए अभियुक्त द्वारा की गई कोई संस्वीकृति तब तक साबित नहीं की जाएगी, जब तक कि वह **मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति** में न की गई हो।

• **धारा 23(2) का परंतुक — खोज का सिद्धांत (Discovery of Fact, पूर्व IEA धारा 27):** जब पुलिस अभिरक्षा में किसी अभियुक्त से प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप किसी नए तथ्य का पता चलता है (जैसे अपराध में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी), तो उस सूचना का उतना भाग जो उस खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से संबंधित है, साक्ष्य में साबित किया जा सकेगा।

• **धारा 24** (पूर्व IEA 30): जब एक से अधिक व्यक्तियों का एक ही अपराध के लिए **संयुक्त विचारण (Joint Trial)** हो रहा हो, और उनमें से एक व्यक्ति ऐसी संस्वीकृति करता है जो स्वयं उसे और अन्य सह-अभियुक्तों को प्रभावित करती है, तो न्यायालय उस संस्वीकृति को अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध भी विचार में ले सकता है। (नवीन स्पष्टीकरण: यदि सह-अभियुक्त भगोड़ा है और धारा 356 *BNSS* के अधीन अनुपस्थिति में विचारण हो रहा है, तो भी इसे संयुक्त विचारण माना जाएगा)।

• **मृत्युकालिक कथन (Dying Declaration — BSA धारा 26(a), पूर्व IEA धारा 32(1)):**

• जब कोई कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी **मृत्यु के कारण** के बारे में, या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तो उन मामलों में जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का प्रश्न विवाद्यक हो, ऐसा कथन सुसंगत (ग्राह्य) तथ्य है — चाहे उस कथन को करते समय वह व्यक्ति मृत्यु की आशंका में रहा हो या नहीं (*Pakala Narayana Swami v. Emperor* एवं *Khushal Rao v. State of Bombay* के सिद्धांत पर आधारित)।

5.4 मॉड्यूल 5: पुरानी बनाम नई धाराओं की तुलनात्मक सारणी

साक्ष्य विधि का प्रावधान / सिद्धांत	पुरानी धारा (IEA 1872)	नई धारा (BSA 2023)	प्रमुख विधीय परिवर्तन
निर्वचन खंड (दस्तावेज व साक्ष्य की परिभाषा)	धारा 3	**धारा 2**	मौखिक साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक कथन व दस्तावेज में डिजिटल रिकॉर्ड शामिल
एक ही संव्यवहार के भाग (*Res Gestae*)	धारा 6	**धारा 4**	घटना से जुड़े तात्कालिक तथ्यों की सुसंगति
हेतु, तैयारी और आचरण (Motive, Preparation, Conduct)	धारा 8	**धारा 6**	अपराध का हेतु एवं पूर्व/पश्चात का आचरण
परिचयात्मक एवं शिनाख्त परेड (TIP)	धारा 9	**धारा 7**	शिनाख्त परेड (Test Identification Parade) की ग्राह्यता
अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक् (*Plea of Alibi*)	धारा 11	**धारा 9**	घटना के समय अभियुक्त का अन्य स्थान पर होना
उत्प्रेरणा या धमकी द्वारा संस्वीकृति	धारा 24, 28, 29	**धारा 22**	तीनों पुरानी धाराओं को धारा 22 और उसके परंतुक में एकीकृत किया गया
पुलिस अधिकारी से एवं पुलिस हिरासत में संस्वीकृति	धारा 25, 26	**धारा 23(1), 23(2)**	पुलिस से संस्वीकृति अग्राह्य; केवल मजिस्ट्रेट के समक्ष ग्राह्य
पुलिस हिरासत में सूचना से तथ्य की खोज (Recovery)	धारा 27	**धारा 23(2) का परंतुक**	पूर्व की स्वतंत्र धारा 27 अब धारा 23(2) का परंतुक (Proviso) है
सह-अभियुक्त की संस्वीकृति	धारा 30	**धारा 24**	भगोड़े अभियुक्त के *Trial in Absentia* को भी संयुक्त विचारण माना गया
मृत्युकालिक कथन (Dying Declaration)	धारा 32(1)	**धारा 26(a)**	मृतक द्वारा अपनी मृत्यु के कारण या परिस्थितियों का कथन
विशेषज्ञों की राय (Opinion of Experts)	धारा 45	**धारा 39**	विदेशी विधि, विज्ञान, कला, हस्तलेख, अंगुलि-छाप व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक
प्राथमिक साक्ष्य एवं द्वितीयक साक्ष्य	धारा 62, 63	**धारा 57, 58**	धारा 57 में डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के 4 नए स्पष्टीकरण मिले
इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल रिकॉर्ड की अस्वीकार्यता पर रोक	कोई धारा नहीं	**धारा 61 (नवीन)**	डिजिटल रिकॉर्ड का भौतिक दस्तावेज के समान पूर्ण विधीय प्रभाव
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की ग्राह्यता एवं प्रमाण-पत्र	धारा 65B	**धारा 63**	प्रसिद्ध '65B सर्टिफिकेट' अब **'धारा 63 सर्टिफिकेट'** है (अनुसूची में प्रारूप)
सबूत का भार (Burden of Proof)	धारा 101	**धारा 104**	जो न्यायालय से निर्णय चाहता है, तथ्य साबित करने का भार उसी पर है
दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा	धारा 113B	**धारा 118**	दहेज के लिए क्रूरता साबित होने पर दहेज मृत्यु की बाध्यकारी उपधारणा

साक्ष्य विधि का प्रावधान / सिद्धांत	पुरानी धारा (IEA 1872)	नई धारा (BSA 2023)	प्रमुख विधीय परिवर्तन
सह-अपराधी (Accomplice / सरकारी गवाह)	धारा 133	**धारा 138**	सह-अपराधी सक्षम साक्षी है

प्रमुख घटकों का तुलनात्मक अनुपात (%)

• BSA 2023 के चारों भागों में 170 धाराओं का संरचनात्मक वितरण (%):

• भाग 1 (तथ्यों की सुसंगति — अध्याय 1 व 2, धारा 1–50 = 50 धाराएँ): 29.41%

• भाग 2 (सबूत के विषय में — मौखिक, दस्तावेजी व डिजिटल साक्ष्य, अध्याय 3–5, धारा 51–103 = 53 धाराएँ): 31.18%

• भाग 3 (साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव — सबूत का भार व विबंध, अध्याय 6–8, धारा 104–123 = 20 धाराएँ): 11.76%

• भाग 4 (साक्षियों की परीक्षा एवं विशेषाधिकार — अध्याय 9–12, धारा 124–170 = 47 धाराएँ): 27.65%

5.6 मॉड्यूल 5 की स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks 9 & 10)

★ स्मृति ट्रिक 9 (साक्ष्य अधिनियम की शुरुआती धाराएँ — 2 घटने का नियम):
"धारा 6 से 16 तक पुरानी धारा में से 2 घटाओ, BSA की नई धारा पाओ!"

- *Res Gestae*: IEA 6 − 2 = **BSA 4**
- हेतु व आचरण: IEA 8 − 2 = **BSA 6**
- शिनाख्त परेड (TIP): IEA 9 − 2 = **BSA 7**
- षड्यंत्र का साक्ष्य: IEA 10 − 2 = **BSA 8**
- *Plea of Alibi*: IEA 11 − 2 = **BSA 9**

★ स्मृति ट्रिक 10 (संस्वीकृति, मृत्युकालिक कथन और डिजिटल साक्ष्य):
"22 में लालच-डर बेकार, 23 में पुलिस के आगे इकरार अस्वीकार (परंतुक में हथियार बरामद), 26(a) में मरते का बयान, और 65B का सर्टिफिकेट अब धारा 63 की पहचान!"

मॉड्यूल 6: विशेष अधिनियम एवं जनहित कानून (Special Acts & Public Interest Laws)

पुलिस उप-निरीक्षक (UP SI मूल विधि), APO, RPF और न्यायिक सेवा परीक्षाओं में विशेष अधिनियमों (Minor/Special Acts) से सीधे धारा-आधारित और दंड-आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं।

6.1 प्रमुख विशेष अधिनियमों का गहन विश्लेषण

1. **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act 2000):**

• लागू तिथि: 17 अक्टूबर 2000 (2008 में व्यापक संशोधन)।

• प्रमुख धाराएँ: धारा 3 (डिजिटल हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण), **धारा 43** (कंप्यूटर सिस्टम को बिना अनुमति क्षति पहुँचाने पर शास्ति व प्रतिकर), **धारा 65** (कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज/Source Code के साथ छेड़छाड़ — 3 वर्ष कारावास या ₹2 लाख जुर्माना), **धारा 66** (कंप्यूटर संबंधित अपराध / हैकिंग — 3 वर्ष कारावास या ₹5 लाख जुर्माना), **धारा 66C** (पहचान की चोरी / Identity Theft — पासवर्ड या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का कपटपूर्ण उपयोग: 3 वर्ष कारावास और ₹1 लाख जुर्माना), **धारा 66D** (कंप्यूटर संसाधन द्वारा छद्मवेश / Cheating by personation / Phishing — 3 वर्ष कारावास और ₹1 लाख जुर्माना), **धारा 66E** (निजता का उल्लंघन — निजी अंगों की तस्वीर लेना/प्रसारित करना: 3 वर्ष कारावास या ₹2 लाख जुर्माना), **धारा 66F** (साइबर आतंकवाद / Cyber Terrorism — **आजीवन कारावास**), **धारा 67 एवं 67A** (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील एवं यौन कृत्य सामग्री का

प्रकाशन), **धारा 67B** (बाल यौन शोषण सामग्री / CSAM का प्रकाशन या देखना — प्रथम दोषसिद्धि पर 5 वर्ष और ₹10 लाख जुर्माना), **धारा 69A** (किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी सूचना तक जनसाधारण की पहुँच को अवरुद्ध/ब्लॉक करने की केंद्र सरकार की शक्ति)। (नोट: धारा 66A को सर्वोच्च न्यायालय ने 'श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, 2015' में असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया था)।

2. **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act 2012):**

• **लागू तिथि:** 14 नवंबर 2012 (2019 में कठोर दंड संशोधन)। 'बालक' का अर्थ **18 वर्ष से कम** आयु का कोई भी व्यक्ति है (लैंगिक रूप से तटस्थ / Gender-neutral कानून)।

• **प्रमुख धाराएँ: धारा 3 एवं 4** (प्रवेशन लैंगिक हमला / Penetrative Sexual Assault — न्यूनतम 10 वर्ष से आजीवन कारावास; 16 वर्ष से कम के मामले में न्यूनतम 20 वर्ष), **धारा 5 एवं 6** (गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला / Aggravated Penetrative Sexual Assault — पुलिस अधिकारी, लोक सेवक, संरक्षक द्वारा या 12 वर्ष से कम के बालक पर हमला: **न्यूनतम 20 वर्ष का कठिन कारावास से आजीवन कारावास या मृत्युदंड**), **धारा 7 एवं 8** (लैंगिक हमला — 3 से 5 वर्ष कारावास), **धारा 11 एवं 12** (लैंगिक उत्पीड़न — 3 वर्ष तक कारावास), **धारा 13 एवं 14** (अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग — न्यूनतम 5 वर्ष), **धारा 19** (अपराध की सूचना देने की बाध्यता), **धारा 24** (बालक के कथन का अभिलेखन — निवास स्थान पर, महिला पुलिस उप-निरीक्षक से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं, और पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं होगा), **धारा 28** (विशेष न्यायालय), **धारा 29** (अपराध किए जाने की उपधारणा), **धारा 35** (संज्ञान लेने के 30 दिन में बालक का साक्ष्य और **1 वर्ष के भीतर विचारण** पूर्ण करने का प्रयास)।

3. **दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 एवं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005:**

• **दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (लागू: 1 जुलाई 1961): धारा 2** (दहेज की परिभाषा — 'मेहर' इसमें शामिल नहीं है), **धारा 3** (दहेज देने या लेने के लिए दंड — **न्यूनतम 5 वर्ष का कारावास** और कम से कम ₹15,000 या दहेज की राशि जो अधिक हो का जुर्माना), **धारा 4** (दहेज माँगने के लिए दंड — 6 माह से 2 वर्ष कारावास और ₹10,000 तक जुर्माना), **धारा 4A** (दहेज हेतु विज्ञापन पर प्रतिबंध), **धारा 8A** (सबूत का भार अभियुक्त पर), **धारा 8B** (दहेज प्रतिषेध अधिकारी)।

• **घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (लागू: 26 अक्टूबर 2006):** मुख्यतः सिविल उपचार प्रदान करने वाला कानून। **धारा 3** (घरेलू हिंसा की परिभाषा — शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार), **धारा 8** (संरक्षण अधिकारी / Protection Officer की नियुक्ति), **धारा 12** (मजिस्ट्रेट को आवेदन — प्रथम सुनवाई 3 दिन में और **60 दिन के भीतर निपटारा**), **धारा 17** (साझा गृहस्थी में निवास करने का अधिकार), **धारा 18 से 22** (संरक्षण आदेश, निवास आदेश, धनीय अनुतोष, अभिरक्षा आदेश एवं प्रतिकर आदेश), **धारा 31** (संरक्षण आदेश के उल्लंघन पर दंड — **1 वर्ष तक का कारावास** या ₹20,000 तक जुर्माना)।

4. **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:**

• **लागू तिथि:** 30 जनवरी 1990 (2015 एवं 2018 में प्रमुख संशोधन)।

• **प्रमुख धाराएँ: धारा 3** (अत्याचार के अपराधों के लिए दंड — गैर-SC/ST व्यक्ति द्वारा कारित अपराध; न्यूनतम 6 माह से 5 वर्ष या आजीवन कारावास), **धारा 4** (लोक सेवक द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा पर दंड — 6 माह से 1 वर्ष का कारावास; FIR दर्ज करना और **60 दिन में आरोप-पत्र** दाखिल करना अनिवार्य), **धारा 14** (अनन्य विशेष न्यायालय — 2 माह में विचारण पूर्ण करने का लक्ष्य), **धारा 18 एवं 18A** (इस अधिनियम के अपराधों में **अग्रिम जमानत लागू नहीं** होती और FIR दर्ज करने के लिए किसी प्रारंभिक जाँच की आवश्यकता नहीं है)। **नियम 7** के अनुसार अन्वेषण **पुलिस उपाधीक्षक (DSP)** स्तर से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा।

5. **मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993:**

• **लागू तिथि:** 28 सितंबर 1993 (2019 में संशोधन)।

• **प्रमुख धाराएँ: धारा 2(1)(d)** (मानवाधिकार की परिभाषा — प्राण, स्वतंत्रता, समता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार), **धारा 3** (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग - NHRC का गठन: अध्यक्ष — भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश + अन्य सदस्य), **धारा 6** (पदावधि — **3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु** जो पहले हो, तथा पुनर्नियुक्ति के पात्र), **धारा 12** (आयोग के कृत्य), **धारा 21** (राज्य मानवाधिकार आयोग - SHRC का गठन), **धारा 30** (मानवाधिकार न्यायालय), **धारा 36(2)** (घटना घटित होने की तिथि से **1 वर्ष की समाप्ति के पश्चात** आयोग किसी मामले की जाँच नहीं करेगा)।

6. **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:**

• **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (लागू: 19 नवंबर 1986):** संयुक्त राष्ट्र के 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के निर्णयों को लागू करने हेतु अधिनियमित 'छाता विधान' (Umbrella Legislation)। **धारा 3** (केंद्र सरकार की पर्यावरण संरक्षण शक्तियाँ), **धारा 15** (उल्लंघन पर दंड/शास्ति)।

• **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (लागू: 9 सितंबर 1972; 2022 में संशोधित): धारा 9** (वन्य जीवों के शिकार/Hunting पर प्रतिबंध), **धारा 18–26A** (वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा), **धारा 35** (राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा), **धारा 38V** (टाइगर रिजर्व), **धारा 38Y** (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो - WCCB का गठन)। 2022 के संशोधन द्वारा अनुसूचियों की संख्या **6 से घटाकर 4** कर दी गई है।

7. **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 एवं मोटर वाहन अधिनियम, 1988:**

• **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित): धारा 7** (लोक सेवक द्वारा असम्यक् लाभ/रिश्वत लेना — **3 वर्ष से 7 वर्ष** तक का कारावास), **धारा 8** (लोक सेवक को प्रभावित करने के लिए रिश्वत देना — अब रिश्वत देना भी प्रत्यक्ष अपराध है, 7 वर्ष तक कारावास; यदि मजबूरी में दी गई हो तो **7 दिन के भीतर** प्रवर्तन एजेंसी को सूचना देने पर छूट), **धारा 13** (लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार / आय से अधिक संपत्ति — **4 वर्ष से 10 वर्ष** कारावास), **धारा 17** (अन्वेषण हेतु अधिकृत अधिकारी — CBI में इंस्पेक्टर, मेट्रो क्षेत्र में ACP और अन्यत्र DSP), **धारा 17A** (लोक सेवक के शासकीय निर्णयों की जाँच हेतु पूर्व स्वीकृति), **धारा 19** (अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी)।

• **मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (लागू: 1 जुलाई 1989; 2019 में संशोधित): धारा 3 एवं 4** (ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता व आयु सीमा — 18 वर्ष; बिना गियर के 50cc तक 16 वर्ष; परिवहन वाहन 20 वर्ष), **धारा 129** (हेलमेट पहनना अनिवार्य — 4 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए), **धारा 134A (नवीन — नेक व्यक्ति / Good Samaritan का संरक्षण):** सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद करने वाले व्यक्ति पर कोई सिविल या आपराधिक दायित्व नहीं होगा, **धारा 161** (हिट-एंड-रन मामलों में प्रतिकर — मृत्यु पर **₹2,00,000** और गंभीर चोट पर **₹50,000**), **धारा 165** (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण - MACT), **धारा 184** (खतरनाक ढंग से वाहन चलाना), **धारा 185** (शराब पीकर वाहन चलाना — प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में **30 मिलीग्राम** से अधिक अल्कोहल पाए जाने पर प्रथम अपराध में 6 माह कारावास या ₹10,000 जुर्माना)।

6.2 मॉड्यूल 6: विशेष अधिनियमों एवं संबद्ध BNS/BNSS धाराओं की तुलनात्मक सारणी

विशेष अधिनियम एवं मुख्य धारा	संबद्ध पुराना प्रावधान (IPC/CrPC)	संबद्ध नया प्रावधान (BNS / BNSS 2023)	अन्वेषण अधिकारी / समय-सीमा / विशेष नियम
IT Act 2000 (धारा 66, 66C, 66D, 66F)	IPC 419, 420, 468	**BNS धारा 318, 319, 111, 113**	अन्वेषण अधिकारी: **निरीक्षक (Inspector)** की श्रेणी से नीचे का नहीं (धारा 78 IT Act)
POCSO Act 2012 (धारा 3–14, 24, 35)	IPC 376AB, 376DB, 354	**BNS धारा 65, 70(2), 95, 96**	पीड़िता का कथन महिला SI+ द्वारा बिना वर्दी के; **1 वर्ष में विचारण** पूर्ण करना
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (धारा 3, 4, 8A)	IPC 304B, 498A	**BNS धारा 80 (दहेज मृत्यु), धारा 85 (क्रूरता)**	दहेज लेने/देने पर न्यूनतम **5 वर्ष** सजा; मांगने पर **6 माह से 2 वर्ष**
घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 (धारा 12, 17–22, 31)	IPC 498A, CrPC 125	**BNS धारा 85, BNSS धारा 144**	मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम सुनवाई 3 दिन में और **60 दिन में निपटारा**
SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (धारा 3, 4, 14, 18)	CrPC 438 (अग्रिम जमानत वर्जित)	**BNSS धारा 482 लागू नहीं** (धारा 18 SC/ST Act)	अन्वेषण अधिकारी: **DSP** से नीचे नहीं; **60 दिन में चार्जशीट** व 2 माह में विचारण
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (धारा 3, 6, 36)	CrPC मानवाधिकार सुरक्षा	**BNSS धारा 35, 36, 43, 196**	कार्यकाल **3 वर्ष या 70 वर्ष आयु**; 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच वर्जित
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (धारा 7, 8, 13, 17A)	IPC 161–165 (निरसित)	**BNS धारा 2(28)** (लोक सेवक की परिभाषा)	रिश्वत लेने/देने पर **3 से 7 वर्ष**; आपराधिक अवचार पर **4 से 10 वर्ष**
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (धारा 129, 134A, 161, 185)	IPC 279, 304A	**BNS धारा 281 (लापरवाह ड्राइविंग), धारा 106 (हिट-एंड-रन)**	रक्त में अल्कोहल सीमा **30 mg/100 ml**; हिट-एंड-रन मुआवजा ₹2 लाख (मृत्यु)

प्रमुख घटकों का तुलनात्मक अनुपात (%)

• **पुलिस SI (मूल विधि) एवं APO परीक्षाओं में विशेष अधिनियमों का प्रश्न भार वितरण (%):**

• साइबर अपराध एवं IT अधिनियम 2000: **22%**

• महिला एवं बाल संरक्षण कानून (POCSO 2012, दहेज 1961, घरेलू हिंसा 2005): **28%**

- SC/ST अधिनियम 1989 एवं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993: **20%**
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं मोटर वाहन अधिनियम 1988: **18%**
- पर्यावरण संरक्षण 1986 एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972: **12%**

6.4 मॉड्यूल 6 की स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks 11 & 12)

★ स्मृति ट्रिक 11 (IT Act 2000 की धारा 66 की श्रृंखला):
"65 में सोर्स कोड छेड़ा, 66 में हैक किया, 66C में पहचान चुराई (C = Clone Identity), 66D में भेष बदला (D = Disguise/Phishing), 66E में निजता ताकी (E = Eye/Privacy), और 66F में साइबर आतंक से उम्रकैद पायी!"

★ स्मृति ट्रिक 12 (विशेष अधिनियमों के अन्वेषण अधिकारी एवं समय-सीमा):
"IT में इंस्पेक्टर, SC/ST व भ्रष्टाचार में DSP, POCSO में महिला SI बिना वर्दी; घरेलू हिंसा और SC/ST चार्जशीट में 60 दिन, तथा मानवाधिकार व POCSO ट्रायल में 1 साल की सीमा!"

मॉड्यूल 7: पुलिस प्रशासन, अपराध नियंत्रण एवं मानसिक अभिरुचि (Police System, Investigation & Mental Aptitude)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 7: पुलिस प्रशासन, अपराध नियंत्रण एवं मानसिक अभिरुचि (Police System, Investigation & Mental Aptitude)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
पुलिस अधिनियम, 1861 (The Police Act, 1861) के प्रमुख प्रावधान	पुलिस पदानुक्रम एवं बैज चिह्न तथा RPF नियम 70 एवं 72	अपराध अनुसंधान प्रक्रिया: GD, पंचनामा, केस डायरी एवं चार्जशीट	सामुदायिक पुलिसिंग, कानून-व्यवस्था एवं मानसिक अभिरुचि (Mental Aptitude)

यह मॉड्यूल उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली व राजस्थान पुलिस परीक्षाओं तथा रेलवे सुरक्षा बल (RPF) नियम 70 एवं 72 की विभागीय परीक्षाओं के लिए पुलिस कार्यप्रणाली, अनुसंधान एवं मानसिक अभिरुचि का संपूर्ण आधार प्रस्तुत करता है।

7.1 पुलिस अधिनियम, 1861 (The Police Act, 1861) के प्रमुख प्रावधान

- **अधिनियम संख्यांक एवं लागू तिथि:** 1861 का अधिनियम संख्यांक 5 (22 मार्च 1861 को अधिनियमित)।
- **प्रमुख धाराएँ जो परीक्षा में बार-बार पूछी जाती हैं:**
- **धारा 1:** निर्वचन खंड (जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस, सामान्य पुलिस जिला, मवेशी और संपत्ति की परिभाषा)।
- **धारा 3:** राज्य सरकार में पुलिस स्थापन का अधीक्षण (Superintendence) निहित होना।
- **धारा 4:** पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक (DGP/IGP) तथा जिला पुलिस अधीक्षक (SP) में जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण और निर्देशन के अधीन पुलिस प्रशासन निहित होना।
- **धारा 7:** अधीनस्थ पंक्तियों (Subordinate Ranks) के पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति, पदच्युति, निलंबन या अवनति की शक्ति।
- **धारा 12:** पुलिस महानिदेशक को बल के संगठन, वर्गीकरण और कार्यप्रणाली हेतु नियम बनाने की शक्ति।
- **धारा 13 एवं 14:** व्यक्तियों की लागत पर या रेल/नहर निर्माण कार्यों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती।

• **धारा 15:** विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों (Disturbed or dangerous districts) में अतिरिक्त पुलिस बल रखना, जिसका व्यय वहाँ के निवासियों द्वारा वहन किया जाएगा।

• **धारा 17:** विशेष पुलिस अधिकारी (Special Police Officers) की नियुक्ति (जब शांति भंग या दंगे की आशंका हो)।

• **धारा 22: पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यरूढ़ (Always on duty) माने जाएंगे** और सामान्य पुलिस जिले के किसी भी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे।

• **धारा 23 (सर्वाधिक महत्वपूर्ण — पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य):** सक्षम प्राधिकारी के विधिपूर्ण आदेशों और वारंटों का तत्परता से पालन करना, लोक शांति को प्रभावित करने वाली आसूचना (Intelligence) एकत्र और संसूचित करना, अपराधों और लोक न्यूसेंस का निवारण करना, अपराधियों का पता लगाना और उन्हें न्याय के समक्ष लाना, तथा बिना वारंट किसी मदिरालय या जुआघर में प्रवेश और निरीक्षण करना।

• **धारा 25:** पुलिस अधिकारी द्वारा लावारिस संपत्ति (Unclaimed Property) को अपने प्रभार में लेना और जिला मजिस्ट्रेट को उसकी सूची (Inventory) प्रस्तुत करना।

• **धारा 29:** कर्तव्य की उपेक्षा, कायरता या सेवा से बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर दंड (3 माह तक का वेतन या 3 माह तक का कारावास या दोनों)।

• **धारा 30 एवं 30A:** सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियमन और अनुज्ञप्ति (Licensing) तथा शर्तों का उल्लंघन करने वाली सभा को विधिविरुद्ध जमाव मानकर तितर-बितर करना।

• **धारा 31:** सार्वजनिक सड़कों, गलियों और घाटों पर व्यवस्था बनाए रखना और बाधाओं को रोकना।

• **धारा 34:** कतिपय अधिसूचित क्षेत्रों में सड़कों पर कतिपय अपराधों (जैसे मवेशी वध, उतावला वाहन चालन, पशुओं के प्रति क्रूरता, नशे में धुत होना, अश्लील प्रदर्शन) के लिए दंड (बिना वारंट गिरफ्तारी)।

• **धारा 44:** प्रत्येक पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी का **साधारण डायरी (General Diary / GD / रोजनामचा आम)** रखने का कर्तव्य।

7.2 पुलिस पदानुक्रम एवं बैज चिह्न तथा RPF नियम 70 एवं 72

• **राज्य पुलिस बल का पदानुक्रम (शीर्ष से आधार तक):**

1. **पुलिस महानिदेशक (DGP):** अशोक स्तंभ एवं क्रॉस्ड तलवार और बैटन।
2. **अपर पुलिस महानिदेशक (ADGP):** अशोक स्तंभ एवं क्रॉस्ड तलवार और बैटन।
3. **पुलिस महानिरीक्षक (IGP — जोन प्रमुख):** एक पांच-कोणीय सितारा एवं क्रॉस्ड तलवार और बैटन।
4. **उप पुलिस महानिरीक्षक (DIGP — रेंज प्रमुख):** अशोक स्तंभ और तीन सितारे (त्रिभुजाकार)।
5. **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) / पुलिस अधीक्षक (SP — जिला प्रमुख):** अशोक स्तंभ और दो सितारे (SSP) / अशोक स्तंभ और एक सितारा (SP)।
6. **अपर पुलिस अधीक्षक (ASP):** अशोक स्तंभ।
7. **पुलिस उपाधीक्षक (DSP / CO — सर्किल प्रमुख) / सहायक पुलिस अधीक्षक (ASP):** तीन सितारे।
8. **निरीक्षक (Inspector / SHO — थाना प्रभारी):** तीन सितारे एवं लाल-नीली पट्टी (रिबन)।
9. **उप-निरीक्षक (Sub-Inspector / SI — दरोगा / चौकी प्रभारी):** दो सितारे एवं लाल-नीली पट्टी।
10. **सहायक उप-निरीक्षक (ASI):** एक सितारा एवं लाल-नीली पट्टी।
11. **मुख्य आरक्षी (Head Constable):** बाजू पर तीन फीती (Chevrons)।
12. **आरक्षी (Constable):** सादा कंधा (केवल बल का बैज एवं नंबर)।

• **रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1987 (RPF Rules 1987 — नियम 70 एवं नियम 72):**

• **नियम 70:** वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता (Seniority-cum-Suitability) एवं चयन परीक्षा के माध्यम से नियमित पदोन्नति की प्रक्रिया (अनुसूची IV के अनुसार कोटा)।

• **नियम 72:** सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा (LDCE — Limited Departmental Competitive Examination) के माध्यम से मेधावी कर्मियों की त्वरित पदोन्नति (जैसे कांस्टेबल/हेड कांस्टेबल से ASI या SI पद पर 25%/40% विभागीय कोटे के अंतर्गत चयन)।

7.3 अपराध अनुसंधान प्रक्रिया: GD, पंचनामा, केस डायरी एवं चार्जशीट

1. **रोजनामचा आम / जनरल डायरी (GD):** पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 44 एवं पुलिस रेगुलेशन के अधीन प्रत्येक थाने में 24 घंटे की गतिविधियों, रवानगी-आमद, बरामदगी, गिरफ्तारी और FIR का क्रमानुसार लेखा-जोखा रखा जाता है।

2. **प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR — BNSS धारा 173):** संज्ञेय अपराध की सूचना मिलते ही दर्ज की जाती है और इसकी निःशुल्क प्रति सूचनादाता को तत्काल दी जाती है।

3. **पंचनामा / मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (Inquest Report — BNSS धारा 194):** आत्महत्या, हत्या, दुर्घटना या संदिग्ध मृत्यु की सूचना पर थाना प्रभारी निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना देकर घटनास्थल पर दो या अधिक प्रतिष्ठित स्थानीय निवासियों (पंचों) की उपस्थिति में शव के बाहरी घावों और मृत्यु के प्रत्यक्ष कारण का विवरण तैयार करता है।

4. **केस डायरी / पुलिस डायरी (Case Diary — BNSS धारा 192, पूर्व CrPC 172):** अन्वेषण करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी प्रतिदिन की जांच की कार्यवाही (सूचना मिलने का समय, गए हुए स्थान, कथन और बरामदगी) को केस डायरी में दर्ज करता है। अभियुक्त या उसके अभिकर्ता को केस डायरी मँगवाने या देखने का अधिकार नहीं होता, जब तक कि पुलिस अधिकारी अपनी स्मृति ताजा करने के लिए उसका उपयोग न करे।

5. **अंतिम रिपोर्ट (Closure Report) एवं आरोप-पत्र (Charge Sheet — BNSS धारा 193, पूर्व CrPC 173):** अन्वेषण पूर्ण होने पर यदि पर्याप्त साक्ष्य न मिलें तो 'अंतिम रिपोर्ट' (Final Report / FR — धारा 189 BNSS के अधीन अभियुक्त की रिहाई) और यदि पर्याप्त साक्ष्य मिलें तो मजिस्ट्रेट के समक्ष निर्धारित प्रपत्र पर **'आरोप-पत्र' (Charge Sheet / चालान)** प्रस्तुत किया जाता है।

7.4 सामुदायिक पुलिसिंग, कानून-व्यवस्था एवं मानसिक अभिरुचि (Mental Aptitude)

• **सामुदायिक पुलिसिंग (Community Policing):** पुलिस और जनता के बीच विश्वास व सहयोग का सेतु — जैसे बीट पुलिसिंग, ग्राम रक्षा समिति, महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति, सीनियर सिटीजन सेल और साइबर जागरूकता अभियान।

• **भीड़ नियंत्रण एवं न्यूनतम बल प्रयोग का सिद्धांत (BNSS धारा 148 एवं 149, पूर्व CrPC 129–130):** विधिविरुद्ध जमाव को तितर-बितर करने में पहले चेतावनी, फिर अश्रुगैस/वाटर कैनन, फिर बेंत/लाठी और अंत में अपरिहार्य होने पर ही मजिस्ट्रेट के आदेश से न्यूनतम घातक बल का प्रयोग तथा घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता देना।

• **मानसिक अभिरुचि (पीड़ित संवेदनशीलता एवं व्यावसायिक नैतिकता):** महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और वंचित वर्गों के प्रति पूर्ण संवेदनशीलता, निष्पक्षता, सांप्रदायिक सौहार्द, विधि का शासन (Rule of Law) और शून्य भ्रष्टाचार की नीति।

7.5 मॉड्यूल 7: पुलिस अनुसंधान एवं प्रशासनिक प्रावधानों की तुलनात्मक सारणी

पुलिस कार्यप्रणाली / दस्तावेज	पुलिस अधिनियम, 1861 / RPF नियम	पुरानी धारा (CrPC 1973)	नई धारा (BNSS 2023)	मुख्य उद्देश्य एवं विधीय महत्व
पुलिस अधिकारी सदैव ड्यूटी पर एवं कर्तव्य	पुलिस अधिनियम **धारा 22 एवं 23**	धारा 149 (अपराध निवारण)	**धारा 168** (संज्ञेय अपराध का निवारण)	24×7 लोक शांति, आसूचना संग्रह एवं अपराध रोकथाम
संज्ञेय अपराध के निवारण हेतु गिरफ्तारी	पुलिस अधिनियम धारा 23	धारा 151	**धारा 170**	संज्ञेय अपराध की परिकल्पना करने वाले व्यक्ति की अधिकतम 24 घंटे निरोधात्मक गिरफ्तारी
रोजनामचा आम (General Diary / GD)	पुलिस अधिनियम **धारा 44**	धारा 154, 155	**धारा 173, 174**	थाने की प्रत्येक गतिविधि का कालक्रमानुसार रजिस्टर
केस डायरी (Case Diary / दैनिकी)	पुलिस रेगुलेशन	धारा 172	**धारा 192**	अन्वेषण की प्रतिदिन की कार्यवाही का गोपनीय अभिलेख
आरोप-पत्र (Charge Sheet / चालान)	पुलिस रेगुलेशन	धारा 173(2)	**धारा 193(3)**	अन्वेषण पूर्ण होने पर विचारण हेतु मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट

पुलिस कार्यप्रणाली / दस्तावेज	पुलिस अधिनियम, 1861 / RPF नियम	पुरानी धारा (CrPC 1973)	नई धारा (BNSS 2023)	मुख्य उद्देश्य एवं विधीय महत्व
मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (Inquest / पंचनामा)	पुलिस रेगुलेशन	धारा 174	**धारा 194**	अप्राकृतिक या संदिग्ध मृत्यु के प्रत्यक्ष कारणों का पंचनामा
विधिविरुद्ध जमाव का तितर-बितर किया जाना	पुलिस अधिनियम धारा 30A	धारा 129, 130	**धारा 148, 149**	सिविल बल या सशस्त्र बल द्वारा विधिविरुद्ध जमाव को हटाना
विभागीय पदोन्नति (RPF परीक्षा नियम)	RPF नियम 1987: नियम 70 व 72	लागू नहीं	लागू नहीं	नियम 70 (नियमित चयन पदोन्नति) व नियम 72 (LDCE सीमित विभागीय प्रतियोगिता)

प्रमुख घटकों का तुलनात्मक अनुपात (%)

• रेलवे सुरक्षा बल नियम, 1987 (अनुसूची IV — GSR 768 संशोधन के अनुसार) में विभागीय पदोन्नति कोटा वितरण (%):

• **नियम 70** (वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता चयन के आधार पर पदोन्नति): **75%** (पूर्व में 60%)।

• **नियम 72** (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा - LDCE के आधार पर पदोन्नति): **25%** (पूर्व में 40%)।

• पुलिस भर्ती परीक्षाओं में 'पुलिस प्रणाली एवं मानसिक अभिरुचि' खंड का आंतरिक प्रश्न भार (%):

• अपराध अनुसंधान प्रक्रिया (FIR, GD, केस डायरी, पंचनामा, चार्जशीट): **30%**

• पुलिस अधिनियम 1861 एवं पुलिस पदानुक्रम: **25%**

• कानून-व्यवस्था, सामुदायिक पुलिसिंग एवं भीड़ नियंत्रण: **25%**

• वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक समानता एवं व्यावसायिक नैतिकता: **20%**

7.7 मॉड्यूल 7 की स्मृति ट्रिक्स (Memory Tricks 13 & 14)

★ स्मृति ट्रिक 13 (पुलिस अधिनियम 1861 की 7 सबसे महत्वपूर्ण धाराएँ):
"4 में DGP/SP कमान, 7 में अधीनस्थों की नियुक्ति-दंड का विधान, 17 में विशेष पुलिस अधिकारी, 22 में 24 घंटे ड्यूटी हमारी, 23 में कर्तव्य महान, 25 में लावारिस माल, और 44 में GD (रोजनामचा) की पहचान!"

★ स्मृति ट्रिक 14 (BNSS में पुलिस डायरी, चार्जशीट और पंचनामा का क्रम — 192-193-194):
"192 में केस डायरी लिखो, 193 में चार्जशीट दाखिल करो, और 194 में पंचनामा तैयार करो!"
• (पूर्व CrPC में यह क्रम **172-173-174** था, और अब BNSS में ठीक 20 जोड़कर **192-193-194** हो गया है!)

मॉड्यूल 8: विधीय अभिरुचि (Legal Aptitude for CLAT / LLB Entrance / Judiciary): अपकृत्य विधि, संविदा अधिनियम 1872, विधीय सूत्र एवं जनहित याचिका (PIL)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — मॉड्यूल 8: विधीय अभिरुचि (Legal Aptitude for CLAT / LLB Entrance / Judiciary): अपकृत्य विधि, संविदा अधिनियम 1872, विधीय सूत्र एवं जनहित याचिका (PIL)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
अपकृत्य विधि (Law of Torts) के मूल सिद्धांत एवं दायित्व	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	प्रमुख विधीय सूत्र (Important Legal Maxims for Exams)	जनहित याचिका (Public Interest Litigation — PIL)

यह मॉड्यूल CLAT, AILET, DU/BHU/AU LLB प्रवेश परीक्षाओं तथा न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए विधीय सिद्धांतों (Legal Principles), ऐतिहासिक न्यायिक निर्णयों और लैटिन विधीय सूत्रों को समेटता है।

8.1 अपकृत्य विधि (Law of Torts) के मूल सिद्धांत एवं दायित्व

• **अपकृत्य (Tort) का अर्थ:** लैटिन शब्द '*Tortum*' से व्युत्पन्न, जिसका अर्थ है 'मुड़ा हुआ' या 'टेढ़ा' (सिविल दोष / Civil Wrong)। यह संविदा भंग या न्यास भंग से भिन्न एक ऐसा सिविल दोष है जिसका उपचार **अपरिनिर्धारित नुकसानी (Unliquidated Damages — न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजा)** की कार्रवाई है।

• **अपकृत्य के दो आधारभूत लैटिन सिद्धांत:**

1. ***Injuria Sine Damno* (हानि के बिना विधीय क्षति): जब किसी व्यक्ति के विधीय अधिकार का उल्लंघन होता है, भले ही उसे कोई वास्तविक आर्थिक या भौतिक हानि न हुई हो, तो भी वह न्यायालय में वाद ला सकता है।** प्रमुख वाद:* Ashby v. White (1703) (मतदान से रोका जाना) एवं Bhim Singh v. State of J&K (1985)* (विधायक को अवैध रूप से हिरासत में रखकर विधानसभा सत्र में भाग लेने से रोकना — ₹50,000 मुआवजा)।

2. ***Damnum Sine Injuria* (विधीय क्षति के बिना हानि): जब किसी व्यक्ति को भारी आर्थिक नुकसान हो, किंतु उसके किसी विधीय अधिकार का उल्लंघन न हुआ हो (जैसे वैध व्यापारिक प्रतिस्पर्धा), तो कोई अपकृत्य वाद नहीं चलता।** प्रमुख वाद:* Gloucester Grammar School Case (1410) (पड़ोस में नया स्कूल खुलने से फीस घट जाना) एवं Mayor of Bradford v. Pickles (1895)*।

• **प्रतिनिधिक दायित्व (Vicarious Liability):**

• सामान्य नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के दोष के लिए उत्तरदायी होता है, किंतु प्रतिनिधिक दायित्व में एक व्यक्ति दूसरे के अपकृत्य के लिए उत्तरदायी होता है (जैसे **स्वामी और सेवक / Master and Servant**, **मालिक और अभिकर्ता / Principal and Agent**, तथा **भागीदार / Partners**)।

• **आधारभूत सूत्र:**

• ***Qui facit per alium facit per se:*** जो किसी दूसरे के माध्यम से कार्य करता है, वह विधि की दृष्टि में स्वयं कार्य करता है।

• ***Respondeat Superior:*** वरिष्ठ (स्वामी) को उत्तर देने दो।

• **शर्त:** सेवक द्वारा अपकृत्य **'नियोजन के अनुक्रम में' (In the course of employment)** किया गया होना चाहिए।

• **कठोर दायित्व बनाम पूर्ण दायित्व (Strict Liability vs. Absolute Liability):**

• **कठोर दायित्व का नियम (Strict Liability — Rylands v. Fletcher, 1868):** न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न द्वारा प्रतिपादित। यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर कोई खतरनाक वस्तु लाता है और उसका अप्राकृतिक उपयोग (Non-natural use) करता है, और वह वस्तु वहाँ से निकल भागती है (Escape) जिससे पड़ोसी को क्षति होती है, तो वह व्यक्ति **बिना किसी उपेक्षा (No fault)** के भी उत्तरदायी होगा। **5 अपवाद:** (1) वादी का स्वयं का दोष, (2) दैवीय

कृत्य (*Act of God / Vis Major*), (3) वादी की सहमति, (4) किसी तीसरे पक्ष (अजनबी) का कृत्य, और (5) सांविधिक प्राधिकार (Statutory Authority)।

• **पूर्ण दायित्व का नियम (Absolute Liability — M.C. Mehta v. Union of India, 1987 — ओलियम गैस लीक वाद):** भारत के सर्वोच्च न्यायालय (मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती) द्वारा प्रतिपादित। यदि कोई उद्यम किसी खतरनाक या परिसंकटमय उद्योग (Hazardous Industry) में संलग्न है और उससे किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति को क्षति होती है, तो उस उद्यम का दायित्व **पूर्ण (Absolute) और गैर-अपवादित** होगा। इसमें **कठोर दायित्व के 5 अपवाद लागू नहीं होते** (*Strict Liability − Exceptions = Absolute Liability*)।

8.2 भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)

• **लागू तिथि:** 1 सितंबर 1872 (1872 का अधिनियम संख्यांक 9)।

• **संविदा के निर्माण का समीकरण (धारा 2):**

• **प्रस्थापना / प्रस्ताव (Proposal / Offer — धारा 2(a)) + प्रतिग्रहण / स्वीकृति (Acceptance — धारा 2(b)) = वचन (Promise — धारा 2(b))**।

• **वचन (Promise) + प्रतिफल (Consideration — धारा 2(d)) = करार / समझौता (Agreement — धारा 2(e))**।

• **करार (Agreement) + विधि द्वारा प्रवर्तनीयता (Enforceability by Law) = संविदा (Contract — धारा 2(h))**।

• प्रसिद्ध सूत्र: "सभी संविदाएँ करार होती हैं, किंतु सभी करार संविदा नहीं होते।"

• **वैध संविदा के आवश्यक तत्व (धारा 10 से 30):**

• **धारा 10:** पक्षकारों की सक्षमता, स्वतंत्र सम्मति, विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य।

• **धारा 11 (पक्षकारों की सक्षमता):** वयस्क हो (18 वर्ष पूर्ण), स्वस्थचित्त हो, और विधि द्वारा अयोग्य घोषित न हो। **ऐतिहासिक वाद:** *Mohori Bibee v. Dharmodas Ghose* (1903) — अवयस्क (Minor) के साथ किया गया करार प्रारंभ से ही शून्य (*Void ab initio*) होता है।

• **धारा 14 से 18 (स्वतंत्र सम्मति / Free Consent):** सम्मति तब स्वतंत्र मानी जाती है जब वह इन 5 तत्वों से मुक्त हो — (1) **प्रपीड़न (Coercion — धारा 15)**, (2) **असम्यक् असर (Undue Influence — धारा 16)**, (3) **कपट (Fraud — धारा 17)**, (4) **दुर्व्यपदेशन (Misrepresentation — धारा 18)**, और (5) **भूल (Mistake — धारा 20–22)**। प्रथम चार की स्थिति में संविदा पीड़ित पक्षकार के विकल्प पर **शून्यकरणीय (Voidable — धारा 19)** होती है, जबकि दोनों पक्षकारों की तथ्य संबंधी भूल (धारा 20) होने पर करार **शून्य (Void)** होता है।

• **धारा 25:** प्रतिफल के बिना करार शून्य होता है (*Ex nudo pacto non oritur actio* — सिवाय स्वाभाविक प्रेम व स्नेह से लिखित व पंजीकृत करार या कालबाधित ऋण के भुगतान के वचन के)।

• **धारा 26 से 30 (स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करार):** विवाह का अवरोधक करार (धारा 26), व्यापार का अवरोधक करार (धारा 27), विधिक कार्यवाहियों का अवरोधक करार (धारा 28), अनिश्चितता के कारण शून्य करार (धारा 29), और बाजी या जुए के तौर के करार (Wagering Agreement — धारा 30)।

• **धारा 56 (असंभव कार्य एवं नैराश्य का सिद्धांत / Doctrine of Frustration):** ऐसा कार्य जो करने में असंभव है, उसका करार शून्य है।

8.3 प्रमुख विधीय सूत्र (Important Legal Maxims for Exams)

1. ***Actus non facit reum nisi mens sit rea:*** केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन (आशय) भी दोषी न हो।

2. ***Ubi jus ibi remedium:*** जहाँ अधिकार है, वहाँ उपचार है (Ashby v. White*)।

3. ***Volenti non fit injuria:*** जो व्यक्ति स्वेच्छा से जोखिम उठाने की सहमति देता है, वह क्षति की शिकायत नहीं कर सकता (अपकृत्य एवं **BNS धारा 25** में बचाव)।

4. ***Res ipsa loquitur:*** वस्तु (परिस्थिति) स्वयं बोलती है (उपेक्षा के मामलों में सबूत का भार प्रतिवादी पर चला जाता है)।

5. ***Audi alteram partem:*** दूसरे पक्ष को भी सुनो (नैसर्गिक न्याय / Natural Justice का प्रथम स्तंभ)।

6. ***Nemo judex in causa sua:*** कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता (पक्षपात के विरुद्ध नियम)।

7. ***Nemo debet bis vexari pro una et eadem causa:*** किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित या परेशान नहीं किया जाएगा (दोहरे दंड से संरक्षण — संविधान का अनुच्छेद 20(2) एवं **BNSS धारा 337**)।

8. ***Ignorantia facti excusat, ignorantia juris non excusat:*** तथ्य की भूल क्षम्य है, किंतु विधि की भूल क्षम्य नहीं है (**BNS धारा 14 व 17**)।

9. ***Consensus ad idem:*** एक ही बात पर एक ही भाव में मतैक्य (वैध संविदा की धारा 13)।

10. ***Quid pro quo:*** कुछ के बदले कुछ (प्रतिफल / Consideration — संविदा अधिनियम धारा 2(d))।

8.4 जनहित याचिका (Public Interest Litigation — PIL)

• **अवधारणा एवं उद्भव:** पारंपरिक विधीय नियम *'लोकस स्टैंडाई' (Locus Standi — केवल पीड़ित व्यक्ति ही न्यायालय जा सकता है) **को शिथिल करते हुए 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक के प्रारंभ में** न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती **और** न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर* द्वारा भारत में जनहित याचिका (PIL) की शुरुआत की गई (**स्टेट ऑफ उत्तरांचल बनाम बलवंत सिंह चौफाल, 2010**)।

• **संवैधानिक आधार:**

• **अनुच्छेद 32:** सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु जनहित याचिका।

• **अनुच्छेद 226:** उच्च न्यायालय (High Court) में मौलिक अधिकारों एवं अन्य विधीय अधिकारों के प्रवर्तन हेतु जनहित याचिका।

• **जनहित याचिका के ऐतिहासिक वाद (Landmark PIL Cases):**

• ***Hussainara Khatoon v. State of Bihar* (1979) (हुसैनआरा खातून वाद): अधिवक्ता कपिला हिंगोरानी द्वारा बिहार की जेलों में बंद हजारों विचाराधीन कैदियों की रिहाई हेतु दायर** भारत की प्रथम प्रमुख जनहित याचिका**; इसी से अनुच्छेद 21 में 'त्वरित विचारण का अधिकार' (Right to Speedy Trial) स्थापित हुआ।

• ***S.P. Gupta v. Union of India* (1981) (एस.पी. गुप्ता वाद):* न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने Locus Standi* के नियम को उदार बनाया और स्थापित किया कि सामाजिक या आर्थिक रूप से असमर्थ वर्ग की ओर से कोई भी जन-भावना रखने वाला नागरिक न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है।

• ***M.C. Mehta v. Union of India* (एम.सी. मेहता वाद श्रृंखला):** पर्यावरण संरक्षण, गंगा प्रदूषण मुक्ति, ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन, वाहन प्रदूषण (CNG), और पूर्ण दायित्व सिद्धांत (Oleum Gas Leak) के ऐतिहासिक निर्णय।

• ***Vishaka v. State of Rajasthan* (1997):** कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु विशाखा दिशानिर्देश।

8.5 मॉड्यूल 8: विधीय सिद्धांतों एवं ऐतिहासिक निर्णयों की तुलनात्मक सारणी

विधीय क्षेत्र एवं सिद्धांत	संबंधित धारा / संवैधानिक प्रावधान	प्रमुख ऐतिहासिक वाद (Landmark Case)	प्रतिपादित विधीय नियम / परीक्षा बिंदु
Injuria Sine Damno (अपकृत्य)	अपकृत्य विधि (सिविल अधिकार उल्लंघन)	*Ashby v. White* (1703) एवं *Bhim Singh v. State of J&K*	वास्तविक आर्थिक हानि के बिना भी विधीय अधिकार के उल्लंघन पर मुआवजा
कठोर दायित्व (Strict Liability)	अपकृत्य विधि (सशर्त दायित्व)	***Rylands v. Fletcher* (1868)**	खतरनाक वस्तु के पलायन (Escape) पर बिना उपेक्षा के दायित्व; **5 अपवाद लागू**
पूर्ण दायित्व (Absolute Liability)	अपकृत्य एवं अनुच्छेद 21	***M.C. Mehta v. Union of India* (1987)**	परिसंकटमय उद्योग में दुर्घटना पर पूर्ण दायित्व; **कोई अपवाद लागू नहीं**
अवयस्क के साथ संविदा	**संविदा अधिनियम 1872 धारा 11**	*Mohori Bibee v. Dharmodas Ghose* (1903)	18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क के साथ किया गया करार *प्रारंभ से ही शून्य (Void ab initio)*
सामान्य प्रस्ताव (General Offer)	संविदा अधिनियम 1872 **धारा 2(a), 8**	*Carlill v. Carbolic Smoke Ball Co.* (1893)	विश्व भर को किया गया प्रस्ताव शर्तों के पालन मात्र से स्वीकार हो जाता है

विधीय क्षेत्र एवं सिद्धांत	संबंधित धारा / संवैधानिक प्रावधान	प्रमुख ऐतिहासिक वाद (Landmark Case)	प्रतिपादित विधीय नियम / परीक्षा बिंदु
स्वतंत्र सम्मति के बाधक तत्व	संविदा अधिनियम 1872 **धारा 14–19**	*Chikkam Ammiraju v. Chikkam Seshamma*	प्रपीड़न (15), असम्यक् असर (16), कपट (17), दुर्व्यपदेशन (18) — संविदा **शून्यकरणीय**
जनहित याचिका (PIL) एवं त्वरित न्याय	**संविधान अनुच्छेद 32 एवं 226**	***Hussainara Khatoon v. State of Bihar* (1979)**	विचाराधीन कैदियों की रिहाई एवं अनुच्छेद 21 में त्वरित विचारण का मौलिक अधिकार
Locus Standi का उदारीकरण	संविधान अनुच्छेद 32 एवं 226	***S.P. Gupta v. Union of India* (1981)**	वंचित वर्ग के हित में किसी भी जन-सचेत नागरिक को याचिका दायर करने का अधिकार

प्रमुख घटकों का तुलनात्मक अनुपात (%)

• CLAT / LLB प्रवेश एवं न्यायिक सेवा परीक्षाओं में 'विधीय अभिरुचि' (Legal Aptitude) का विषयवार भारांक (%):

• भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल, सक्षमता व शून्य करार): **35%**

• अपकृत्य विधि (प्रतिनिधिक दायित्व, कठोर व पूर्ण दायित्व, उपेक्षा, मानहानि): **30%**

• संवैधानिक उपचार एवं जनहित याचिका (PIL, रिट अधिकारिता अनुच्छेद 32/226): **20%**

• लैटिन विधीय सूत्र (Legal Maxims) एवं विधीय शब्दावली: **15%**

8.7 मॉड्यूल 8 की स्मृति ट्रिक (Memory Trick 15)

★ स्मृति ट्रिक 15 (संविदा अधिनियम की धारा 2 के उप-खंड और धारा 15–18 याद रखने का सूत्र):
"A में Offer (प्रस्ताव), B में Acceptance (वचन), D में दाम (प्रतिफल), E में Agreement और H में पक्का Contract का काम! और 15-16-17-18 में CUFM (Coercion, Undue Influence, Fraud, Misrepresentation) से संविदा बने शून्यकरणीय!"

परिशिष्ट: संपूर्ण 15 स्मृति ट्रिक्स (Master Quick-Revision Index)

★ परीक्षा कक्ष में त्वरित पुनरावृत्ति (Quick Revision) के लिए सभी 8 मॉड्यूलों की 15 स्मृति ट्रिक्स का समेकित सार:

1. **अधिनियम संख्यांक व धाराएँ (मॉड्यूल 1):** "45-46-47 का क्रम (*BNS-BNSS-BSA*), 358-531-170 का दम; अध्याय हैं 20, 39 और 12!"

2. **परिभाषाओं का एकीकरण (मॉड्यूल 1):** "हर नए कानून (*BNS, BNSS, BSA*) में धारा 2 ही परिभाषा का द्वार है!"

3. **सामान्य अपवाद व निजी प्रतिरक्षा (मॉड्यूल 2):** "14 में भूल, 20 में 7 साल का शिशु, 22 में मन बीमार, 34 से 44 निजी रक्षा का हथियार (38 देह, 41 संपत्ति)!"

4. **महिला अपराधों की श्रृंखला (मॉड्यूल 2):** "63-64 बलात्संग, 69 धोखे का संग, 70 गैंगरेप कठोर, 74–78 लज्जा-स्टॉकिंग की डोर, 80 दहेज मृत्यु और 85 में क्रूरता का शोर!"

5. **शरीर व राष्ट्र के विरुद्ध अपराध (मॉड्यूल 3):** "100 में वध, 101 में कत्ल, 103 में हत्या व मॉब लिंचिंग दंड; 106 में हिट-एंड-रन, 111 संगठित, 113 आतंक और 152 से भारत अखंड!"

6. **संपत्ति के विरुद्ध अपराध (मॉड्यूल 3):** "303 में चोरी, 304 में झपट्टा (*Snatching*), 308 में वसूली, 309 में लूट, 310 में डकैती का गुट, और 420 की ठगी अब 318(4) में गई सिमट!"

7. **CrPC से BNSS का स्वर्णिम रूपांतरण (मॉड्यूल 4):** "भरण-पोषण 125 बना 144, कर्फ्यू की 144 बनी 163; 154 की *FIR* बनी 173, और 173 की चार्जशीट बन गई 193!"

8. **BNSS की वैधानिक समय-सीमाएँ (मॉड्यूल 4):** "3 दिन में ई-*FIR* हस्ताक्षर, 7 दिन में मेडिकल-जजमेंट अपलोड, 14 दिन प्रारंभिक जाँच, 30 दिन में फैसला व दया याचिका, 60 दिन में आरोप तय, और 90 दिन में चार्जशीट!"

9. **BSA साक्ष्य की प्रारंभिक धाराएँ (मॉड्यूल 5):** "धारा 6 से 16 तक पुरानी *IEA* धारा में से 2 घटाओ, *BSA* की नई धारा पाओ (*Res Gestae* 6→4, *Motive* 8→6, *TIP* 9→7, *Alibi* 11→9)!"

10. **संस्वीकृति, मृत्युकालिक कथन व डिजिटल साक्ष्य (मॉड्यूल 5):** "22 में लालच-डर बेकार, 23 में पुलिस के आगे इकरार अस्वीकार (परंतुक में बरामदगी), 26(*a*) में मरते का बयान, और 65*B* का सर्टिफिकेट अब धारा 63 की पहचान!"

11. **IT Act 2000 की धारा 66 श्रृंखला (मॉड्यूल 6):** "65 में सोर्स कोड छेड़ा, 66 में हैक किया, 66*C* में पहचान चुराई (*Clone*), 66*D* में भेष बदला (*Disguise*), 66*E* में निजता ताकी (*Eye*), और 66*F* में साइबर आतंक!"

12. **विशेष अधिनियमों के अन्वेषण अधिकारी (मॉड्यूल 6):** "*IT* में इंस्पेक्टर, *SC/ST* व भ्रष्टाचार में *DSP*, *POCSO* में महिला *SI* बिना वर्दी; घरेलू हिंसा और *SC/ST* चार्जशीट में 60 दिन, तथा मानवाधिकार व *POCSO* ट्रायल में 1 साल की सीमा!"

13. **पुलिस अधिनियम 1861 की मुख्य धाराएँ (मॉड्यूल 7):** "4 में *DGP/SP* कमान, 7 में अधीनस्थों की नियुक्ति-दंड, 17 में विशेष पुलिस अधिकारी, 22 में 24 घंटे ड्यूटी, 23 में कर्तव्य, 25 में लावारिस माल, और 44 में *GD* की पहचान!"

14. **केस डायरी, चार्जशीट और पंचनामा (मॉड्यूल 7):** "पुराने *CrPC* के 172-173-174 में 20 जोड़ो: *BNSS* के 192 में केस डायरी, 193 में चार्जशीट और 194 में पंचनामा पाओ!"

15. **संविदा अधिनियम 1872 सूत्र (मॉड्यूल 8):** "धारा 2 में *A* (*Offer*) + *B* (*Acceptance*) + *D* (दाम/प्रतिफल) + *E* (*Agreement*) = *H* (*Contract*); और धारा 15-16-17-18 (*CUFM*) से संविदा बने शून्यकरणीय!"

पुस्तक संदर्भ: 21_Bharatiya_Nyaya_Sanhita_BNS_BNSS_BSA_Evam_Police_Vidhi.pdf (IUC Academy)

आधिकारिक विधिक स्रोत: भारतीय न्याय संहिता, 2023 (India Code) | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (India Code) | भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (India Code) | गृह मंत्रालय एनसीआरबी संकलन पोर्टल

मॉड्यूल 1: आपराधिक न्याय प्रणाली का ऐतिहासिक कायाकल्प — औपनिवेशिक कानूनों से न्याय-केंद्रित संहिताओं तक (1 जुलाई 2024)

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

चरण 1 **औपनिवेशिक दंड तंत्र का समापन:** ब्रिटिश कालीन IPC 1860 (511 धाराएं), CrPC 1973 (484 धाराएं) और IEA 1872 (167 धाराएं) का विस्थापन, जिनका मुख्य उद्देश्य 'नागरिकों को दंडित करना और ब्रिटिश शासन की रक्षा करना' था (गृह मंत्रालय संकलन पोर्टल)।

चरण 2 **संसदीय अधिनियमन एवं राष्ट्रपति की स्वीकृति (दिसंबर 2023):** संसद द्वारा शीतकालीन सत्र में तीनों नए आपराधिक विधेयकों का पारित होना और 25 दिसंबर 2023 को माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ भारत के राजपत्र में प्रकाशन (राजपत्र अधिसूचना - MHA)।

चरण 3 **राष्ट्रव्यापी प्रवर्तन (1 जुलाई 2024):** गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या S.O. 848(E) एवं S.O. 849(E) के तहत 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में BNS 2023 (अधिनियम सं. 45/2023), BNSS 2023 (अधिनियम सं. 46/2023) और BSA 2023 (अधिनियम सं. 47/2023) का लागू होना (राजपत्र अधिसूचना - MHA)।

चरण 4 **नागरिक-केंद्रित एवं तकनीकी त्वरित न्याय:** दंड (Punishment) के स्थान पर न्याय (Nyaya), पीड़ित के अधिकार, महिला एवं बाल अपराधों को प्रथम प्राथमिकता, अनिवार्य फॉरेंसिक जांच और समयबद्ध डिजिटल ट्रायल की स्थापना (त्वरित न्याय प्रावधान - गृह मंत्रालय)।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: पुराने आपराधिक कानून बनाम नए आपराधिक कानून (2023)

तुलना का आधार	पुराना आपराधिक कानून (निरसित)	नया आपराधिक कानून (1 जुलाई 2024 से लागू)	अधिनियम संख्या एवं संरचना	प्रमुख विधिक परिवर्तन एवं आधिकारिक संदर्भ
मौलिक दंड विधि (Substantive Law)	भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC - अधिनियम सं. 45/1860)	भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS)	वर्ष 2023 का अधिनियम सं. 45; कुल 20 अध्याय एवं 358 धाराएं	IPC की 511 धाराओं के स्थान पर 358 धाराएं; सामुदायिक सेवा, संगठित अपराध (धारा 111) और मॉब लिंचिंग जोड़े गए (BNS 2023 - India Code)।
प्रक्रियात्मक विधि (Procedural Law)	दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC - अधिनियम सं. 2/1974)	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)	वर्ष 2023 का अधिनियम सं. 46; कुल 39 अध्याय, 531 धाराएं एवं 2 अनुसूचियां	CrPC की 484 धाराओं के स्थान पर 531 धाराएं; जीरो FIR, ई-FIR, समयबद्ध जांच और ट्रायल इन एब्सेंशिया (BNSS 2023 - India Code)।
साक्ष्य विधि (Law of Evidence)	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA - अधिनियम सं. 1/1872)	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA)	वर्ष 2023 का अधिनियम सं. 47; कुल 4 भाग, 12 अध्याय एवं 170 धाराएं	IEA की 167 धाराओं के स्थान पर 170 धाराएं; इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य का दर्जा (BSA 2023 - India Code)।
परिभाषाओं का एकीकरण	IPC में अलग-अलग धाराओं (धारा 6 से 52A) में बिखरी परिभाषाएं	BNS की धारा 2 में वर्णानुक्रमिक समेकन	BNS धारा 2(1) से धारा 2(39) तक उप-धाराओं में व्यवस्थित	'बालक' (Child) की परिभाषा धारा 2(3) में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में स्पष्ट की गई (BNS PDF - NCRB MHA)।
अधिनियमन एवं प्रवर्तन तिथि	1860, 1872 एवं 1973 के अलग-अलग कालखंड	अधिनियमन: 25 दिसंबर 2023; प्रवर्तन: 1 जुलाई 2024	BNS की धारा 106(2) को आंशिक रूप से स्थगित रखा गया	1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज अपराधों पर पुराने कानून (IPC/CrPC/IEA) ही लागू रहते हैं (राजपत्र अधिसूचना - MHA)।

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):
गृह मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना संख्या S.O. 848(E) के अनुसार, जब 1 जुलाई 2024 से तीनों नए आपराधिक कानून लागू किए गए, तब भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की **धारा 106 की उपधारा (2)** (हिट-एंड-रन मामलों में घटना की सूचना पुलिस या मजिस्ट्रेट को दिए बिना भागने पर 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान) को तत्काल प्रभाव से प्रवर्तित होने से रोका गया था (राजपत्र अधिसूचना - MHA)। साथ ही, गृह मंत्रालय ने पुलिस अधिकारियों और आम नागरिकों को पुरानी और नई धाराओं की तुरंत पहचान कराने के लिए **'एनसीआरबी संकलन ऐप/पोर्टल' (NCRB Sankalan Portal)** विकसित किया है (गृह मंत्रालय संकलन पोर्टल)।

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert):
प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थी अक्सर **'राष्ट्रपति की स्वीकृति तिथि' (25 दिसंबर 2023)** और **'प्रवर्तन/लागू होने की तिथि' (1 जुलाई 2024)** के बीच भ्रमित हो जाते हैं। यदि प्रश्न पूछे कि "BNS, BNSS और BSA कब अधिनियमित (Enacted) हुए?" तो उत्तर **25 दिसंबर 2023** होगा, किंतु यदि पूछे कि "ये कब प्रवर्तित/लागू (Came into force) हुए?" तो उत्तर **1 जुलाई 2024** होगा। दूसरा बड़ा जाल धाराओं की संख्या का है: BNS में धाराएं घटी हैं (511 से **358**), जबकि BNSS (484 से **531**) और BSA (167 से **170**) में धाराएं बढ़ी हैं (IUC Academy)।

★ IUC स्मृति ट्रिक (Memory Mnemonic):
ट्रिक: "न्याय में 358 कदम, सुरक्षा में 531 पहरेदार, साक्ष्य के 170 आधार — 45, 46, 47 का नया संसार!"
- **BNS (अधिनियम 45/2023):** 20 अध्याय, **358** धाराएं (IPC की 511 से कम)।
- **BNSS (अधिनियम 46/2023):** 39 अध्याय, **531** धाराएं (CrPC की 484 से अधिक)।
- **BSA (अधिनियम 47/2023):** 12 अध्याय, **170** धाराएं (IEA की 167 से अधिक)।

मॉड्यूल 2: भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) — दंड के 6 प्रकार, सामान्य अपवाद (धारा 14–44) एवं निजी प्रतिरक्षा का अधिकार

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

चरण 1 **दंड का नया वर्गीकरण (BNS धारा 4):** मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास (कठोर व सादा), संपत्ति का समपहरण, जुर्माना और छठे नए दंड के रूप में **'सामुदायिक सेवा' (Community Service)** का समावेश (BNS PDF - NCRB MHA)।

चरण 2 **सामान्य अपवाद — पूर्ण उन्मुक्ति (BNS धारा 14–24):** विधि से आबद्ध व्यक्ति (धारा 14), न्यायाधीश का न्यायिक कार्य (धारा 15), दुर्घटना (धारा 18), 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य — *Doli Incapax* (धारा 20) और विकृतचित्त व्यक्ति का कार्य (धारा 22) अपराध नहीं है (BNS PDF - NCRB MHA)।

चरण 3 **सहमति एवं सद्भावनापूर्ण कार्य (BNS धारा 25–33):** बिना आपराधिक आशय के सहमति से किया गया कार्य, संरक्षक की सहमति से बालक के लाभार्थ सद्भावनापूर्ण कार्य (धारा 27), तथा तुच्छ अपहानि वाले कार्य — *De Minimis Non Curat Lex* (धारा 33) (BNS 2023 - India Code)।

चरण 4 **निजी प्रतिरक्षा का अधिकार (BNS धारा 34–44):** स्वयं या अन्य के शरीर एवं संपत्ति की रक्षा का वैधानिक अधिकार (धारा 35), जिसकी सीमाएं धारा 37 में हैं तथा शरीर की रक्षा में हमलावर की मृत्यु कारित करने का अधिकार धारा 38 में और संपत्ति की रक्षा में मृत्यु कारित करने का अधिकार धारा 41 में वर्णित है (BNS 2023 - India Code)।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: IPC 1860 बनाम BNS 2023 — दंड एवं सामान्य अपवाद की प्रमुख धाराएं

विधिक प्रावधान / सिद्धांत	पुरानी IPC धारा	नई BNS 2023 धारा	मुख्य विधिक तत्व एवं शर्तें	परीक्षा उपयोगी विशेष टिप्पणी एवं स्रोत
दंड के प्रकार (Punishments)	धारा 53 (5 प्रकार के दंड)	**धारा 4** (6 प्रकार के दंड)	छठे दंड के रूप में 'सामुदायिक सेवा' जोड़ा गया	छोटे अपराधों में सुधारवादी न्याय को बढ़ावा (BNS PDF - NCRB MHA)।
एकान्त परिरोध (Solitary Confinement)	धारा 73 एवं 74	**धारा 11 एवं 12**	अधिकतम कुल अवधि **3 माह** से अधिक नहीं; एक बार में अधिकतम **14 दिन**	कठोर कारावास के हिस्से के रूप में ही दिया जा सकता है (BNS 2023 - India Code)।

विधिक प्रावधान / सिद्धांत	पुरानी IPC धारा	नई BNS 2023 धारा	मुख्य विधिक तत्व एवं शर्तें	परीक्षा उपयोगी विशेष टिप्पणी एवं स्रोत
7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य	धारा 82 (*Doli Incapax*)	**धारा 20**	7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है	यह निरपेक्ष उन्मुक्ति (Absolute Immunity) प्रदान करता है (BNS PDF - NCRB MHA)।
7 से 12 वर्ष के अपरिपक्व समझ वाले बालक का कार्य	धारा 83 (*Qualified Immunity*)	**धारा 21**	आचरण की प्रकृति और परिणाम समझने की परिपक्वता न होने पर अपराध नहीं	यह सापेक्ष उन्मुक्ति (Rebuttable Presumption) है (BNS PDF - NCRB MHA)।
विकृतचित्त व्यक्ति का कार्य (Unsound Mind)	धारा 84 (मैकनॉटन नियम)	**धारा 22**	कार्य करते समय चित्तविकृति के कारण कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ	विधिक पागलपन (Legal Insanity) सिद्ध करना आवश्यक है, केवल मेडिकल पागलपन नहीं (BNS PDF - NCRB MHA)।
शरीर की निजी प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित करना	धारा 100	**धारा 38**	मृत्यु/घोर उपहति की आशंका, बलात्संग, अप्राकृतिक कामतृष्णा, व्यपहरण/अपहरण, सदोष परिरोध, **एसिड अटैक**	कुल 7 **परिस्थितियों** में शरीर की रक्षा हेतु हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है (BNS 2023 - India Code)।
संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित करना	धारा 103	**धारा 41**	लूट (Robbery), रात्रौ गृहभेदन, मानव आवास में अग्नि द्वारा रिष्टि, अतिचार/चोरी में मृत्यु की आशंका	कुल **4 परिस्थितियों** में संपत्ति की रक्षा हेतु मृत्यु कारित करना वैध है (BNS 2023 - India Code)।

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):
भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 में पहली बार लागू किए गए **'सामुदायिक सेवा' (Community Service)** दंड को BNS में सीधे परिभाषित करने के बजाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) की **धारा 23 के स्पष्टीकरण** में परिभाषित किया गया है (BNSS 2023 - India Code)। इसके अनुसार सामुदायिक सेवा का अर्थ ऐसा कार्य है जिसे न्यायालय द्वारा दोषी पर अधिरोपित किया जाए जिससे समाज को लाभ हो और जिसके लिए दोषी को कोई पारिश्रमिक (वेतन) नहीं मिलेगा। BNS में यह दंड कुल **6 छोटे अपराधों** में निर्धारित किया गया है: लोक सेवक का अवैध व्यापार (धारा 202), लोक सेवक का समन तामील से बचना (धारा 209), आत्महत्या का प्रयास करके लोक सेवक को बाध्य करना (धारा 226), ₹5,000 से कम की पहली बार चोरी पर संपत्ति लौटाने पर (धारा 303(2)), सार्वजनिक स्थान पर नशे में उपद्रव (धारा 355) और मानहानि (धारा 356) (BNS 2023 - India Code)।

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert):
सामान्य अपवाद (General Exceptions) के अध्याय में सभी धाराएं **68 अंक पीछे** खिसक गई हैं! छात्र अक्सर पुरानी धारा 82 (7 वर्ष से कम आयु का बालक) और धारा 84 (विकृतचित्त व्यक्ति) रटे रहते हैं। याद रखें: पुरानी IPC की धारा 76 से 106 अब BNS में **धारा 14 से 44** हो गई हैं। इसी प्रकार, आत्महत्या का सामान्य प्रयास अब अपराध नहीं है, किंतु **धारा 226** के तहत **किसी लोक सेवक को अपने आधिकारिक कर्तव्य से रोकने या बाध्य करने के आशय से आत्महत्या का प्रयास करना** (जैसे धरना देकर आत्मदाह की कोशिश करना) BNS में एक नया विशिष्ट अपराध बनाया गया है जिसमें 1 वर्ष तक का सादा कारावास या जुर्माना या सामुदायिक सेवा हो सकती है (IUC Academy)।

★ IUC स्मृति ट्रिक (Memory Mnemonic):
ट्रिक: "अपवाद में से 62 घटाओ — 76 बना 14, और 106 बना 44!"
• सामान्य अपवाद की किसी भी पुरानी IPC धारा (76 से 106) में से सीधे **62 घटाने** पर नई BNS धारा प्राप्त हो जाती है!
• उदाहरण: **IPC 76 - 62 = BNS 14** (तथ्य की भूल); **IPC 82 - 62 = BNS 20** (7 वर्ष से कम बालक); **IPC 84 - 62 = BNS 22** (विकृतचित्त); **IPC 100 - 62 = BNS 38** (शरीर की रक्षा में मृत्यु); **IPC 106 - 62 = BNS 44** (निर्दोष को अपहानि के जोखिम वाली निजी प्रतिरक्षा)।

मॉड्यूल 3: महिला एवं बाल सुरक्षा के विशेष प्रावधान (BNS अध्याय V — धारा 63 से 99) एवं पॉक्सो (POCSO) समन्वय

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

चरण 1 **अध्याय V में सर्वोच्च प्राथमिकता:** पुरानी IPC में महिला एवं बाल अपराध अध्याय XVI (धारा 354/375 आदि) में पीछे रखे गए थे; BNS 2023 ने इन्हें **अध्याय V (धारा 63 से 99)** में सबसे आगे रखकर संवैधानिक प्राथमिकता दी है (BNS PDF - NCRB MHA)।

चरण 2 **यौन अपराधों में कठोर दंड (BNS धारा 63–71):** बलात्संग (धारा 63, दंड धारा 64 में न्यूनतम 10 वर्ष से आजीवन कारावास), **18 वर्ष से कम आयु की बालिका से सामूहिक बलात्संग (धारा 70(2)) में मृत्युदंड या शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास**, तथा धोखे या शादी के झूठे वादे से यौन संबंध (धारा 69) (BNS 2023 - India Code)।

चरण 3 **महिला की लज्जा एवं वैवाहिक सुरक्षा (BNS धारा 74–87):** लज्जा भंग (धारा 74), यौन उत्पीड़न (धारा 75), निर्वस्त्र करने के आशय से हमला (धारा 76), ताक-झांक/Voyeurism (धारा 77), पीछा करना/Stalking (धारा 78), दहेज मृत्यु (धारा 80) और पति/रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (धारा 85) (BNS 2023 - India Code)।

चरण 4 **बालकों के विरुद्ध अपराध (BNS धारा 93–99):** 12 वर्ष से कम आयु के बालक का परित्याग (धारा 93), **अपराध करने के लिए बालक को काम पर रखना या उपयोग करना (नया अपराध — धारा 95: 7 से 10 वर्ष कारावास)**, और वेश्यावृत्ति हेतु बालक का क्रय-विक्रय (धारा 98–99) (BNS PDF - NCRB MHA)।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: महिला एवं बाल सुरक्षा की प्रमुख धाराएं (IPC बनाम BNS 2023)

अपराध का विवरण	पुरानी IPC धारा	नई BNS 2023 धारा	निर्धारित दंड एवं नवीन प्रावधान	आधिकारिक विधिक विशेषता
बलात्संग की परिभाषा एवं दंड (Rape)	धारा 375 (परिभाषा) एवं 376 (दंड)	**धारा 63** (परिभाषा) एवं **धारा 64** (दंड)	न्यूनतम **10 वर्ष** का कठोर कारावास से आजीवन कारावास एवं जुर्माना	वैवाहिक अपवाद में पत्नी की आयु **18 वर्ष** से कम होने पर छूट नहीं (BNS 2023 - India Code)।
धोखेपूर्ण साधनों या विवाह के झूठे वादे से मैथुन	कोई पृथक विशिष्ट धारा नहीं थी (धारा 90/375 के तहत व्याख्या)	**धारा 69** (पूर्णतः नई धारा)	**10 वर्ष** तक का कारावास एवं जुर्माना	विवाह, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे या पहचान छिपाकर यौन संबंध बनाना दंडनीय (BNS PDF - NCRB MHA)।
सामूहिक बलात्संग (Gang Rape - वयस्क एवं नाबालिग)	धारा 376D, 376DA, 376DB	**धारा 70(1)** (वयस्क) एवं **धारा 70(2)** (18 वर्ष से कम)	धारा 70(2) में **18 वर्ष से कम** की किसी भी पीड़िता के साथ गैंगरेप पर आजीवन कारावास या **मृत्युदंड**	पहले केवल 12 वर्ष से कम (376DB) में मृत्युदंड था, अब 18 वर्ष से कम सभी नाबालिगों के लिए लागू (BNS 2023 - India Code)।
महिला की लज्जा भंग करना, ताक-झांक एवं पीछा करना	धारा 354, 354C (Voyeurism), 354D (Stalking)	**धारा 74** (लज्जा भंग), **धारा 77** (ताक-झांक), **धारा 78** (पीछा करना)	धारा 74 में 1 से 5 वर्ष का कारावास; धारा 78 में पहली बार 3 वर्ष, दूसरी बार 5 वर्ष तक कारावास	इलेक्ट्रॉनिक संचार एवं साइबर स्टॉकिंग स्पष्ट रूप से शामिल (BNS 2023 - India Code)।
दहेज मृत्यु (Dowry Death) एवं वैवाहिक क्रूरता	धारा 304B (दहेज मृत्यु) एवं धारा 498A (क्रूरता)	**धारा 80** (दहेज मृत्यु) एवं **धारा 85–86** (क्रूरता)	दहेज मृत्यु (विवाह के **7 वर्ष** के भीतर) में न्यूनतम 7 वर्ष से आजीवन कारावास; क्रूरता में 3 वर्ष तक कारावास	क्रूरता की परिभाषा को पृथक रूप से **धारा 86** में स्पष्ट किया गया (BNS 2023 - India Code)।
अपराध करने के लिए बालक को काम पर रखना (Hiring Child for Offence)	कोई विशिष्ट धारा नहीं थी	**धारा 95** (पूर्णतः नई धारा)	**न्यूनतम 7 वर्ष से 10 वर्ष तक** का कारावास एवं जुर्माना; यदि अपराध हो जाए तो उस अपराध का दंड भी मिलेगा	संगठित गिरोहों द्वारा नाबालिगों से अपराध कराने की प्रवृत्ति पर सीधा प्रहार (BNS PDF - NCRB MHA)।

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):
गृह मंत्रालय के अनुसार महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) की **धारा 193(2)** में यह बाध्यकारी प्रावधान किया गया है कि बलात्संग और पॉक्सो (POCSO) से संबंधित अपराधों का पुलिस अन्वेषण सूचना दर्ज होने की तिथि से **2 महीने (60 दिन) के भीतर** पूरा किया जाना अनिवार्य है (**त्वरित न्याय प्रावधान - गृह मंत्रालय**)। इसके अतिरिक्त, पीड़िता की मेडिकल जांच करने वाले पंजीकृत चिकित्सक को अपनी मेडिकल रिपोर्ट **7 दिनों के भीतर** अन्वेषण अधिकारी (IO) को भेजनी होगी (BNSS धारा 184(6)) (BNSS 2023 - India Code)।

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert):
छात्र अक्सर दो महत्वपूर्ण परिवर्तनों में गलती करते हैं:
1. पुरानी IPC के अपवाद 2 (धारा 375) में पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध को बलात्संग न मानने की आयु सीमा 15 वर्ष लिखी थी (जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ, 2017 में 18 वर्ष पढ़ा था)। अब **BNS की धारा 63 के अपवाद 2** में वैधानिक रूप से ही इसे **18 वर्ष** कर दिया गया है।
2. सामूहिक बलात्संग (Gang Rape) में पुरानी IPC में 16 वर्ष से कम (376DA) और 12 वर्ष से कम (376DB) का विभाजन था; **BNS की धारा 70(2)** ने यह विभाजन समाप्त कर दिया है और **18 वर्ष से कम आयु की किसी भी महिला** के साथ सामूहिक बलात्संग पर सीधे **आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन) या मृत्युदंड** का प्रावधान किया है (IUC Academy)।

★ **IUC स्मृति ट्रिक (Memory Mnemonic):**
ट्रिक: "63 में परिभाषा, 64 में सजा, 69 में झूठा वादा, 70 में गैंगरेप पर प्रहार, 80 में दहेज मृत्यु और 85 में क्रूरता पर वार!"
• **63–64:** बलात्संग परिभाषा व दंड | **69:** शादी/नौकरी का झूठा वादा | **70:** सामूहिक बलात्संग | **74–78:** लज्जा भंग, यौन उत्पीड़न, निर्वस्त्र करना, ताक-झांक, पीछा करना | **80:** दहेज मृत्यु (304B) | **85:** पति/रिश्तेदारों की क्रूरता (498A)।

मॉड्यूल 4: मानव शरीर के विरुद्ध अपराध — आपराधिक मानव वध, हत्या (धारा 101/103), मॉब लिंचिंग एवं हिट-एंड-रन (धारा 106)

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

चरण 1 **आपराधिक मानव वध (Culpable Homicide - BNS धारा 100):** मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु संभाव्य हो, या इस ज्ञान के साथ कि कार्य से मृत्यु संभाव्य है, किसी मानव की मृत्यु कारित करना (BNS 2023 - India Code)।

चरण 2 **हत्या की परिभाषा एवं 5 अपवाद (Murder - BNS धारा 101):** जब आपराधिक मानव वध में मृत्यु की निश्चितता (आशय या प्रकृति के साधारण अनुक्रम में पर्याप्त शारीरिक क्षति) हो, तो वह हत्या है; किंतु गंभीर व अचानक प्रकोपन, निजी प्रतिरक्षा का अतिक्रमण, लोक सेवक का अतिक्रमण, अचानक झगड़ा और 18+ व्यक्ति की सहमति के 5 अपवादों में यह हत्या नहीं रहता (BNS PDF - NCRB MHA)।

चरण 3 **हत्या का दंड एवं मॉब लिंचिंग (BNS धारा 103(1) व 103(2)):** सामान्य हत्या में मृत्युदंड या आजीवन कारावास (धारा 103(1)); तथा **5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा जाति, मूलवंश, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान या भाषा के आधार पर हत्या (मॉब लिंचिंग - धारा 103(2))** में प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या आजीवन कारावास (BNS 2023 - India Code)।

चरण 4 **उपेक्षा द्वारा मृत्यु एवं हिट-एंड-रन (BNS धारा 106):** उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु कारित करने पर 5 वर्ष तक कारावास (पंजीकृत चिकित्सक द्वारा चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान होने पर **2 वर्ष** तक कारावास - धारा 106(1)), तथा वाहन दुर्घटना के बाद पुलिस/मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भागने का प्रावधान धारा 106(2) में है (BNS 2023 - India Code)।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: मानव शरीर के विरुद्ध प्रमुख अपराध (IPC बनाम BNS 2023)

अपराध का नाम	पुरानी IPC धारा	नई BNS 2023 धारा	दंड एवं मुख्य विधिक परिवर्तन	आधिकारिक संदर्भ एवं परीक्षा बिंदु
आपराधिक मानव वध (Culpable Homicide)	धारा 299 (परिभाषा) एवं 304 (दंड)	**धारा 100** (परिभाषा) एवं **धारा 105** (दंड)	आशय होने पर आजीवन कारावास या **न्यूनतम 5 वर्ष से 10 वर्ष** तक कारावास; केवल ज्ञान होने पर 10 वर्ष तक कारावास	धारा 105 में अब प्रथम भाग में **न्यूनतम 5 वर्ष** की सजा तय की गई है (BNS 2023 - India Code)।
हत्या (Murder) की परिभाषा एवं दंड	धारा 300 (परिभाषा) एवं 302 (दंड)	**धारा 101** (परिभाषा) एवं **धारा 103(1)** (दंड)	मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना	सर्वाधिक पूछी जाने वाली धारा: पुरानी **302** अब **103(1)** है (BNS PDF - NCRB MHA)।

अपराध का नाम	पुरानी IPC धारा	नई BNS 2023 धारा	दंड एवं मुख्य विधिक परिवर्तन	आधिकारिक संदर्भ एवं परीक्षा बिंदु
भीड़ द्वारा हत्या (Mob Lynching)	कोई पृथक विशिष्ट धारा नहीं थी	**धारा 103(2)** (पूर्णतः नया उप-बंध)	**5 या अधिक व्यक्तियों** के समूह द्वारा पूर्वाग्रह के आधार पर हत्या पर प्रत्येक सदस्य को **मृत्युदंड या आजीवन कारावास**	तहसीन पूनावाला वाद के दिशानिर्देशों को सांविधिक रूप दिया गया (BNS 2023 - India Code)।
उपेक्षा द्वारा मृत्यु (Death by Negligence)	धारा 304A (2 वर्ष तक कारावास)	**धारा 106(1)**	सामान्य उतावलेपन/लापरवाही से मृत्यु पर सजा 2 वर्ष से बढ़ाकर **5 वर्ष** की गई; डॉक्टर के लिए **2 वर्ष** ही रखी गई	पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी (RMP) को धारा 106(1) में विशेष संरक्षण (BNS 2023 - India Code)।
आत्महत्या का दुष्प्रेरण (Abetment of Suicide)	धारा 305 (बालक/विकृतचित्त) एवं 306 (सामान्य)	**धारा 107** (बालक/विकृतचित्त) एवं **धारा 108** (सामान्य)	धारा 107 में मृत्युदंड/आजीवन कारावास/10 वर्ष तक; धारा 108 में 10 वर्ष तक कारावास एवं जुर्माना	बालक (18 वर्ष से कम) या पागल को आत्महत्या हेतु उकसाना धारा 107 (BNS PDF - NCRB MHA)।
हत्या का प्रयास (Attempt to Murder)	धारा 307	**धारा 109**	सामान्य स्थिति में 10 वर्ष तक कारावास; चोट लगने पर आजीवन कारावास तक	पुरानी धारा 307 अब **धारा 109** बन गई है (BNS 2023 - India Code)।
घोर उपहति (Grievous Hurt) एवं एसिड अटैक	धारा 320 (घोर उपहति) एवं 326A/B (एसिड अटैक)	**धारा 116** (घोर उपहति) एवं **धारा 124** (एसिड अटैक)	घोर उपहति के लिए पीड़ित के अस्पताल/बिस्तर पर रहने की अवधि **20 दिन से घटाकर 15 दिन** की गई	एसिड अटैक (धारा 124(1)) में न्यूनतम 10 वर्ष से आजीवन कारावास (BNS 2023 - India Code)।

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):
पुरानी IPC की धारा 320 (घोर उपहति / Grievous Hurt) के आठवें खंड में यह नियम था कि यदि किसी चोट के कारण पीड़ित व्यक्ति **20 दिनों तक** तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने सामान्य कामकाज करने में असमर्थ रहता है, तभी उसे 'घोर उपहति' माना जाता था। चिकित्सा विज्ञान की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) की **धारा 116(h)** में इस अवधि को **20 दिन से घटाकर 15 दिन** कर दिया गया है (BNS 2023 - India Code)। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति को ऐसी चोट पहुंचाई जाती है जिससे वह **स्थायी vegetative state (कोमा)** में चला जाता है, तो धारा 117(3) के तहत दोषी को न्यूनतम 10 वर्ष के कठोर कारावास से आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन) तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert):
यूपी पुलिस एसआई (UP SI), आरपीएफ (RPF) और न्यायिक परीक्षाओं में **'मॉब लिंचिंग' (धारा 103(2))** में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या पर सीधा प्रश्न आता है। याद रखें: पुरानी IPC में जहां कहीं भी 'विधिविरुद्ध जमाव' (Unlawful Assembly) या 'डकैती' था, वहां न्यूनतम 5 व्यक्ति होते थे, और BNS की **धारा 103(2)** (मॉब लिंचिंग) में भी समूह के लिए **न्यूनतम 5 या अधिक व्यक्तियों** की संख्या निर्धारित की गई है (कई छात्र गलती से 4 या 7 टिक कर देते हैं)। इसी तरह, पुरानी IPC की धारा 303 (आजीवन कारावास के दोषी द्वारा हत्या पर अनिवार्य मृत्युदंड), जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मिठू बनाम पंजाब राज्य (1983) में असंवैधानिक घोषित किया था, अब BNS की **धारा 104** में संशोधित रूप में है जहां न्यायालय को **'मृत्युदंड या शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास'** का विकल्प दिया गया है (IUC Academy)।

★ IUC स्मृति ट्रिक (Memory Mnemonic):
ट्रिक: "100 में मानव वध, 101 में हत्या का रूप, 103 में फांसी का फंदा, 106 में लापरवाही, 109 में जानलेवा हमला!"
• **धारा 100:** आपराधिक मानव वध (IPC 299) | **धारा 101:** हत्या की परिभाषा (IPC 300) | **धारा 103(1):** हत्या का दंड (IPC 302) | **धारा 103(2):** मॉब लिंचिंग (5+ व्यक्ति) | **धारा 105:** मानव वध का दंड (IPC 304) | **धारा 106:** उपेक्षा द्वारा मृत्यु (IPC 304A) | **धारा 109:** हत्या का प्रयास (IPC 307)।

मॉड्यूल 5: संगठित अपराध (धारा 111), छोटे संगठित अपराध (धारा 112), आतंकवादी कृत्य (धारा 113) एवं राष्ट्र की संप्रभुता के विरुद्ध अपराध (धारा 152)

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

चरण 1 **संगठित अपराध (Organised Crime - BNS धारा 111):** अपराध सिंडिकेट द्वारा आर्थिक या अन्य लाभ हेतु हिंसा, धमकी या अवैध साधनों से किया जाने वाला सतत विधिविरुद्ध क्रियाकलाप — जैसे सुपारी किलिंग (Contract Killing), अपहरण, जबरन वसूली, भूमि कब्जाना, साइबर अपराध और मानव/मादक पदार्थ तस्करी (BNS PDF - NCRB MHA)।

चरण 2 **छोटे संगठित अपराध (Petty Organised Crime - BNS धारा 112):** किसी समूह या गिरोह द्वारा नागरिकों में असुरक्षा की भावना पैदा करने वाले संगठित अपराध — जैसे वाहन चोरी, जेबकतरी (Pickpocketing), मोबाइल/चेन स्नैचिंग, टिकटों की कालाबाजारी और **लोक परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक करना** (1 से 7 वर्ष का कारावास) (BNS 2023 - India Code)।

चरण 3 **आतंकवादी कृत्य (Terrorist Act - BNS धारा 113):** भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को संकट में डालने या जनता में आतंक फैलाने के आशय से बम, विस्फोटक, आग्नेयास्त्र, जैविक/रासायनिक पदार्थों का प्रयोग या मुद्रा की तस्करी/जालसाजी (BNS 2023 - India Code)।

चरण 4 **राजद्रोह का विलोपन एवं देशद्रोह/संप्रभुता संरक्षण (BNS धारा 152):** औपनिवेशिक 'राजद्रोह' (Sedition - IPC धारा 124A) को पूर्णतः समाप्त कर, उसके स्थान पर **'भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य' (धारा 152)** को दंडनीय बनाया गया है (आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक कारावास) (BNS PDF - NCRB MHA)।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: राष्ट्रीय सुरक्षा एवं संगठित अपराध के नए प्रावधान (BNS 2023)

प्रावधान / अपराध श्रेणी	BNS 2023 धारा	मुख्य आवश्यक तत्व एवं शर्तें	निर्धारित दंड प्रावधान	विशेष प्रक्रियात्मक नियम एवं स्रोत
संगठित अपराध (Organised Crime)	**धारा 111**	पिछले **10 वर्षों** में 3 वर्ष या अधिक कारावास वाले अपराध में **1 से अधिक आरोपपत्र (Charge-sheets)** दाखिल हुए हों	मृत्यु होने पर **मृत्युदंड या आजीवन कारावास** (न्यूनतम ₹10 लाख जुर्माना); अन्यथा **न्यूनतम 5 वर्ष से आजीवन कारावास** (न्यूनतम ₹5 लाख जुर्माना)	मकोका (MCOCA) की तर्ज पर अखिल भारतीय दंड संहिता में पहली बार शामिल (BNS 2023 - India Code)।
छोटे संगठित अपराध (Petty Organised Crime)	**धारा 112**	गिरोह द्वारा चोरी, स्नैचिंग, जुआ, अवैध शराब, टिकट कालाबाजारी, प्रश्नपत्र विक्रय	**न्यूनतम 1 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष** तक का कारावास एवं जुर्माना	आम नागरिकों को रोजमर्रा के संगठित गिरोहों से सुरक्षा देने हेतु नया प्रावधान (BNS PDF - NCRB MHA)।
आतंकवादी कृत्य (Terrorist Act)	**धारा 113**	एकता, अखंडता, आर्थिक सुरक्षा को क्षति, उच्च गुणवत्ता के जाली नोटों का निर्माण/तस्करी	मृत्यु होने पर **मृत्युदंड या आजीवन कारावास**; अन्यथा **न्यूनतम 5 वर्ष से आजीवन कारावास** एवं जुर्माना	**धारा 113 के स्पष्टीकरण** के अनुसार **SP (पुलिस अधीक्षक)** स्तर से नीचे का अधिकारी यह तय नहीं करेगा कि मामला BNS में दर्ज हो या UAPA में (BNS 2023 - India Code)।
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना	**धारा 152** (पुरानी IPC 124A का विस्थापन)	अलगाववाद (Secession), सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion), विध्वंसक गतिविधियों को उकसाना या वित्तीय सहायता देना	**आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक** का कारावास और जुर्माना	इसमें 'सरकार के प्रति असंतोष' (Disaffection towards Government) को हटाकर केवल **राष्ट्र की संप्रभुता व एकता** को केंद्र में रखा गया है (BNS 2023 - India Code)।
भारत की राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन	**धारा 197(1)(d)**	भारत की संप्रभुता, एकता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली झूठी या भ्रामक जानकारी बनाना/प्रकाशित करना	**3 वर्ष** तक का कारावास या जुर्माना या दोनों (पूजा स्थल पर करने पर **5 वर्ष** तक)	फेक न्यूज के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा भंग करने पर रोक (BNS 2023 - India Code)।

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):
BNS की **धारा 111** में 'सतत विधिविरुद्ध क्रियाकलाप' (Continuing Unlawful Activity) को सिद्ध करने के लिए एक अत्यंत वस्तुनिष्ठ मानदंड रखा गया है: यह दिखाया जाना चाहिए कि उस अपराध सिंडिकेट के विरुद्ध पिछले **10 वर्षों की अवधि के भीतर** सक्षम न्यायालय के समक्ष **एक से अधिक आरोपपत्र (More than one charge-sheets)** दाखिल किए गए हैं और न्यायालय ने उन अपराधों का संज्ञान लिया है जिनमें **3 वर्ष या उससे अधिक के कारावास** का दंड है (BNS PDF - NCRB MHA)। इसी प्रकार, **धारा 113** में 'आर्थिक सुरक्षा' (Economic Security) के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता वाले जाली भारतीय कागजी मुद्रा, सिक्के या अन्य वित्तीय लिखतों की तस्करी और परिचालन को सीधे 'आतंकवादी कृत्य' की श्रेणी में रखा गया है।

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert):
परीक्षा में यह जाल अक्सर बिछाया जाता है कि "BNS की धारा 113 के तहत आतंकवादी कृत्य के मामले में FIR किस अधिनियम (BNS या UAPA 1967) के अंतर्गत दर्ज की जाएगी, इसका निर्णय कौन करता है?" बहुत से छात्र 'थाना प्रभारी (SHO)' या 'जिला मजिस्ट्रेट (DM)' टिक कर देते हैं। याद रखें: **BNS की धारा 113 के स्पष्टीकरण** में स्पष्ट लिखा है कि यह निर्णय **पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police - SP) की पंक्ति से नीचे का कोई अधिकारी नहीं करेगा** (BNS 2023 - India Code)। दूसरा जाल: पुरानी IPC 124A में 'राजद्रोह' शब्द था और सजा 3 वर्ष या आजीवन कारावास थी; नई **धारा 152** में 'राजद्रोह' शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है और इसमें अधिकतम साधारण सजा को **3 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष (या आजीवन कारावास)** कर दिया गया है (IUC Academy)।

★ IUC स्मृति ट्रिक (Memory Mnemonic):
ट्रिक: "111 में बड़ा सिंडिकेट, 112 में छोटा गैंग, 113 में आतंक का अंत, और 152 में देश की अखंडता बुलंद!"
- **धारा 111:** संगठित अपराध (10 वर्ष में >1 चार्जशीट, 3+ वर्ष सजा वाले अपराध)।
- **धारा 112:** छोटे संगठित अपराध (1 से 7 वर्ष कारावास)।
- **धारा 113:** आतंकवादी कृत्य (SP स्तर का अधिकारी निर्णय लेगा)।
- **धारा 152:** भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के विरुद्ध अपराध (7 वर्ष या आजीवन कारावास)।

मॉड्यूल 6: संपत्ति के विरुद्ध अपराध — चोरी, छीना-झपटी (Snatching - धारा 304), उद्यापन, लूट एवं डकैती (धारा 310)

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

चरण 1 **चोरी (Theft - BNS धारा 303):** किसी व्यक्ति के कब्जे से उसकी सहमति के बिना किसी जंगम (चल) संपत्ति को बेईमानी से लेने के आशय से हटाना; सामान्य सजा 3 वर्ष तक, किंतु **₹5,000 से कम मूल्य की पहली बार चोरी में संपत्ति लौटाने पर 'सामुदायिक सेवा' का प्रावधान** (BNS 2023 - India Code)।

चरण 2 **छीना-झपटी (Snatching - BNS धारा 304 — नया अपराध):** चोरी करने के लिए अचानक, तेजी से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे से किसी चल संपत्ति को जब्त करना या छीनकर भाग जाना (जैसे चेन स्नैचिंग या मोबाइल स्नैचिंग) — **3 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माना** (BNS PDF - NCRB MHA)।

चरण 3 **उद्यापन (Extortion - धारा 308) एवं लूट (Robbery - धारा 309):** किसी को क्षति के भय में डालकर संपत्ति देने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना उद्यापन है; और जब चोरी या उद्यापन में तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध कारित किया जाए, तो वह **लूट (धारा 309)** बन जाती है (BNS 2023 - India Code)।

चरण 4 **डकैती (Dacoity - BNS धारा 310):** जब **5 या अधिक व्यक्ति** संयुक्त होकर लूट करते हैं या लूट करने का प्रयास करते हैं, तो वहां उपस्थित और सहायता करने वाला प्रत्येक व्यक्ति डकैती का दोषी होता है (10 वर्ष तक कठोर कारावास या आजीवन कारावास; हत्या सहित डकैती में मृत्युदंड तक) (BNS 2023 - India Code)।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: संपत्ति के विरुद्ध अपराधों का विधिक अंतर एवं धाराएं (IPC बनाम BNS 2023)

अपराध का नाम	पुरानी IPC धारा	नई BNS 2023 धारा	मुख्य तत्व (संपत्ति, सहमति, भय/बल, संख्या)	दंड प्रावधान एवं आधिकारिक संदर्भ
चोरी (Theft)	धारा 378 (परिभाषा) एवं 379 (दंड)	**धारा 303(1)** (परिभाषा) एवं **303(2)** (दंड)	केवल **जंगम (चल) संपत्ति**; कब्जाधारी की सहमति के बिना बेईमानी से हटाना	3 वर्ष तक कारावास; ₹5,000 से कम की प्रथम चोरी में संपत्ति वापसी पर **सामुदायिक सेवा** (BNS 2023 - India Code)।
छीना-झपटी (Snatching)	कोई पृथक धारा नहीं थी (379/356 लगता था)	**धारा 304** (पूर्णतः नई धारा)	चोरी करने हेतु **अचानक, तेजी से या बलपूर्वक** संपत्ति छीनना या झपटना	**3 वर्ष** तक का कारावास और जुर्माना (BNS PDF - NCRB MHA)।
उद्यापन / जबरन वसूली (Extortion)	धारा 383 (परिभाषा) एवं 384 (दंड)	**धारा 308(1)** (परिभाषा) एवं **308(2)** (दंड)	**चल या अचल दोनों संपत्ति**; क्षति (Injury) के भय से दोषपूर्ण सहमति प्राप्त करना	दंड को पुरानी IPC के 3 वर्ष से बढ़ाकर **7 वर्ष तक का कारावास** किया गया (BNS 2023 - India Code)।

अपराध का नाम	पुरानी IPC धारा	नई BNS 2023 धारा	मुख्य तत्व (संपत्ति, सहमति, भय/बल, संख्या)	दंड प्रावधान एवं आधिकारिक संदर्भ
लूट (Robbery)	धारा 390 (परिभाषा) एवं 392 (दंड)	**धारा 309**	प्रत्येक लूट में या तो चोरी होती है या उद्यापन; **तत्काल मृत्यु/उपहति/सदोष अवरोध** का भय	10 वर्ष तक कठोर कारावास; राजमार्ग पर सूर्यास्त व सूर्योदय के बीच लूट पर **14 वर्ष** तक (BNS 2023 - India Code)।
डकैती (Dacoity)	धारा 391 (परिभाषा) एवं 395 (दंड)	**धारा 310(1)** (परिभाषा) एवं **310(2)** (दंड)	**5 या अधिक व्यक्तियों** द्वारा संयुक्त रूप से लूट करना या प्रयास करना	आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक कठोर कारावास; डकैती की तैयारी (310(4)) भी दंडनीय (BNS 2023 - India Code)।
आपराधिक न्यासभंग (Criminal Breach of Trust) एवं छल (Cheating)	धारा 405/406 (न्यासभंग) एवं धारा 415/420 (छल)	**धारा 316** (न्यासभंग) एवं **धारा 318** (छल)	न्यासभंग में संपत्ति पहले से विश्वास पर सौंपी जाती है; छल में धोखे से संपत्ति प्राप्त की जाती है	पुरानी प्रसिद्ध धारा **420** (छल करके संपत्ति परिदत्त कराना) अब **BNS की धारा 318(4)** है (7 वर्ष तक कारावास) (BNS 2023 - India Code)।

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):
भारतीय दंड विधि में सामान्य नियम यह है कि अपराध के केवल चार चरण होते हैं — (1) आशय (Intention), (2) तैयारी (Preparation), (3) प्रयास (Attempt) और (4) अपराध की पूर्णता (Commission); तथा सामान्यतः 'तैयारी' (Preparation) दंडनीय नहीं होती। किंतु **डकैती (BNS धारा 310)** एक ऐसा विशेष अपराध है जिसके **चारों चरण दंडनीय हैं**: डकैती के लिए एकत्र होना (धारा 310(5) - 7 वर्ष तक कारावास), **डकैती करने की तैयारी करना (धारा 310(4) - 10 वर्ष तक कठोर कारावास)**, डकैती का प्रयास और डकैती करना (धारा 310(2) - आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक कठोर कारावास) (BNS 2023 - India Code)!

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert):
प्रतियोगी परीक्षाओं में दो सूक्ष्म विधिक अंतर बार-बार पूछे जाते हैं:
1. **चोरी बनाम उद्यापन:** चोरी (धारा 303) केवल **जंगम (Movable) संपत्ति** की ही हो सकती है और इसमें स्वामी की सहमति नहीं होती; जबकि उद्यापन (धारा 308) में **चल और अचल (Movable & Immovable) दोनों संपत्तियां** या मूल्यवान प्रतिभूतियां शामिल हो सकती हैं और इसमें भय दिखाकर दोषपूर्ण सहमति ली जाती है।
2. **छीना-झपटी (Snatching - धारा 304) बनाम लूट (Robbery - धारा 309):** यदि कोई अपराधी सड़क पर चलते व्यक्ति के हाथ से अचानक मोबाइल झपटकर भाग जाता है और उसमें पीड़ित को तत्काल मृत्यु या गंभीर चोट का भय नहीं दिखाया गया है, तो वह लूट (धारा 309) नहीं बल्कि **छीना-झपटी (धारा 304)** कहलाएगा (IUC Academy)।

★ **IUC स्मृति ट्रिक (Memory Mnemonic):**
ट्रिक: "303 में चोरी, 304 में झपट्टा, 308 में वसूली, 309 में लूट, 310 में 5 डाकू और 318 में 420 वाला धोखा!"
• **धारा 303:** चोरी (₹5,000 से कम पर सामुदायिक सेवा) | **धारा 304:** छीना-झपटी (Snatching) | **धारा 308:** उद्यापन | **धारा 309:** लूट | **धारा 310:** डकैती (5+ व्यक्ति) | **धारा 314:** आपराधिक दुर्विनियोग | **धारा 316:** आपराधिक न्यासभंग | **धारा 318(4):** छल/धोखाधड़ी (पुरानी धारा 420)।

मॉड्यूल 7: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) — जीरो FIR, ई-FIR (धारा 173), गिरफ्तारी के नियम एवं पुलिस रिमांड (धारा 187)

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

चरण 1 **सूचना का पंजीकरण — Zero FIR एवं e-FIR (BNSS धारा 173):** किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना थाना क्षेत्र की सीमा के बिना किसी भी पुलिस थाने में दर्ज की जा सकती है (**Zero FIR**); तथा इलेक्ट्रॉनिक संचार (**e-FIR**) से दी गई सूचना को सूचनादाता द्वारा **3 दिनों के भीतर हस्ताक्षरित** किए जाने पर रिकॉर्ड में लिया जाएगा (BNSS संकलन सूचकांक - MHA)।

चरण 2 **प्रारंभिक जांच (Preliminary Enquiry - BNSS धारा 173(3)): 3 वर्ष या उससे अधिक किंतु 7 वर्ष से कम** कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराधों में पुलिस उपाधीक्षक (**DSP**) की पूर्व अनुमति से थाना प्रभारी **14 दिनों के भीतर** प्रारंभिक जांच कर सकता है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं (त्वरित न्याय प्रावधान - गृह मंत्रालय)।

चरण 3 **गिरफ्तारी के मानक एवं हथकड़ी के नियम (BNSS धारा 35 एवं 43(3)):** 3 वर्ष से कम कारावास वाले अपराध में **60 वर्ष से अधिक आयु** के या शिथिल (Infirm) व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु **DSP स्तर के अधिकारी की पूर्व अनुमति** अनिवार्य (धारा 35(7)); तथा आदतन अपराधी, हिरासत से भागने वाले, संगठित अपराध, आतंकवाद, बलात्संग या एसिड अटैक के अभियुक्तों को **हथकड़ी लगाने की अनुमति (धारा 43(3))** (BNSS 2023 - India Code)।

चरण 4 **मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी एवं पुलिस रिमांड (BNSS धारा 58 एवं 187):** गिरफ्तार व्यक्ति को यात्रा समय छोड़कर **24 घंटे** के भीतर किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना (धारा 58); तथा कुल 60/90 दिनों की हिरासत के दौरान प्रारंभिक **40 या 60 दिनों के भीतर कभी भी कुल 15 दिनों की पुलिस हिरासत (Police Custody)** दी जा सकती है (धारा 187(2)) (BNSS 2023 - India Code)।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: CrPC *1973 बनाम* BNSS *2023 — FIR, गिरफ्तारी एवं रिमांड के नियम*

प्रक्रियात्मक प्रावधान	पुरानी CrPC धारा	नई BNSS 2023 धारा	नवीन विधिक नियम एवं समय-सीमा	आधिकारिक संदर्भ एवं पुलिस परीक्षा बिंदु
प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR), Zero FIR एवं e-FIR	धारा 154	**धारा 173**	क्षेत्राधिकार के बाहर भी **Zero FIR** दर्ज करना अनिवार्य; **e-FIR** पर **3 दिन** के भीतर हस्ताक्षर आवश्यक	FIR दर्ज न करने पर पीड़ित SP को आवेदन देने के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष जा सकता है (BNSS 2023 - India Code)।
प्रारंभिक जांच (Preliminary Enquiry)	केवल ललिता कुमारी वाद के न्यायिक दिशानिर्देश थे	**धारा 173(3)** (सांविधिक दर्जा)	**3 वर्ष से अधिक व 7 वर्ष से कम** सजा वाले संज्ञेय अपराधों में DSP की अनुमति से **14 दिन** में जांच	समयबद्ध व पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित की गई (त्वरित न्याय प्रावधान - गृह मंत्रालय)।
वरिष्ठ नागरिकों एवं शिथिल व्यक्तियों की गिरफ्तारी	धारा 41/41A (कोई आयु छूट नहीं थी)	**धारा 35(7)** (नया संरक्षण)	**3 वर्ष से कम** कारावास वाले अपराध में **60 वर्ष से अधिक** आयु या शिथिल व्यक्ति की गिरफ्तारी बिना **DSP की अनुमति** के नहीं होगी	वरिष्ठ नागरिकों को अनावश्यक गिरफ्तारी से वैधानिक सुरक्षा (BNSS 2023 - India Code)।
हथकड़ी का प्रयोग (Use of Handcuffs)	केवल सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश (प्रेम शंकर शुक्ल वाद)	**धारा 43(3)** (स्पष्ट सांविधिक नियम)	आदतन अपराधी, हिरासत से भागे व्यक्ति, संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थ, हत्या, बलात्संग, मानव तस्करी व राष्ट्र-विरोधी अपराधों में हथकड़ी की अनुमति	पुलिस बल की सुरक्षा और गंभीर अपराधियों के पलायन को रोकने हेतु स्पष्ट प्रावधान (BNSS 2023 - India Code)।
पुलिस हिरासत एवं डिफ़ॉल्ट जमानत (Remand & Default Bail)	धारा 167	**धारा 187**	कुल **15 दिन** का पुलिस रिमांड अब केवल पहले 15 दिनों तक सीमित नहीं, बल्कि **60 दिन वाली कुल अवधि के प्रथम 40 दिनों** में या **90 दिन वाली कुल अवधि के प्रथम 60 दिनों** में टुकड़ों में लिया जा सकता है	60 या 90 दिन में चार्जशीट न आने पर डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार बरकरार (BNSS 2023 - India Code)।
नामित पुलिस अधिकारी (Designated Police Officer)	धारा 41C (केवल नियंत्रण कक्ष का प्रावधान)	**धारा 37**	प्रत्येक जिले और प्रत्येक पुलिस थाने में कम से कम **ASI (सहायक उप-निरीक्षक)** रैंक का नामित पुलिस अधिकारी होगा जो गिरफ्तार व्यक्तियों की डिजिटल व भौतिक सूची प्रदर्शित करेगा	पुलिस हिरासत में पारदर्शिता और मानवाधिकारों की रक्षा (BNSS 2023 - India Code)।

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):
पुरानी CrPC की धारा 167(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई बनाम अनुपम जे. कुलकर्णी (1992) निर्णय के अनुसार, यदि पुलिस ने गिरफ्तारी के शुरुआती 15 दिनों के भीतर पुलिस रिमांड (Police Custody) नहीं लिया या अभियुक्त अस्पताल में भर्ती रहकर शुरुआती 15 दिन निकाल देता था, तो बाद में पुलिस रिमांड नहीं मिल सकता था। **BNSS की धारा 187(2)** ने इस खामी को दूर कर दिया है: पुलिस रिमांड की **कुल अधिकतम अवधि अब भी 15 दिन ही है**, लेकिन इसे 90 दिन की जांच अवधि वाले मामलों में **शुरुआती 60 दिनों के भीतर** और 60 दिन की जांच अवधि वाले मामलों में **शुरुआती 40 दिनों के भीतर** एक साथ या टुकड़ों में (in whole or in parts) कभी भी लिया जा सकता है (BNSS 2023 - India Code)।

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert):
अभ्यर्थी अक्सर दो बिंदुओं पर गलती करते हैं:
1. **e-FIR पर हस्ताक्षर की समय-सीमा:** जब कोई नागरिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (ईमेल/पोर्टल) से संज्ञेय अपराध की सूचना भेजता है, तो वह अपने आप FIR नहीं बन जाती; **BNSS धारा 173(1)(ii)** के अनुसार सूचना देने वाले व्यक्ति को **3 दिनों के भीतर** उस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, तभी पुलिस उसे औपचारिक रूप से रिकॉर्ड पर लेती है।
2. **पुलिस रिमांड की कुल अवधि:** कई छात्र यह भ्रम पाल लेते हैं कि BNSS में पुलिस रिमांड 15 दिन से बढ़ाकर 40 या 60 दिन कर दिया गया है — यह गलत है! **कुल पुलिस रिमांड (Police Custody) अधिकतम 15 दिन ही है**, केवल उसे मांगने की **समय-खिड़की (Time Window)** को प्रथम 15 दिनों से बढ़ाकर प्रथम **40 दिन या 60 दिन** किया गया है (IUC Academy)।

★ **IUC स्मृति ट्रिक (Memory Mnemonic):**
ट्रिक: "173 में FIR (3 दिन में ई-हस्ताक्षर, 14 दिन में प्रारंभिक जांच), 35(7) में 60+ बुजुर्ग को राहत, 187 में 15 दिन का रिमांड 40/60 दिन की खिड़की में!"
• **धारा 173:** संज्ञेय अपराध की सूचना (FIR, Zero FIR, e-FIR) | **3 दिन:** ई-FIR हस्ताक्षर | **14 दिन:** प्रारंभिक जांच (3–7 वर्ष सजा वाले अपराध) | **धारा 35(7):** 60+ वर्ष या शिथिल व्यक्ति की गिरफ्तारी नियम | **धारा 187:** 15 दिन पुलिस रिमांड (40/60 दिन के भीतर)।

मॉड्यूल 8: BNSS 2023 में समयबद्ध अन्वेषण, अनिवार्य फॉरेंसिक जांच (धारा 176(3)), दया याचिका एवं अनुपस्थिति में विचारण (धारा 356)

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

चरण 1 **अनिवार्य फॉरेंसिक अन्वेषण (BNSS धारा 176(3)):** **7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास** से दंडनीय सभी अपराधों में अपराध स्थल पर **फॉरेंसिक विशेषज्ञ (Forensic Expert)** का भ्रमण कर साक्ष्य एकत्र करना और मोबाइल/डिजिटल माध्यम से पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य (BNSS 2023 - India Code)।

चरण 2 **विचारण की सख्त समय-सीमाएं (Speedy Justice Timelines):** पीड़ित/अभियुक्त को दस्तावेजों की आपूर्ति **14 दिन** में (धारा 230), सेशन कोर्ट को मामला सुपुर्दगी **90 दिन** में (धारा 232), उन्मोचन (Discharge) आवेदन **60 दिन** में, पहली सुनवाई से **60 दिन** में आरोप विरचन (Framing of Charges), और बहस समाप्त होने के **30 से 45 दिन** में निर्णय की घोषणा (त्वरित न्याय प्रावधान - गृह मंत्रालय)।

चरण 3 **उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में विचारण (Trial in Absentia - BNSS धारा 356):** जब कोई उद्घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो जाए, तो न्यायालय आरोप विरचन की तिथि से **90 दिन** प्रतीक्षा करने के बाद और दो राष्ट्रीय/स्थानीय समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित कराकर उसकी अनुपस्थिति में ही विचारण पूरा कर दंड सुना सकता है (BNSS 2023 - India Code)।

चरण 4 **दया याचिका की समयबद्ध प्रक्रिया (Mercy Petition - BNSS धारा 472):** मृत्युदंड की पुष्टि के बाद दोषी द्वारा **राज्यपाल के समक्ष 30 दिन** के भीतर और राज्यपाल द्वारा अस्वीकृति के बाद **राष्ट्रपति के समक्ष 60 दिन** के भीतर दया याचिका दायर करने की निश्चित समय-सीमा (त्वरित न्याय प्रावधान - गृह मंत्रालय)।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा निर्दिष्ट BNSS 2023 की वैधानिक समय-सीमाएं

न्यायिक / अन्वेषण चरण	BNSS 2023 धारा	निर्धारित वैधानिक समय-सीमा	मुख्य विधिक प्रभाव एवं उद्देश्य	आधिकारिक स्रोत
प्रारंभिक जांच (Preliminary Enquiry)	**धारा 173(3)**	**14 दिन** के भीतर	3 से 7 वर्ष के अपराधों में DSP की अनुमति से प्रथम दृष्टया मामला जांचना	त्वरित न्याय प्रावधान - गृह मंत्रालय
पीड़ित को अन्वेषण की प्रगति की सूचना	**धारा 193(3)(ii)**	**90 दिन** के भीतर	पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़ित/सूचनादाता को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जांच की स्थिति बताना अनिवार्य	BNSS 2023 - India Code
अग्रिम अन्वेषण (Further Investigation)	**धारा 193(9)**	विचारण के दौरान **90 दिन** के भीतर पूर्ण	चार्जशीट के बाद अतिरिक्त जांच अनंत काल तक लटकाने पर रोक	त्वरित न्याय प्रावधान - गृह मंत्रालय

न्यायिक / अन्वेषण चरण	BNSS 2023 धारा	निर्धारित वैधानिक समय-सीमा	मुख्य विधिक प्रभाव एवं उद्देश्य	आधिकारिक स्रोत
पीड़ित एवं अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट/दस्तावेज देना	**धारा 230**	पेशी से **14 दिन** के भीतर	अभियुक्त के साथ-साथ पीड़ित को भी FIR, चार्जशीट और बयान नि:शुल्क मिलेंगे	त्वरित न्याय प्रावधान - गृह मंत्रालय
आरोप विरचन (Framing of Charges) एवं उन्मोचन आवेदन	**धारा 250 / 251 / 262 / 263**	पहली सुनवाई से **60 दिन** के भीतर	डिस्चार्ज आवेदन और आरोप तय करने में वर्षों की देरी समाप्त	त्वरित न्याय प्रावधान - गृह मंत्रालय
मुकदमे में स्थगन (Adjournments) की अधिकतम संख्या	**धारा 346**	एक पक्ष को अधिकतम **2 स्थगन (Two Adjournments)**	तारीख-दर-तारीख की संस्कृति समाप्त करने हेतु कठोर सीमा	त्वरित न्याय प्रावधान - गृह मंत्रालय
निर्णय की घोषणा (Pronouncement of Judgment)	**धारा 258 / 392**	बहस पूरी होने के **30 दिन** (विशेष कारणों से अधिकतम **45 दिन**) में	निर्णय के तुरंत बाद **7 दिन** के भीतर उसे पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य	त्वरित न्याय प्रावधान - गृह मंत्रालय
दया याचिका (Mercy Petition)	**धारा 472**	राज्यपाल के समक्ष **30 दिन**; राष्ट्रपति के समक्ष **60 दिन**	राष्ट्रपति के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील/जांच नहीं होगी (धारा 472(7))	त्वरित न्याय प्रावधान - गृह मंत्रालय

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) ने न्यायिक व्यवस्था से औपनिवेशिक अवशेष को हटाते हुए **'महानगर मजिस्ट्रेट' (Metropolitan Magistrate)** और 'महानगर क्षेत्र' (Metropolitan Area - जो पहले 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में घोषित होते थे) का पद एवं अवधारणा **पूरी तरह समाप्त कर दी है** (BNSS संकलन सूचकांक - MHA)! अब BNSS की **धारा 6** के अनुसार पूरे भारत में दंड न्यायालयों का एक समान पदानुक्रम है: (1) सेशन न्यायालय (Court of Session), (2) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC), (3) द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMSC) और (4) कार्यपालक मजिस्ट्रेट (Executive Magistrates)। साथ ही, BNSS की **धारा 23** में न्यायिक मजिस्ट्रेटों की जुर्माना लगाने की शक्तियों में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है: प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट (JMFC) की जुर्माना शक्ति ₹10,000 से बढ़ाकर **₹50,000** और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट (JMSC) की जुर्माना शक्ति ₹5,000 से बढ़ाकर **₹10,000** कर दी गई है (BNSS 2023 - India Code)।

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert):
धारा 176(3) (अनिवार्य फॉरेंसिक अन्वेषण) पर परीक्षा में दो प्रश्न बनते हैं: पहला, यह कितने वर्ष की सजा वाले अपराधों में अनिवार्य है? उत्तर: **7 वर्ष या उससे अधिक** के कारावास से दंडनीय अपराधों में (कई छात्र गलती से 3 वर्ष या 10 वर्ष टिक कर देते हैं)। दूसरा, राज्य सरकारों को इस फॉरेंसिक अवसंरचना को पूर्णत: विकसित करने के लिए अधिनियम के लागू होने से अधिकतम कितने वर्षों की संक्रमणकालीन छूट दी गई है? उत्तर: अधिकतम **5 वर्ष** (इस दौरान राज्य दूसरे राज्य की फॉरेंसिक सुविधा का उपयोग कर सकते हैं)। इसी प्रकार, **जमानत (BNSS धारा 479)** में यह नया नियम जोड़ा गया है कि यदि कोई विचाराधीन कैदी **पहली बार का अपराधी (First-time Offender)** है, तो अधिकतम सजा की **एक-तिहाई (1/3) अवधि** जेल में पूरी करने पर ही उसे जमानत का अधिकार मिल जाएगा (जबकि सामान्य विचाराधीन कैदी के लिए यह आधी यानी 1/2 अवधि है) (IUC Academy)!

★ IUC स्मृति ट्रिक (Memory Mnemonic):
ट्रिक: "7 साल की सजा पर फॉरेंसिक टीम, अधिकतम 2 तारीख, 14 दिन में कॉपी, 60 दिन में चार्ज, 45 दिन में फैसला, और पहली बार के कैदी को 1/3 पर बेल!"
• **7+ वर्ष सजा:** अनिवार्य फॉरेंसिक जांच (धारा 176(3)) | **अधिकतम 2 स्थगन:** धारा 346 | **14 दिन:** दस्तावेज आपूर्ति (धारा 230) व प्रारंभिक जांच (धारा 173(3)) | **60 दिन:** आरोप विरचन व उन्मोचन | **30–45 दिन:** निर्णय घोषणा | **30/60 दिन:** राज्यपाल/राष्ट्रपति दया याचिका (धारा 472) | **1/3 अवधि:** प्रथम बार के विचाराधीन कैदी की जमानत (धारा 479)।

मॉड्यूल 9: भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA 2023) — इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल साक्ष्य, प्राथमिक/द्वितीयक साक्ष्य एवं संस्वीकृति

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

चरण 1 **'दस्तावेज' और 'साक्ष्य' का डिजिटल विस्तार (BSA धारा 2(1)(d) एवं 2(1)(e)):** इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड (ईमेल, सर्वर लॉग, स्मार्टफोन, लैपटॉप, वेबसाइट, क्लाउड संदेश, वॉयस मेल, लोकेशन डेटा) को 'दस्तावेज' में और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिए गए कथनों को 'मौखिक साक्ष्य' में शामिल किया गया (BSA 2023 - India Code)।

चरण 2 **प्राथमिक साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड (Primary Evidence - BSA धारा 57):** धारा 57 के नए स्पष्टीकरण 4, 5, 6 और 7 के तहत उचित अभिरक्षा में रखे गए **इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्डिंग और एक ही कंप्यूटर प्रणाली में एक साथ बनने वाली फाइलों को 'प्राथमिक साक्ष्य' (Primary Evidence)** का दर्जा दिया गया (BSA 2023 - India Code)।

चरण 3 **इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राह्यता एवं प्रमाणपत्र (BSA धारा 61, 62 एवं 63):** धारा 61 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कागजी दस्तावेज के समान कानूनी मान्यता देती है, तथा **धारा 63 (पुरानी IEA धारा 65B)** कंप्यूटर आउटपुट की ग्राह्यता के लिए **अनुसूची में दिए गए प्रारूप (भाग A — उपयोगकर्ता द्वारा एवं भाग B — विशेषज्ञ द्वारा) में हैश वैल्यू (Hash Value) सहित प्रमाणपत्र** अनिवार्य करती है (BSA 2023 - India Code)।

चरण 4 **संस्वीकृति एवं पुलिस के समक्ष कथन (Confession - BSA धारा 22–24):** उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से कराई गई संस्वीकृति विसंगत (धारा 22); पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति साबित नहीं की जाएगी (धारा 23(1)); पुलिस अभिरक्षा में मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के बिना की गई संस्वीकृति अमान्य (धारा 23(2)), किंतु **सूचना से तथ्य की खोज (Discovery of Fact - धारा 23 का परंतुक, पुरानी धारा 27)** सुसंगत और ग्राह्य है (BSA 2023 - India Code)।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (IEA) बनाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (BSA)

साक्ष्य विधि का सिद्धांत	पुरानी IEA 1872 धारा	नई BSA 2023 धारा	मुख्य विधिक प्रावधान एवं आधुनिक सुधार	आधिकारिक संदर्भ एवं परीक्षा बिंदु
एक ही संव्यवहार के भाग (Res Gestae)	धारा 6	**धारा 4**	विवादक तथ्य से इस प्रकार जुड़े तथ्य कि वे एक ही संव्यवहार (Same Transaction) का भाग बनते हैं	सुसंगति (Relevancy) का आधारभूत सिद्धांत (BSA 2023 - India Code)।
हेतु, तैयारी एवं आचरण तथा शिनाख्त परेड (TIP)	धारा 8 (हेतु/आचरण) एवं धारा 9 (TIP)	**धारा 6** (हेतु/आचरण) एवं **धारा 7** (TIP)	पहचान परेड (Test Identification Parade) सुसंगत तथ्य है; BNSS धारा 54 के तहत दिव्यांग साक्षी के लिए ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य	पुरानी धारा 9 (शिनाख्त परेड) अब **BSA की धारा 7** है (BSA 2023 - India Code)।
अन्यत्र उपस्थिति का अभिवचन (Plea of Alibi)	धारा 11	**धारा 9**	जब अभियुक्त यह सिद्ध करे कि अपराध के समय वह किसी अन्य स्थान पर था	सबूत का भार (Burden of Proof) अभियुक्त पर होता है (BSA 2023 - India Code)।
पुलिस अभिरक्षा में संस्वीकृति एवं तथ्य की खोज	धारा 25, 26 एवं **धारा 27**	**धारा 23(1), 23(2)** एवं **धारा 23 का परंतुक**	पुरानी धारा 25, 26 और 27 को समेकित कर **एक ही धारा 23** में रख दिया गया है	अभियुक्त की सूचना पर हथियार/वस्तु की बरामदगी **धारा 23 के परंतुक** के तहत ग्राह्य (BSA 2023 - India Code)।
मृत्युकालिक कथन (Dying Declaration)	धारा 32(1)	**धारा 26(a)**	मृत व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण या संव्यवहार की परिस्थितियों के संबंध में किया गया कथन	बिना संपुष्टि (Corroboration) के भी सत्य होने पर दोषसिद्धि का आधार बन सकता है (BSA 2023 - India Code)।

साक्ष्य विधि का सिद्धांत	पुरानी IEA 1872 धारा	नई BSA 2023 धारा	मुख्य विधिक प्रावधान एवं आधुनिक सुधार	आधिकारिक संदर्भ एवं परीक्षा बिंदु
प्राथमिक एवं द्वितीयक साक्ष्य (Primary & Secondary Evidence)	धारा 62 (प्राथमिक) एवं 63 (द्वितीयक)	**धारा 57** (प्राथमिक) एवं **धारा 58** (द्वितीयक)	धारा 57 में इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य बनाया गया; धारा 58 में मौखिक एवं लिखित स्वीकारोक्तियों को द्वितीयक साक्ष्य में जोड़ा गया	डिजिटल युग का सबसे बड़ा साक्ष्य सुधार (BSA 2023 - India Code)।
इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता (Admissibility of Electronic Records)	**धारा 65B**	**धारा 63**	कंप्यूटर, मोबाइल, सेमीकंडक्टर मेमोरी या किसी भी संचार उपकरण के आउटपुट हेतु प्रमाणपत्र (हैश वैल्यू सहित)	सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न: पुरानी **धारा 65B** अब **BSA की धारा 63** है (BSA 2023 - India Code)!

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 की **धारा 22 के दूसरे परंतुक** में पहली बार **'प्रपीड़न' (Coercion)** शब्द को भी जोड़ा गया है (पहले केवल उत्प्रेरणा, धमकी या वचन यानी Inducement, Threat or Promise लिखा था)। इसके अलावा, **BSA की धारा 63** (पुरानी धारा 65B) के साथ अधिनियम के अंत में एक आधिकारिक **अनुसूची (Schedule)** जोड़ी गई है जिसमें डिजिटल साक्ष्य के प्रमाणपत्र को दो भागों में बांटा गया है: **भाग A** (उस व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा जिसके पास डिवाइस का वैध नियंत्रण था) और **भाग B** (विशेषज्ञ/Expert द्वारा भरा जाएगा जिसमें SHA-256 या अन्य एल्गोरिदम का **Hash Value** दर्ज करना अनिवार्य है ताकि डिजिटल साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ न हो सके) (BSA 2023 - India Code)।

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert):
पुलिस और विधि परीक्षाओं में सबसे बड़ा जाल **पुरानी धारा 27 (Discovery of Fact)** और **पुरानी धारा 65B (इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रमाणपत्र)** पर आता है:
1. पुराने साक्ष्य अधिनियम में धारा 25 (पुलिस से संस्वीकृति), धारा 26 (पुलिस हिरासत में संस्वीकृति) और धारा 27 (अभियुक्त से प्राप्त सूचना से तथ्य की खोज) तीन अलग-अलग धाराएं थीं। **BSA 2023 में इन तीनों को मिलाकर एक ही 'धारा 23' बना दिया गया है** (धारा 23(1), 23(2) और धारा 23 का परंतुक)!
2. पुरानी **धारा 65B** अब **BSA की धारा 63** बन गई है, जबकि पुरानी **धारा 32(1) (Dying Declaration / मृत्युकालिक कथन)** अब **BSA की धारा 26(a)** बन गई है (IUC Academy)।

★ **IUC स्मृति ट्रिक (Memory Mnemonic):**
ट्रिक: "4 में Res Gestae, 7 में शिनाख्त, 9 में Alibi, 23 में पुलिस संस्वीकृति व बरामदगी, 26 में मृत्युकालिक कथन, 57 में डिजिटल प्राइमरी और 63 में 65B का प्रमाणपत्र!"
• **धारा 4:** Res Gestae (पुरानी 6) | **धारा 7:** शिनाख्त परेड (पुरानी 9) | **धारा 9:** Plea of Alibi (पुरानी 11) | **धारा 23:** पुलिस के समक्ष संस्वीकृति एवं बरामदगी (पुरानी 25, 26, 27) | **धारा 26(a):** मृत्युकालिक कथन (पुरानी 32(1)) | **धारा 39:** विशेषज्ञ की राय (पुरानी 45) | **धारा 57:** प्राथमिक साक्ष्य | **धारा 63:** इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राह्यता (पुरानी 65B)।

मॉड्यूल 10: पुलिस प्रणाली, विधीय अभिरुचि (Legal & Mental Aptitude), जनहित याचिका (PIL), मानवाधिकार एवं साइबर सुरक्षा

प्रमुख चरण एवं प्रक्रिया प्रवाह

चरण 1 **संवैधानिक एवं पुलिस प्रशासनिक ढांचा:** भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की **राज्य सूची (प्रविष्टि 2)** में 'पुलिस और लोक व्यवस्था' तथा **समवर्ती सूची (प्रविष्टि 1 व 2)** में 'आपराधिक विधि एवं दंड प्रक्रिया' का स्थान; पुलिस अधिनियम, 1861 एवं प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) के 7 पुलिस सुधार निर्देश (गृह मंत्रालय)।

चरण 2 **संवैधानिक संरक्षण एवं मानवाधिकार (अनुच्छेद 20, 21, 22 एवं NHRC):** कार्योत्तर विधि से संरक्षण (अनुच्छेद 20(1)), दोहरे दंड से संरक्षण (अनुच्छेद 20(2)), आत्म-अभिशंसन से संरक्षण (अनुच्छेद 20(3)), प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21), गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण (अनुच्छेद 22) और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (इंडिया कोड पोर्टल)।

चरण 3 **जनहित याचिका (PIL) एवं विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA):** अनुच्छेद 39A के तहत निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (लोक अदालत) और जस्टिस पी.एन. भगवती व जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर द्वारा प्रवर्तित जनहित याचिका (PIL - अनुच्छेद 32 एवं 226) (IUC Academy)।

चरण 4 **साइबर अपराध समन्वय (I4C) एवं पुलिस मानसिक अभिरुचि:** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act), गृह मंत्रालय का भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन **1930**, आपातकालीन सहायता **112**, तथा सामुदायिक पुलिसिंग व पीड़ित-संवेदनशील पुलिस आचरण (गृह मंत्रालय)।

2. विस्तृत तुलनात्मक सारणी: पुलिस प्रशासन, विशेष अधिनियम एवं विधीय अभिरुचि के स्तंभ

विषय / अधिनियम / संस्था	संवैधानिक / वैधानिक आधार	मुख्य प्रावधान एवं संरचना	पुलिस अधिकारी का कर्तव्य एवं अधिकार	आधिकारिक स्रोत एवं परीक्षा बिंदु
गिरफ्तारी एवं निरोध से संवैधानिक संरक्षण	**संविधान का अनुच्छेद 22(1) एवं 22(2)** (सहपठित BNSS धारा 38, 47, 58)	गिरफ्तारी का आधार जानने का अधिकार, पसंद के वकील से परामर्श का अधिकार और **24 घंटे** में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी	निवारक निरोध (Preventive Detention - अनुच्छेद 22(4)) में सलाहकार बोर्ड की राय के बिना अधिकतम **3 माह** तक निरोध	डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) के गिरफ्तारी दिशानिर्देश BNSS धारा 36 में समाहित (BNSS 2023 - India Code)।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)	मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (2019 में संशोधित)	अध्यक्ष: भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश; कार्यकाल: **3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु** (जो पहले हो)	हिरासत में मृत्यु (Custodial Death) की सूचना **24 घंटे** के भीतर NHRC को देना और मजिस्ट्रेट जांच (BNSS धारा 196) अनिवार्य	2019 संशोधन द्वारा कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर **3 वर्ष** किया गया (गृह मंत्रालय)।
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO Act, 2012)	अधिनियम सं. 32/2012 (2019 में संशोधित); 14 नवंबर 2012 से लागू	18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक/बालिका (Gender-Neutral) का यौन शोषण से संरक्षण; विशेष न्यायालय में **1 वर्ष** में विचारण	पीड़ित बालक का बयान उसके निवास पर **सादे कपड़ों (Civil Dress)** में और यथासंभव महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा	गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमले (धारा 6) में न्यूनतम 20 वर्ष से आजीवन कारावास या **मृत्युदंड** (IUC Academy)।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act, 2000)	अधिनियम सं. 21/2000 (17 अक्टूबर 2000 से लागू; 2008 में संशोधित)	धारा 43 (अनधिकृत एक्सेस), धारा 66 (कंप्यूटर हैकिंग), धारा 66C (पहचान की चोरी), धारा 66D (प्रतिरूपण से ठगी), **धारा 66F (साइबर आतंकवाद)**	साइबर अपराधों का अन्वेषण **निरीक्षक (Inspector)** रैंक से नीचे के पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा (धारा 78)	श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में IT Act की **धारा 66A** को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त किया गया (IUC Academy)।
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) एवं हेल्पलाइन	गृह मंत्रालय (CIS प्रभाग) की पहल	वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग हेतु राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर **1930** एवं पोर्टल **cybercrime.gov.in**	'गोल्डन ऑवर' में पीड़ित के बैंक खाते से निकाली गई राशि को तुरंत फ्रीज (Hold) कराना	राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (ERSS) का एकीकृत नंबर **112** है (गृह मंत्रालय)।

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):
सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय **प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006)** में पुलिस सुधारों के लिए **7 बाध्यकारी निर्देश** जारी किए गए थे: (1) राज्य सुरक्षा आयोग (State Security Commission) का गठन, (2) पुलिस महानिदेशक (DGP) का चयन यूपीएससी पैनल से और न्यूनतम **2 वर्ष का निश्चित कार्यकाल**, (3) आईजी, डीआईजी, एसपी और थाना प्रभारी (SHO) का न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल, (4) अन्वेषण (Investigation) और कानून-व्यवस्था (Law & Order) पुलिस का पृथक्करण, (5) पुलिस स्थापना बोर्ड (Police Establishment Board), (6) राज्य एवं जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण (Police Complaints Authority) और (7) राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन (IUC Academy)।

परीक्षा जाल सतर्कता (Exam Trap Alert):
यूपी पुलिस एसआई/कांस्टेबल और आरपीएफ परीक्षाओं में निम्नलिखित तीन प्रश्नों में छात्र सबसे अधिक फंसते हैं:
1. **IT Act 2000 के तहत साइबर अपराधों की जांच कौन कर सकता है?** उत्तर: **धारा 78** के अनुसार कम से कम **निरीक्षक (Inspector)** रैंक का पुलिस अधिकारी (जबकि दहेज निषेध या SC/ST Act में DSP रैंक होता है, इसलिए दोनों में अंतर याद रखें)।
2. **महिला की गिरफ्तारी का समय (BNSS धारा 43(5)):** सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा; केवल असाधारण परिस्थितियों में ही **महिला पुलिस अधिकारी** द्वारा स्थानीय **प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC) की पूर्व लिखित अनुमति** प्राप्त करके गिरफ्तारी की जा सकती है।
3. **साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर:** पुराना नंबर 155260 था, जिसे गृह मंत्रालय ने बदलकर **1930** कर दिया है (गृह मंत्रालय)।

★ **IUC स्मृति ट्रिक (Memory Mnemonic):**
ट्रिक: "सूची-2 में पुलिस, समवर्ती में कानून; 112 पर इमरजेंसी, 1930 पर साइबर सुकून; IT Act में इंस्पेक्टर जांचे, SC/ST में DSP की कमान!"
• **राज्य सूची (प्रविष्टि 2):** पुलिस और लोक व्यवस्था | **समवर्ती सूची (प्रविष्टि 1 व 2):** आपराधिक विधि (BNS) व दंड प्रक्रिया (BNSS) | **112:** आपातकालीन हेल्पलाइन | **1930:** राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन | **1098:** चाइल्डलाइन | **1090/1091:** महिला हेल्पलाइन | **IT Act धारा 78:** इंस्पेक्टर (Inspector) द्वारा अन्वेषण।

अंतिम समय त्वरित वन-लाइनर रिवीजन कैप्सूल (100 महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु)

1. भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) को राष्ट्रपति की स्वीकृति **25 दिसंबर 2023** को मिली और ये **1 जुलाई 2024** से पूरे देश में लागू हुए (राजपत्र अधिसूचना - MHA)।

2. भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 का अधिनियम क्रमांक **वर्ष 2023 का अधिनियम संख्या 45** है, जिसमें कुल **20 अध्याय और 358 धाराएं** हैं (**BNS 2023 - India Code**)।

3. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 का अधिनियम क्रमांक **वर्ष 2023 का अधिनियम संख्या 46** है, जिसमें कुल **39 अध्याय, 531 धाराएं और 2 अनुसूचियां** हैं (**BNSS 2023 - India Code**)।

4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 का अधिनियम क्रमांक **वर्ष 2023 का अधिनियम संख्या 47** है, जिसमें कुल **4 भाग, 12 अध्याय, 170 धाराएं और 1 अनुसूची** है (**BSA 2023 - India Code**)।

5. BNS की **धारा 2** में सभी प्रमुख परिभाषाओं को वर्णानुक्रम (Alphabetical Order) में उप-धारा **2(1)** से **2(39)** तक समेकित किया गया है (**BNS PDF - NCRB MHA**)।

6. BNS की **धारा 2(3)** में पहली बार 'बालक' (Child) को परिभाषित करते हुए इसका अर्थ **18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति** निर्धारित किया गया है।

7. BNS की **धारा 3(5)** में 'सामान्य आशय' (Common Intention - पुरानी IPC धारा 34) का सिद्धांत दिया गया है, जिसके लिए कम से कम **2 या अधिक व्यक्तियों** में पूर्व-नियोजित मस्तिष्क मिलन आवश्यक है (**BNS 2023 - India Code**)।

8. BNS की **धारा 4** में दंड के कुल **6 प्रकार** बताए गए हैं, जिनमें छठा नया दंड **'सामुदायिक सेवा' (Community Service)** जोड़ा गया है।

9. 'सामुदायिक सेवा' (Community Service) की वैधानिक परिभाषा **BNSS की धारा 23 के स्पष्टीकरण** में दी गई है, जिसका अर्थ बिना किसी पारिश्रमिक के समाज के लाभ हेतु न्यायालय द्वारा निर्देशित कार्य है (**BNSS 2023 - India Code**)।

10. BNS में 'सामुदायिक सेवा' का दंड कुल **6 छोटे अपराधों** (धारा 202, 209, 226, 303(2), 355 और 356) में प्रदान किया गया है।

11. BNS की **धारा 8(2)** के अनुसार जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि मुख्य अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास के **एक-चौथाई (1/4)** से अधिक नहीं होगी।

12. BNS की **धारा 11 और 12** के अनुसार 'एकान्त परिरोध' (Solitary Confinement) की कुल अवधि किसी भी स्थिति में **3 माह** से अधिक नहीं हो सकती और एक बार में **14 दिन** से अधिक नहीं होगी (**BNS 2023 - India Code**)।

13. BNS के **अध्याय II (धारा 14 से 44)** में 'सामान्य अपवाद' (General Exceptions) दिए गए हैं, जो पुरानी IPC की धारा 76 से 106 के समतुल्य हैं (**BNS PDF - NCRB MHA**)।

14. BNS की **धारा 14 और 17** के तहत 'तथ्य की भूल' (Mistake of Fact) एक वैध बचाव है, किंतु 'विधि की भूल' (Mistake of Law) कोई बचाव नहीं है (*Ignorantia facti excusat, ignorantia juris non excusat*)।

15. BNS की **धारा 18** (पुरानी IPC धारा 80) के अनुसार विधिपूर्ण कार्य को विधिपूर्ण साधन और उचित सावधानी से करने में हुई **दुर्घटना (Accident)** अपराध नहीं है।

16. BNS की **धारा 20** (पुरानी IPC धारा 82) के अनुसार **7 वर्ष से कम आयु के शिशु** द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है (*Doli Incapax*) (**BNS PDF - NCRB MHA**)।

17. BNS की **धारा 21** (पुरानी IPC धारा 83) के अनुसार **7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु** के अपरिपक्व समझ वाले बालक का कार्य अपराध नहीं है।

18. BNS की **धारा 22** (पुरानी IPC धारा 84) में **विकृतचित्त व्यक्ति (Person of Unsound Mind)** को आपराधिक दायित्व से छूट दी गई है, जो 'मैकनॉटन नियम' (McNaughten's Rule) पर आधारित है।

19. BNS की **धारा 23** (पुरानी IPC धारा 85) के अनुसार किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध या उसके ज्ञान के बिना दिए गए **अनैच्छिक मत्तता (Involuntary Intoxication)** के तहत किया गया कार्य अपराध नहीं है।

20. BNS की **धारा 33** (पुरानी IPC धारा 95) के अनुसार इतना **तुच्छ अपहानि (Slight Harm)** कारित करने वाला कार्य जिसकी शिकायत सामान्य समझ व स्वभाव का व्यक्ति न करे, अपराध नहीं है।

21. BNS की **धारा 34 से 44** तक 'निजी प्रतिरक्षा के अधिकार' (Right of Private Defence) का प्रावधान है, जिसमें धारा 38 शरीर की रक्षा में और धारा 41 संपत्ति की रक्षा में मृत्यु कारित करने का अधिकार देती है (**BNS 2023 - India Code**)।

22. BNS की **धारा 45 से 60** तक 'दुष्प्रेरण' (Abetment), **धारा 61** में 'आपराधिक षड्यंत्र' (Criminal Conspiracy - पुरानी IPC 120A/120B) और **धारा 62** में अपराध करने के प्रयास (पुरानी IPC 511) का प्रावधान है।

23. आपराधिक षड्यंत्र (BNS धारा 61) के अपराध के गठन के लिए कम से कम **2 या अधिक व्यक्तियों** का किसी अवैध कार्य को करने हेतु सहमत होना आवश्यक है।

24. BNS के **अध्याय V (धारा 63 से 99)** में महिला एवं बालकों के विरुद्ध अपराधों को संकलित कर संहिता में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है (**BNS PDF - NCRB MHA**)।

25. BNS की **धारा 63** में बलात्संग (Rape) की परिभाषा है और **धारा 64** में इसके लिए न्यूनतम **10 वर्ष** के कठोर कारावास से आजीवन कारावास तक का दंड निर्धारित है।

26. BNS की **धारा 63 के अपवाद 2** के अनुसार पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन बलात्संग नहीं है, बशर्ते पत्नी की आयु **18 वर्ष से कम न हो**।

27. BNS की नई **धारा 69** के तहत विवाह, रोजगार या पदोन्नति के झूठे वादे या पहचान छिपाकर धोखे से यौन संबंध बनाने पर **10 वर्ष तक के कारावास** का दंड है (**BNS 2023 - India Code**)।

28. BNS की **धारा 70(2)** के अनुसार **18 वर्ष से कम आयु की किसी भी महिला** के साथ सामूहिक बलात्संग (Gang Rape) करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास या **मृत्युदंड** दिया जाएगा।

29. BNS की **धारा 72** के तहत बलात्संग या यौन अपराध की पीड़िता की पहचान उजागर करने या प्रकाशित करने पर **2 वर्ष तक के कारावास** और जुर्माने का दंड है।

30. BNS की **धारा 74** महिला की लज्जा भंग करने के आशय से हमले (IPC 354), **धारा 75** यौन उत्पीड़न (IPC 354A), **धारा 76** निर्वस्त्र करने के आशय से हमले (IPC 354B), **धारा 77** ताक-झांक (Voyeurism - IPC 354C) और **धारा 78** पीछा करने (Stalking - IPC 354D) से संबंधित है।

31. BNS की **धारा 80** (पुरानी IPC 304B) 'दहेज मृत्यु' (Dowry Death) से संबंधित है, जो विवाह के **7 वर्ष के भीतर** असामान्य परिस्थितियों में दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना के बाद महिला की मृत्यु होने पर लागू होती है (न्यूनतम 7 वर्ष से आजीवन कारावास)।

32. BNS की **धारा 85 और 86** (पुरानी IPC 498A) पति या पति के नातेदारों द्वारा महिला के प्रति **क्रूरता (Cruelty)** से संबंधित है, जिसमें **3 वर्ष तक के कारावास** का दंड है (**BNS 2023 - India Code**)।

33. BNS की **धारा 88** (पुरानी IPC 312) महिला की सहमति से गर्भपात कारित करने और **धारा 89** (पुरानी IPC 313) महिला की सहमति के बिना गर्भपात कारित करने को दंडनीय बनाती है।

34. BNS की नई **धारा 95** के तहत किसी बालक को अपराध करने के लिए भाड़े पर लेने, नियोजित करने या उपयोग करने पर **न्यूनतम 7 वर्ष से 10 वर्ष तक के कारावास** का दंड है।

35. BNS की **धारा 100** में 'आपराधिक मानव वध' (Culpable Homicide) और **धारा 101** में 'हत्या' (Murder) को परिभाषित किया गया है (**BNS PDF - NCRB MHA**)।

36. BNS की **धारा 103(1)** (पुरानी IPC 302) में हत्या का दंड (मृत्युदंड या आजीवन कारावास) है, जबकि **धारा 103(2)** में **5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा मॉब लिंचिंग** पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास का नया प्रावधान है।

37. BNS की **धारा 106(1)** (पुरानी IPC 304A) में उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु कारित करने पर कारावास की अवधि 2 वर्ष से बढ़ाकर **5 वर्ष** कर दी गई है (पंजीकृत चिकित्सक के लिए यह **2 वर्ष** ही है)।

38. BNS की **धारा 108** (पुरानी IPC 306) आत्महत्या का दुष्प्रेरण (10 वर्ष तक कारावास), **धारा 109** (पुरानी IPC 307) हत्या का प्रयास और **धारा 110** (पुरानी IPC 308) आपराधिक मानव वध का प्रयास है (BNS 2023 - India Code)।

39. BNS की **धारा 111** में पहली बार 'संगठित अपराध' (Organised Crime), **धारा 112** में 'छोटे संगठित अपराध' (Petty Organised Crime) और **धारा 113** में 'आतंकवादी कृत्य' (Terrorist Act) को संहिता में शामिल किया गया है।

40. BNS की **धारा 113** के तहत आतंकवादी कृत्य का मामला BNS में दर्ज होगा या UAPA अधिनियम में, इसका निर्णय **पुलिस अधीक्षक (SP)** रैंक से नीचे का कोई अधिकारी नहीं करेगा।

41. BNS की **धारा 116** (पुरानी IPC 320) में 'घोर उपहति' (Grievous Hurt) के आठवें मानदंड में पीड़ित के तीव्र शारीरिक पीड़ा या सामान्य कार्य न कर पाने की अवधि **20 दिन से घटाकर 15 दिन** कर दी गई है।

42. BNS की **धारा 124** (पुरानी IPC 326A/326B) में **अम्ल हमले (Acid Attack)** के लिए न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास से आजीवन कारावास तक और अम्ल फेंकने के प्रयास के लिए 5 से 7 वर्ष के कारावास का दंड है।

43. BNS की **धारा 126** 'सदोष अवरोध' (Wrongful Restraint - किसी एक दिशा में जाने से रोकना) और **धारा 127** 'सदोष परिरोध' (Wrongful Confinement - चारों ओर की सीमा में बंद करना) से संबंधित है।

44. BNS की **धारा 137** में व्यपहरण (Kidnapping - वैध संरक्षकता से 18 वर्ष से कम के किसी भी बालक/बालिका को ले जाना) और **धारा 138** में अपहरण (Abduction) परिभाषित है; ध्यान दें कि BNS में व्यपहरण के लिए बालक और बालिका दोनों की आयु **समान रूप से 18 वर्ष से कम** कर दी गई है (पुरानी IPC में बालक के लिए 16 वर्ष और बालिका के लिए 18 वर्ष थी) (BNS 2023 - India Code)!

45. BNS की **धारा 140(4)** के अनुसार फिरौती या हत्या के लिए व्यपहरण/अपहरण (पुरानी IPC 364A - अब **धारा 140(2)**) पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास का दंड है।

46. BNS की **धारा 143** मानव दुर्व्यापार (Human Trafficking - पुरानी IPC 370) से संबंधित है, जिसमें बालक या एक से अधिक व्यक्तियों की तस्करी पर आजीवन कारावास तक का कठोर दंड है।

47. BNS की **धारा 152** ने औपनिवेशिक 'राजद्रोह' (IPC 124A) का स्थान लिया है, जो भारत की **संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों** के लिए आजीवन कारावास या **7 वर्ष** तक के कारावास का प्रावधान करती है (BNS PDF - NCRB MHA)।

48. BNS की **धारा 189(1)** (पुरानी IPC 141) के अनुसार **5 या अधिक व्यक्तियों** का जमाव यदि सामान्य उद्देश्य (Common Object) से बल प्रयोग या अपराध करने के लिए हो, तो वह **'विधिविरुद्ध जमाव' (Unlawful Assembly)** कहलाता है।

49. BNS की **धारा 191** 'बलवा' (Rioting - जब विधिविरुद्ध जमाव द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाए, न्यूनतम 5 व्यक्ति) और **धारा 194** 'दंगा' (Affray - जब **2 या अधिक व्यक्ति** सार्वजनिक स्थान पर लड़कर लोक शांति भंग करें) से संबंधित है।

50. BNS की **धारा 196** (पुरानी IPC 153A) धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास या भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने से संबंधित है।

51. BNS की **धारा 221** लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालने (पुरानी IPC 186) और **धारा 223** लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा (पुरानी IPC 188) से संबंधित है।

52. BNS की नई **धारा 226** किसी लोक सेवक को अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से रोकने या बाध्य करने के लिए **आत्महत्या का प्रयास करने** को दंडनीय बनाती है (1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या सामुदायिक सेवा) (BNS 2023 - India Code)।

53. BNS की **धारा 281** सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाने (Rash Driving - पुरानी IPC 279) और **धारा 296** अश्लील कृत्य एवं गीत (Obscene Acts - पुरानी IPC 294) से संबंधित है।

54. BNS की **धारा 303(2)** के परंतुक के अनुसार **₹5,000 से कम मूल्य** की संपत्ति की पहली बार चोरी करने पर यदि अपराधी संपत्ति लौटा देता है, तो उसे **सामुदायिक सेवा** का दंड दिया जा सकता है।

55. BNS की नई **धारा 304** ने **'छीना-झपटी' (Snatching)** को एक पृथक संज्ञेय, अजमानती अपराध बनाया है जिसमें **3 वर्ष तक के कारावास** और जुर्माने का दंड है।

56. BNS की **धारा 308** 'उद्यापन' (Extortion), **धारा 309** 'लूट' (Robbery) और **धारा 310** 'डकैती' (Dacoity - न्यूनतम 5 व्यक्ति) से संबंधित है (BNS 2023 - India Code)।

57. BNS की **धारा 316** आपराधिक न्यासभंग (Criminal Breach of Trust), **धारा 318** छल (Cheating - धारा 318(4) पुरानी IPC 420 है) और **धारा 319** प्रतिरूपण द्वारा छल (Cheating by Personation) से संबंधित है।

58. BNS की **धारा 324** 'रिष्टि' (Mischief - पुरानी IPC 425), **धारा 329** 'आपराधिक अतिचार एवं गृह-अतिचार' (Criminal & House Trespass) और **धारा 336** 'कूटरचना' (Forgery - पुरानी IPC 463) से संबंधित है।

59. BNS की **धारा 351** 'आपराधिक अभित्रास' (Criminal Intimidation - पुरानी IPC 503/506) और **धारा 356** 'मानहानि' (Defamation - पुरानी IPC 499/500) से संबंधित है, जिसमें मानहानि के दंड में अब सामुदायिक सेवा भी शामिल है।

60. BNSS की **धारा 2(1)(g)** में 'संज्ञेय अपराध' (Cognizable Offence - जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है) और **धारा 2(1)(o)** में 'असंज्ञेय अपराध' (Non-Cognizable Offence) परिभाषित है (**BNSS 2023 - India Code**)।

61. BNSS की **धारा 6** ने दंड न्यायालयों के वर्गों में से **'महानगर मजिस्ट्रेट' (Metropolitan Magistrate)** के वर्ग को पूरी तरह समाप्त कर दिया है (**BNSS संकलन सूचकांक - MHA**)।

62. BNSS की **धारा 22 और 23** के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) **7 वर्ष तक** का कारावास, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट (JMFC) **3 वर्ष तक का कारावास व ₹50,000 तक जुर्माना**, और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट (JMSC) **1 वर्ष तक का कारावास व ₹10,000 तक जुर्माना** व सामुदायिक सेवा का दंड दे सकता है।

63. BNSS की **धारा 35(3)** (पुरानी CrPC 41A) के अनुसार जिन मामलों में गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है (विशेषकर 7 वर्ष से कम सजा वाले अपराध), वहां पुलिस अधिकारी अभियुक्त को उपस्थिति का नोटिस जारी करेगा।

64. BNSS की **धारा 35(7)** के अनुसार **3 वर्ष से कम** कारावास से दंडनीय अपराध में **60 वर्ष से अधिक आयु** के या शिथिल व्यक्ति को बिना **पुलिस उपाधीक्षक (DSP) की पूर्व अनुमति** के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा (**BNSS 2023 - India Code**)।

65. BNSS की **धारा 37** के तहत प्रत्येक जिले और प्रत्येक पुलिस थाने में कम से कम **सहायक उप-निरीक्षक (ASI)** रैंक का एक 'नामित पुलिस अधिकारी' (Designated Police Officer) नियुक्त करना अनिवार्य है।

66. BNSS की **धारा 43(3)** में आदतन अपराधियों, हिरासत से भागने वालों और संगठित अपराध, आतंकवाद, हत्या, बलात्संग या एसिड अटैक जैसे गंभीर अपराधियों की गिरफ्तारी या पेशी के समय **हथकड़ी (Handcuffs)** के प्रयोग को वैधानिक अनुमति दी गई है।

67. BNSS की **धारा 58** (पुरानी CrPC 57) और संविधान के **अनुच्छेद 22(2)** के अनुसार गिरफ्तार व्यक्ति को यात्रा के समय को छोड़कर **24 घंटे के भीतर** मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है।

68. BNSS की **धारा 63 और 64** के अनुसार न्यायालय द्वारा जारी समन (Summons) की तामील अब **इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम (ईमेल, मैसेजिंग ऐप आदि)** द्वारा भी वैध रूप से की जा सकती है (**BNSS 2023 - India Code**)।

69. BNSS की **धारा 105** के अनुसार पुलिस द्वारा की जाने वाली किसी भी तलाशी (Search) और जब्ती (Seizure) की **ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग** करना और उसे बिना देरी के मजिस्ट्रेट को भेजना अनिवार्य किया गया है।

70. BNSS की **धारा 107** पुलिस अधिकारी को न्यायालय की अनुमति से अपराध की आय (Proceeds of Crime) से अर्जित संपत्ति को **कुर्क (Attach) और जब्त** कराने की नई शक्ति प्रदान करती है।

71. BNSS की **धारा 144** (पुरानी CrPC 125) पत्नी, संतान और माता-पिता के **भरण-पोषण (Maintenance)** के आदेश से संबंधित है।

72. BNSS की **धारा 163** (पुरानी प्रसिद्ध **CrPC धारा 144**) न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा निषेधाज्ञा जारी करने (कर्फ्यू/जमाव पर रोक) की शक्ति प्रदान करती है (**BNSS संकलन सूचकांक - MHA**)!

73. BNSS की **धारा 173(1)** ने **Zero FIR** और **e-FIR** को वैधानिक मान्यता दी है; ई-FIR पर सूचनादाता द्वारा **3 दिनों के भीतर** हस्ताक्षर किए जाने पर उसे रिकॉर्ड में लिया जाता है।

74. BNSS की **धारा 173(3)** के तहत **3 वर्ष या अधिक किंतु 7 वर्ष से कम** कारावास वाले संज्ञेय अपराधों में DSP की अनुमति से **14 दिनों के भीतर** प्रारंभिक जांच (Preliminary Enquiry) की जा सकती है (**त्वरित न्याय प्रावधान - गृह मंत्रालय**)।

75. BNSS की **धारा 176(3)** के अनुसार **7 वर्ष या उससे अधिक** कारावास से दंडनीय सभी अपराधों में अपराध स्थल पर **फॉरेंसिक विशेषज्ञ (Forensic Expert)** द्वारा साक्ष्य संकलन और वीडियोग्राफी अनिवार्य है।

76. BNSS की **धारा 183(6)(a)** के अनुसार 10 वर्ष या अधिक कारावास से दंडनीय सभी अपराधों में मजिस्ट्रेट द्वारा गवाहों के बयान दर्ज करना अनिवार्य किया गया है, तथा महिला अपराधों में बयान यथासंभव महिला मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा।

77. BNSS की **धारा 187** (पुरानी CrPC 167) के अनुसार 15 दिन का कुल पुलिस रिमांड 60 दिन की कुल हिरासत वाले मामलों में **प्रथम 40 दिनों** में और 90 दिन वाले मामलों में **प्रथम 60 दिनों** के भीतर लिया जा सकता है (**BNSS 2023 - India Code**)।

78. BNSS की **धारा 193(2)** के अनुसार बलात्संग और पॉक्सो अपराधों में अन्वेषण सूचना दर्ज होने से **2 महीने (60 दिन)** के भीतर पूरा करना अनिवार्य है, तथा धारा 193(3)(ii) के तहत पुलिस को **90 दिन** में पीड़ित को जांच की प्रगति बतानी होगी।

79. BNSS की **धारा 290** के तहत 'अभिवाक् सौदेबाजी' (Plea Bargaining) का आवेदन अब आरोप तय होने की तिथि से **30 दिनों के भीतर** किया जाना आवश्यक है।

80. BNSS की **धारा 346** के अनुसार विचारण में अनावश्यक देरी रोकने के लिए किसी भी पक्ष को अधिकतम **2 स्थगन (Two Adjournments)** ही दिए जा सकते हैं (**त्वरित न्याय प्रावधान - गृह मंत्रालय**)।

81. BNSS की **धारा 356** में पहली बार **उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में विचारण (Trial in Absentia)** का प्रावधान किया गया है, जो आरोप विरचन के **90 दिन** बाद शुरू हो सकता है।

82. BNSS की **धारा 398** प्रत्येक राज्य सरकार के लिए एक **'साक्षी संरक्षण योजना' (Witness Protection Scheme)** तैयार कर अधिसूचित करना अनिवार्य बनाती है (**BNSS 2023 - India Code**)।

83. BNSS की **धारा 472** के अनुसार मृत्युदंड के मामलों में दया याचिका राज्यपाल के समक्ष **30 दिन** और राष्ट्रपति के समक्ष **60 दिन** के भीतर दायर की जानी चाहिए।

84. BNSS की **धारा 480** अजमानती अपराधों में नियमित जमानत (पुरानी CrPC 437), **धारा 482** अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail - पुरानी CrPC 438) और **धारा 528** उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों (Inherent Powers - पुरानी CrPC 482) से संबंधित है।

85. भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 की **धारा 2(1)(d)** के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी 'दस्तावेज' (Document) हैं और **धारा 2(1)(e)** के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए कथन 'मौखिक साक्ष्य' में शामिल हैं (**BSA 2023 - India Code**)।

86. BSA की **धारा 4** (पुरानी IEA धारा 6) 'एक ही संव्यवहार के भाग बनने वाले तथ्यों की सुसंगति' (*Res Gestae*) का सिद्धांत प्रतिपादित करती है।

87. BSA की **धारा 6** (पुरानी IEA धारा 8) हेतु, तैयारी और पूर्व या पश्चात् के आचरण से तथा **धारा 7** (पुरानी IEA धारा 9) शिनाख्त परेड (Test Identification Parade - TIP) की सुसंगति से संबंधित है।

88. BSA की **धारा 9** (पुरानी IEA धारा 11) में 'अन्यत्र उपस्थिति का सिद्धांत' (**Plea of Alibi**) समाहित है।

89. BSA की **धारा 15** में 'स्वीकृति' (Admission) की परिभाषा है और **धारा 22 से 24** में आपराधिक मामलों में 'संस्वीकृति' (Confession) के नियम दिए गए हैं (**BSA 2023 - India Code**)।

90. BSA की **धारा 23(1)** पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति को अमान्य करती है, **धारा 23(2)** पुलिस अभिरक्षा में बिना मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के की गई संस्वीकृति को वर्जित करती है, और **धारा 23 का परंतुक** (पुरानी धारा 27) अभियुक्त की सूचना से किसी तथ्य की खोज (Recovery/Discovery of Fact) को ग्राह्य बनाता है।

91. BSA की **धारा 26(a)** (पुरानी IEA धारा 32(1)) **'मृत्युकालिक कथन' (Dying Declaration)** से संबंधित है, जो सिद्धांत "*Nemo moriturus praesumitur mentiri*" (मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता) पर आधारित है।

92. BSA की **धारा 39** (पुरानी IEA धारा 45) में विज्ञान, कला, विदेशी विधि, हस्तलेख, अंगुलि-चिह्न और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में **विशेषज्ञों की राय (Opinion of Experts)** को सुसंगत बनाया गया है (**BSA 2023 - India Code**)।

93. BSA की **धारा 57** (पुरानी IEA धारा 62) 'प्राथमिक साक्ष्य' (Primary Evidence) को परिभाषित करती है और इसके नए स्पष्टीकरण 4 से 7 के तहत उचित अभिरक्षा में संग्रहीत इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य माना गया है।

94. BSA की **धारा 61** स्पष्ट करती है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख को केवल इस आधार पर साक्ष्य में अग्राह्य नहीं किया जाएगा कि वह इलेक्ट्रॉनिक रूप में है, और **धारा 63** (पुरानी IEA धारा 65B) कंप्यूटर आउटपुट की ग्राह्यता हेतु प्रमाणपत्र निर्धारित करती है।

95. BSA की **धारा 104** (पुरानी IEA धारा 101) के अनुसार 'सबूत का भार' (Burden of Proof) उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से किसी विधिक अधिकार या दायित्व के पक्ष में निर्णय चाहता है।

96. BSA की **धारा 117** (पुरानी IEA धारा 113B) 'दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा' और **धारा 120** (पुरानी IEA धारा 114A) 'बलात्संग के कतिपय अभियोजनों में सहमति न होने की उपधारणा' से संबंधित है (**BSA 2023 - India Code**)।

97. BSA की **धारा 139** (पुरानी IEA धारा 134) के अनुसार किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई निश्चित संख्या अपेक्षित नहीं है क्योंकि "साक्ष्य को तौला जाना चाहिए, गिना नहीं जाना चाहिए" (*Evidence has to be weighed and not counted*)।

98. भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 20(1)** में कार्योत्तर दांडिक विधि से संरक्षण, **अनुच्छेद 20(2)** में दोहरे दंड (Double Jeopardy) से संरक्षण और **अनुच्छेद 20(3)** में आत्म-अभिशंसन (Self-Incrimination) से संरक्षण प्रदान किया गया है (IUC Academy)।

99. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) की **धारा 66F** में साइबर आतंकवाद (आजीवन कारावास) का प्रावधान है और **धारा 78** के अनुसार साइबर अपराधों का अन्वेषण **निरीक्षक (Inspector)** रैंक से नीचे का पुलिस अधिकारी नहीं कर सकता।

100. गृह मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग हेल्पलाइन नंबर **1930** है और एकीकृत आपातकालीन सहायता नंबर **112** है (गृह मंत्रालय)।

पूरक विजुअल रेफरेंस: IPC *1860*, CrPC *1973* एवं IEA *1872* से BNS, BNSS एवं BSA *(2023) की 50 सर्वाधिक पूछी जाने वाली धाराओं की मास्टर रूपांतरण सारणी*

क्र.सं.	अपराध / प्रक्रिया / साक्ष्य का विषय	पुराना अधिनियम एवं धारा	नया अधिनियम एवं धारा (2023)	मुख्य विधिक परिवर्तन एवं परीक्षा विशेष बिंदु
1	सामान्य आशय (Common Intention)	IPC धारा 34	**BNS धारा 3(5)**	2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा पूर्व-नियोजित योजना से अपराध (BNS 2023 - India Code)।
2	दंड के प्रकार एवं सामुदायिक सेवा	IPC धारा 53	**BNS धारा 4**	6 प्रकार के दंड; छठा दंड 'सामुदायिक सेवा' जोड़ा गया (BNS PDF - NCRB MHA)।
3	एकान्त परिरोध (Solitary Confinement)	IPC धारा 73	**BNS धारा 11**	अधिकतम अवधि 3 माह; एक बार में अधिकतम 14 दिन (BNS 2023 - India Code)।
4	तथ्य की भूल (विधि से आबद्ध व्यक्ति)	IPC धारा 76	**BNS धारा 14**	तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं (BNS PDF - NCRB MHA)।
5	न्यायाधीश का न्यायिक कार्य	IPC धारा 77	**BNS धारा 15**	न्यायिक कार्य करते समय न्यायाधीश को पूर्ण उन्मुक्ति (BNS PDF - NCRB MHA)।
6	न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में कार्य	IPC धारा 78	**BNS धारा 16**	न्यायालय के आदेश का पालन करने वाले अधिकारी को संरक्षण (BNS PDF - NCRB MHA)।
7	विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना (Accident)	IPC धारा 80	**BNS धारा 18**	बिना आपराधिक आशय व उचित सावधानी के बावजूद हुई दुर्घटना अपराध नहीं (BNS PDF - NCRB MHA)।
8	आवश्यकता का सिद्धांत (Necessity)	IPC धारा 81	**BNS धारा 19**	बड़ी हानि को रोकने के लिए सद्भावनापूर्वक छोटी हानि कारित करना (BNS PDF - NCRB MHA)।
9	7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य	IPC धारा 82	**BNS धारा 20**	निरपेक्ष उन्मुक्ति (*Doli Incapax*) (BNS PDF - NCRB MHA)।
10	7 से 12 वर्ष के अपरिपक्व समझ वाले बालक का कार्य	IPC धारा 83	**BNS धारा 21**	आचरण का परिणाम न समझने की स्थिति में आपराधिक दायित्व से छूट (BNS PDF - NCRB MHA)।
11	विकृतचित्त व्यक्ति का कार्य (Unsound Mind)	IPC धारा 84	**BNS धारा 22**	मैकनॉटन नियम पर आधारित विधिक पागलपन का बचाव (BNS PDF - NCRB MHA)।
12	अनैच्छिक मत्तता (Involuntary Intoxication)	IPC धारा 85	**BNS धारा 23**	बिना ज्ञान या इच्छा के विरुद्ध नशा दिए जाने पर बचाव (BNS PDF - NCRB MHA)।
13	तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य	IPC धारा 95	**BNS धारा 33**	*De Minimis Non Curat Lex* (कानून तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देता) (BNS 2023 - India Code)।
14	शरीर की निजी प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित करना	IPC धारा 100	**BNS धारा 38**	7 गंभीर परिस्थितियों में हमलावर की मृत्यु कारित करने का अधिकार (BNS 2023 - India Code)।

क्र.सं.	अपराध / प्रक्रिया / साक्ष्य का विषय	पुराना अधिनियम एवं धारा	नया अधिनियम एवं धारा (2023)	मुख्य विधिक परिवर्तन एवं परीक्षा विशेष बिंदु
15	संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित करना	IPC धारा 103	**BNS धारा 41**	लूट, रात्रौ गृहभेदन, अग्नि द्वारा रिष्टि व घातक अतिचार में अधिकार (BNS 2023 - India Code)।
16	आपराधिक षड्यंत्र (Criminal Conspiracy)	IPC धारा 120A / 120B	**BNS धारा 61(1) / 61(2)**	परिभाषा और दंड दोनों को एक ही धारा 61 में समेकित किया गया (BNS 2023 - India Code)।
17	बलात्संग की परिभाषा एवं दंड	IPC धारा 375 / 376	**BNS धारा 63 / 64**	वैवाहिक अपवाद की आयु सीमा वैधानिक रूप से 18 वर्ष की गई (BNS 2023 - India Code)।
18	शादी/रोजगार के झूठे वादे से यौन संबंध	कोई पृथक धारा नहीं	**BNS धारा 69**	धोखेपूर्ण साधनों से मैथुन पर 10 वर्ष तक कारावास (BNS PDF - NCRB MHA)।
19	सामूहिक बलात्संग (Gang Rape)	IPC धारा 376D / DA / DB	**BNS धारा 70(1) / 70(2)**	18 वर्ष से कम की पीड़िता के मामले (70(2)) में मृत्युदंड तक (BNS 2023 - India Code)।
20	महिला की लज्जा भंग करना	IPC धारा 354	**BNS धारा 74**	1 वर्ष से 5 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माना (BNS 2023 - India Code)।
21	ताक-झांक (Voyeurism) एवं पीछा करना (Stalking)	IPC धारा 354C / 354D	**BNS धारा 77 / 78**	महिला की निजता का उल्लंघन और साइबर स्टॉकिंग दंडनीय (BNS 2023 - India Code)।
22	दहेज मृत्यु (Dowry Death)	IPC धारा 304B	**BNS धारा 80**	विवाह के 7 वर्ष के भीतर क्रूरता से मृत्यु पर न्यूनतम 7 वर्ष से आजीवन कारावास (BNS 2023 - India Code)।
23	पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	IPC धारा 498A	**BNS धारा 85 एवं 86**	3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना (BNS 2023 - India Code)।
24	अपराध हेतु बालक को काम पर रखना	कोई पृथक धारा नहीं	**BNS धारा 95**	न्यूनतम 7 वर्ष से 10 वर्ष तक का कारावास (BNS PDF - NCRB MHA)।
25	आपराधिक मानव वध एवं हत्या की परिभाषा	IPC धारा 299 / 300	**BNS धारा 100 / 101**	हत्या के 5 अपवाद धारा 101 में यथावत रखे गए हैं (BNS 2023 - India Code)।
26	हत्या का दंड एवं मॉब लिंचिंग	IPC धारा 302	**BNS धारा 103(1) / 103(2)**	धारा 103(2) में 5+ व्यक्तियों द्वारा मॉब लिंचिंग पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास (BNS 2023 - India Code)।
27	उपेक्षा द्वारा मृत्यु एवं हिट-एंड-रन	IPC धारा 304A	**BNS धारा 106(1) / 106(2)**	धारा 106(1) में सजा 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की गई (BNS 2023 - India Code)।
28	आत्महत्या का दुष्प्रेरण एवं हत्या का प्रयास	IPC धारा 306 / 307	**BNS धारा 108 / 109**	गंभीर चोट कारित होने पर आजीवन कारावास तक (BNS 2023 - India Code)।
29	संगठित अपराध एवं छोटे संगठित अपराध	कोई पृथक धारा नहीं	**BNS धारा 111 / 112**	सिंडिकेट अपराधों और पेपर लीक/स्नैचिंग गिरोहों पर कठोर प्रहार (BNS 2023 - India Code)।
30	आतंकवादी कृत्य (Terrorist Act)	कोई पृथक धारा नहीं (केवल UAPA था)	**BNS धारा 113**	SP स्तर के अधिकारी द्वारा UAPA या BNS में पंजीकरण का निर्णय (BNS 2023 - India Code)।
31	घोर उपहति (Grievous Hurt) एवं एसिड अटैक	IPC धारा 320 / 326A	**BNS धारा 116 / 124**	घोर उपहति में तीव्र पीड़ा की अवधि 20 दिन से घटाकर 15 दिन (BNS 2023 - India Code)।
32	भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना	IPC धारा 124A (राजद्रोह - निरसित)	**BNS धारा 152**	राजद्रोह समाप्त; राष्ट्र की संप्रभुता के विरुद्ध कृत्य पर 7 वर्ष या आजीवन कारावास (BNS PDF - NCRB MHA)।
33	विधिविरुद्ध जमाव, बलवा एवं दंगा	IPC धारा 141 / 146 / 159	**BNS धारा 189 / 191 / 194**	जमाव व बलवा में न्यूनतम 5 व्यक्ति; दंगा (Affray) में न्यूनतम 2 व्यक्ति (BNS 2023 - India Code)।

क्र.सं.	अपराध / प्रक्रिया / साक्ष्य का विषय	पुराना अधिनियम एवं धारा	नया अधिनियम एवं धारा (2023)	मुख्य विधिक परिवर्तन एवं परीक्षा विशेष बिंदु
34	चोरी एवं छीना-झपटी (Snatching)	IPC धारा 378 / 379	**BNS धारा 303 / 304**	धारा 304 में छीना-झपटी नया अपराध; ₹5000 से कम की चोरी में सामुदायिक सेवा (BNS 2023 - India Code)।
35	उद्यापन, लूट एवं डकैती	IPC धारा 383 / 390 / 391	**BNS धारा 308 / 309 / 310**	डकैती में न्यूनतम 5 व्यक्ति; चारों चरण (एकत्र होना, तैयारी, प्रयास, पूर्णता) दंडनीय (BNS 2023 - India Code)।
36	छल एवं धोखाधड़ी से संपत्ति परिदत्त कराना	IPC धारा 415 / 420	**BNS धारा 318(1) / 318(4)**	पुरानी धारा 420 अब धारा 318(4) है (7 वर्ष तक कारावास) (BNS 2023 - India Code)।
37	मानहानि (Defamation)	IPC धारा 499 / 500	**BNS धारा 356**	2 वर्ष तक सादा कारावास या जुर्माना या सामुदायिक सेवा (BNS 2023 - India Code)।
38	गिरफ्तारी के नियम एवं 60+ वरिष्ठ नागरिक को संरक्षण	CrPC धारा 41 / 41A	**BNSS धारा 35(1)–35(7)**	3 वर्ष से कम सजा वाले अपराध में 60+ या शिथिल व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु DSP की अनुमति (BNSS 2023 - India Code)।
39	भरण-पोषण का आदेश (Maintenance)	CrPC धारा 125	**BNSS धारा 144**	पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण का त्वरित प्रावधान (BNSS संकलन सूचकांक - MHA)।
40	न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में निषेधाज्ञा	CrPC धारा 144	**BNSS धारा 163**	कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा लोक शांति हेतु निषेधाज्ञा जारी करना (BNSS संकलन सूचकांक - MHA)।
41	संज्ञेय अपराध की सूचना (FIR, Zero FIR, e-FIR)	CrPC धारा 154	**BNSS धारा 173**	जीरो FIR अनिवार्य; ई-FIR पर 3 दिन में हस्ताक्षर; 14 दिन में प्रारंभिक जांच (BNSS 2023 - India Code)।
42	अपराध स्थल पर अनिवार्य फॉरेंसिक जांच	CrPC धारा 157	**BNSS धारा 176(3)**	7 वर्ष या अधिक सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक विशेषज्ञ का भ्रमण व वीडियोग्राफी अनिवार्य (BNSS 2023 - India Code)।
43	पुलिस रिमांड एवं डिफ़ॉल्ट जमानत (Default Bail)	CrPC धारा 167	**BNSS धारा 187**	प्रथम 40/60 दिनों में कभी भी कुल 15 दिन का पुलिस रिमांड संभव (BNSS 2023 - India Code)।
44	भगोड़े अपराधी की अनुपस्थिति में विचारण	कोई प्रावधान नहीं था	**BNSS धारा 356**	आरोप विरचन के 90 दिन बाद उद्घोषित अपराधी का *Trial in Absentia* (BNSS 2023 - India Code)।
45	मृत्युदंड के मामलों में दया याचिका (Mercy Petition)	कोई वैधानिक समय-सीमा नहीं थी	**BNSS धारा 472**	राज्यपाल के समक्ष 30 दिन; राष्ट्रपति के समक्ष 60 दिन (त्वरित न्याय प्रावधान - गृह मंत्रालय)।
46	विचाराधीन कैदियों की अधिकतम निरोध अवधि एवं जमानत	CrPC धारा 436A	**BNSS धारा 479**	पहली बार के अपराधी (First-time Offender) को अधिकतम सजा की 1/3 अवधि पर जमानत (BNSS 2023 - India Code)।
47	अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail)	CrPC धारा 438	**BNSS धारा 482**	गिरफ्तारी की आशंका पर सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट से जमानत (BNSS 2023 - India Code)।
48	पुलिस अभिरक्षा में संस्वीकृति एवं तथ्य की खोज (Recovery)	IEA धारा 25, 26 एवं 27	**BSA धारा 23**	तीनों धाराओं को एक ही धारा 23 व उसके परंतुक में समेकित किया गया (BSA 2023 - India Code)।
49	मृत्युकालिक कथन (Dying Declaration)	IEA धारा 32(1)	**BSA धारा 26(a)**	मृत्यु के कारण या परिस्थितियों से संबंधित कथन सुसंगत (BSA 2023 - India Code)।
50	इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता एवं प्रमाणपत्र	IEA धारा 65B	**BSA धारा 63**	अनुसूची के प्रारूप (भाग A व भाग B) में हैश वैल्यू सहित डिजिटल साक्ष्य प्रमाणपत्र (BSA 2023 - India Code)।

अध्याय 1: तीनों नए आपराधिक कानूनों (2023) की संवैधानिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में औपनिवेशिक मानसिकता वाले कानूनों को समाप्त कर **'दंड' (Punishment)** के स्थान पर **'न्याय' (Justice)** को केंद्र में रखने के उद्देश्य से संसद द्वारा दिसंबर 2023 में तीन नए ऐतिहासिक कानून पारित किए गए, जिन्हें **25 दिसंबर 2023** को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और **1 जुलाई 2024** से संपूर्ण भारत में लागू किया गया (गृह मंत्रालय, भारत सरकार):

1. **भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS, 2023):** इसने 164 वर्ष पुरानी भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) का स्थान लिया। इसमें कुल **20 अध्याय और 358 धाराएँ** हैं (जबकि पुरानी IPC में 23 अध्याय और 511 धाराएँ थीं) (NCRB BNS 2023 PDF)।
2. **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita - BNSS, 2023):** इसने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) का स्थान लिया। इसमें कुल **39 अध्याय, 531 धाराएँ और 2 अनुसूचियाँ** हैं (जबकि पुरानी CrPC में 37 अध्याय और 484 धाराएँ थीं) (NCRB BNSS 2023 PDF)।
3. **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (Bharatiya Sakshya Adhiniyam - BSA, 2023):** इसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (Indian Evidence Act - IEA) का स्थान लिया। इसमें कुल **4 भाग, 12 अध्याय और 170 धाराएँ** हैं (जबकि पुराने साक्ष्य अधिनियम में 3 भाग, 11 अध्याय और 167 धाराएँ थीं) (NCRB BSA 2023 PDF)।

अध्याय 2: भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) का गहन अध्याय-विस्तार (धारा 1 से 358)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 2: भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) का गहन अध्याय-विस्तार (धारा 1 से 358)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
प्रारंभिक प्रावधान, परिभाषाएँ एवं दंड के प्रकार (अध्याय 1 एवं 2: धारा 1 से 13)	साधारण अपवाद एवं प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार (अध्याय 3: धारा 14 से 44)	दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र एवं प्रयत्न (अध्याय 4: धारा 45 से 62)	महिलाओं एवं बालकों के विरुद्ध अपराध (अध्याय 5: धारा 63 से 99)

2.1 प्रारंभिक प्रावधान, परिभाषाएँ एवं दंड के प्रकार (अध्याय 1 एवं 2: धारा 1 से 13)

- **धारा 1 (संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना):** भारतीय न्याय संहिता, 2023 संपूर्ण भारत पर लागू होती है तथा भारत से बाहर किसी भारतीय नागरिक द्वारा या भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर किए गए अपराधों पर भी लागू होती है (BNS 2023, India Code)।
- **धारा 2 (समेकित परिभाषाएँ):** पुरानी IPC में अलग-अलग धाराओं (धारा 8 से 52A) में बिखरी परिभाषाओं को BNS की **धारा 2 के उप-खंडों (1) से (39)** में वर्णमाला क्रम (Alphabetical Order) में समेकित किया गया है:
- **धारा 2(3) — बालक (Child):** 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति (BNS में पहली बार स्पष्ट एकीकृत परिभाषा)।
- **धारा 2(8) — कूटकरण (Counterfeit):** पुरानी IPC धारा 28।
- **धारा 2(9) — बेईमानी से (Dishonestly):** सदोष अभिलाभ या सदोष हानि कारित करने के आशय से (IPC धारा 24)।
- **धारा 2(10) — दस्तावेज (Document):** इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है (IPC धारा 29)।
- **धारा 2(11) — कपटपूर्वक (Fraudulently):** कपट करने के आशय से (IPC धारा 25)।
- **धारा 2(12) — लिंग (Gender):** इसमें पुरुष, महिला और **ट्रांसजेंडर (Transgender)** को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है (IPC धारा 8)।
- **धारा 2(14) — सद्भावपूर्वक (Good Faith):** सम्यक् सतर्कता और ध्यान के साथ किया गया कार्य (IPC धारा 52)।
- **धारा 2(21) — न्यायाधीश (Judge):** न्यायिक कार्यवाही में अंतिम निर्णय देने के लिए सशक्त व्यक्ति (IPC धारा 19)।
- **धारा 2(24) — जंगम संपत्ति (Movable Property):** भूमि और भूमि से स्थायी रूप से जुड़ी चीजों को छोड़कर प्रत्येक प्रकार की मूर्त संपत्ति (IPC धारा 22)।

• **धारा 2(28) — लोक सेवक (Public Servant):** सरकार के वेतनभोगी अधिकारी, न्यायाधीश, सेना/पुलिस अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी आदि (IPC धारा 21)।

• **धारा 2(36) — सदोष अभिलाभ (Wrongful Gain)** एवं **धारा 2(37) — सदोष हानि (Wrongful Loss)** (IPC धारा 23)।

• **धारा 3(5) — सामान्य आशय (Common Intention):** जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकार दायी होता है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो (पुरानी IPC की प्रसिद्ध **धारा 34** अब **BNS धारा 3(5)** है)।

• **धारा 4 — दंड के प्रकार (Punishments):** BNS की धारा 4 के अंतर्गत दंड के **6 प्रकार** निर्धारित किए गए हैं (**PRS India BNS Summary**):

1. मृत्युदंड (Death);
2. आजीवन कारावास (Imprisonment for life);
3. कारावास — कठिन (Rigorous) और सादा (Simple);
4. संपत्ति का समपहरण (Forfeiture of property);
5. जुर्माना (Fine);
6. **सामुदायिक सेवा (Community Service) — [नया दंड]:** पहली बार छोटे अपराधों (जैसे— लोक सेवक का विधिविरुद्ध व्यापार में लगना धारा 202, लोक सेवक के समक्ष उपस्थित न होना धारा 209, आत्महत्या का प्रयास कर लोक सेवक को बाध्य करना धारा 226, ₹5,000 से कम की पहली बार चोरी में संपत्ति लौटाने पर धारा 303(2), लोक स्थान में नशे में उत्पात धारा 355 और मानहानि धारा 356) में **'सामुदायिक सेवा'** का प्रावधान जोड़ा गया है।

• **धारा 11 एवं 12 — एकांत परिरोध (Solitary Confinement):** पुरानी IPC की धारा 73 एवं 74 के समान अधिकतम सीमा 3 माह ही रखी गई है।

2.2 साधारण अपवाद एवं प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार (अध्याय 3: धारा 14 से 44)

• **धारा 14 (तथ्य की भूल - Mistake of Fact, IPC 76):** विधि द्वारा आबद्ध होने का सद्भावपूर्वक विश्वास।

• **धारा 15 (न्यायाधीश का न्यायिक कार्य, IPC 77)** एवं **धारा 16 (न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में कार्य, IPC 78)।**

• **धारा 18 (दुर्घटना - Accident, IPC 80):** विधिपूर्ण कार्य को विधिपूर्ण प्रकार से और उचित सतर्कता से करने में हुई दुर्घटना।

• **धारा 19 (आवश्यकता का सिद्धांत - Necessity, IPC 81):** बड़ी अपहानि को रोकने के लिए आपराधिक आशय के बिना किया गया कार्य।

• *धारा 20 (7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य — Doli Incapax, *IPC 82*):* 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है।

• **धारा 21 (7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ वाले शिशु का कार्य, IPC 83)।**

• *धारा 22 (विकृतचित्त व्यक्ति का कार्य — McNaughten Rule, *IPC 84*):* चित्तविकृति (Unsoundness of mind) के कारण कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ व्यक्ति का कार्य।

• **धारा 23 एवं 24 (मत्तता / Intoxication, IPC 85-86):** इच्छा के विरुद्ध या ज्ञान के बिना दी गई नशीली वस्तु के प्रभाव में किया गया कार्य अपराध नहीं है।

• **धारा 34 से 44 — प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार (Right of Private Defence, IPC 96-106):**

• **धारा 34 (IPC 96):** प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई कोई बात अपराध नहीं है।

• **धारा 35 (IPC 97):** शरीर और संपत्ति दोनों की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार।

• **धारा 37 (IPC 99):** वे कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है (लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक किए गए कार्य, या जहाँ लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय हो) और उतनी ही अपहानि करने की सीमा जितनी प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक हो।

• **धारा 38 (IPC 100):** शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार **मृत्यु कारित करने** तक कब होता है (7 परिस्थितियाँ: मृत्यु की आशंका, घोर उपहति, बलात्संग का आशय, प्रकृतिविरुद्ध कामतृष्णा, व्यपहरण/अपहरण, सदोष परिरोध, और **अम्ल/Acid फेंकने या देने का कार्य**)।

• **धारा 41 (IPC 103):** संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित करने का अधिकार (लूट, रात्रौ गृहभेदन, अग्नि या विस्फोटक द्वारा रिष्टि, और ऐसी चोरी/रिष्टि/गृह-अतिचार जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका हो)।

2.3 दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र एवं प्रयत्न (अध्याय 4: धारा 45 से 62)

• **धारा 45 (किसी बात का दुष्प्रेरण - Abetment, IPC 107):** उकसाना (Instigation), षड्यंत्र में शामिल होना (Conspiracy), या साशय सहायता करना (Intentional Aiding)।

• **धारा 48 (भारत से बाहर किए गए दुष्प्रेरण का दंड - नया प्रावधान):** भारत से बाहर बैठकर भारत में अपराध करने के लिए उकसाने या दुष्प्रेरित करने वाले व्यक्ति को भी दंडित करने की स्पष्ट शक्ति।

• **धारा 61 (आपराधिक षड्यंत्र - Criminal Conspiracy, IPC 120A एवं 120B):** जब दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य करने या वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करने के लिए सहमत होते हैं।

• **धारा 62 (अपराध करने का प्रयत्न - Attempt to Commit Offences, IPC 511):** जहाँ संहिता में प्रयत्न के लिए अलग दंड नहीं है, वहाँ उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास के आधे तक का दंड।

2.4 महिलाओं एवं बालकों के विरुद्ध अपराध (अध्याय 5: धारा 63 से 99)

BNS 2023 में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए **अध्याय 5** में एक साथ संकलित किया गया है (**NCRB BNS 2023 PDF**):

• **धारा 63 (बलात्संग की परिभाषा - Rape, IPC 375):** इसमें सहमति की आयु 18 वर्ष निर्धारित है। वैवाहिक बलात्संग के अपवाद (Exception 2) में भी पत्नी की आयु 18 वर्ष से कम न होने की शर्त है (*Independent Thought v. Union of India* के अनुरूप)।

• **धारा 64 (बलात्संग के लिए दंड, IPC 376):** न्यूनतम 10 वर्ष का कठिन कारावास जो आजीवन कारावास तक हो सकता है; और पुलिस अधिकारी, लोक सेवक, सशस्त्र बल के सदस्य या संरक्षक द्वारा किए जाने पर कम से कम 10 वर्ष से लेकर शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास।

• **धारा 65 (कुछ मामलों में बलात्संग के लिए दंड):**

• **धारा 65(1):** 16 वर्ष से कम आयु की महिला से बलात्संग पर न्यूनतम 20 वर्ष का कठिन कारावास या शेष जीवनकाल का कारावास।

• **धारा 65(2):** 12 वर्ष से कम आयु की बालिका से बलात्संग पर न्यूनतम 20 वर्ष का कारावास, आजीवन कारावास या **मृत्युदंड**।

• **धारा 66 (पीड़िता की मृत्यु या स्थायी विकृत अवस्था - Persistent Vegetative State, IPC 376A):** न्यूनतम 20 वर्ष का कठिन कारावास, आजीवन कारावास या मृत्युदंड।

• **धारा 69 (कपटपूर्ण साधनों या विवाह के झूठे वचन द्वारा मैथुन - नया विशेष अपराध):** जो कोई कपटपूर्ण साधनों (पहचान छुपाकर) से या विवाह करने का ऐसा वचन देकर जिसे पूरा करने का उसका कोई आशय नहीं है, किसी महिला के साथ लैंगिक संभोग करता है (जो बलात्संग की श्रेणी में नहीं आता), उसे **10 वर्ष तक के कारावास** और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। (इसमें पदोन्नति, रोजगार या पहचान छुपाकर शादी का झांसा देना भी शामिल है)।

• **धारा 70 (सामूहिक बलात्संग - Gang Rape, IPC 376D, 376DA, 376DB):**

• **धारा 70(1):** वयस्क महिला के साथ सामूहिक बलात्संग पर न्यूनतम 20 वर्ष से लेकर शेष जीवनकाल तक कारावास।

• **धारा 70(2): 18 वर्ष से कम आयु** की किसी भी अवयस्क बालिका के साथ सामूहिक बलात्संग पर **आजीवन कारावास (शेष जीवनकाल) या मृत्युदंड** (पुरानी IPC में यह सीमा 12 वर्ष थी, जिसे BNS में बढ़ाकर सभी 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के लिए समान कर दिया गया है)।

• **धारा 74 (महिला की लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल, IPC 354):** 1 वर्ष से 5 वर्ष तक कारावास।

• **धारा 75 (लैंगिक उत्पीड़न - Sexual Harassment, IPC 354A):** 3 वर्ष तक कारावास।

• **धारा 76 (महिला को निर्वस्त्र करने के आशय से हमला, IPC 354B):** 3 से 7 वर्ष तक कारावास।

• **धारा 77 (ताक-झांक - Voyeurism, IPC 354C):** प्रथम दोषसिद्धि पर 1 से 3 वर्ष, द्वितीय दोषसिद्धि पर 3 से 7 वर्ष कारावास।

• **धारा 78 (पीछा करना - Stalking, IPC 354D):** भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक/साइबर माध्यम से महिला का पीछा करना; प्रथम दोषसिद्धि पर 3 वर्ष (जमानती), द्वितीय दोषसिद्धि पर 5 वर्ष (गैर-जमानती)।

• **धारा 79 (शब्द, अंगविक्षेप या कार्य द्वारा महिला की लज्जा का अनादर, IPC 509):** 3 वर्ष तक सादा कारावास।

• **धारा 80 (दहेज मृत्यु - Dowry Death, IPC 304B):** विवाह के **7 वर्ष के भीतर** सामान्य परिस्थितियों से भिन्न किसी दाह (जलने) या शारीरिक क्षति से महिला की मृत्यु होना, यदि मृत्यु से कुछ पूर्व दहेज की मांग के संबंध में पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न किया गया हो। दंड: **न्यूनतम 7 वर्ष से आजीवन कारावास**।

• **धारा 84 (विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, IPC 498):** अब लिंग-संवेदी प्रावधान।

• **धारा 85 एवं 86 (पति या पति के नातेदार द्वारा महिला के प्रति क्रूरता, IPC 498A):** धारा 85 में 3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना निर्धारित है, तथा धारा 86 में 'क्रूरता' (Cruelty) की परिभाषा को अलग से स्पष्ट किया गया है।

• **धारा 95 (अपराध करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना या नियोजित करना - नया प्रावधान):** किसी बच्चे को अपराध करने के लिए नियुक्त या प्रयुक्त करने पर **न्यूनतम 3 वर्ष से 10 वर्ष तक कारावास**।

2.5 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध एवं नए विशेष अपराध (अध्याय 6: धारा 100 से 146)

• **धारा 100 (आपराधिक मानव वध - Culpable Homicide, IPC 299)** एवं **धारा 101 (हत्या की परिभाषा - Murder, IPC 300)।**

• **धारा 103 — हत्या के लिए दंड (Punishment for Murder, IPC 302) एवं मॉब लिंचिंग:**

• **धारा 103(1):** सामान्य हत्या के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना।

• **धारा 103(2) — भीड़ द्वारा हत्या (Mob Lynching - ऐतिहासिक नया प्रावधान):** जब **5 या अधिक व्यक्तियों का कोई समूह** मिलकर मूलवंश (Race), जाति या समुदाय (Caste or Community), लिंग (Sex), जन्मस्थान (Place of birth), भाषा (Language), वैयक्तिक विश्वास (Personal belief) या किसी अन्य समान आधार पर हत्या करता है, तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को **मृत्युदंड या आजीवन कारावास** और जुर्माने से दंडित किया जाएगा (**PRS India BNS Analysis**)।

• **धारा 105 (हत्या की श्रेणी में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड, IPC 304)।**

• **धारा 106 — उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना एवं हिट-एंड-रन (Causing Death by Negligence, IPC 304A):**

• **धारा 106(1):** उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु कारित करने पर कारावास की अवधि को 2 वर्ष से बढ़ाकर **5 वर्ष तक** कर दिया गया है (यदि यह पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान होता है, तो अधिकतम 2 वर्ष कारावास)।

• **धारा 106(2) — हिट-एंड-रन (Hit and Run):** यदि कोई व्यक्ति उतावलेपन और उपेक्षापूर्वक वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना **घटनास्थल से भाग जाता है**, तो उसे **10 वर्ष तक के कारावास** और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। (नोट: गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार धारा 106(2) के प्रवर्तन को फिलहाल स्थगित रखा गया है, परंतु परीक्षा की दृष्टि से इसके दोनों उप-खंड अत्यंत महत्वपूर्ण हैं)।

• **धारा 107 (बालक या विकृतचित्त व्यक्ति को आत्महत्या का दुष्प्रेरण, IPC 305)** एवं **धारा 108 (आत्महत्या का दुष्प्रेरण, IPC 306)।**

• **धारा 109 (हत्या करने का प्रयत्न - Attempt to Murder, IPC 307)।**

• **धारा 111 — संगठित अपराध (Organised Crime - नया अपराध):** अपहरण, जबरन वसूली (Extortion), सुपारी किलिंग (Contract Killing), भूमि हड़पना (Land Grabbing), आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, मानव तस्करी, मादक पदार्थ या हथियारों की तस्करी आदि जो किसी अपराध सिंडिकेट (Crime Syndicate) के सदस्य के रूप में या उसकी ओर से हिंसा, धमकी या अवैध साधनों से किए जाते हैं:

• यदि अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की **मृत्यु** होती है: **मृत्युदंड या आजीवन कारावास** और न्यूनतम ₹10 लाख जुर्माना।

• अन्य मामलों में: **न्यूनतम 5 वर्ष से आजीवन कारावास** और न्यूनतम ₹5 लाख जुर्माना।

• **धारा 112 — छोटे संगठित अपराध (Petty Organised Crime - नया अपराध):** किसी समूह या गैंग द्वारा वाहन चोरी, जेबकतरी, झपटमारी, टिकटों की कालाबाजारी, जुआ या **सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक (Question Paper Leak)** करने जैसे संगठित अपराध करने पर **1 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास** और जुर्माना।

• **धारा 113 — आतंकवादी कृत्य (Terrorist Act - नया अपराध):** UAPA के प्रावधानों के समानांतर पहली बार मुख्य दंड संहिता (BNS) में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने, जाली भारतीय मुद्रा/सिक्कों की तस्करी करने, बम/विस्फोटक/जैविक/रासायनिक हथियारों से आतंक फैलाने या लोक संपत्ति को नष्ट करने का कृत्य आतंकवादी कृत्य है:

• मृत्यु होने पर: **मृत्युदंड या आजीवन कारावास** और जुर्माना।

• अन्य मामलों में: **न्यूनतम 5 वर्ष से आजीवन कारावास** और जुर्माना।

• **धारा 113(7) (महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक सुरक्षा):** इस धारा के तहत मामला दर्ज करने का निर्णय **पुलिस अधीक्षक (SP)** के स्तर से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं लिया जाएगा।

• **धारा 114 (उपहति - Hurt, IPC 319)** एवं **धारा 116 (घोर उपहति - Grievous Hurt, IPC 320):** घोर उपहति के 8 प्रकारों में पीड़ित के 15 दिनों (पुरानी IPC में यह अवधि 20 दिन थी) तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहने या अपने सामान्य कामकाज को करने में असमर्थ रहने को शामिल किया गया है।

• **धारा 124 (अम्ल आदि के प्रयोग द्वारा घोर उपहति - Acid Attack, IPC 326A एवं 326B)।**

• **धारा 137 (व्यपहरण - Kidnapping, IPC 359-361):** बालक और बालिका दोनों के लिए विधिक संरक्षकता से व्यपहरण की आयु को समान रूप से **18 वर्ष से कम** कर दिया गया है (पुरानी IPC में बालक के लिए 16 वर्ष और बालिका के लिए 18 वर्ष थी)।

2.6 राज्य, लोक प्रशांति एवं संपत्ति के विरुद्ध प्रमुख अपराध (अध्याय 7 से 20: धारा 147 से 358)

• **धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य — पुरानी IPC 124A राजद्रोह के स्थान पर):** औपनिवेशिक 'राजद्रोह' (Sedition) शब्द को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब जो कोई शब्दों, संकेतों या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा अलगाववाद (Secession), सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion), विध्वंसक गतिविधियों (Subversive activities) को उत्तेजित करता है या भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, उसे **आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक के कारावास** और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

• **धारा 189 (विधिविरुद्ध जमाव - Unlawful Assembly, IPC 141-143):** 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव।

• **धारा 191 (बलवा - Rioting, IPC 146-147)** एवं **धारा 194 (दंगा - Affray, IPC 159-160)।**

• **धारा 196 (धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन, IPC 153A)।**

• **धारा 197(1)(d) (फेक न्यूज / भ्रामक सूचना - नया उपबंध):** भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली झूठी या भ्रामक जानकारी बनाना या प्रकाशित करना (3 वर्ष तक कारावास)।

• **धारा 226 (लोक सेवक को कर्तव्य से विरत करने के लिए आत्महत्या का प्रयत्न - नया प्रावधान):** सरकारी काम रोकने या दबाव बनाने के लिए भूख हड़ताल/आत्मदाह आदि के रूप में आत्महत्या का प्रयास करने पर 1 वर्ष तक सादा कारावास या जुर्माना या **सामुदायिक सेवा**।

• **धारा 303 (चोरी - Theft, IPC 378-379):** पहली बार ₹5,000 से कम मूल्य की संपत्ति की चोरी में चोरी की संपत्ति लौटा देने पर सामुदायिक सेवा का दंड।

• **धारा 304 (झपटमारी - Snatching - नया स्वतंत्र अपराध):** किसी व्यक्ति के कब्जे से किसी जंगम संपत्ति को अचानक या बलपूर्वक छीनने या झपटने के लिए उसे पकड़े रखना या ले भागना झपटमारी है; दंड: **3 वर्ष तक कारावास** और जुर्माना।

• **धारा 308 (उद्यापन / जबरन वसूली - Extortion, IPC 383-384), धारा 309 (लूट - Robbery, IPC 390-392)** एवं **धारा 310 (डकैती - Dacoity, IPC 391, 395, 396):** जब 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं तो वह डकैती कहलाती है।

• **धारा 316 (आपराधिक न्यासभंग - Criminal Breach of Trust, IPC 405-409)** एवं **धारा 318 (छल / धोखाधड़ी - Cheating, IPC 415-420):** पुरानी प्रसिद्ध धारा 420 (छल करके संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना) अब **BNS की धारा 318(4)** है।

• **धारा 324 (रिष्टि - Mischief, IPC 425-426)** एवं **धारा 329 (आपराधिक अतिचार एवं गृह-अतिचार - Criminal and House Trespass, IPC 441-442)।**

• **धारा 336 (कूटरचना - Forgery, IPC 463-465), धारा 351 (आपराधिक अभित्रास - Criminal Intimidation, IPC 503-506), धारा 356 (मानहानि - Defamation, IPC 499-500)** एवं **धारा 358 (निरसन और व्यावृत्ति - Repeal and Savings):** भारतीय दंड संहिता, 1860 का निरसन।

अध्याय 3: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) के क्रांतिकारी प्रावधान

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) ने आपराधिक प्रक्रिया को समयबद्ध, पीड़ित-केंद्रित और तकनीक-आधारित बनाया है (**PRS India BNSS Report**):

1. **Zero FIR एवं e-FIR का वैधानिक अधिकार (धारा 173, पूर्व CrPC धारा 154):**

• **Zero FIR (धारा 173(1)):** संज्ञेय अपराध की सूचना अपराध किए जाने के क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) पर ध्यान दिए बिना **किसी भी पुलिस थाने** में दर्ज कराई जा सकती है। पुलिस इसे 'Zero FIR' के रूप में दर्ज कर संबंधित क्षेत्राधिकार वाले थाने को हस्तांतरित करेगी।

• **e-FIR (धारा 173(1)(ii)):** इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से भी संज्ञेय अपराध की सूचना दी जा सकती है। इसे पुलिस द्वारा रिकॉर्ड पर लिया जाएगा, बशर्ते सूचना देने वाला व्यक्ति **3 दिन (72 घंटे) के भीतर** उस पर हस्ताक्षर कर दे।

• **प्रारंभिक जांच (Preliminary Inquiry - धारा 173(3)):** 3 वर्ष या उससे अधिक किंतु 7 **वर्ष से कम** कारावास से दंडनीय अपराधों में, थाने का भारसाधक अधिकारी **पुलिस उपाधीक्षक (DSP)** की पूर्व अनुमति से प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं, यह देखने के लिए **14 दिनों के भीतर** प्रारंभिक जांच कर सकता है।

2. **फॉरेंसिक जांच की अनिवार्यता (धारा 176(3), पूर्व CrPC धारा 157):**

• जिन अपराधों में 7 **वर्ष या उससे अधिक के कारावास** का दंड निर्धारित है, उनमें पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि वह **फॉरेंसिक विशेषज्ञ (Forensic Expert)** को घटनास्थल पर बुलाए ताकि फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए जा सकें और इस पूरी प्रक्रिया की मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर **वीडियोग्राफी** की जाए (**PRS India BNSS Highlights**)। (राज्यों को बुनियादी ढांचा तैयार करने हेतु अधिकतम 5 वर्ष की संक्रमणकालीन छूट या अन्य राज्य की सुविधा के उपयोग की अनुमति दी गई है)।

3. **पुलिस रिमांड एवं डिफ़ॉल्ट जमानत के नए नियम (धारा 187, पूर्व CrPC धारा 167):**

• **कुल हिरासत अवधि:** पूर्व CrPC की भांति ही आरोप-पत्र (Charge-sheet) दाखिल न होने पर अधिकतम हिरासत अवधि **90 दिन** (मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष+ के अपराधों में) और **60 दिन** (अन्य अपराधों में) ही है।

• **15 दिन की पुलिस रिमांड में ऐतिहासिक परिवर्तन (धारा 187(2)):** पुरानी CrPC धारा 167 के तहत 15 दिन की पुलिस कस्टडी केवल गिरफ्तारी के प्रथम 15 दिनों के भीतर ही ली जा सकती थी। अब BNSS की **धारा 187(2)** के अंतर्गत **15 दिन की पुलिस हिरासत (एक बार में या टुकड़ों में) प्रारंभिक 40 दिनों** (जब कुल अवधि 60 दिन हो) या **प्रारंभिक 60 दिनों** (जब कुल अवधि 90 दिन हो) के दौरान कभी भी ली जा सकती है। इससे आरोपी द्वारा शुरुआती 15 दिन अस्पताल में भर्ती होकर पुलिस रिमांड से बचने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।

4. **तलाशी एवं जब्ती की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग (धारा 105 एवं धारा 185):**

• किसी भी स्थान की तलाशी लेने या संपत्ति जब्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया की **ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों** (विशेषकर मोबाइल फोन) से रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य है, और इस रिकॉर्डिंग को बिना किसी देरी के संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा।

5. **हथकड़ी लगाने के स्पष्ट नियम (धारा 43(3)):**

• पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करते समय या न्यायालय में पेश करते समय आदतन या बार-बार अपराध करने वाले (Habitual/Repeat Offender), हिरासत से भागे हुए, या संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, नशीली दवाओं, अवैध हथियार, हत्या, बलात्कार, एसिड अटैक, जाली नोट, मानव तस्करी, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध या राज्य के विरुद्ध अपराध के आरोपियों को **हथकड़ी (Handcuffs)** लगा सकता है।

6. **गिरफ्तार व्यक्तियों की सूचना का प्रदर्शन एवं नामित पुलिस अधिकारी (धारा 37):**

• प्रत्येक जिले और प्रत्येक पुलिस थाने में एक पुलिस अधिकारी (जो **सहायक उप-निरीक्षक / ASI** की रैंक से नीचे का न हो) को नामित किया जाएगा, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम, पते और अपराध का विवरण डिजिटल और भौतिक नोटिस बोर्ड पर प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

7. **भगोड़े अपराधियों का अनुपस्थिति में विचारण (Trial in Absentia — धारा 356):**

• यदि कोई उद्घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) मुकदमे से बचने के लिए फरार हो गया है और उसकी तत्काल गिरफ्तारी की कोई संभावना नहीं है, तो न्यायालय आरोप तय होने के **90 दिन बाद** उसकी अनुपस्थिति में ही मुकदमा चला सकता है और निर्णय सुना सकता है।

8. **विचाराधीन कैदियों की जमानत पर रिहाई (धारा 479, पूर्व CrPC धारा 436A):**

• यदि कोई विचाराधीन कैदी (Undertrial Prisoner) अपने अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की **आधी अवधि (1/2)** जेल में बिता चुका है, तो उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा।

• **पहली बार अपराध करने वालों (First-time Offenders) को विशेष राहत:** यदि वह पहली बार का अपराधी है (जिसे पहले कभी किसी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया है), तो अधिकतम सजा की **एक-तिहाई (1/3) अवधि** पूरी करने पर ही उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा (मृत्युदंड या आजीवन कारावास के अपराधों को छोड़कर)।

9. **दया याचिका (Mercy Petition) की समय-सीमा (धारा 472 — नया प्रावधान):**

• मृत्युदंड की सजा पाए दोषी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील खारिज होने या जेल अधीक्षक द्वारा सूचना दिए जाने के **30 दिनों के भीतर** राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर करनी होगी (और राज्यपाल के पास भेजने पर उसके निस्तारण के बाद 60 दिन के भीतर)। राष्ट्रपति के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी।

10. **न्यायिक एवं पुलिस प्रक्रिया की अनिवार्य समय-सीमाएँ (BNSS Timelines):**

• **धारा 193(3)(ii):** पुलिस को जांच की प्रगति की जानकारी **90 दिनों के भीतर** पीड़ित/सूचनादाता को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देनी होगी।

• **धारा 230:** पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेजों की प्रतियाँ अभियुक्त व पीड़ित को **14 दिनों के भीतर** उपलब्ध कराना।

• **धारा 251(1)(b):** सत्र न्यायालय में पहली सुनवाई से **60 दिनों के भीतर** आरोप (Charges) तय करना।

• **धारा 263:** आरोप तय होने की तिथि से **60 दिनों के भीतर** अभियुक्त द्वारा उन्मोचन (Discharge) का आवेदन।

• **धारा 258(1):** बहस पूरी होने के बाद **30 दिनों के भीतर** (विशेष कारणों से अधिकतम **45 दिन**) न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाना।

• **धारा 346:** मुकदमे में किसी पक्ष के अनुरोध पर अधिकतम **2 बार ही स्थगन (Adjournment)** दिया जा सकेगा।

अध्याय 4: भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA 2023) में डिजिटल एवं विधिक सुधार

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) ने डिजिटल युग की आवश्यकताओं के अनुरूप साक्ष्य विधि को आधुनिक बनाया है:

1. **दस्तावेज और साक्ष्य की परिभाषा में विस्तार (धारा 2(1)(d) एवं 2(1)(e)):**

• **'दस्तावेज' (Document):** इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड (ई-मेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर/लैपटॉप/स्मार्टफोन की फाइलें, वेबसाइट डेटा, लोकेशन साक्ष्य और वॉयस मेल संदेश) को शामिल किया गया है।

• **'साक्ष्य' (Evidence):** मौखिक साक्ष्य में **इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (Video Conferencing)** से दिए गए कथनों को भी वैध मौखिक साक्ष्य माना गया है।

2. **इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल रिकॉर्ड को 'प्राथमिक साक्ष्य' का दर्जा (धारा 57, पूर्व IEA धारा 62):**

• BSA की **धारा 57** के स्पष्टीकरण 4 से 7 के अनुसार, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड एक साथ या क्रमिक रूप से कई फाइलों में निर्मित या संग्रहीत किए जाते हैं, या वीडियो रिकॉर्डिंग को एक साथ प्रसारित व संग्रहीत किया जाता है, वहाँ उनमें से प्रत्येक फाइल को **प्राथमिक साक्ष्य (Primary Evidence)** माना जाएगा।

3. **इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की अनन्यता/अस्वीकार्यता का निषेध (धारा 61 — नया प्रावधान):**

• इस अधिनियम की कोई भी बात केवल इस आधार पर किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की ग्राह्यता (Admissibility) को नकारेगी नहीं कि वह एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड है, और उसका विधिक प्रभाव, वैधता और प्रवर्तनीयता अन्य भौतिक दस्तावेजों के समान ही होगी।

4. **इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राह्यता एवं प्रमाणपत्र (धारा 63, पूर्व IEA धारा 65B):**

• पूर्व साक्ष्य अधिनियम की प्रसिद्ध **धारा 65B** अब **BSA की धारा 63** है। कंप्यूटर आउटपुट या डिजिटल उपकरण से प्राप्त डेटा को साक्ष्य में ग्राह्य कराने के लिए धारा 63(4) के अंतर्गत निर्धारित **अनुसूची (Schedule) के प्रारूप में प्रमाणपत्र** (जिसमें संबंधित डिवाइस के प्रभारी व्यक्ति और **डिजिटल विशेषज्ञ / हैश वैल्यू SHA-256 आदि** का विवरण होता है) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

5. **प्रमुख धाराओं का मिलान (IEA 1872 बनाम BSA 2023):**

• **एक ही संव्यवहार के भाग (Res Gestae):** पूर्व धारा 6 → **BSA धारा 4**

• **हेतु, तैयारी और आचरण (Motive, Preparation & Conduct):** पूर्व धारा 8 → **BSA धारा 6**

• **शिनाख्त परेड (Test Identification Parade - TIP):** पूर्व धारा 9 → **BSA धारा 7**

• **अन्यत्र उपस्थित होने का तर्क (Plea of Alibi):** पूर्व धारा 11 → **BSA धारा 9**

• **स्वीकृति (Admission):** पूर्व धारा 17 → **BSA धारा 15**

• **संस्वीकृति (Confession):** पूर्व धारा 24-30 → **BSA धारा 22-24** (पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति अग्राह्य है, परंतु पुलिस अभिरक्षा में प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप किसी तथ्य की खोज/बरामदगी **धारा 23(2) के परंतु** — जो पूर्व धारा 27 थी — के अधीन सुसंगत है)।

• **मृत्युकालिक कथन (Dying Declaration):** पूर्व धारा 32(1) → **BSA धारा 26(a)**

• **विशेषज्ञों की राय (Opinion of Experts):** पूर्व धारा 45 → **BSA धारा 39**

• **सबूत का भार (Burden of Proof):** पूर्व धारा 101 → **BSA धारा 104**

• **दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा (Presumption as to Dowry Death):** पूर्व धारा 113B → **BSA धारा 118**

• **बलात्संग के कुछ मामलों में सहमति न होने की उपधारणा:** पूर्व धारा 114A → **BSA धारा 120**

• **साक्षी को तरोताजा करने की स्मृति (Refreshing Memory):** पूर्व धारा 159 → **BSA धारा 162**

अध्याय 5: विशेष अधिनियम एवं पुलिस मानसिक अभिरुचि (Special Acts & Police Aptitude)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 5: विशेष अधिनियम एवं पुलिस मानसिक अभिरुचि (Special Acts & Police Aptitude)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012)	**दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (Dowry Prohibition Act, 1961)**	**घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA, 2005)**	**अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act, 1989)**

5.1 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012)

• **प्रवर्तन तिथि: 14 नवंबर 2012** (बाल दिवस)। कुल **9 अध्याय और 46 धाराएँ**। यह एक **लिंग-तटस्थ (Gender-Neutral)** कानून है जो 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों (बालक एवं बालिका) को संरक्षण प्रदान करता है।

• **2019 का संशोधन:** गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमले (Aggravated Penetrative Sexual Assault - धारा 5 व 6) के लिए न्यूनतम दंड को 10 वर्ष से बढ़ाकर **20 वर्ष का कठिन कारावास** किया गया और अधिकतम दंड के रूप में **मृत्युदंड (Death Penalty)** का प्रावधान जोड़ा गया।

• **प्रमुख धाराएँ:**

• **धारा 3 एवं 4 (प्रवेशन लैंगिक हमला - Penetrative Sexual Assault):** न्यूनतम 10 वर्ष (16 वर्ष से कम के बालक के मामले में न्यूनतम 20 वर्ष) से आजीवन कारावास।

• **धारा 5 एवं 6 (गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला - Aggravated Penetrative Sexual Assault):** जब अपराध पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बल के सदस्य, लोक सेवक, रिश्तेदार, शिक्षक या अस्पताल/संस्थान के कर्मचारी द्वारा किया जाए अथवा 12 वर्ष से कम आयु के बालक के विरुद्ध किया जाए; दंड: **न्यूनतम 20 वर्ष से आजीवन कारावास या मृत्युदंड**।

• **धारा 7 एवं 8 (लैंगिक हमला - Sexual Assault):** बिना प्रवेशन के लैंगिक आशय से स्पर्श करना; दंड: **3 वर्ष से 5 वर्ष** कारावास।

• **धारा 11 एवं 12 (लैंगिक उत्पीड़न - Sexual Harassment):** अश्लील इशारे, टिप्पणियां या पोर्नोग्राफी दिखाना; दंड: **3 वर्ष तक** कारावास।

• **धारा 13 एवं 14 (पोर्नोग्राफी के लिए बालक का उपयोग):** न्यूनतम **5 वर्ष** कारावास।

• **धारा 19 एवं 21 (अनिवार्य रिपोर्टिंग):** अपराध की जानकारी होने पर पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) को सूचना न देना **धारा 21** के तहत दंडनीय अपराध (6 माह से 1 वर्ष तक कारावास) है।

• **धारा 24 (बालक के कथन को अभिलिखित करने की प्रक्रिया):** कथन बालक के निवास स्थान या उसकी पसंद के स्थान पर, यथासंभव **महिला पुलिस अधिकारी** (जो उप-निरीक्षक / SI की रैंक से नीचे न हो) द्वारा और **सादे कपड़ों (बिना पुलिस वर्दी के)** में दर्ज किया जाएगा। किसी भी कारण से बालक को रात्रि में पुलिस थाने में नहीं रोका जाएगा।

• **धारा 35 (साक्ष्य और विचारण की समय-सीमा):** अपराध के संज्ञान लेने के **30 दिनों के भीतर** बालक का साक्ष्य दर्ज किया जाएगा और विशेष न्यायालय (Special Court) द्वारा यथासंभव **1 वर्ष के भीतर** विचारण (Trial) पूरा किया जाएगा।

5.2 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (Dowry Prohibition Act, 1961)

• **प्रवर्तन तिथि: 1 जुलाई 1961** (कुल **10 धाराएँ**)। संसद के **प्रथम संयुक्त अधिवेशन** (Joint Sitting under Article 108, 6 एवं 9 मई 1961) द्वारा पारित ऐतिहासिक अधिनियम।

• **धारा 2 (दहेज की परिभाषा):** विवाह के समय, विवाह से पूर्व या पश्चात् विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई या देने के लिए सहमत कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति (मुस्लिम पर्सनल लॉ के अधीन 'मेहर' या 'दावर' इसमें शामिल नहीं है)।

• **धारा 3 (दहेज देने या लेने के लिए दंड): न्यूनतम 5 वर्ष का कारावास** और **न्यूनतम ₹15,000 या दहेज के मूल्य के बराबर राशि** (जो भी अधिक हो) का जुर्माना। (वधू या वर को स्वेच्छा से बिना मांग के दिए गए उपहारों की सूची नियम के अनुसार रखी जाए तो वह धारा 3 से मुक्त है)।

• **धारा 4 (दहेज मांगने के लिए दंड):** प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करने पर **6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास** और ₹10,000 तक का जुर्माना।

• **धारा 4A (विज्ञापन पर पाबंदी):** विवाह के बदले संपत्ति या धन के अंश का प्रस्ताव करने वाले विज्ञापनों पर 6 माह से 5 वर्ष तक कारावास।

• **धारा 8 (अपराधों की प्रकृति):** इस अधिनियम के तहत अपराध **संज्ञेय (Cognizable), गैर-जमानती (Non-bailable) और अशमनीय (Non-compoundable)** हैं।

• **धारा 8B (दहेज प्रतिषेध अधिकारी - Dowry Prohibition Officers):** राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति।

5.3 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA, 2005)

• **प्रवर्तन तिथि: 26 अक्टूबर 2006** (कुल **5 अध्याय और 37 धाराएँ**)। यह मुख्यतः एक **सिविल उपचार (Civil Remedy)** प्रदान करने वाला कानून है, लेकिन संरक्षण आदेश (Protection Order) के उल्लंघन पर आपराधिक दंड का प्रावधान है।

• **धारा 3 (घरेलू हिंसा की व्यापक परिभाषा):** इसमें केवल शारीरिक दुर्व्यवहार (Physical Abuse) ही नहीं, बल्कि **लैंगिक दुर्व्यवहार (Sexual Abuse), मौखिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार (Verbal and Emotional Abuse)** और **आर्थिक दुर्व्यवहार (Economic Abuse — जैसे स्त्रीधन छीनना, भरण-पोषण न देना या घर से निकालना)** भी शामिल हैं।

• **धारा 8 एवं 9 (संरक्षण अधिकारी - Protection Officer):** राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में नियुक्ति (यथासंभव महिला अधिकारी), जो पीड़ित महिला की ओर से **घरेलू घटना रिपोर्ट (Domestic Incident Report - DIR)** तैयार कर मजिस्ट्रेट को भेजती है।

• **धारा 12 (मजिस्ट्रेट को आवेदन):** प्रथम सुनवाई की तारीख आवेदन प्राप्त होने से **3 दिन के भीतर** और निस्तारण का प्रयास **60 दिनों के भीतर**।

• **धारा 17 (साझा गृहस्थी में निवास करने का अधिकार - Right to reside in a shared household):** चाहे महिला का उस घर में कोई स्वामित्व या मालिकाना हक हो या न हो, उसे साझा गृहस्थी से बेदखल नहीं किया जा सकता।

• **धारा 18 से 22 (आदेशों के प्रकार):** धारा 18 (संरक्षण आदेश), धारा 19 (निवास आदेश), धारा 20 (धनीय अनुतोष / Monetary Relief), धारा 21 (अभिरक्षा आदेश / Custody Order), धारा 22 (प्रतिकर आदेश / Compensation Order)।

• **धारा 31 (संरक्षण आदेश के भंग के लिए दंड):** मजिस्ट्रेट के संरक्षण आदेश का उल्लंघन एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है, जिसके लिए **1 वर्ष तक का कारावास या ₹20,000 तक का जुर्माना** या दोनों हो सकते हैं।

5.4 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act, 1989)

• **प्रवर्तन तिथि: 30 जनवरी 1990** (कुल **5 अध्याय और 23 धाराएँ**; 2015 एवं 2018 में प्रमुख संशोधन)। भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अंत)** की भावना को लागू करने वाला कठोर कानून।

• **धारा 3 (अत्याचार के अपराधों के लिए दंड):** यह धारा केवल उस व्यक्ति पर लागू होती है जो स्वयं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य **नहीं** है। अखाद्य या घृणास्पद पदार्थ खिलाना, सिर या मूंछ मुंडवाकर घुमाना, भूमि से बेदखल करना, मतदान से रोकना, सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक अपमान करना आदि पर **न्यूनतम 6 माह से 5 वर्ष तक कारावास** और जुर्माना।

• **धारा 4 (लोक सेवक द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा):** यदि कोई गैर-SC/ST लोक सेवक (जैसे पुलिस अधिकारी) FIR दर्ज करने या अपने विधिक कर्तव्यों का पालन करने में जानबूझकर उपेक्षा करता है, तो उसे **6 माह से 1 वर्ष तक कारावास** हो सकता है।

• **नियम 7 (विवेचना अधिकारी की न्यूनतम रैंक):** इस अधिनियम के तहत दर्ज अपराधों की विवेचना (Investigation) **पुलिस उपाधीक्षक (DSP / CO)** की रैंक से नीचे के पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी, और आरोप-पत्र **60 दिनों के भीतर** विशेष न्यायालय में दाखिल किया जाना अनिवार्य है।

• **धारा 14 (अनन्य विशेष न्यायालय - Exclusive Special Court)** एवं **धारा 15A (पीड़ित और साक्षियों के अधिकार)।**

• **धारा 18 एवं 18A (अग्रिम जमानत पर पूर्ण प्रतिबंध):** इस अधिनियम के तहत अपराध के अभियुक्त पर अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail - पूर्व CrPC 438 / अब BNSS 482) के प्रावधान लागू नहीं होते, और FIR दर्ज करने के लिए किसी प्रारंभिक जांच या वरिष्ठ अधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

5.5 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं संशोधन 2019 (Motor Vehicles Act, 1988)

• **प्रवर्तन तिथि: 1 जुलाई 1989** (2019 का संशोधन अधिनियम **1 सितंबर 2019** से लागू)।

• **प्रमुख धाराएँ एवं दंड प्रावधान:**

• **धारा 3 एवं 4 (चालन अनुज्ञप्ति की आवश्यकता एवं आयु सीमा):** सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु **18 वर्ष**, बिना गियर वाले 50cc तक के वाहन के लिए **16 वर्ष**, और परिवहन वाहन (Transport Vehicle) के लिए **20 वर्ष**।

• **धारा 112 एवं 183 (गति सीमा एवं ओवरस्पीडिंग):** हल्के मोटर वाहन (LMV) के लिए ₹1,000 से ₹2,000 जुर्माना।

• **धारा 129 एवं 194D (हेलमेट की अनिवार्यता):** 4 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति के लिए दोपहिया वाहन पर सुरक्षात्मक हेलमेट पहनना अनिवार्य; उल्लंघन पर ₹1,000 जुर्माना और 3 माह के लिए लाइसेंस निलंबन।

• **धारा 134A (नेक व्यक्ति का संरक्षण - Protection of Good Samaritans):** सड़क दुर्घटना के पीड़ित की आपातकालीन चिकित्सा या अन्य सहायता करने वाले 'नेक व्यक्ति' (Good Samaritan) पर किसी भी सिविल या आपराधिक दायित्व का भार नहीं होगा और न ही उसे पुलिस द्वारा अपनी पहचान बताने या बार-बार थाने आने के लिए बाध्य किया जाएगा।

• **धारा 184 (खतरनाक ढंग से वाहन चलाना - Dangerous Driving, जैसे मोबाइल फोन का प्रयोग या रेड लाइट जंप करना):** प्रथम अपराध पर 6 माह से 1 वर्ष कारावास और/या ₹1,000 से ₹5,000 जुर्माना।

• **धारा 185 (शराब या नशे की हालत में वाहन चलाना - Drunken Driving):** रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में **30 मिलीग्राम से अधिक अल्कोहल** पाए जाने पर प्रथम अपराध में 6 माह तक कारावास और/या **₹10,000 जुर्माना**, तथा द्वितीय अपराध में 2 वर्ष तक कारावास और/या **₹15,000 जुर्माना**।

• **धारा 194B (सीट बेल्ट न लगाना):** ₹1,000 जुर्माना।

• **धारा 194E (आपातकालीन वाहनों जैसे एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड को रास्ता न देना):** 6 माह तक कारावास या **₹10,000 जुर्माना**।

• **धारा 199A (किशोरों द्वारा किए गए अपराध - Offences by Juveniles):** यदि कोई नाबालिग (Juvenile) मोटर वाहन चलाते हुए अपराध करता है, तो वाहन के स्वामी या अभिभावक को दोषी माना जाएगा और उसे **3 वर्ष तक के कारावास और ₹25,000 जुर्माने** से दंडित किया जाएगा, वाहन का पंजीकरण 1 वर्ष के लिए रद्द होगा और नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक लर्निंग लाइसेंस नहीं मिलेगा।

5.6 पुलिस एवं विधीय मानसिक अभिरुचि (Police Mental Aptitude & Case Studies)

प्रतियोगी परीक्षाओं (विशेषकर UP Police SI, Constable, RPF Rule 70/72 और Delhi Police) में पुलिस अभिरुचि के प्रश्न निम्नलिखित 6 मूलभूत स्तंभों पर आधारित होते हैं:

1. **कानून का शासन (Rule of Law - अनुच्छेद 14):** कानून से ऊपर कोई नहीं है। चाहे अपराधी कोई प्रभावशाली राजनेता हो, वरिष्ठ अधिकारी का रिश्तेदार हो या सामान्य नागरिक, पुलिस अधिकारी को बिना किसी पक्षपात, भय या राजनीतिक दबाव के समान रूप से विधिक कार्यवाही करनी चाहिए।
2. **पीड़ित-केंद्रित एवं संवेदनशील व्यवहार (Victim-Centric Approach):** महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और अनुसूचित जाति/जनजाति के पीड़ितों के प्रति सर्वोच्च संवेदनशीलता, तत्काल FIR (Zero FIR सहित) का पंजीकरण और चिकित्सीय सहायता को प्राथमिकता देना।
3. **सांप्रदायिक सौहार्द एवं भीड़ नियंत्रण (Communal Harmony & Crowd Control):** दंगे या तनाव की स्थिति में पहले शांति समिति की बैठक, संवाद, चेतावनी और न्यूनतम बल (Minimum Force — पहले लाठी/अश्रुगैस/वाटर कैनन) का क्रमिक प्रयोग करना तथा अफवाहों का आधिकारिक खंडन करना।
4. **मानवाधिकार एवं अभिरक्षा सुरक्षा (Human Rights & Custodial Justice):** डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (*D.K. Basu v. State of West Bengal*) के दिशानिर्देशों और BNSS की धारा 36-37 एवं 48 का कड़ाई से पालन करना, अवैध हिरासत या थर्ड-डिग्री यातना का पूर्ण निषेध।
5. **अपराध नियंत्रण एवं सामुदायिक पुलिसिंग (Community Policing):** केवल दंडात्मक पुलिसिंग के बजाय जन-सहभागिता, बीट पुलिसिंग, रात्रि गश्त और साइबर जागरूकता द्वारा अपराध की रोकथाम (Preventive Policing)।
6. **व्यावसायिक निष्ठा एवं मानसिक दृढ़ता (Professional Integrity & Emotional Intelligence):** तनावपूर्ण परिस्थितियों में क्रोध पर नियंत्रण, साक्ष्य-आधारित वैज्ञानिक जांच और रिश्वत या प्रलोभन के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' (Zero Tolerance)।

अध्याय 6: बुक 21 मास्टर तुलनात्मक सारणियाँ (Master Comparative Tables)

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 6: बुक 21 मास्टर तुलनात्मक सारणियाँ (Master Comparative Tables)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
सारणी 1.1: पुरानी भारतीय दंड संहिता (IPC 1860) बनाम भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
सारणी 1.2: दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC 1973) बनाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) एवं साक्ष्य अधिनियम (IEA 1872 बनाम BSA 2023)

सारणी 1.1: पुरानी भारतीय दंड संहिता (IPC 1860) बनाम भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023)

क्र.सं.	अपराध / विधिक उपबंध का विषय	पुरानी IPC 1860 की धारा	नई BNS 2023 की धारा	प्रमुख परिवर्तन / दंड का विवरण एवं आधिकारिक स्रोत
1	संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रवर्तन	धारा 1 से 5	**धारा 1**	सभी प्रारंभिक विस्तार धाराओं को धारा 1 में समेकित किया गया (**BNS 2023, India Code**)।
2	सभी परिभाषाएँ (बालक, लिंग, लोक सेवक, दस्तावेज आदि)	धारा 6 से 52A	**धारा 2(1) से 2(39)**	सभी 39 परिभाषाएँ वर्णमाला क्रम में एक ही धारा 2 में संकलित (**NCRB BNS PDF**)।
3	सामान्य आशय (Common Intention)	धारा 34	**धारा 3(5)**	संयुक्त दायित्व का सिद्धांत अब धारा 3 की उपधारा (5) में है (**BNS 2023, India Code**)।
4	दंड के प्रकार (Punishments)	धारा 53 (5 प्रकार)	**धारा 4 (6 प्रकार)**	6वें दंड के रूप में **'सामुदायिक सेवा' (Community Service)** जोड़ा गया (**PRS India BNS**)।
5	7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य (*Doli Incapax*)	धारा 82	**धारा 20**	पूर्ण आपराधिक उन्मुक्ति पूर्ववत बरकरार (**NCRB BNS PDF**)।

क्र.सं.	अपराध / विधिक उपबंध का विषय	पुरानी IPC 1860 की धारा	नई BNS 2023 की धारा	प्रमुख परिवर्तन / दंड का विवरण एवं आधिकारिक स्रोत
6	विकृतचित्त व्यक्ति का कार्य (Unsoundness of Mind)	धारा 84	**धारा 22**	मैकनॉटन नियम पर आधारित बचाव पूर्ववत (NCRB BNS PDF)।
7	शरीर एवं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार	धारा 96 से 106	**धारा 34 से 44**	शरीर की प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित करना अब **धारा 38** और संपत्ति में **धारा 41** है (BNS 2023, India Code)।
8	आपराधिक षड्यंत्र (Criminal Conspiracy)	धारा 120A एवं 120B	**धारा 61(1) एवं 61(2)**	परिभाषा और दंड दोनों को एक ही धारा 61 में रखा गया (NCRB BNS PDF)।
9	बलात्संग की परिभाषा एवं दंड (Rape)	धारा 375 एवं 376	**धारा 63 एवं 64**	महिलाओं के विरुद्ध अपराध अब अध्याय 5 के प्रारंभ में रखे गए (NCRB BNS PDF)।
10	विवाह के झूठे वचन या पहचान छुपाकर यौन संबंध	कोई विशिष्ट धारा नहीं	**धारा 69 (नया)**	10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना (PRS India BNS)।
11	सामूहिक बलात्संग (Gang Rape)	धारा 376D / 376DA / 376DB	**धारा 70(1) एवं 70(2)**	18 वर्ष से कम की किसी भी बालिका से गैंगरेप पर आजीवन कारावास या **मृत्युदंड** (NCRB BNS PDF)।
12	महिला की लज्जा भंग करना, यौन उत्पीड़न व पीछा करना (Stalking)	धारा 354, 354A, 354D	**धारा 74, 75 एवं 78**	साइबर/इलेक्ट्रॉनिक स्टॉकिंग स्पष्ट रूप से धारा 78 में शामिल (BNS 2023, India Code)।
13	दहेज मृत्यु (Dowry Death)	धारा 304B	**धारा 80**	विवाह के 7 वर्ष के भीतर असामान्य मृत्यु; दंड: 7 वर्ष से आजीवन कारावास (NCRB BNS PDF)।
14	पति या रिश्तेदारों द्वारा महिला के प्रति क्रूरता	धारा 498A	**धारा 85 एवं 86**	धारा 85 में दंड (3 वर्ष) और धारा 86 में क्रूरता की परिभाषा (NCRB BNS PDF)।
15	आपराधिक मानव वध एवं हत्या की परिभाषा	धारा 299 एवं 300	**धारा 100 एवं 101**	हत्या के अपवादों को धारा 101 में क्रमिक रूप से व्यवस्थित किया गया (BNS 2023, India Code)।
16	हत्या का दंड एवं मॉब लिंचिंग (Mob Lynching)	धारा 302 (केवल हत्या)	**धारा 103(1) एवं 103(2)**	**धारा 103(2)** में 5+ व्यक्तियों द्वारा मॉब लिंचिंग पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास (PRS India BNS)।
17	उपेक्षा द्वारा मृत्यु एवं हिट-एंड-रन (Hit and Run)	धारा 304A (2 वर्ष)	**धारा 106(1) एवं 106(2)**	सामान्य उपेक्षा में सजा 5 वर्ष; हिट-एंड-रन धारा 106(2) में 10 वर्ष तक (NCRB BNS PDF)।
18	आत्महत्या का दुष्प्रेरण एवं हत्या का प्रयत्न	धारा 306 एवं 307	**धारा 108 एवं 109**	आत्महत्या के प्रयास (पूर्व IPC 309) को सामान्य नागरिकों के लिए हटाया गया, केवल लोक सेवक पर दबाव हेतु धारा 226 में दंडनीय (BNS 2023, India Code)।
19	संगठित अपराध एवं छोटे संगठित अपराध (पेपर लीक आदि)	कोई विशिष्ट धारा नहीं	**धारा 111 एवं 112 (नया)**	सिंडिकेट अपराधों और संगठित प्रश्नपत्र लीक/गैंग चोरी पर कठोर दंड (PRS India BNS)।
20	आतंकवादी कृत्य (Terrorist Act)	कोई विशिष्ट धारा नहीं	**धारा 113 (नया)**	मुख्य संहिता में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया; SP स्तर के अधिकारी द्वारा केस दर्ज करने का निर्णय (NCRB BNS PDF)।
21	भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालना	धारा 124A (राजद्रोह)	**धारा 152 (नया स्वरूप)**	'राजद्रोह' शब्द समाप्त; अलगाववाद और सशस्त्र विद्रोह पर आजीवन कारावास या 7 वर्ष (PRS India BNS)।
22	चोरी (Theft) एवं झपटमारी (Snatching)	धारा 378-379 (केवल चोरी)	**धारा 303 एवं 304 (नया)**	**धारा 304** में स्नैचिंग (झपटमारी) को अलग अपराध बनाया गया (3 वर्ष कारावास) (NCRB BNS PDF)।
23	लूट (Robbery) एवं डकैती (Dacoity)	धारा 390-392 एवं 391, 395	**धारा 309 एवं 310**	लूट और डकैती की परिभाषा एवं दंड को क्रमशः एकीकृत धाराओं 309 व 310 में रखा गया (BNS 2023, India Code)।
24	धोखाधड़ी / छल (Cheating) एवं मानहानि (Defamation)	धारा 415, 420 एवं 499-500	**धारा 318(1)-(4) एवं 356**	पूर्व धारा 420 अब **धारा 318(4)** है; मानहानि (धारा 356) में सामुदायिक सेवा भी शामिल (NCRB BNS PDF)।

सारणी 1.2: दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC 1973) बनाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) एवं साक्ष्य अधिनियम (IEA 1872 बनाम BSA 2023)

क्र.सं.	प्रक्रियात्मक / साक्ष्य उपबंध	पुराना कानून (CrPC / IEA)	नया कानून (BNSS / BSA)	मुख्य विधिक सुधार एवं समय-सीमा (आधिकारिक स्रोत सहित)
1	संज्ञेय अपराध में FIR, Zero FIR एवं e-FIR	CrPC धारा 154	**BNSS धारा 173**	किसी भी थाने में Zero FIR और 3 दिन में हस्ताक्षर की शर्त पर e-FIR को वैधानिक मान्यता (BNSS 2023, India Code)।
2	घटनास्थल की अनिवार्य फॉरेंसिक जांच एवं वीडियोग्राफी	CrPC धारा 157 (ऐच्छिक)	**BNSS धारा 176(3)**	**7 वर्ष या अधिक** की सजा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक विशेषज्ञ की क्राइम सीन विजिट और वीडियोग्राफी अनिवार्य (PRS India BNSS)।
3	पुलिस रिमांड (15 दिन) एवं डिफ़ॉल्ट जमानत (60/90 दिन)	CrPC धारा 167	**BNSS धारा 187**	15 दिन की पुलिस रिमांड अब शुरुआती **40 या 60 दिनों** के भीतर टुकड़ों में भी ली जा सकती है (NCRB BNSS PDF)।
4	तलाशी और जब्ती की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग	CrPC धारा 100 एवं 165	**BNSS धारा 105 एवं 185**	प्रत्येक तलाशी और जब्ती की मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग और मजिस्ट्रेट को प्रेषण अनिवार्य (BNSS 2023, India Code)।
5	लोक न्यूसेंस हटाने हेतु सशर्त आदेश (धारा 144 के समतुल्य)	CrPC धारा 133 एवं 144	**BNSS धारा 152 एवं 163**	तात्कालिक खतरे या अशांति को रोकने के लिए मजिस्ट्रेट का निषेधाज्ञा आदेश (पूर्व धारा 144) अब **BNSS धारा 163** है (NCRB BNSS PDF)।
6	पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण का आदेश	CrPC धारा 125	**BNSS धारा 144**	भरण-पोषण (Maintenance) का सुप्रसिद्ध प्रावधान अब **BNSS की धारा 144** में है (BNSS 2023, India Code)।
7	भगोड़े अपराधियों का अनुपस्थिति में विचारण (Trial in Absentia)	कोई प्रावधान नहीं	**BNSS धारा 356**	उद्घोषित अपराधी के फरार रहने पर आरोप तय होने के 90 दिन बाद अनुपस्थिति में ट्रायल और सजा (PRS India BNSS)।
8	विचाराधीन कैदियों की अधिकतम अवधि एवं अग्रिम जमानत	CrPC धारा 436A एवं 438	**BNSS धारा 479 एवं 482**	पहली बार के अपराधी को अधिकतम सजा का **1/3 भाग** पूरा करने पर जमानत; अग्रिम जमानत अब **धारा 482** में (NCRB BNSS PDF)।
9	मृत्युदंड के मामलों में दया याचिका (Mercy Petition)	कोई विधिक समय-सीमा नहीं	**BNSS धारा 472**	सूचना मिलने के **30 दिनों के भीतर** दया याचिका दायर करने की समय-सीमा (BNSS 2023, India Code)।
10	प्राथमिक साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल रिकॉर्ड	IEA धारा 62	**BSA धारा 57**	इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को **प्राथमिक साक्ष्य (Primary Evidence)** का दर्जा (BSA 2023, India Code)।
11	इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राह्यता एवं प्रमाणपत्र	IEA धारा 65B	**BSA धारा 61 एवं 63**	धारा 61 में डिजिटल रिकॉर्ड की वैधता और **धारा 63(4)** में अनिवार्य विशेषज्ञ प्रमाणपत्र (NCRB BSA PDF)।
12	मृत्युकालिक कथन (Dying Declaration) एवं पुलिस अभिरक्षा में बरामदगी	IEA धारा 32(1) एवं 27	**BSA धारा 26(a) एवं 23(2)**	मृत्युकालिक कथन अब धारा 26(a) और अभियुक्त की सूचना पर बरामदगी धारा 23(2) के परंतु में है (BSA 2023, India Code)।

अध्याय 7: पुस्तक 21 — 60 वास्तविक परीक्षा-स्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न (60 Authentic Exam-Level MCQs)

अभ्यास प्रश्न #1 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 1. [UP Police SI / RPF Rule 70/72 2024–2026] भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 को संपूर्ण भारत में किस तिथि से लागू किया गया?

(A) 25 दिसंबर 2023

(B) 26 जनवरी 2024

(C) 1 जुलाई 2024

(D) 15 अगस्त 2024

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** तीनों नए आपराधिक कानूनों को 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी और गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार इन्हें **1 जुलाई 2024** से पूरे देश में लागू किया गया (**गृह मंत्रालय**)।

अभ्यास प्रश्न #2 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 2. [UP Police SI 2025] भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 में कुल कितने अध्याय और कितनी धाराएँ हैं?

(A) 23 अध्याय और 511 धाराएँ

(B) 20 अध्याय और 358 धाराएँ

(C) 39 अध्याय और 531 धाराएँ

(D) 12 अध्याय और 170 धाराएँ

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** BNS 2023 में कुल **20 अध्याय और 358 धाराएँ** हैं, जबकि पुरानी IPC में 23 अध्याय और 511 धाराएँ थीं (**BNS 2023, India Code**)।

अभ्यास प्रश्न #3 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 3. [Delhi Police SI / CAPF] भारतीय न्याय संहिता, 2023 की किस धारा के अंतर्गत पहली बार 'सामुदायिक सेवा' (Community Service) को एक वैधानिक दंड के रूप में शामिल किया गया है?

(A) धारा 4(f)

(B) धारा 2(10)

(C) धारा 3(5)

(D) धारा 11

• **सही उत्तर: (A)**

• **विस्तृत व्याख्या:** BNS 2023 की **धारा 4** दंड के 6 प्रकार निर्धारित करती है, जिसके खंड **(f)** में छोटे अपराधों के सुधारवादी दंड के रूप में 'सामुदायिक सेवा' को जोड़ा गया है (**PRS India BNS**)।

अभ्यास प्रश्न #4 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 4. [RPF Rule 72 / UP Police SI] पुरानी भारतीय दंड संहिता (IPC) की प्रसिद्ध 'धारा 34' (सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य) अब भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की किस धारा में प्रतिस्थापित की गई है?

(A) धारा 2(5)

(B) धारा 3(1)

(C) धारा 3(5)

(D) धारा 4(2)

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** IPC की धारा 34 (Common Intention) को BNS 2023 की **धारा 3 की उपधारा (5) [धारा 3(5)]** में रखा गया है (**NCRB BNS PDF**)।

अभ्यास प्रश्न #5 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 5. [CLAT / UP Police SI] भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अपराध के लिए 'सामुदायिक सेवा' (Community Service) का दंड निर्धारित **नहीं** है?

(A) ₹5,000 से कम मूल्य की संपत्ति की पहली बार चोरी में संपत्ति लौटाने पर (धारा 303(2))

(B) लोक सेवक को अपने कर्तव्य से रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयत्न करना (धारा 226)

(C) लोक स्थान में मत्त (नशे में) होकर दुराचार या उत्पात करना (धारा 355)

(D) अचानक या बलपूर्वक जंगम संपत्ति की झपटमारी / Snatching करना (धारा 304)

- **सही उत्तर: (D)**
- **विस्तृत व्याख्या:** BNS में सामुदायिक सेवा केवल 6 अपराधों (धारा 202, 209, 226, 303(2), 355 और 356) में दी जा सकती है। **धारा 304 (झपटमारी / Snatching)** एक गंभीर अपराध है जिसमें 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है (NCRB BNS PDF)।

अभ्यास प्रश्न #6 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 6. [UP Police SI / Judiciary] BNS 2023 की किस धारा के अंतर्गत 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाता (*Doli Incapax*)?

(A) धारा 18

(B) धारा 20

(C) धारा 21

(D) धारा 22

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** पुरानी IPC की धारा 82 के समतुल्य BNS 2023 की **धारा 20** में प्रावधान है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है (BNS 2023, India Code)।

अभ्यास प्रश्न #7 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 7. [Delhi Police / RPF SI] भारतीय न्याय संहिता, 2023 की किस धारा में यह प्रावधान है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की 'मृत्यु कारित करने' तक हो सकता है?

(A) धारा 34

(B) धारा 36

(C) धारा 38

(D) धारा 41

- **सही उत्तर: (C)**
- **विस्तृत व्याख्या:** पुरानी IPC की धारा 100 के स्थान पर अब **BNS की धारा 38** में वे 7 परिस्थितियाँ दी गई हैं जिनमें शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु तक कारित की जा सकती है, जबकि संपत्ति की प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित करने का अधिकार **धारा 41** में है (NCRB BNS PDF)।

अभ्यास प्रश्न #8 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 8. [UP Police SI 2026] BNS 2023 की किस नई धारा के अंतर्गत 'विवाह का झूठा वचन देकर या पहचान छुपाकर कपटपूर्ण साधनों से महिला के साथ यौन संबंध बनाने' को एक स्वतंत्र दंडनीय अपराध घोषित किया गया है?

(A) धारा 64

(B) धारा 67

(C) धारा 69

(D) धारा 72

- **सही उत्तर: (C)**

- **विस्तृत व्याख्या: धारा 69** के अंतर्गत कपटपूर्ण साधनों (पहचान छुपाना, रोजगार या पदोन्नति का झूठा प्रलोभन) या विवाह के झूठे वचन द्वारा यौन संबंध बनाने पर **10 वर्ष तक के कारावास** और जुर्माने का दंड निर्धारित है (**BNS 2023, India Code**)।

अभ्यास प्रश्न #9 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 9. [CLAT / UP Police SI] भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 70(2) के अनुसार, कितनी आयु से कम की बालिका के साथ सामूहिक बलात्संग (Gang Rape) करने पर आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल) या **मृत्युदंड** की सजा का प्रावधान किया गया है?

(A) 12 वर्ष से कम

(B) 15 वर्ष से कम

(C) 16 वर्ष से कम

(D) 18 वर्ष से कम

- **सही उत्तर: (D)**

- **विस्तृत व्याख्या:** पुरानी IPC में सामूहिक बलात्संग पर मृत्युदंड की सीमा 12 वर्ष से कम आयु की बालिका तक सीमित थी, किंतु **BNS की धारा 70(2)** में इसे विस्तारित कर **18 वर्ष से कम आयु** की सभी अवयस्क बालिकाओं के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड कर दिया गया है (**NCRB BNS PDF**)।

अभ्यास प्रश्न #10 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 10. [UP Police SI / DSSSB] भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 में 'दहेज मृत्यु' (Dowry Death) और 'पति या उसके नातेदारों द्वारा महिला के प्रति क्रूरता' से संबंधित प्रावधान क्रमशः किन धाराओं में दिए गए हैं?

(A) धारा 80 एवं धारा 85

(B) धारा 75 एवं धारा 79

(C) धारा 103 एवं धारा 106

(D) धारा 63 एवं धारा 65

- **सही उत्तर: (A)**

- **विस्तृत व्याख्या:** पुरानी IPC की धारा 304B (दहेज मृत्यु) अब **BNS की धारा 80** है, और पुरानी धारा 498A (पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता) अब **BNS की धारा 85** (एवं क्रूरता की परिभाषा धारा 86) है (**NCRB BNS PDF**)।

अभ्यास प्रश्न #11 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 11. [UP Police SI / RPF Rule 70] BNS 2023 की धारा 103(2) के अंतर्गत 'मॉब लिंचिंग' (भीड़ द्वारा हत्या) का अपराध गठित होने के लिए न्यूनतम कितने या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर हत्या किया जाना आवश्यक है?

(A) 2 या अधिक व्यक्ति

(B) 3 या अधिक व्यक्ति

(C) 5 या अधिक व्यक्ति

(D) 7 या अधिक व्यक्ति

- **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या: धारा 103(2)** के अनुसार जब **5 या अधिक व्यक्तियों** का कोई समूह मिलकर जाति, धर्म, भाषा, जन्मस्थान या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर हत्या करता है, तो प्रत्येक सदस्य मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होगा (**PRS India BNS**)।

अभ्यास प्रश्न #12 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 12. [Delhi Police / UP Police SI] भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 106(1) में उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने (जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता) पर अधिकतम कारावास की अवधि को 2 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है?

(A) 3 वर्ष

(B) 5 वर्ष

(C) 7 वर्ष

(D) 10 वर्ष

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** पुरानी IPC धारा 304A में उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने पर अधिकतम दंड 2 वर्ष था, जिसे **BNS की धारा 106(1)** में बढ़ाकर **5 वर्ष तक का कारावास** और जुर्माना कर दिया गया है, जबकि हिट-एंड-रन से संबंधित उपधारा 106(2) में 10 वर्ष तक का प्रावधान है (**NCRB BNS PDF**)।

अभ्यास प्रश्न #13 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 13. [UP Police SI / CAPF] भारतीय न्याय संहिता, 2023 की किस धारा में पहली बार 'संगठित अपराध' (Organised Crime — जैसे सुपारी किलिंग, जबरन वसूली सिंडिकेट, साइबर अपराध सिंडिकेट आदि) को परिभाषित और दंडनीय बनाया गया है?

(A) धारा 109

(B) धारा 111

(C) धारा 112

(D) धारा 113

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** BNS की **धारा 111** संगठित अपराध (Organised Crime) से, **धारा 112** छोटे संगठित अपराध (Petty Organised Crime) से और **धारा 113** आतंकवादी कृत्य (Terrorist Act) से संबंधित है (**PRS India BNS**)।

अभ्यास प्रश्न #14 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 14. [UP Police SI / Bihar Daroga] किसी गिरोह या संगठित समूह द्वारा 'सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक करना' (Question Paper Leak), टिकटों की संगठित कालाबाजारी या संगठित वाहन चोरी BNS 2023 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है?

(A) धारा 110

(B) धारा 112

(C) धारा 115

(D) धारा 152

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या: धारा 112 (छोटे संगठित अपराध / Petty Organised Crime)** में संगठित समूह द्वारा प्रश्नपत्र लीक, जेबकतरी, झपटमारी, वाहन चोरी और अवैध सट्टेबाजी के लिए **1 वर्ष से 7 वर्ष तक के कारावास** और जुर्माने का प्रावधान है (**NCRB BNS PDF**)।

अभ्यास प्रश्न #15 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 15. [RPF Rule 70/72 / UP Police SI] BNS 2023 की धारा 113 (आतंकवादी कृत्य) के अंतर्गत यह निर्णय लेने का अधिकार किस न्यूनतम रैंक के पुलिस अधिकारी को दिया गया है कि मामला धारा 113 के तहत दर्ज किया जाए या गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 के तहत?

(A) थाना प्रभारी (उप-निरीक्षक / निरीक्षक)

(B) पुलिस उपाधीक्षक (DSP / CO)

(C) पुलिस अधीक्षक (SP) के स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं

(D) पुलिस महानिरीक्षक (IG)

- **सही उत्तर: (C)**
- **विस्तृत व्याख्या: धारा 113(7)** में स्पष्ट सुरक्षा उपबंध है कि **पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police - SP)** के स्तर से नीचे का कोई भी अधिकारी यह निर्णय नहीं लेगा कि इस धारा के तहत अपराध का पंजीकरण किया जाना है या UAPA के तहत (NCRB BNS PDF)।

अभ्यास प्रश्न #16 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 16. [CLAT / UP Police SI] BNS 2023 की धारा 116 में 'घोर उपहति' (Grievous Hurt) के अंतर्गत पीड़ित को कितने दिनों तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहने या अपने सामान्य कामकाज को करने में असमर्थ रहने की अवधि निर्धारित की गई है (जो पुरानी IPC धारा 320 में 20 दिन थी)?

(A) 7 दिन

(B) 10 दिन

(C) 14 दिन

(D) 15 दिन

- **सही उत्तर: (D)**
- **विस्तृत व्याख्या:** BNS की **धारा 116(h)** में इस अवधि को 20 दिनों से घटाकर **15 दिन** कर दिया गया है ताकि गंभीर चोट के मामलों में पीड़ित को त्वरित न्याय मिल सके (BNS 2023, India Code)।

अभ्यास प्रश्न #17 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 17. [UP Police SI / Delhi Police] भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 137 के अनुसार, 'विधिक संरक्षकता में से व्यपहरण' (Kidnapping from Lawful Guardianship) के अपराध के लिए बालक और बालिका की आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है?

(A) बालक के लिए 16 वर्ष से कम और बालिका के लिए 18 वर्ष से कम

(B) बालक और बालिका दोनों के लिए 18 वर्ष से कम

(C) बालक और बालिका दोनों के लिए 16 वर्ष से कम

(D) बालक के लिए 18 वर्ष से कम और बालिका के लिए 21 वर्ष से कम

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** पुरानी IPC धारा 361 में बालक के लिए 16 वर्ष और बालिका के लिए 18 वर्ष की आयु सीमा थी। BNS 2023 की **धारा 137(1)(b)** ने लैंगिक भेदभाव समाप्त करते हुए किसी भी **बालक (Child — धारा 2(3) के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति)** के लिए इसे समान रूप से **18 वर्ष से कम** कर दिया है (NCRB BNS PDF)।

अभ्यास प्रश्न #18 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 18. [UP Police SI / UPSC CAPF] पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 124A (राजद्रोह / Sedition) को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की किस धारा में 'भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य' को दंडनीय बनाया गया है?

(A) धारा 147

(B) धारा 150

(C) धारा 152

(D) धारा 156

- **सही उत्तर: (C)**

- **विस्तृत व्याख्या:** जब विधेयक प्रारंभ में पेश हुआ था तब यह खंड 150 था, किंतु अधिनियमित **भारतीय न्याय संहिता, 2023 की अंतिम धारा 152** में अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह और विध्वंसक गतिविधियों द्वारा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने पर आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है (**PRS India BNS**)।

अभ्यास प्रश्न #19 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 19. [RPF Rule 70/72 / UP Police SI] BNS 2023 की किस धारा में 'झपटमारी' (Snatching — जैसे गले से चेन या हाथ से मोबाइल फोन अचानक झपटकर भागना) को चोरी (धारा 303) से अलग एक स्वतंत्र संज्ञेय अपराध बनाया गया है?

(A) धारा 302

(B) धारा 304

(C) धारा 308

(D) धारा 309

- **सही उत्तर: (B)**

- **विस्तृत व्याख्या: BNS धारा 304** के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चोरी करने के लिए किसी व्यक्ति के कब्जे से किसी जंगम संपत्ति को अचानक, तेजी से या बलपूर्वक छीनता/झपटता है, तो वह झपटमारी का दोषी होगा और उसे 3 वर्ष तक कारावास व जुर्माने से दंडित किया जाएगा (**NCRB BNS PDF**)।

अभ्यास प्रश्न #20 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 20. [UP Police SI / Delhi Police] पुरानी IPC की प्रसिद्ध 'धारा 420' (छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना) अब BNS 2023 की किस धारा में समाहित है?

(A) धारा 316(2)

(B) धारा 318(4)

(C) धारा 324(3)

(D) धारा 336(2)

- **सही उत्तर: (B)**

- **विस्तृत व्याख्या:** BNS की **धारा 318** छल (Cheating) से संबंधित है, और इसकी उपधारा **318(4)** पुरानी धारा 420 के समतुल्य है जिसमें **7 वर्ष तक के कारावास** और जुर्माने का प्रावधान है (**BNS 2023, India Code**)।

अभ्यास प्रश्न #21 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 21. [UP Police SI 2025] भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 में कुल कितने अध्याय और कितनी धाराएँ हैं?

(A) 37 अध्याय और 484 धाराएँ

(B) 39 अध्याय और 531 धाराएँ

(C) 38 अध्याय और 533 धाराएँ

(D) 20 अध्याय और 358 धाराएँ

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** BNSS 2023 (जिसने CrPC 1973 का स्थान लिया) में कुल **39 अध्याय, 531 धाराएँ और 2 अनुसूचियाँ** हैं (**BNSS 2023, India Code**)।

अभ्यास प्रश्न #22 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 22. [UP Police SI / RPF SI] BNSS 2023 की धारा 173(1)(ii) के अंतर्गत यदि कोई नागरिक इलेक्ट्रॉनिक संचार (e-FIR) के माध्यम से संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस थाने को भेजता है, तो उसे कितने दिनों के भीतर हस्ताक्षर करने पर पुलिस द्वारा रिकॉर्ड पर लिया जाएगा?

(A) 24 घंटे के भीतर

(B) 3 दिन के भीतर

(C) 7 दिन के भीतर

(D) 14 दिन के भीतर

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या: BNSS की धारा 173(1)(ii)** के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा दी गई सूचना को पुलिस अधिकारी द्वारा तब रिकॉर्ड पर लिया जाएगा जब सूचना देने वाला व्यक्ति **3 दिनों के भीतर** उस पर हस्ताक्षर कर दे (**NCRB BNSS PDF**)।

अभ्यास प्रश्न #23 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 23. [CLAT / UP Police SI] BNSS 2023 की धारा 173(3) के अनुसार, कितने वर्ष के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराधों में थाना प्रभारी, पुलिस उपाधीक्षक (DSP) की पूर्व अनुमति से प्रथम दृष्टया मामला परखने के लिए **14 दिनों के भीतर** प्रारंभिक जांच (Preliminary Inquiry) कर सकता है?

(A) 1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम

(B) 3 वर्ष या उससे अधिक किंतु 7 वर्ष से कम

(C) 7 वर्ष या उससे अधिक किंतु 10 वर्ष से कम

(D) सभी संज्ञेय अपराधों में

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या: धारा 173(3)** के अंतर्गत **3 वर्ष या उससे अधिक किंतु 7 वर्ष से कम** कारावास से दंडनीय अपराधों में DSP के पूर्व अनुमोदन से 14 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच की जा सकती है (**BNSS 2023, India Code**)।

अभ्यास प्रश्न #24 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 24. [UP Police SI / Delhi Police] BNSS 2023 की धारा 176(3) के तहत कितने वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों में घटनास्थल पर फॉरेंसिक विशेषज्ञ (Forensic Expert) को बुलाना और साक्ष्य संकलन की वीडियोग्राफी करना अनिवार्य किया गया है?

(A) 3 वर्ष या उससे अधिक

(B) 5 वर्ष या उससे अधिक

(C) 7 वर्ष या उससे अधिक

(D) 10 वर्ष या उससे अधिक

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या: BNSS की धारा 176(3)** के अनुसार **7 वर्ष या उससे अधिक** के कारावास से दंडनीय सभी अपराधों में घटनास्थल पर फॉरेंसिक विशेषज्ञ का निरीक्षण और मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वीडियोग्राफी अनिवार्य है (**PRS India BNSS**)।

अभ्यास प्रश्न #25 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 25. [UP Police SI / Judiciary] BNSS 2023 की धारा 187(2) के अनुसार, जिन अपराधों में कुल अधिकतम जांच हिरासत अवधि 90 दिन है, उनमें मजिस्ट्रेट द्वारा कुल **15 दिन की पुलिस रिमांड (Police Custody)** गिरफ्तारी के प्रारंभिक कितने दिनों के भीतर (एक साथ या टुकड़ों में) स्वीकृत की जा सकती है?

(A) केवल प्रारंभिक 15 दिनों के भीतर

(B) प्रारंभिक 30 दिनों के भीतर

(C) प्रारंभिक 40 दिनों के भीतर

(D) प्रारंभिक 60 दिनों के भीतर

• **सही उत्तर: (D)**

• **विस्तृत व्याख्या: BNSS की धारा 187(2)** के अनुसार 15 दिन की पुलिस हिरासत कुल 90 दिन की हिरासत अवधि वाले गंभीर मामलों में **प्रारंभिक 60 दिनों के भीतर** और कुल 60 दिन की हिरासत अवधि वाले मामलों में **प्रारंभिक 40 दिनों के भीतर** कभी भी (एक बार में या टुकड़ों में) ली जा सकती है (NCRB BNSS PDF)।

अभ्यास प्रश्न #26 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 26. [RPF Rule 70/72 / UP Police SI] BNSS 2023 की किन धाराओं के अंतर्गत पुलिस द्वारा किसी स्थान की तलाशी (Search) और जब्ती (Seizure) की संपूर्ण प्रक्रिया की ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य बनाया गया है?

(A) धारा 41 एवं धारा 50

(B) धारा 105 एवं धारा 185

(C) धारा 144 एवं धारा 163

(D) धारा 193 एवं धारा 230

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या: BNSS की धारा 105** (सामान्य तलाशी एवं जब्ती की रिकॉर्डिंग) और **धारा 185** (पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण के दौरान तलाशी की रिकॉर्डिंग) के तहत ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग कर उसे बिना देरी के मजिस्ट्रेट को भेजना अनिवार्य है (BNSS 2023, India Code)।

अभ्यास प्रश्न #27 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 27. [UP Police SI] पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की प्रसिद्ध 'धारा 144' (न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति) अब BNSS 2023 की किस धारा में है?

(A) धारा 144

(B) धारा 152

(C) धारा 163

(D) धारा 170

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** पुरानी CrPC की धारा 144 अब **BNSS 2023 की धारा 163** है, जबकि पुरानी CrPC की धारा 125 (पत्नी, संतान और माता-पिता का भरण-पोषण) अब **BNSS की धारा 144** बन गई है (NCRB BNSS PDF)।

अभ्यास प्रश्न #28 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 28. [Delhi Police / UP Police SI] BNSS 2023 की धारा 37 के अनुसार, प्रत्येक पुलिस थाने और जिले में गिरफ्तार व्यक्तियों की जानकारी डिजिटल व भौतिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए नामित पुलिस अधिकारी किस रैंक से नीचे का **नहीं** होना चाहिए?

(A) कांस्टेबल (आरक्षी)

(B) हेड कांस्टेबल (मुख्य आरक्षी)

(C) सहायक उप-निरीक्षक (ASI)

(D) पुलिस उपाधीक्षक (DSP)

- **सही उत्तर: (C)**
- **विस्तृत व्याख्या: BNSS की धारा 37(b)** के अनुसार प्रत्येक जिले और प्रत्येक पुलिस थाने में नामित पुलिस अधिकारी **सहायक उप-निरीक्षक (Assistant Sub-Inspector - ASI)** की रैंक से नीचे का नहीं होगा (**BNSS 2023, India Code**)।

अभ्यास प्रश्न #29 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 29. [CLAT / UP Police SI] BNSS 2023 की धारा 479 के अनुसार, यदि कोई विचाराधीन कैदी (Undertrial Prisoner) 'पहली बार का अपराधी' (First-time Offender) है और उसका अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, तो वह उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की कितनी अवधि हिरासत में पूरी करने पर जमानत पर रिहा होने का हकदार होगा?

(A) एक-चौथाई (1/4) अवधि

(B) एक-तिहाई (1/3) अवधि

(C) आधी (1/2) अवधि

(D) दो-तिहाई (2/3) अवधि

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या: धारा 479(1) के परंतु** के अनुसार, पहली बार अपराध करने वाले विचाराधीन कैदी को अधिकतम सजा की **एक-तिहाई (1/3) अवधि** बिताने पर ही न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, जबकि अन्य मामलों में यह सीमा आधी (1/2) अवधि है (**NCRB BNSS PDF**)।

अभ्यास प्रश्न #30 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 30. [UP Police SI / Judiciary] BNSS 2023 की किस धारा के अंतर्गत उद्घोषित भगोड़े अपराधियों (Proclaimed Offenders) की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने और निर्णय सुनाने (Trial in Absentia) का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है?

(A) धारा 346

(B) धारा 356

(C) धारा 398

(D) धारा 472

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या: BNSS की धारा 356** के अंतर्गत यदि कोई उद्घोषित अपराधी न्याय से भाग रहा है, तो आरोप विरचित होने के **90 दिन समाप्त होने के पश्चात्** न्यायालय उसकी अनुपस्थिति में साक्ष्य लेकर निर्णय सुना सकता है (**PRS India BNSS**)।

अभ्यास प्रश्न #31 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 31. [UP Police SI / RPF SI] BNSS 2023 की धारा 472 के अनुसार, मृत्युदंड की सजा पाए दोषी को सर्वोच्च न्यायालय में अपील खारिज होने की सूचना जेल अधीक्षक द्वारा दिए जाने से कितने दिनों के भीतर राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका (Mercy Petition) दायर करनी होती है?

(A) 15 दिन

(B) 30 दिन

(C) 60 दिन

(D) 90 दिन

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या: धारा 472(1)** के अनुसार जेल अधीक्षक द्वारा सूचित किए जाने की तिथि से **30 दिनों के भीतर** दया याचिका प्रस्तुत की जा सकती है (**BNSS 2023, India Code**)।

अभ्यास प्रश्न #32 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 32. [UP Police SI / CAPF] BNSS 2023 की धारा 193(3)(ii) के तहत पुलिस अधिकारी को अन्वेषण (Investigation) की प्रगति की सूचना पीड़ित या सूचनादाता को कितने दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देना अनिवार्य है?

(A) 30 दिनों के भीतर

(B) 45 दिनों के भीतर

(C) 60 दिनों के भीतर

(D) 90 दिनों के भीतर

- **सही उत्तर: (D)**
- **विस्तृत व्याख्या: धारा 193(3)(ii)** के अनुसार पुलिस अधिकारी अपनी जांच की प्रगति की सूचना **90 दिनों की अवधि के भीतर** इलेक्ट्रॉनिक संचार सहित किसी भी माध्यम से सूचनादाता या पीड़ित को देगा (**NCRB BNSS PDF**)।

अभ्यास प्रश्न #33 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 33. [Delhi Police / UP Police SI] BNSS 2023 की धारा 258(1) के अंतर्गत मुकदमे की बहस (Arguments) समाप्त होने के पश्चात् न्यायालय को सामान्यतः कितने दिनों के भीतर निर्णय सुनाना होगा (जिसे विशेष कारण अभिलिखित कर अधिकतम 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है)?

(A) 14 दिन

(B) 21 दिन

(C) 30 दिन

(D) 60 दिन

- **सही उत्तर: (C)**
- **विस्तृत व्याख्या: धारा 258(1)** के अनुसार बहस समाप्त होने के बाद न्यायाधीश **30 दिनों के भीतर** निर्णय देगा, और विशेष कारणों को लेखबद्ध करते हुए इसे अधिकतम **45 दिनों** तक बढ़ाया जा सकता है (**BNSS 2023, India Code**)।

अभ्यास प्रश्न #34 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 34. [UP Police SI 2025] भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 में कुल कितने अध्याय और कितनी धाराएँ हैं?

(A) 11 अध्याय और 167 धाराएँ

(B) 12 अध्याय और 170 धाराएँ

(C) 14 अध्याय और 175 धाराएँ

(D) 10 अध्याय और 160 धाराएँ

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 में कुल **4 भाग, 12 अध्याय और 170 धाराएँ** (तथा 1 अनुसूची) हैं (**BSA 2023, India Code**)।

अभ्यास प्रश्न #35 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 35. [UP Police SI / CLAT] भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 की किस धारा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को 'प्राथमिक साक्ष्य' (Primary Evidence) की श्रेणी में शामिल किया गया है?

(A) धारा 55

(B) धारा 57

(C) धारा 61

(D) धारा 63

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** पुरानी IEA की धारा 62 के स्थान पर **BSA की धारा 57** 'प्राथमिक साक्ष्य' को परिभाषित करती है और इसके स्पष्टीकरण 4 से 7 के तहत इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य का दर्जा दिया गया है (NCRB BSA PDF)।

अभ्यास प्रश्न #36 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 36. [RPF Rule 70/72 / UP Police SI] पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की प्रसिद्ध 'धारा 65B' (इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता एवं प्रमाणपत्र) अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 की किस धारा में प्रतिस्थापित की गई है?

(A) धारा 59

(B) धारा 61

(C) धारा 62

(D) धारा 63

- **सही उत्तर: (D)**
- **विस्तृत व्याख्या:** पुरानी धारा 65B अब **BSA 2023 की धारा 63** है, जिसकी उपधारा **63(4)** के तहत डिजिटल साक्ष्य के साथ अनुसूची में निर्धारित प्रमाणपत्र देना अनिवार्य है (BSA 2023, India Code)।

अभ्यास प्रश्न #37 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 37. [UP Police SI / Judiciary] भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 में 'मृत्युकालिक कथन' (Dying Declaration — पूर्व IEA धारा 32(1)) से संबंधित प्रावधान किस धारा में है?

(A) धारा 23(2)

(B) धारा 24

(C) धारा 26(a)

(D) धारा 39

- **सही उत्तर: (C)**
- **विस्तृत व्याख्या:** पूर्व साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) अब **BSA 2023 की धारा 26 के खंड (a) [धारा 26(a)]** में है (NCRB BSA PDF)।

अभ्यास प्रश्न #38 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 38. [Delhi Police / UP Police SI] BSA 2023 की किस धारा के परंतु (Proviso) में यह प्रावधान है कि पुलिस अभिरक्षा में किसी अभियुक्त से प्राप्त सूचना में से उतनी सूचना साबित की जा सकेगी जितनी से किसी तथ्य की खोज/बरामदगी (Discovery of Fact — पूर्व IEA धारा 27) हुई हो?

(A) धारा 22

(B) धारा 23(2) का परंतु

(C) धारा 25

(D) धारा 28

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** पूर्व IEA की धारा 25 और 26 को **BSA की धारा 23(1) और 23(2)** में समेकित किया गया है, तथा पूर्व धारा 27 (Discovery Statement) को **धारा 23(2) के दूसरे परंतु (Proviso)** के रूप में रखा गया है (BSA 2023, India Code)।

अभ्यास प्रश्न #39 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 39. [UP Police SI / DSSSB] लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012 किस तिथि से लागू हुआ था?

(A) 1 अप्रैल 2012

(B) 15 अगस्त 2012

(C) 2 अक्टूबर 2012

(D) 14 नवंबर 2012

- **सही उत्तर: (D)**
- **विस्तृत व्याख्या:** POCSO अधिनियम, 2012 बाल दिवस के अवसर पर **14 नवंबर 2012** से संपूर्ण भारत में लागू हुआ था (POCSO Act, India Code)।

अभ्यास प्रश्न #40 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 40. [UP Police SI / CLAT] POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 24 के अनुसार, पीड़ित बालक का कथन दर्ज करते समय पुलिस अधिकारी को निम्नलिखित में से किस नियम का पालन करना अनिवार्य है?

(A) बालक को तुरंत पुलिस थाने बुलाकर थाना प्रभारी के कक्ष में बयान दर्ज करना

(B) बालक के निवास या उसकी पसंद के स्थान पर, यथासंभव महिला पुलिस अधिकारी (उप-निरीक्षक से नीचे की रैंक नहीं) द्वारा सादे कपड़ों (बिना वर्दी के) में बयान दर्ज करना

(C) केवल पुलिस अधीक्षक (SP) की उपस्थिति में पुलिस वर्दी में बयान दर्ज करना

(D) बालक को बयान के लिए रात्रि में पुलिस थाने में सुरक्षित रखना

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या: POCSO एक्ट की धारा 24(1) से (4)** के अनुसार बालक का बयान उसके निवास या पसंद के स्थान पर, उप-निरीक्षक (SI) या उससे ऊपर की रैंक की महिला पुलिस अधिकारी द्वारा **बिना वर्दी (सादे कपड़ों)** में दर्ज किया जाएगा और बालक को किसी भी कारण से रात्रि में पुलिस थाने में नहीं रोका जाएगा (POCSO Act, India Code)।

अभ्यास प्रश्न #41 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 41. [UP Police SI / RPF SI] POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 35 के अनुसार, विशेष न्यायालय (Special Court) द्वारा अपराध का संज्ञान लेने के कितने समय के भीतर बालक का साक्ष्य अभिलिखित किया जाना और कितने समय में विचारण (Trial) पूरा किया जाना अपेक्षित है?

(A) साक्ष्य 15 दिन में और विचारण 6 माह में

(B) साक्ष्य 30 दिन में और विचारण 1 वर्ष में

(C) साक्ष्य 60 दिन में और विचारण 2 वर्ष में

(D) साक्ष्य 90 दिन में और विचारण 3 वर्ष में

- **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या: धारा 35(1) और 35(2)** के अनुसार संज्ञान लेने के **30 दिनों के भीतर** बालक का साक्ष्य दर्ज किया जाएगा और यथासंभव **1 वर्ष के भीतर** विचारण पूरा किया जाएगा (**POCSO Act, India Code**)।

अभ्यास प्रश्न #42 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 42. [UP Police SI] दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अंतर्गत दहेज देने या लेने अथवा दहेज देने या लेने के लिए दुष्प्रेरित करने पर न्यूनतम कितना दंड निर्धारित है?

(A) न्यूनतम 2 वर्ष का कारावास और ₹10,000 जुर्माना

(B) न्यूनतम 3 वर्ष का कारावास और ₹5,000 जुर्माना

(C) न्यूनतम 5 वर्ष का कारावास और कम से कम ₹15,000 या दहेज के मूल्य के बराबर जुर्माना (जो भी अधिक हो)

(D) न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास और ₹50,000 जुर्माना

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या: दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3(1)** के अनुसार दहेज लेने या देने पर **न्यूनतम 5 वर्ष का कारावास** और **न्यूनतम ₹15,000 या दहेज के मूल्य की राशि** (जो भी अधिक हो) का जुर्माना होगा, जबकि धारा 4 के तहत केवल दहेज की मांग करने पर 6 माह से 2 वर्ष का कारावास है (**Dowry Prohibition Act, India Code**)।

अभ्यास प्रश्न #43 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 43. [UP Police SI / Delhi Police] घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 किस तिथि को लागू हुआ था और इसकी धारा 31 के तहत संरक्षण आदेश (Protection Order) के उल्लंघन पर क्या दंड है?

(A) 26 जनवरी 2005; 2 वर्ष कारावास या ₹50,000 जुर्माना

(B) 26 अक्टूबर 2006; 1 वर्ष तक का कारावास या ₹20,000 तक का जुर्माना या दोनों

(C) 8 मार्च 2006; 3 वर्ष तक का कारावास या ₹10,000 जुर्माना

(D) 1 जुलाई 2005; केवल ₹5,000 का सिविल जुर्माना

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** यह अधिनियम **26 अक्टूबर 2006** से लागू हुआ और इसकी **धारा 31** के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के संरक्षण आदेश का उल्लंघन संज्ञेय व गैर-जमानती अपराध है जिस पर **1 वर्ष तक कारावास या ₹20,000 तक जुर्माना** या दोनों हो सकते हैं (**PWDVA 2005, India Code**)।

अभ्यास प्रश्न #44 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 44. [UP Police SI / Bihar SI] अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के नियमों के अनुसार, इस अधिनियम के अधीन घटित अपराधों की विवेचना (Investigation) किस न्यूनतम रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी?

(A) सहायक उप-निरीक्षक (ASI)

(B) उप-निरीक्षक (SI)

(C) निरीक्षक (Inspector)

(D) पुलिस उपाधीक्षक (DSP / CO) से नीचे की रैंक के अधिकारी द्वारा नहीं

• **सही उत्तर: (D)**

• **विस्तृत व्याख्या:** SC/ST अत्याचार निवारण नियम, 1995 के **नियम 7** के अनुसार इस अधिनियम के तहत अपराधों की जांच **पुलिस उपाधीक्षक (DSP)** की रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी (**SC/ST Act Rules**)।

अभ्यास प्रश्न #45 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 45. [UP Police SI / CLAT] अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की किस धारा के अंतर्गत अभियुक्तों को अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) के प्रावधान लागू होने से वर्जित किया गया है?

(A) धारा 14

(B) धारा 15A

(C) धारा 18 एवं 18A

(D) धारा 21

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** अधिनियम की **धारा 18 और धारा 18A** (2018 संशोधन द्वारा अंत:स्थापित) स्पष्ट करती हैं कि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों पर अग्रिम जमानत का प्रावधान लागू नहीं होगा (**SC/ST Act, India Code**)।

अभ्यास प्रश्न #46 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 46. [Delhi Police / UP Police SI] मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के अंतर्गत 'शराब पीकर वाहन चलाने' (Drunken Driving) का अपराध तब गठित होता है जब श्वास विश्लेषक (Breath Analyzer) परीक्षण में चालक के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में अल्कोहल की मात्रा कितनी से अधिक पाई जाए?

(A) 10 मिलीग्राम से अधिक

(B) 20 मिलीग्राम से अधिक

(C) 30 मिलीग्राम से अधिक

(D) 50 मिलीग्राम से अधिक

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या: मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185(a)** के अनुसार प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में **30 मिलीग्राम से अधिक अल्कोहल** पाए जाने पर प्रथम बार 6 माह कारावास और/या ₹10,000 जुर्माना देय है (**Motor Vehicles Act, India Code**)।

अभ्यास प्रश्न #47 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 47. [UP Police SI / RPF Rule 70] मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा जोड़ी गई किस धारा में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की मदद करने वाले 'नेक व्यक्ति' (Good Samaritan) को सिविल या आपराधिक दायित्व से कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है?

(A) धारा 129

(B) धारा 134A

(C) धारा 184

(D) धारा 194E

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या: धारा 134A** सड़क दुर्घटना पीड़ितों को आपातकालीन चिकित्सा या परिवहन सहायता देने वाले 'नेक व्यक्ति' (Good Samaritan) को किसी भी दीवानी या फौजदारी कार्यवाही से पूर्ण संरक्षण देती है (**Motor Vehicles Act, India Code**)।

अभ्यास प्रश्न #48 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 48. [UP Police SI 2025] मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A के अनुसार, यदि कोई नाबालिग (Juvenile) मोटर वाहन चलाते हुए यातायात अपराध करता है, तो वाहन के स्वामी या नाबालिग के अभिभावक पर क्या दंड लगाया जा सकता है?

(A) केवल ₹1,000 का जुर्माना

(B) 6 माह का कारावास और ₹5,000 जुर्माना

(C) 3 वर्ष तक का कारावास, ₹25,000 जुर्माना और 1 वर्ष के लिए वाहन का पंजीकरण रद्द होना

(D) केवल वाहन की स्थायी जब्ती

- **सही उत्तर: (C)**
- **विस्तृत व्याख्या: धारा 199A** के अंतर्गत अभिभावक/वाहन स्वामी को दोषी माना जाएगा तथा **3 वर्ष तक कारावास और ₹25,000 जुर्माना**, वाहन का पंजीकरण 1 वर्ष के लिए रद्द और नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस के अयोग्य घोषित किया जाएगा (**Motor Vehicles Act, India Code**)।

अभ्यास प्रश्न #49 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 49. [UP Police SI — मानसिक अभिरुचि केस स्टडी] आप एक पुलिस थाने के प्रभारी (SHO) हैं। रात्रि 11 बजे एक महिला आपके थाने में आकर रिपोर्ट करती है कि उसके साथ पड़ोसी जिले की सीमा में लूट और मारपीट हुई है। BNSS 2023 के प्रावधानों के तहत आपका सर्वप्रथम विधिक कर्तव्य क्या होगा?

(A) महिला को तुरंत पड़ोसी जिले के संबंधित पुलिस थाने में जाने की सलाह देना क्योंकि घटना आपके क्षेत्राधिकार की नहीं है

(B) सुबह होने का इंतजार करना और वरिष्ठ अधिकारियों से मौखिक आदेश लेना

(C) क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना BNSS की धारा 173(1) के अंतर्गत तत्काल 'Zero FIR' दर्ज करना, महिला को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना और फिर FIR को संबंधित थाने को स्थानांतरित करना

(D) केवल एक सादे कागज पर शिकायत लेकर महिला को घर भेज देना

- **सही उत्तर: (C)**
- **विस्तृत व्याख्या: BNSS की धारा 173(1)** के तहत पुलिस अधिकारी क्षेत्राधिकार के अभाव के आधार पर संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता; उसे तत्काल **Zero FIR** दर्ज कर आवश्यक प्राथमिक सहायता देनी होगी (**BNSS 2023, India Code**)।

अभ्यास प्रश्न #50 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 50. [UP Police SI — मानसिक अभिरुचि केस स्टडी] आपके थाना क्षेत्र में एक जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच अचानक पथराव और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के रूप में आपकी सबसे उपयुक्त प्राथमिक कार्यवाही क्या होनी चाहिए?

(A) बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर तुरंत गोलियां चलाने का आदेश देना

(B) पुलिस बल को वापस बुलाकर स्थिति के स्वतः शांत होने की प्रतीक्षा करना

(C) अतिरिक्त पुलिस बल को अलर्ट करते हुए दोनों पक्षों को ध्वनि विस्तारक यंत्र (Loudspeaker) से चेतावनी देना, शांति समिति के प्रमुख लोगों के सहयोग से संवाद स्थापित करना और आवश्यकता पड़ने पर न्यूनतम एवं क्रमिक बल का प्रयोग कर उपद्रवियों को तितर-बितर करना

(D) केवल एक समुदाय के सभी लोगों को बिना जांच के गिरफ्तार कर लेना

- **सही उत्तर: (C)**
- **विस्तृत व्याख्या:** भीड़ नियंत्रण और कानून-व्यवस्था के मानक सिद्धांत (BNSS धारा 148-149) के अनुसार पुलिस को निष्पक्षता, चेतावनी और **न्यूनतम आवश्यक बल (Minimum Force)** के सिद्धांत का पालन करना चाहिए (**NCRB BNSS PDF**)।

अभ्यास प्रश्न #51 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 51. [RPF Rule 70/72 — पुलिस अभिरुचि] एक स्थानीय प्रभावशाली राजनेता का पुत्र शराब के नशे में तेजी से कार चलाते हुए एक राहगीर को घायल कर देता है। राजनेता आपको फोन करके मामले को रफा-दफा करने का दबाव बनाता है। आप क्या करेंगे?

(A) अपने करियर की सुरक्षा के लिए राजनेता की बात मानकर ड्राइवर को बदल देंगे

(B) मामले की जांच किसी कनिष्ठ अधिकारी को सौंपकर स्वयं छुट्टी पर चले जाएंगे

(C) विधि के शासन (Rule of Law) का पालन करते हुए तत्काल आरोपी का मेडिकल/अल्कोहल परीक्षण कराएंगे, वाहन जब्त करेंगे और संबंधित धाराओं में निष्पक्ष FIR दर्ज कर विधिक कार्यवाही करेंगे

(D) पीड़ित को पैसे लेकर समझौता करने की सलाह देंगे

- **सही उत्तर: (C)**
- **विस्तृत व्याख्या:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता) और पुलिस आचार संहिता के अनुसार किसी भी दबाव से मुक्त होकर त्वरित मेडिकल परीक्षण और साक्ष्य संकलन करना पुलिस अधिकारी का सर्वोच्च कर्तव्य है (**BNS 2023, India Code**)।

अभ्यास प्रश्न #52 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 52. [UP Police SI — विधीय अभिरुचि] आपके क्षेत्र में हत्या का एक गंभीर अपराध (जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा है) घटित हुआ है। BNSS 2023 की धारा 176(3) के अनुसार घटनास्थल पर पहुंचकर विवेचना अधिकारी (IO) को क्या करना अनिवार्य है?

(A) केवल दो स्थानीय गवाहों के अंगूठे का निशान लेकर शव को हटा देना

(B) घटनास्थल को सुरक्षित (Cordoned off) करना, फॉरेंसिक विशेषज्ञ (Forensic Expert) को बुलाकर साक्ष्य एकत्र कराना और पूरी प्रक्रिया की मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से वीडियोग्राफी करना

(C) फॉरेंसिक टीम के बिना स्वयं ही सारे निशान साफ कर देना

(D) केवल पंचनामा बनाकर फाइल बंद कर देना

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या: BNSS की धारा 176(3)** में 7 वर्ष या अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण और उसकी वीडियोग्राफी करना अनिवार्य विधिक बाध्यता है (**PRS India BNSS**)।

अभ्यास प्रश्न #53 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 53. [Delhi Police / UP Police SI] किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार करने के संबंध में BNSS 2023 की धारा 43(5) (पूर्व CrPC धारा 46(4)) का सही विधिक नियम क्या है?

(A) महिला को रात में किसी भी परिस्थिति में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता

(B) असाधारण परिस्थितियों में, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC) की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करके ही सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तारी की जा सकती है

(C) केवल थाना प्रभारी के मौखिक आदेश से पुरुष कांस्टेबल द्वारा रात में गिरफ्तारी की जा सकती है

(D) ग्राम प्रधान की अनुमति से रात में गिरफ्तारी की जा सकती है

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या: BNSS की धारा 43(5)** के अनुसार असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और जहाँ ऐसी असाधारण परिस्थिति हो वहाँ महिला पुलिस अधिकारी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करेगी (**BNSS 2023, India Code**)।

अभ्यास प्रश्न #54 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 54. [UP Police SI / CLAT] भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 की किस धारा के अंतर्गत यह उपधारणा (Presumption) की जाती है कि यदि किसी विवाहित महिला की विवाह के 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होती है और मृत्यु से कुछ पूर्व उसे दहेज के लिए क्रूरता का शिकार बनाया गया था, तो ऐसी दहेज मृत्यु उसके पति या रिश्तेदार ने कारित की है?

(A) धारा 104

(B) धारा 115

(C) धारा 118

(D) धारा 120

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** पुराने साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B (दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा) अब **BSA 2023 की धारा 118** है, जबकि आत्महत्या के दुष्प्रेरण की उपधारणा (पूर्व 113A) अब **धारा 117** में है (**BSA 2023, India Code**)।

अभ्यास प्रश्न #55 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 55. [UP Police SI / RPF SI] BNS 2023 की किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि कोई लोक सेवक कानून के तहत संज्ञेय अपराध (विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध अपराध जैसे धारा 64-71, 74-79 या 124) की सूचना को दर्ज करने से जानबूझकर इनकार करता है, तो वह कठोर कारावास से दंडनीय होगा?

(A) धारा 198

(B) धारा 199

(C) धारा 200

(D) धारा 217

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या:** पुरानी IPC की धारा 166A के समतुल्य **BNS 2023 की धारा 199** के अनुसार, महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराधों में FIR दर्ज न करने वाले लोक सेवक को **न्यूनतम 6 माह से 2 वर्ष तक के कठिन कारावास** और जुर्माने से दंडित किया जाएगा (**NCRB BNS PDF**)।

अभ्यास प्रश्न #56 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 56. [UP Police SI / CAPF] BNS 2023 की धारा 200 (पूर्व IPC धारा 166B) के अनुसार, यदि कोई सरकारी या निजी अस्पताल एसिड अटैक या बलात्कार की पीड़िता को निःशुल्क एवं तत्काल प्राथमिक चिकित्सा (First Aid / Medical Treatment) उपलब्ध कराने से इनकार करता है, तो अस्पताल के प्रभारी को कितना दंड हो सकता है?

(A) केवल ₹1,000 का जुर्माना

(B) 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों

(C) 5 वर्ष का कठिन कारावास

(D) केवल अस्पताल का लाइसेंस निलंबन

• **सही उत्तर: (B)**

• **विस्तृत व्याख्या: BNS की धारा 200** (सहपठित BNSS धारा 397) के अंतर्गत पीड़िता का निःशुल्क उपचार न करने पर अस्पताल के प्रभारी को **1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों** से दंडित किया जा सकता है (**BNS 2023, India Code**)।

अभ्यास प्रश्न #57 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 57. [UP Police SI — पुलिस अभिरुचि] 'सामुदायिक पुलिसिंग' (Community Policing) का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है?

(A) नागरिकों में पुलिस के प्रति भय और आतंक पैदा करना

(B) पुलिस के सभी विधिक अधिकार स्थानीय नागरिकों को सौंप देना

(C) पुलिस और आम नागरिकों के बीच आपसी विश्वास व संवाद बढ़ाकर अपराधों की रोकथाम और सामाजिक सुरक्षा में जन-सहभागिता सुनिश्चित करना

(D) केवल यातायात चालान की संख्या बढ़ाना

• **सही उत्तर: (C)**

• **विस्तृत व्याख्या:** सामुदायिक पुलिसिंग का मूल दर्शन 'पुलिस ही जनता है और जनता ही पुलिस है' पर आधारित है, जिसका उद्देश्य जन-सहयोग और विश्वास द्वारा अपराध नियंत्रण करना है (**गृह मंत्रालय**)।

अभ्यास प्रश्न #58 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 58. [Delhi Police / UP Police SI] BNSS 2023 की धारा 346 के अनुसार, आपराधिक विचारण (Criminal Trial) में अनावश्यक देरी को रोकने के लिए किसी पक्षकार के अनुरोध पर न्यायालय द्वारा अधिकतम कितनी बार स्थगन (Adjournment) दिया जा सकता है?

(A) केवल 1 बार

(B) अधिकतम 2 बार

(C) अधिकतम 5 बार

(D) कितनी भी बार

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या: BNSS की धारा 346(2) के परंतु** में प्रावधान किया गया है कि परिस्थितियों के नियंत्रण से बाहर होने पर भी किसी पक्ष के अनुरोध पर **अधिकतम 2 बार से अधिक स्थगन (Adjournment)** नहीं दिया जाएगा (NCRB BNSS PDF)।

अभ्यास प्रश्न #59 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 59. [UP Police SI / RPF Rule 70] भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 310 के अनुसार, 'लूट' (Robbery) का अपराध 'डकैती' (Dacoity) कब बन जाता है?

(A) जब लूट रात के समय राजमार्ग पर की जाए

(B) जब लूट करने या लूट का प्रयत्न करने में 2 या अधिक व्यक्ति शामिल हों

(C) जब 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं

(D) जब लूटी गई संपत्ति का मूल्य ₹1 लाख से अधिक हो

- **सही उत्तर: (C)**
- **विस्तृत व्याख्या: BNS की धारा 310(1)** (पूर्व IPC धारा 391) के अनुसार जब **5 या अधिक व्यक्ति** संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, तो वहां उपस्थित और सहायता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा 'डकैती' किया जाना कहा जाता है (BNS 2023, India Code)।

अभ्यास प्रश्न #60 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 60. [UP Police SI / CLAT] भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी अपराध के अस्तित्व को साबित करने का प्राथमिक 'सबूत का भार' (Burden of Proof) उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय उसके पक्ष में निर्णय दे?

(A) धारा 101

(B) धारा 104

(C) धारा 109

(D) धारा 122

- **सही उत्तर: (B)**
- **विस्तृत व्याख्या:** पुराने साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 (सबूत का भार / Burden of Proof) अब **भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 की धारा 104** है (BSA 2023, India Code)।

यह खंड 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में लागू तीन नवीन आपराधिक कानूनों—**भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS - indiacode.nic.in)**, **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS - indiacode.nic.in)** तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA)—के साथ-साथ पुलिस अधिनियम 1861, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, पॉक्सो अधिनियम 2012 और मानवाधिकार संरक्षण विधि का **IUC Academy (www.iucacademy.com)** के पुलिस, उप-निरीक्षक (SI), न्यायिक सेवा एवं विभागीय परीक्षाओं के अभ्यर्थियों हेतु गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

21.1 मुख्य वैधानिक परिवर्तन एवं संरचनात्मक सारांश

• **अधिनियमन एवं प्रवर्तन तिथि:** तीनों नवीन आपराधिक संहिताओं को संसद से पारित होने के पश्चात 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और गृह मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा ये **1 जुलाई 2024** से संपूर्ण भारत में प्रभावी हुए (**indiacode.nic.in**)।

• **औपनिवेशिक कानूनों का प्रतिस्थापन:**

• भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC - 511 धाराएँ) के स्थान पर **भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS - 20 अध्याय, 358 धाराएँ; अधिनियम संख्या 45/2023)**।

• दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC - 484 धाराएँ) के स्थान पर **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS - 39 अध्याय, 531 धाराएँ, 2 अनुसूचियाँ; अधिनियम संख्या 46/2023)**।

• भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA - 167 धाराएँ) के स्थान पर **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA - 12 अध्याय, 170 धाराएँ, 1 अनुसूची; अधिनियम संख्या 47/2023)**।

• **दंड के प्रकारों में ऐतिहासिक नवाचार (BNS धारा 4):** मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कठोर व सादा कारावास, संपत्ति का समपहरण और अर्थदंड (जुर्माना) के साथ प्रथम बार छोटे अपराधों में सुधारवादी न्याय के तहत **'सामुदायिक सेवा' (Community Service)** को छठे वैधानिक दंड के रूप में जोड़ा गया है।

• **महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों को सर्वोच्च प्राथमिकता:** BNS के **अध्याय 5 (धारा 63 से 99)** में महिलाओं एवं बालकों के विरुद्ध अपराधों को संकलित कर संहिता के प्रारंभिक भाग में स्थान दिया गया है।

21.2 विस्तृत तुलनात्मक सारणियाँ

सारणी 21.1: भारतीय दंड संहिता (IPC 1860) बनाम भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) की प्रमुख धाराओं का तुलनात्मक मानचित्रण

स्रोत: **इंडिया कोड डिजिटल रिपॉजिटरी — भारतीय न्याय संहिता, 2023 (indiacode.nic.in)**

अपराध / विधिक प्रावधान का विषय	पूर्ववर्ती IPC 1860 की धारा	नवीन BNS 2023 की धारा	दंड प्रावधान एवं प्रमुख विधिक परिवर्तन
परिभाषाएँ (Definitions - लिंग, लोक सेवक, दस्तावेज आदि)	धारा 8 से 52A (अलग-अलग धाराएँ)	धारा 2 (उप-धारा 1 से 39 तक एकीकृत)	सभी परिभाषाओं को वर्णानुक्रम में धारा 2 के अंतर्गत समेकित किया गया है
दंड के प्रकार (Punishments)	धारा 53 (5 प्रकार के दंड)	धारा 4 (6 प्रकार के दंड)	छठे दंड के रूप में 'सामुदायिक सेवा' (Community Service) का समावेश
सामान्य आशय (Common Intention)	धारा 34	धारा 3(5)	कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया आपराधिक कार्य
निजी प्रतिरक्षा का अधिकार (Right of Private Defence)	धारा 96 से 106	धारा 34 से 44	शरीर एवं संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमाएँ व विस्तार
बलात्कार (Rape) एवं उसकी परिभाषा व दंड	धारा 375 (परिभाषा) व धारा 376 (दंड)	धारा 63 (परिभाषा) व धारा 64 (दंड)	न्यूनतम 10 वर्ष का कठोर कारावास, जो आजीवन कारावास तक हो सकता है + जुर्माना
सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) एवं नाबालिग से अपराध	धारा 376D / 376DB	धारा 70(1) एवं धारा 70(2)	18 वर्ष से कम आयु की बालिका से सामूहिक बलात्कार (धारा 70(2)) में आजीवन कारावास या मृत्युदंड

अपराध / विधिक प्रावधान का विषय	पूर्ववर्ती IPC 1860 की धारा	नवीन BNS 2023 की धारा	दंड प्रावधान एवं प्रमुख विधिक परिवर्तन
विवाह का झूठा वचन देकर या पहचान छिपाकर यौन संबंध	स्पष्ट पृथक धारा नहीं थी	धारा 69 (नवीन प्रावधान)	रोजगार/पदोन्नति/विवाह के कपटपूर्ण वचन या पहचान छिपाने पर 10 वर्ष तक कारावास
आपराधिक मानव वध (Culpable Homicide) व हत्या (Murder)	धारा 299 (मानव वध) व धारा 300 (हत्या)	धारा 100 (मानव वध) व धारा 101 (हत्या)	हत्या की परिभाषा धारा 101 में तथा आपराधिक मानव वध की परिभाषा धारा 100 में है
हत्या के लिए दंड एवं भीड़ द्वारा हत्या (Mob Lynching)	धारा 302 (हत्या का दंड)	धारा 103(1) व धारा 103(2) (मॉब लिंचिंग)	5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर हत्या (धारा 103(2)) में मृत्युदंड या आजीवन कारावास
उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना (Hit and Run सहित)	धारा 304A (2 वर्ष तक कारावास)	धारा 106(1) एवं धारा 106(2)	उतावलेपन या उपेक्षा से मृत्यु पर 5 वर्ष तक कारावास; चिकित्सक के मामले में 2 वर्ष तक
संगठित अपराध (Organised Crime)	केंद्रीय संहिता में पृथक धारा नहीं थी	धारा 111 (नवीन प्रावधान)	अपहरण, सुपारी किलिंग, साइबर अपराध, मानव तस्करी सिंडिकेट पर मृत्युदंड/आजीवन कारावास (मृत्यु होने पर)
आतंकवादी कृत्य (Terrorist Act)	सामान्य दंड संहिता में नहीं (केवल UAPA में)	धारा 113 (नवीन प्रावधान)	भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता या आर्थिक सुरक्षा को संकट में डालने वाले कृत्य पर कठोर दंड
राजद्रोह का विलोपन एवं देशद्रोह (Treason / संप्रभुता के विरुद्ध अपराध)	धारा 124A (राजद्रोह - Sedition)	धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता को खतरे में डालना)	औपनिवेशिक 'राजद्रोह' शब्द समाप्त; अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह व विध्वंसक गतिविधियों पर आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक सजा
मानहानि (Defamation)	धारा 499 (परिभाषा) व धारा 500 (दंड)	धारा 356(1) व धारा 356(2)	2 वर्ष तक सादा कारावास या जुर्माना अथवा दोनों, या सामुदायिक सेवा का दंड
चोरी (Theft), झपटमारी (Snatching), लूट (Robbery) व डकैती	धारा 378/379 (चोरी), 390 (लूट), 391 (डकैती)	धारा 303 (चोरी), धारा 304 (झपटमारी), 309 (लूट), 310 (डकैती)	चेन/मोबाइल स्नैचिंग (झपटमारी) को धारा 304 में पृथक संज्ञेय अपराध बनाया गया (3 वर्ष तक कारावास)
छल / धोखाधड़ी (Cheating)	धारा 415 (परिभाषा) व धारा 420 (दंड)	धारा 318(1) से 318(4)	बेईमानी से संपत्ति परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करने (पूर्व धारा 420) पर धारा 318(4) में 7 वर्ष तक कारावास

सारणी 21.2: दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC 1973) बनाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) के प्रक्रियात्मक सुधार

स्रोत: इंडिया कोड पोर्टल — भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (indiacode.nic.in)

प्रक्रियात्मक प्रावधान	पूर्ववर्ती CrPC 1973 की धारा	नवीन BNSS 2023 की धारा	पुलिस विवेचना एवं न्यायिक प्रक्रिया में प्रमुख सुधार
संज्ञेय व असंज्ञेय अपराध की परिभाषा	धारा 2(c) एवं धारा 2(l)	धारा 2(1)(g) एवं धारा 2(1)(o)	इलेक्ट्रॉनिक संचार (धारा 2(1)(i)) और ऑडियो-वीडियो माध्यमों को वैधानिक मान्यता
पुलिस द्वारा बिना वारंट गिरफ्तारी	धारा 41 एवं धारा 41A (नोटिस)	धारा 35 (उप-धारा 1 से 7)	3 वर्ष से कम दंडनीय अपराध में 60 वर्ष से अधिक आयु के या अशक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु DSP स्तर के अधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य (धारा 35(7))
हथकड़ी लगाने के नियम (Handcuffing)	स्पष्ट धारा नहीं (न्यायिक निर्देशों पर आधारित)	धारा 43(3)	आदतन अपराधी, हिरासत से भागने वाले, संगठित अपराध, आतंकवाद, ड्रग्स, हत्या, बलात्कार या एसिड अटैक के अभियुक्त को हथकड़ी लगाने का स्पष्ट अधिकार
गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा जाँच	धारा 53 एवं धारा 54	धारा 51 एवं धारा 53	पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अविलंब जाँच व रिपोर्ट
गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे से अधिक निरोध का निषेध	धारा 57	धारा 58	यात्रा के समय को छोड़कर मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक पुलिस अभिरक्षा वर्जित
लोक व्यवस्था व न्यूसेंस हटाने हेतु निषेधाज्ञा (धारा 144)	धारा 144	धारा 163	न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अत्यावश्यक मामलों में जिला मजिस्ट्रेट/एसडीएम द्वारा निषेधाज्ञा जारी करना

प्रक्रियात्मक प्रावधान	पूर्ववर्ती CrPC 1973 की धारा	नवीन BNSS 2023 की धारा	पुलिस विवेचना एवं न्यायिक प्रक्रिया में प्रमुख सुधार
संज्ञेय अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)	धारा 154	धारा 173	**जीरो एफआईआर (Zero FIR)** और **ई-एफआईआर (e-FIR)** को वैधानिक दर्जा (ई-एफआईआर पर 3 दिन के भीतर सूचनादाता के हस्ताक्षर आवश्यक); 3 से 7 वर्ष के अपराध में DSP की अनुमति से 14 दिन में प्रारंभिक जाँच
पुलिस अभिरक्षा (Police Remand) व डिफ़ॉल्ट बेल	धारा 167	धारा 187	कुल 60/90 दिनों की न्यायिक हिरासत अवधि के भीतर प्रथम 40 दिनों या 60 दिनों के दौरान किस्तों में भी अधिकतम 15 दिन की पुलिस रिमांड ली जा सकती है
विवेचना पूर्ण होने पर पुलिस रिपोर्ट (चार्जशीट)	धारा 173	धारा 193	पीड़ित/सूचनादाता को 90 दिनों के भीतर विवेचना की प्रगति से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अवगत कराना अनिवार्य
तलाशी एवं जब्ती की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग	अनिवार्य नहीं था	धारा 105 एवं धारा 185	पुलिस द्वारा किसी भी स्थान की तलाशी और जब्ती (Search & Seizure) की मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य
फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन की अनिवार्यता	अनिवार्य नहीं था	धारा 176(3)	**7 वर्ष या उससे अधिक कारावास** से दंडनीय सभी अपराधों में अपराध स्थल पर फॉरेंसिक विशेषज्ञ (FSL टीम) का जाना और साक्ष्य संकलन अनिवार्य
भगोड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में विचारण	पूर्ण विचारण व दंड का प्रावधान नहीं था	धारा 356 (Trial in Absentia)	घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) के न्याय से बचने पर उसकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाकर निर्णय सुनाने का अधिकार
विचाराधीन कैदियों की अधिकतम निरोध अवधि व जमानत	धारा 436A	धारा 479	प्रथम बार के अपराधी (First-time offender) द्वारा अधिकतम दंड की **एक-तिहाई (1/3)** अवधि (अन्य के लिए आधी अवधि) जेल में पूरी करने पर न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहाई (आजीवन/मृत्युदंड को छोड़कर)
दया याचिका (Mercy Petition) की समय-सीमा	कोई वैधानिक समय-सीमा नहीं थी	धारा 472	मृत्युदंड की पुष्टि या अपील खारिज होने की सूचना के 30 दिनों के भीतर राष्ट्रपति/राज्यपाल के समक्ष दया याचिका दायर करने की समय-सीमा

सारणी 21.3: भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA) बनाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) एवं पुलिस विधि प्रावधान

स्रोत: इंडिया कोड पोर्टल — भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (indiacode.nic.in)

साक्ष्य विधि / पुलिस अधिनियम का विषय	पूर्ववर्ती IEA 1872 की धारा	नवीन BSA 2023 की धारा	विधिक प्रभाव एवं प्रमुख न्यायिक प्रावधान
दस्तावेज (Document) की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड	धारा 3	धारा 2(1)(d)	ई-मेल, सर्वर लॉग्स, स्मार्टफोन संदेश, लोकेशन डेटा व वॉइस मेल को 'दस्तावेज' की परिभाषा में शामिल किया गया
एक ही संव्यवहार का भाग बनने वाले तथ्य (Res Gestae)	धारा 6	धारा 4	सुसंगत तथ्यों का सिद्धांत: वे तथ्य जो विवाद्यक तथ्य से इस प्रकार जुड़े हैं कि एक ही संव्यवहार का भाग बनते हैं
हेतु, तैयारी और पूर्व या पश्चात्वर्ती आचरण (Motive & Conduct)	धारा 8	धारा 6	अपराध का उद्देश्य, तैयारी और अभियुक्त या पीड़ित का आचरण सुसंगत तथ्य होता है
पहचान परेड (Test Identification Parade - TIP)	धारा 9	धारा 7	किसी व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता (Identity) स्थापित करने वाले तथ्य सुसंगत हैं
पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति (Confession)	धारा 25 व धारा 26	धारा 23(1) व धारा 23(2)	पुलिस अधिकारी के समक्ष या पुलिस अभिरक्षा में (मजिस्ट्रेट की साक्षात् उपस्थिति के बिना) की गई कोई भी संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी
अभियुक्त से प्राप्त जानकारी से तथ्य की खोज (Discovery Statement)	धारा 27	धारा 23(2) का परंतु (Proviso)	पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त की सूचना के परिणामस्वरूप किसी वस्तु/तथ्य की बरामदगी होने पर सूचना का उतने ही भाग का साक्ष्य ग्राह्य है
मृत्युकालिक कथन (Dying Declaration)	धारा 32(1)	धारा 26(a)	किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण या उस संव्यवहार की परिस्थितियों के संबंध में किया गया कथन सुसंगत है
विशेषज्ञों की राय (Opinion of Experts - फॉरेंसिक व साइबर)	धारा 45 एवं 45A	धारा 39(1) एवं 39(2)	विदेशी विधि, विज्ञान, कला, हस्तलेख, अंगुलि-छाप तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक (धारा 39(2)) की राय सुसंगत है

साक्ष्य विधि / पुलिस अधिनियम का विषय	पूर्ववर्ती IEA 1872 की धारा	नवीन BSA 2023 की धारा	विधिक प्रभाव एवं प्रमुख न्यायिक प्रावधान
प्राथमिक साक्ष्य (Primary Evidence) में डिजिटल रिकॉर्ड	धारा 62	धारा 57 (स्पष्टीकरण 4 से 7)	उचित अभिरक्षा में रखे गए इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल रिकॉर्ड तथा वीडियो रिकॉर्डिंग को **प्राथमिक साक्ष्य** का दर्जा दिया गया
इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता एवं प्रमाणपत्र	धारा 65A एवं धारा 65B	धारा 61 एवं **धारा 63**	कंप्यूटर, मोबाइल या नेटवर्क डिवाइस से उत्पन्न आउटपुट की ग्राह्यता हेतु **धारा 63(4)** के तहत अनुसूची में निर्धारित प्रमाणपत्र (उपभोक्ता व विशेषज्ञ द्वारा) अनिवार्य

21.3 व्याख्या सहित उच्च-स्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रश्न 101 से 125)

अभ्यास प्रश्न #1 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 101. भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में औपनिवेशिक कानूनों को प्रतिस्थापित करने वाले तीन नए कानून—भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023—संपूर्ण देश में किस तिथि से लागू हुए?

- (क) 25 दिसंबर 2023
- (ख) 26 जनवरी 2024
- (ग) 1 जुलाई 2024
- (घ) 15 अगस्त 2024
- **सही उत्तर:** (ग) 1 जुलाई 2024
- **विस्तृत व्याख्या:** संसद के दोनों सदनों द्वारा दिसंबर 2023 में पारित होने और 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद गृह मंत्रालय की राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार तीनों नए आपराधिक कानून (BNS की धारा 106(2) को छोड़कर) 1 जुलाई 2024 से लागू हुए (**indiacode.nic.in**)।

अभ्यास प्रश्न #2 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 102. **भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS - indiacode.nic.in)** में कुल कितने अध्याय और कितनी धाराएँ हैं तथा इसकी किस धारा में दंड के छठे प्रकार के रूप में 'सामुदायिक सेवा' (Community Service) का प्रावधान किया गया है?

- (क) 20 अध्याय और 358 धाराएँ; धारा 4(च) में सामुदायिक सेवा का प्रावधान है
- (ख) 23 अध्याय और 511 धाराएँ; धारा 53 में सामुदायिक सेवा का प्रावधान है
- (ग) 39 अध्याय और 531 धाराएँ; धारा 10 में सामुदायिक सेवा का प्रावधान है
- (घ) 12 अध्याय और 170 धाराएँ; धारा 2 में सामुदायिक सेवा का प्रावधान है
- **सही उत्तर:** (क) 20 अध्याय और 358 धाराएँ; धारा 4(च) में सामुदायिक सेवा का प्रावधान है
- **विस्तृत व्याख्या:** पूर्ववर्ती IPC (23 अध्याय, 511 धाराएँ) के स्थान पर BNS 2023 में 20 अध्याय और 358 धाराएँ हैं। BNS की धारा 4 के अंतर्गत दंड के 6 प्रकार हैं—(क) मृत्युदंड, (ख) आजीवन कारावास, (ग) कारावास (कठोर या सादा), (घ) संपत्ति का समपहरण, (ङ) जुर्माना और (च) सामुदायिक सेवा (यह छोटे अपराधों जैसे लोक सेवक के कार्य में बाधा, आत्महत्या का प्रयास, ₹5,000 से कम की चोरी में संपत्ति लौटाने पर, नशे में उत्पात और मानहानि में लागू है) (**indiacode.nic.in**)।

अभ्यास प्रश्न #3 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 103. भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) में 'हत्या' (Murder) की परिभाषा और 'हत्या के लिए दंड' (जो पूर्व में IPC की धारा 300 और धारा 302 में थे) अब क्रमशः किन धाराओं में रखे गए हैं?

- (क) धारा 100 (हत्या की परिभाषा) और धारा 102 (हत्या का दंड)
- (ख) धारा 101 (हत्या की परिभाषा) और धारा 103 (हत्या का दंड)
- (ग) धारा 105 (हत्या की परिभाषा) और धारा 106 (हत्या का दंड)

• (घ) धारा 98 (हत्या की परिभाषा) और धारा 99 (हत्या का दंड)

• **सही उत्तर:** (ख) धारा 101 (हत्या की परिभाषा) और धारा 103 (हत्या का दंड)

• **विस्तृत व्याख्या:** BNS 2023 के अध्याय 6 (मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध) में धारा 100 'आपराधिक मानव वध' (पूर्व धारा 299), धारा 101 'हत्या की परिभाषा' (पूर्व धारा 300), धारा 103(1) 'हत्या के लिए दंड' (पूर्व धारा 302) और धारा 103(2) पाँच या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा नस्ल, जाति या समुदाय के आधार पर 'भीड़ द्वारा हत्या' (Mob Lynching) के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान करती है (indiacode.nic.in)।

अभ्यास प्रश्न #4 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 104. भारतीय न्याय संहिता, 2023 में किस नई धारा के अंतर्गत 'झपटमारी' (Snatching - जैसे गले से चेन या हाथ से मोबाइल फोन अचानक या बलपूर्वक छीनकर भागना) को चोरी से पृथक एक विशिष्ट संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध घोषित किया गया है?

• (क) धारा 303

• (ख) धारा 304

• (ग) धारा 309

• (घ) धारा 318

• **सही उत्तर:** (ख) धारा 304

• **विस्तृत व्याख्या:** पूर्ववर्ती IPC में चेन/मोबाइल स्नैचिंग के लिए कोई अलग धारा नहीं थी और इसे सामान्य चोरी (धारा 379) माना जाता था। BNS 2023 की धारा 303 में चोरी और **धारा 304** में 'झपटमारी' (Snatching) को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति से किसी जंगम संपत्ति को अचानक, त्वरित या बलपूर्वक छीनने पर 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना होगा (indiacode.nic.in)।

अभ्यास प्रश्न #5 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 105. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की किन दो नई धाराओं में क्रमशः 'संगठित अपराध' (Organised Crime) और 'आतंकवादी कृत्य' (Terrorist Act) को सामान्य दांडिक विधि का हिस्सा बनाया गया है?

• (क) धारा 111 (संगठित अपराध) और धारा 113 (आतंकवादी कृत्य)

• (ख) धारा 121 और धारा 124

• (ग) धारा 150 और धारा 152

• (घ) धारा 69 और धारा 70

• **सही उत्तर:** (क) धारा 111 (संगठित अपराध) और धारा 113 (आतंकवादी कृत्य)

• **विस्तृत व्याख्या:** BNS की धारा 111 में अपहरण, जबरन वसूली, सुपारी किलिंग, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध तथा मानव/मादक पदार्थ तस्करी के सिंडिकेट द्वारा किए गए 'संगठित अपराध' को दंडनीय बनाया गया है (मृत्यु होने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास व न्यूनतम ₹10 लाख जुर्माना)। वहीं धारा 113 में 'आतंकवादी कृत्य' को परिभाषित किया गया है और यह निर्धारित किया गया है कि इस धारा के तहत केस दर्ज करने का निर्णय पुलिस अधीक्षक (SP) के स्तर से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं लिया जाएगा (indiacode.nic.in)।

अभ्यास प्रश्न #6 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 106. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS - indiacode.nic.in) की किस धारा के अंतर्गत पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को अधिकारिता (Jurisdiction) के बाहर हुए संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर भी 'जीरो एफआईआर' (Zero FIR) तथा 'ई-एफआईआर' (e-FIR) दर्ज करने का वैधानिक दायित्व सौंपा गया है?

• (क) धारा 154

• (ख) धारा 173

• (ग) धारा 176

• (घ) धारा 193

• **सही उत्तर:** (ख) धारा 173

• **विस्तृत व्याख्या:** BNSS 2023 की धारा 173(1) (पूर्व CrPC धारा 154) के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना, चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में कारित हुआ हो, मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा दी जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक संचार (e-FIR) से दी गई सूचना को इसे देने वाले व्यक्ति द्वारा 3 दिनों के भीतर हस्ताक्षरित किए जाने पर रिकॉर्ड पर लिया जाएगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों (BNS धारा 64-71, 74-79, 124) में सूचना महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही अभिलिखित की जाएगी (**indiacode.nic.in**)।

अभ्यास प्रश्न #7 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 107. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 176(3) के अनुसार कितने वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों में पुलिस अधिकारी के लिए अपराध स्थल पर फॉरेंसिक विशेषज्ञ (Forensic Expert) को बुलाकर फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र कराना और उसकी वीडियोग्राफी करना अनिवार्य कर दिया गया है?

• (क) 3 वर्ष या उससे अधिक

• (ख) 5 वर्ष या उससे अधिक

• (ग) 7 वर्ष या उससे अधिक

• (घ) केवल मृत्युदंड से दंडनीय अपराधों में

• **सही उत्तर:** (ग) 7 वर्ष या उससे अधिक

• **विस्तृत व्याख्या:** वैज्ञानिक विवेचना और दोषसिद्धि दर (Conviction Rate) को बढ़ाने के लिए BNSS की धारा 176(3) में यह आज्ञापक प्रावधान किया गया है कि 7 वर्ष या उससे अधिक कारावास से दंडनीय प्रत्येक अपराध की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अपराध स्थल पर फॉरेंसिक विशेषज्ञों (FSL टीम) का भ्रमण सुनिश्चित करेगा और मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी (**indiacode.nic.in**)।

अभ्यास प्रश्न #8 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 108. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 173(3) के अंतर्गत कितने वर्ष की सजा वाले संज्ञेय अपराधों में थाना प्रभारी पुलिस उप-अधीक्षक (DSP) की पूर्व अनुमति से FIR दर्ज करने से पूर्व 14 दिनों के भीतर 'प्रारंभिक जाँच' (Preliminary Inquiry) कर सकता है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं?

• (क) 1 वर्ष से कम दंडनीय अपराधों में

• (ख) 3 वर्ष या उससे अधिक किंतु 7 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय अपराधों में

• (ग) 10 वर्ष से अधिक दंडनीय अपराधों में

• (घ) आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों में

• **सही उत्तर:** (ख) 3 वर्ष या उससे अधिक किंतु 7 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय अपराधों में

• **विस्तृत व्याख्या:** BNSS की धारा 173(3) के अनुसार जब संज्ञेय अपराध 3 वर्ष या अधिक किंतु 7 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय हो, तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी पुलिस उप-अधीक्षक (DSP) के स्तर के अधिकारी की पूर्व अनुमति लेकर 14 दिनों की अवधि के भीतर यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जाँच कर सकता है कि कार्यवाही करने के लिए प्रथम दृष्टया कोई मामला विद्यमान है या नहीं (**indiacode.nic.in**)।

अभ्यास प्रश्न #9 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 109. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) की किस धारा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेखों (जैसे मोबाइल डेटा, सीसीटीवी फुटेज, ई-मेल, सर्वर लॉग) को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र (जो पूर्व में IEA की धारा 65B में था) देना अनिवार्य है?

• (क) धारा 57

• (ख) धारा 61

• (ग) धारा 63 (विशेषतः धारा 63(4))

• (घ) धारा 65

• **सही उत्तर:** (ग) धारा 63 (विशेषतः धारा 63(4))

• **विस्तृत व्याख्या:** भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में कुल 170 धाराएँ हैं। इसकी धारा 57 इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को 'प्राथमिक साक्ष्य' (Primary Evidence) मानती है, धारा 61 यह स्पष्ट करती है कि केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में होने के कारण किसी साक्ष्य की ग्राह्यता से इनकार नहीं किया जाएगा, और **धारा 63** (पूर्व धारा 65B) कंप्यूटर आउटपुट की ग्राह्यता के लिए धारा 63(4) एवं अनुसूची के अनुसार उपयोगकर्ता और विशेषज्ञ के प्रमाणपत्र को अनिवार्य बनाती है (**indiacode.nic.in**)।

अभ्यास प्रश्न #10 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 110. भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की किस नई धारा के अंतर्गत 'विवाह, रोजगार या पदोन्नति का कपटपूर्ण वचन देकर अथवा पहचान छिपाकर' किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने को बलात्कार से पृथक एक विशिष्ट अपराध बनाया गया है?

• (क) धारा 64

• (ख) धारा 69

• (ग) धारा 74

• (घ) धारा 85

• **सही उत्तर:** (ख) धारा 69

• **विस्तृत व्याख्या:** BNS की धारा 69 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को कपटपूर्ण साधनों (Deceitful means—जिसमें रोजगार या पदोन्नति का झूठा प्रलोभन या अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर विवाह करना शामिल है) से या विवाह का ऐसा वचन देकर जिसे पूरा करने का उसका कोई इरादा नहीं है, उसके साथ मैथुन करता है (जो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता), तो उसे 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा (**indiacode.nic.in**)।

अभ्यास प्रश्न #11 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 111. भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) में बालक (Child) के दायित्व से संबंधित 'डोली इनकैपैक्स' (Doli Incapax — अपराध करने में अक्षम) का सिद्धांत किस धारा में है और इसकी आयु सीमा क्या है?

• (क) धारा 20 — 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है (तथा धारा 21 के अनुसार 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ वाले बालक का कार्य भी अपराध नहीं है)

• (ख) धारा 82 — 10 वर्ष से कम आयु का बालक

• (ग) धारा 15 — 14 वर्ष से कम आयु का बालक

• (घ) धारा 25 — 18 वर्ष से कम आयु का किशोर

• **सही उत्तर:** (क) धारा 20 — 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है (तथा धारा 21 के अनुसार 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ वाले बालक का कार्य भी अपराध नहीं है)

• **विस्तृत व्याख्या:** BNS के अध्याय 3 (साधारण अपवाद - धारा 14 से 44; जो पूर्व में IPC के अध्याय 4 की धारा 76 से 106 में थे) के अंतर्गत **धारा 20** (पूर्व धारा 82) 7 वर्ष से कम आयु के बालक को पूर्ण उन्मुक्ति (Absolute Immunity) देती है, जबकि **धारा 21** (पूर्व धारा 83) 7 से 12 वर्ष के बालक को सापेक्ष उन्मुक्ति देती है यदि उसने अपने आचरण की प्रकृति व परिणाम का निर्णय करने की परिपक्व समझ प्राप्त न की हो (**indiacode.nic.in**)।

अभ्यास प्रश्न #12 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 112. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 35(7) के अंतर्गत 3 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय किसी अपराध में किस श्रेणी के व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट गिरफ्तार करने से पूर्व पुलिस उप-अधीक्षक (DSP) स्तर के अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है?

• (क) जो व्यक्ति अशक्त (Infirm) है अथवा जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है

• (ख) जिसकी आयु 45 वर्ष से अधिक है

• (ग) जो सरकारी कर्मचारी है

• (घ) जो स्नातक विद्यार्थी है

• **सही उत्तर:** (क) जो व्यक्ति अशक्त (Infirm) है अथवा जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है

• **विस्तृत व्याख्या:** वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर रूप से बीमार/अशक्त व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा हेतु BNSS की धारा 35(7) में यह नया सुरक्षा कवच जोड़ा गया है कि 3 वर्ष से कम दंडनीय अपराध में ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी DSP से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जाएगी (**indiacode.nic.in**)।

अभ्यास प्रश्न #13 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 113. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की किस धारा के तहत प्रत्येक राज्य सरकार को प्रत्येक जिले और प्रत्येक पुलिस थाने में एक पुलिस अधिकारी को नामित करने का निर्देश दिया गया है, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम, पते और अपराध का विवरण डिजिटल और भौतिक रूप से प्रदर्शित करेगा?

• (क) धारा 37

• (ख) धारा 50

• (ग) धारा 60

• (घ) धारा 85

• **सही उत्तर:** (क) धारा 37

• **विस्तृत व्याख्या:** डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) के सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों को और सशक्त करते हुए BNSS की **धारा 37** के अंतर्गत प्रत्येक जिले व प्रत्येक पुलिस थाने में एक नामित पुलिस अधिकारी (जो सहायक उप-निरीक्षक/ASI के पद से नीचे का न हो) नियुक्त किया जाएगा, जो गिरफ्तार व्यक्तियों और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों का विवरण प्रमुख्यता से (डिजिटल मोड सहित) प्रदर्शित करेगा (**indiacode.nic.in**)।

अभ्यास प्रश्न #14 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 114. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 187 (पूर्व CrPC धारा 167) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा कुल 15 दिनों की 'पुलिस अभिरक्षा' (Police Custody / Remand) अब किस अवधि के भीतर अधिकृत की जा सकती है?

• (क) केवल गिरफ्तारी के प्रथम 15 दिनों के भीतर ही

• (ख) कुल 60 दिनों या 90 दिनों की विवेचना निरोध अवधि के भीतर क्रमशः **प्रथम 40 दिनों या प्रथम 60 दिनों** के दौरान किसी भी समय (एक साथ या टुकड़ों में कुल 15 दिन तक)

• (ग) कुल 90 दिनों तक लगातार पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है

• (घ) पुलिस अभिरक्षा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है

• **सही उत्तर:** (ख) कुल 60 दिनों या 90 दिनों की विवेचना निरोध अवधि के भीतर क्रमशः **प्रथम 40 दिनों या प्रथम 60 दिनों** के दौरान किसी भी समय (एक साथ या टुकड़ों में कुल 15 दिन तक)

• **विस्तृत व्याख्या:** पूर्ववर्ती CrPC की धारा 167 में पुलिस रिमांड केवल गिरफ्तारी के शुरुआती 15 दिनों में ही मिल सकती थी, जिसका लाभ उठाकर कई अभियुक्त शुरुआती 15 दिन अस्पताल में भर्ती हो जाते थे। BNSS की **धारा 187(2)** ने यह सुधार किया कि पुलिस अभिरक्षा कुल मिलाकर 15 दिन ही रहेगी, किंतु इसे 60 दिन की डिफ़ॉल्ट बेल अवधि वाले मामलों में प्रथम 40 दिनों के दौरान और 90 दिन की अवधि वाले गंभीर मामलों में प्रथम 60 दिनों के दौरान टुकड़ों में भी लिया जा सकता है (**indiacode.nic.in**)।

अभ्यास प्रश्न #15 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 115. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की किस नई धारा के अंतर्गत न्यायालय को अपराध से अर्जित संपत्ति (Proceeds of Crime) की पहचान, कुर्की (Attachment) और जब्ती कर पीड़ितों को आनुपातिक वितरण करने की शक्ति प्रदान की गई है?

• (क) धारा 107

• (ख) धारा 125

• (ग) धारा 144

• (घ) धारा 200

• **सही उत्तर:** (क) धारा 107

• **विस्तृत व्याख्या:** BNSS की **धारा 107** एक क्रांतिकारी नया प्रावधान है। इसके तहत विवेचना करने वाला पुलिस अधिकारी पुलिस अधीक्षक (SP) या पुलिस आयुक्त के अनुमोदन से अपराध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित संपत्ति की कुर्की के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है, और मजिस्ट्रेट कारण बताओ नोटिस के बाद या एकपक्षीय अंतरिम आदेश द्वारा संपत्ति कुर्क कर जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से पीड़ितों को वितरित करा सकता है (**indiacode.nic.in**)।

अभ्यास प्रश्न #16 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 116. भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) में 'चोरी' (धारा 303), 'उद्यापन / जबरन वसूली' (Extortion - धारा 308), 'लूट' (Robbery - धारा 309) और 'डकैती' (Dacoity - धारा 310) के संदर्भ में डकैती के अपराध के गठन के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है?

• (क) न्यूनतम 2 व्यक्ति

• (ख) न्यूनतम 4 व्यक्ति

• (ग) न्यूनतम 5 या अधिक व्यक्ति

• (घ) न्यूनतम 10 व्यक्ति

• **सही उत्तर:** (ग) न्यूनतम 5 या अधिक व्यक्ति

• **विस्तृत व्याख्या:** BNS की धारा 309 के अनुसार प्रत्येक लूट में या तो चोरी होती है या उद्यापन। धारा 310(1) (पूर्व IPC धारा 391) के अनुसार जब **पाँच या अधिक व्यक्ति** संयुक्त होकर लूट कारित करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, तो वहाँ उपस्थित और सहायता करने वाला प्रत्येक व्यक्ति 'डकैती' का अपराध करता है। इसके विपरीत 'विधिविरुद्ध जमाव' (Unlawful Assembly - BNS धारा 189) के लिए भी न्यूनतम 5 व्यक्ति और 'दंगा' (Affray - BNS धारा 194) के लिए न्यूनतम 2 व्यक्ति आवश्यक हैं (**indiacode.nic.in**)।

अभ्यास प्रश्न #17 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 117. पुलिस अधिनियम, 1861 (Police Act, 1861) की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के सामान्य कर्तव्यों (Duties of Police Officers) का वर्णन किया गया है और किस धारा के अंतर्गत प्रत्येक पुलिस अधिकारी को 'सदैव ड्यूटी पर' (Always on duty) माना जाता है?

• (क) धारा 23 (पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य) तथा धारा 22 (पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यरूढ़ माने जाएंगे और जिले के किसी भी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे)

• (ख) धारा 4 और धारा 5

• (ग) धारा 12 और धारा 15

• (घ) धारा 30 और धारा 34

• **सही उत्तर:** (क) धारा 23 (पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य) तथा धारा 22 (पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यरूढ़ माने जाएंगे और जिले के किसी भी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे)

• **विस्तृत व्याख्या:** **इंडिया कोड पोर्टल (indiacode.nic.in)** पर उपलब्ध पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी इस अधिनियम में अंतर्विष्ट सभी प्रयोजनों के लिए सदैव ड्यूटी पर माना जाएगा। धारा 23 में सक्षम प्राधिकारी के विधिपूर्ण आदेशों व वारंटों का निष्पादन, लोक शांति बनाए रखना, अपराधों का निवारण व पता लगाना तथा अपराधियों को पकड़ना उसके मुख्य कर्तव्य बताए गए हैं; वहीं धारा 7 में अधीनस्थ अधिकारियों के दंड/निलंबन और धारा 30 में लोक सभाओं व जुलूसों के विनियमन का प्रावधान है।

अभ्यास प्रश्न #18 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 118. सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक निर्णय में पुलिस सुधारों (Police Reforms) के लिए केंद्र और राज्यों को 'सात सूत्रीय बाध्यकारी दिशा-निर्देश' (जैसे राज्य सुरक्षा आयोग, पुलिस स्थापना बोर्ड, DGP का न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल, विवेचना और कानून-व्यवस्था का पृथक्करण, पुलिस शिकायत प्राधिकरण) जारी किए थे?

• (क) प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006)

• (ख) जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1994)

• (ग) ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2013)

• (घ) अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014)

• **सही उत्तर:** (क) प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006)

• **विस्तृत व्याख्या:** पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह की जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने 22 सितंबर 2006 को पुलिस बल को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने और जवाबदेह बनाने हेतु 7 निर्देश दिए। अन्य महत्वपूर्ण वादों में 'जोगिंदर कुमार वाद (1994)' मनमानी गिरफ्तारी पर रोक, 'डी.के. बसु वाद (1997)' हिरासत में यातना रोकने के 11 दिशा-निर्देश, 'ललिता कुमारी वाद (2013)' संज्ञेय अपराध में अनिवार्य FIR पंजीकरण तथा 'अर्नेश कुमार वाद (2014)' 7 वर्ष तक की सजा वाले मामलों में स्वत: गिरफ्तारी न कर नोटिस देने से संबंधित हैं (indiacode.nic.in)।

अभ्यास प्रश्न #19 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 119. 'लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012' (POCSO Act, 2012) किस तिथि से लागू हुआ, इसमें 'बालक' की आयु सीमा क्या है, और 2019 के संशोधन द्वारा प्रवेशन लैंगिक हमले (Aggravated Penetrative Sexual Assault) में अधिकतम दंड क्या किया गया?

• (क) 14 नवंबर 2012 से लागू; 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति 'बालक' है (लिंग-तटस्थ कानून); तथा गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमले (धारा 6) में न्यूनतम 20 वर्ष का कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास या **मृत्युदंड** का प्रावधान है

• (ख) 26 जनवरी 2013 से लागू; केवल 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाएँ शामिल हैं

• (ग) 2 अक्टूबर 2012 से लागू; अधिकतम दंड केवल 7 वर्ष का कारावास है

• (घ) 1 जुलाई 2015 से लागू; इसमें विशेष न्यायालय का कोई प्रावधान नहीं है

• **सही उत्तर:** (क) 14 नवंबर 2012 से लागू; 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति 'बालक' है (लिंग-तटस्थ कानून); तथा गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमले (धारा 6) में न्यूनतम 20 वर्ष का कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास या **मृत्युदंड** का प्रावधान है

• **विस्तृत व्याख्या:** पॉक्सो अधिनियम, 2012 बाल दिवस (14 नवंबर 2012) से प्रभावी हुआ। यह एक लिंग-तटस्थ (Gender-neutral) अधिनियम है जो 18 वर्ष से कम आयु के सभी बालक-बालिकाओं को संरक्षण देता है। इसकी धारा 19 व 21 के अनुसार अपराध की जानकारी होने पर पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई को सूचित करना अनिवार्य है (रिपोर्ट न करना दंडनीय है) और धारा 35 के तहत विशेष न्यायालय को अपराध के संज्ञान से 30 दिन में बालक का साक्ष्य तथा 1 वर्ष में विचारण पूरा करने का निर्देश है (indiacode.nic.in)।

अभ्यास प्रश्न #20 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 120. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act, 2000) की किन धाराओं में क्रमश: 'पहचान की चोरी' (Identity Theft), 'प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी' (Cheating by Personation using Computer Resource) और 'साइबर आतंकवाद' (Cyber Terrorism) के दंड का प्रावधान है?

• (क) धारा 66C (पहचान की चोरी - 3 वर्ष तक कारावास), धारा 66D (कंप्यूटर संसाधन द्वारा प्रतिरूपण से छल - 3 वर्ष तक कारावास) तथा धारा 66F (साइबर आतंकवाद - आजीवन कारावास तक)

• (ख) धारा 43, धारा 65 और धारा 66A

• (ग) धारा 70, धारा 72 और धारा 75

• (घ) धारा 67, धारा 67A और धारा 67B

• **सही उत्तर:** (क) धारा 66C (पहचान की चोरी - 3 वर्ष तक कारावास), धारा 66D (कंप्यूटर संसाधन द्वारा प्रतिरूपण से छल - 3 वर्ष तक कारावास) तथा धारा 66F (साइबर आतंकवाद - आजीवन कारावास तक)

• **विस्तृत व्याख्या:** इंडिया कोड पोर्टल (indiacode.nic.in) के अनुसार IT अधिनियम, 2000 (जो 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ और 2008 में संशोधित हुआ) की धारा 66 हैकिंग, धारा 66C किसी अन्य के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर/पासवर्ड के कपटपूर्ण उपयोग (पहचान की चोरी), धारा 66D फिशिंग/ऑनलाइन प्रतिरूपण द्वारा ठगी, धारा 66E निजता के उल्लंघन और धारा 66F साइबर आतंकवाद से संबंधित है। ध्यान रहे कि धारा 66A को सर्वोच्च न्यायालय ने 'श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015)' वाद में अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया था।

अभ्यास प्रश्न #21 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 121. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (2019 में संशोधित) के अनुसार 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' (NHRC) के अध्यक्ष की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है?

• (क) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6-सदस्यीय चयन समिति (जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष के नेता तथा राज्यसभा के उपसभापति शामिल होते हैं) की सिफारिश पर; कार्यकाल **3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु** (जो भी पहले हो) तथा वे पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं

• (ख) भारत के मुख्य न्यायाधीश की एकल सिफारिश पर; कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु

• (ग) केंद्रीय विधि मंत्री की सिफारिश पर; कार्यकाल 6 वर्ष

• (घ) संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर; कार्यकाल 4 वर्ष

• **सही उत्तर:** (क) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6-सदस्यीय चयन समिति (जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष के नेता तथा राज्यसभा के उपसभापति शामिल होते हैं) की सिफारिश पर; कार्यकाल **3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु** (जो भी पहले हो) तथा वे पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं

• **विस्तृत व्याख्या:** 12 अक्टूबर 1993 को गठित NHRC में 2019 के संशोधन अधिनियम द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए: अब भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी पूर्व न्यायाधीश इसके अध्यक्ष बन सकते हैं; कार्यकाल को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष (या 70 वर्ष की आयु) कर दिया गया और सदस्यों को पुनर्नियुक्ति का पात्र बनाया गया (**indiacode.nic.in**)।

अभ्यास प्रश्न #22 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 122. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) में निर्णय सुनाए जाने की समय-सीमा (धारा 258) और आरोप विरचित (Framing of Charge - धारा 251) किए जाने की समय-सीमा क्या निर्धारित की गई है?

• (क) प्रथम सुनवाई की तिथि से **60 दिनों के भीतर** आरोप तय (Frame of Charge) करना होगा, तथा बहस समाप्त होने के **30 दिनों के भीतर** (विशेष कारण अभिलिखित कर अधिकतम 45 दिनों में) निर्णय सुनाना होगा

• (ख) आरोप तय करने की समय-सीमा 1 वर्ष और निर्णय सुनाने की समय-सीमा 6 माह है

• (ग) कोई भी समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है

• (घ) बहस समाप्त होने के 90 दिनों के भीतर निर्णय सुनाना होगा

• **सही उत्तर:** (क) प्रथम सुनवाई की तिथि से **60 दिनों के भीतर** आरोप तय (Frame of Charge) करना होगा, तथा बहस समाप्त होने के **30 दिनों के भीतर** (विशेष कारण अभिलिखित कर अधिकतम 45 दिनों में) निर्णय सुनाना होगा

• **विस्तृत व्याख्या:** त्वरित न्याय (Speedy Trial) सुनिश्चित करने के लिए BNSS 2023 में सख्त समय-सीमाएँ बांधी गई हैं: आरोप पर प्रथम सुनवाई से 60 दिन में आरोप तय करना (धारा 251), अभियुक्त द्वारा उन्मोचन (Discharge) आवेदन आरोपपत्र की प्रति मिलने से 60 दिन में लगाना, विचारण में किसी पक्ष को अधिकतम 2 स्थगन (Adjournments - धारा 346) देना, और बहस पूरी होने के 30 दिन (अधिकतम 45 दिन) में निर्णय सुनाकर 7 दिन के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना (धारा 258) (**indiacode.nic.in**)।

अभ्यास प्रश्न #23 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 123. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 [SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989] के अंतर्गत दर्ज अपराधों की विवेचना (Investigation) किस स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है और आरोपपत्र दाखिल करने की समय-सीमा क्या है?

• (क) पुलिस उप-अधीक्षक (DSP / सहायक पुलिस आयुक्त - ACP) से अनिम्न श्रेणी के पुलिस अधिकारी द्वारा; तथा विवेचना पूर्ण कर **60 दिनों के भीतर** विशेष न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल करना अनिवार्य है

• (ख) पुलिस कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल द्वारा; 180 दिनों में

• (ग) तहसीलदार द्वारा; 90 दिनों में

• (घ) ग्राम पंचायत सचिव द्वारा; 30 दिनों में

• **सही उत्तर:** (क) पुलिस उप-अधीक्षक (DSP / सहायक पुलिस आयुक्त - ACP) से अनिम्न श्रेणी के पुलिस अधिकारी द्वारा; तथा विवेचना पूर्ण कर **60 दिनों के भीतर** विशेष न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल करना अनिवार्य है

• **विस्तृत व्याख्या:** SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (जो 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ और 2015 व 2018 में संशोधित हुआ) के नियम 7 के अनुसार इस अधिनियम के तहत अपराधों की विवेचना DSP से कम रैंक के अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी और विवेचना 60 दिनों में पूर्ण की जाएगी। इसकी

धारा 18 के अनुसार इस अधिनियम के अपराधों में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail - BNSS धारा 482 / पूर्व CrPC धारा 438) के प्रावधान लागू नहीं होते (**indiacode.nic.in**)।

अभ्यास प्रश्न #24 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 124. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) की धारा 23 (पूर्व IEA धारा 25, 26 एवं 27) के अनुसार पुलिस अभिरक्षा में किसी अभियुक्त द्वारा दिए गए कथन का कितना भाग न्यायालय में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य (Admissible) होता है?

• (क) अभियुक्त द्वारा पुलिस अधिकारी को दिया गया संपूर्ण अपराध स्वीकारोक्ति कथन ग्राह्य होता है

• (ख) केवल उतना भाग (चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आता हो या नहीं) जो अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप **किसी तथ्य के पता चलने (Discovery of Fact / Recovery)** से स्पष्टतः संबंधित है

• (ग) पुलिस अभिरक्षा में दिया गया कोई भी कथन या बरामदगी किसी भी परिस्थिति में ग्राह्य नहीं है

• (घ) केवल सह-अभियुक्त के विरुद्ध किया गया मौखिक कथन ग्राह्य है

• **सही उत्तर:** (ख) केवल उतना भाग (चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आता हो या नहीं) जो अभियुक्त से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप **किसी तथ्य के पता चलने (Discovery of Fact / Recovery)** से स्पष्टतः संबंधित है

• **विस्तृत व्याख्या:** भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 23(1) के अनुसार पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति साबित नहीं की जाएगी, और धारा 23(2) के अनुसार पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए मजिस्ट्रेट की साक्षात् उपस्थिति के बिना की गई संस्वीकृति भी अग्राह्य है। किंतु धारा 23(2) के **परंतु (Proviso)** (पूर्व धारा 27) के अनुसार यदि अभियुक्त की सूचना के परिणामस्वरूप किसी भौतिक वस्तु (जैसे हत्या में प्रयुक्त हथियार या चोरी का सामान) या तथ्य की खोज होती है, तो सूचना का केवल उतना भाग साबित किया जा सकेगा जो उस तथ्य की खोज से सीधे संबंधित है (**indiacode.nic.in**)।

अभ्यास प्रश्न #25 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 125. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (Dowry Prohibition Act, 1961) तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) में 'दहेज मृत्यु' (Dowry Death) और 'पति या उसके नातेदारों द्वारा महिला के प्रति क्रूरता' के प्रावधान क्रमशः किन धाराओं में वर्णित हैं?

• (क) BNS की **धारा 80** में दहेज मृत्यु (विवाह के 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु व दहेज प्रताड़ना; न्यूनतम 7 वर्ष से आजीवन कारावास) तथा **धारा 85** में पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (पूर्व IPC धारा 304B एवं धारा 498A)

• (ख) BNS की धारा 100 और धारा 105 में

• (ग) BNS की धारा 302 और धारा 307 में

• (घ) BNS की धारा 150 और धारा 155 में

• **सही उत्तर:** (क) BNS की **धारा 80** में दहेज मृत्यु (विवाह के 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु व दहेज प्रताड़ना; न्यूनतम 7 वर्ष से आजीवन कारावास) तथा **धारा 85** में पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (पूर्व IPC धारा 304B एवं धारा 498A)

• **विस्तृत व्याख्या:** BNS 2023 के अध्याय 5 के अंतर्गत विवाह संबंधी अपराधों को धारा 80 से 87 में रखा गया है। **धारा 80** (पूर्व IPC धारा 304B) 'दहेज मृत्यु' से संबंधित है (जिसके साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 118 में दहेज मृत्यु के बारे में न्यायालय की बाध्यकारी उपधारणा जुड़ी है), तथा **धारा 85 व 86** (पूर्व IPC धारा 498A) पति या उसके नातेदारों द्वारा स्त्री के प्रति क्रूरता (3 वर्ष तक कारावास और जुर्माना) को दंडनीय बनाती हैं (**indiacode.nic.in**)।

संदर्भ स्रोत: इंडिया कोड — भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, इंडिया कोड — भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023, इंडिया कोड — भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023, तथा पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — तीन नए आपराधिक कानूनों की मुख्य विशेषताएं।

भाग (क): 5 नए उन्नत गहन अध्ययन मॉड्यूल (5 Advanced Deep-Dive Modules)

अध्याय 1: औपनिवेशिक दंड विधान से 'न्याय-केंद्रित' व्यवस्था की ओर — IPC 1860 बनाम BNS 2023 का संरचनात्मक विश्लेषण

सैद्धांतिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण:

प्रथम विधि आयोग (1834 — लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता) द्वारा तैयार **भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC — 511 धाराएं व 23 अध्याय)** का मूल दर्शन ब्रिटिश औपनिवेशिक 'दंड' (Penal/Control) पर आधारित था। संसद द्वारा दिसंबर 2023 में पारित, 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त और **1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में लागू** (NCERT BNS Module) **भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS — अधिनियम संख्या 45/2023)** में कुल **358 धाराएं और 20 अध्याय** हैं (Vikaspedia BNS Overview)।

BNS 2023 के क्रांतिकारी बदलाव:

1. **महिलाओं एवं बच्चों को सर्वोच्च प्राथमिकता:** IPC में जहां राजद्रोह और राज्य के विरुद्ध अपराध पहले रखे गए थे, वहीं BNS के **अध्याय V (धारा 63 से 99)** में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को सबसे आगे समेकित किया गया है।

2. **दंड का छठा नया प्रकार — 'सामुदायिक सेवा' (Community Service):** BNS की **धारा 4(f)** में मृत्युदंड, आजीवन कारावास, सश्रम/सादा कारावास, संपत्ति की जब्ती और जुर्माने के साथ **6ठे दंड के रूप में 'सामुदायिक सेवा'** को जोड़ा गया है, जो 6 छोटे अपराधों (लोक सेवक का अवैध व्यापार, आत्महत्या का प्रयास कर लोक सेवक को बाध्य करना - धारा 226, ₹5,000 से कम की पहली बार चोरी और संपत्ति लौटा देने पर - धारा 303(2), नशे में सार्वजनिक उपद्रव - धारा 355, मानहानि - धारा 356, और मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित न होना) में दी जा सकती है।

3. **नए आधुनिक अपराधों का समावेश:**

• **धारा 69:** शादी, रोजगार या पदोन्नति के झूठे वादे या पहचान छिपाकर (छलपूर्ण साधनों से) यौन संबंध बनाना (10 वर्ष तक कारावास)।

• **धारा 103(2): मॉब लिंचिंग (Mob Lynching)** — जब 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान या भाषा के आधार पर हत्या करता है, तो समूह के प्रत्येक सदस्य को **मृत्युदंड या आजीवन कारावास**।

• **धारा 111: संगठित अपराध (Organised Crime)** — अपहरण, जबरन वसूली, सुपारी किलिंग (Contract Killing), भूमि हड़पना, साइबर अपराध, मानव तस्करी व आर्थिक अपराध के सिंडिकेट पर कठोर प्रहार।

• **धारा 112: छोटे संगठित अपराध (Petty Organised Crime)** — चेन स्नैचिंग (झपटमारी), जेबतराशी, संगठित रूप से परीक्षा प्रश्नपत्र लीक करना व टिकटों की कालाबाजारी (1 से 7 वर्ष कारावास)।

• **धारा 113: आतंकवादी कृत्य (Terrorist Act)** — पहली बार मुख्य दंड संहिता में भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और आर्थिक सुरक्षा (जाली नोट सहित) को खतरे में डालने को परिभाषित किया गया है।

• **धारा 152:** औपनिवेशिक **'राजद्रोह' (Sedition — पुरानी IPC धारा 124A) को पूर्णतः समाप्त** कर उसके स्थान पर **'भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य' (देशद्रोह)** को जोड़ा गया है।

• **रोचक केस स्टडी (Case Study — BNS धारा 304 'स्नैचिंग' बनाम धारा 303 'चोरी' और धारा 309 'लूट'):**

पुरानी IPC में जब कोई बाइक सवार किसी महिला के गले से सोने की चेन झपटकर भागता था, तो पुलिस को या तो उसे साधारण 'चोरी' (IPC 379 — 3 साल सजा) या जबरन 'लूट' (IPC 392) में दर्ज करना पड़ता था, जहां बचाव पक्ष कह देता था कि कोई हथियार या प्राणभय नहीं दिखाया गया। अब BNS 2023 ने **धारा 304 में 'झपटमारी' (Snatching)** को एक स्वतंत्र अपराध बना दिया है: यदि कोई व्यक्ति किसी चल संपत्ति को पकड़ने या ले जाने के लिए अचानक, तेजी से या बलपूर्वक झपटता है, तो वह 'स्नैचिंग' का दोषी है (3 वर्ष तक कारावास + जुर्माना)!

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):

BNS की **धारा 106(2)** (लापरवाही से वाहन चलाकर मृत्यु कारित करना और पुलिस/मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना घटनास्थल से भाग जाना — **Hit and Run**, जिसमें 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माने का प्रावधान है) को केंद्र सरकार ने ट्रांसपोर्टरों के साथ विचार-विमर्श हेतु 1 जुलाई 2024 की अधिसूचना में फिलहाल स्थगित (On hold) रखा है, जबकि धारा 106(1) (5 वर्ष तक कारावास) लागू है (**Vikaspedia BNS**)!

परीक्षा जाल (Exam Trap Alert):

• **जाल 1:** पुरानी IPC में सभी परिभाषाएं अलग-अलग धाराओं (धारा 6 से 52A) में बिखरी हुई थीं। **BNS 2023 में सभी 39 परिभाषाओं को एक ही धारा — धारा 2 के उप-खंडों (धारा 2(1) से 2(39)) में वर्णमाला क्रम (Alphabetical Order: Act से लेकर Words and expressions तक)** में पिरो दिया गया है! उदाहरण: 'बालक' (Child — 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति) **धारा 2(3)** में और 'लिंग' (Gender — जिसमें ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं) **धारा 2(10)** में परिभाषित है!

• **जाल 2:** सामान्य आशय (Common Intention) पहले IPC की **धारा 34** में था, जो अब BNS की **धारा 3(5)** बन गया है; और सामान्य उद्देश्य (Common Object / विधिविरुद्ध जमाव) पहले IPC 141/149 में था, जो अब BNS की **धारा 189/190** में है!

• **कहानी आधारित स्मृति ट्रिक (Story-Based Memory Trick — BNS की मुख्य अपराध धाराएं):**

• कहानी: **"63-64 में बलात्कार के दोषी को 69 में झूठे वादे की सजा मिली; 100-101 में मानव वध और हत्या का फैसला 103 की सजा से हुआ; फिर 111 के माफिया, 112 के झपटमार और 113 के आतंकी को 152 में देश की संप्रभुता से खिलवाड़ करने पर जेल भेजा गया; और 303 का चोर 304 में चेन छीनकर 308 की उगाही व 309 की लूट के बाद 310 की डकैती और 318 की धोखाधड़ी में पकड़ा गया!"**

अध्याय 2: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) — जीरो FIR, ई-FIR, फॉरेंसिक अनिवार्यता एवं समयबद्ध न्याय

सैद्धांतिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण:

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC — 484 धाराएं व 37 अध्याय) के स्थान पर 1 जुलाई 2024 से **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS — India Code BNSS)** लागू हुई है, जिसमें कुल **531 धाराएं, 39 अध्याय और 2 अनुसूचियां** हैं। यह एक **प्रक्रियात्मक कानून (Procedural/Adjective Law)** है जो बताता है कि अपराध की सूचना मिलने से लेकर अन्वेषण (Investigation), जांच (Inquiry) और विचारण (Trial) कैसे होगा।

BNSS 2023 के 7 ऐतिहासिक प्रक्रियात्मक सुधार:

1. **जीरो FIR (Zero FIR) और ई-FIR (e-FIR) को वैधानिक मान्यता — धारा 173 (पुरानी CrPC 154):** संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) घटित होने पर पीड़ित देश के **किसी भी पुलिस थाने** में (चाहे अपराध किसी भी क्षेत्राधिकार में हुआ हो) **जीरो FIR** दर्ज करा सकता है (थाना उसे संबंधित थाने को हस्तांतरित करेगा)। साथ ही, नागरिक घर बैठे **इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (e-FIR)** से भी सूचना भेज सकता है, जिस पर **3 दिनों (72 घंटे)** के भीतर सूचनादाता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर उसे औपचारिक FIR मान लिया जाएगा!

2. **प्रारंभिक जांच (Preliminary Inquiry) — धारा 173(3): 3 वर्ष या उससे अधिक किंतु 7 वर्ष से कम** कारावास वाले संज्ञेय अपराधों में थाना प्रभारी **DSP (पुलिस उपाधीक्षक)** की पूर्व अनुमति से प्रथम दृष्टया मामला परखने के लिए **14 दिनों के भीतर** प्रारंभिक जांच कर सकता है।

3. **अनिवार्य फॉरेंसिक अन्वेषण — धारा 176(3):** जिन अपराधों में **7 वर्ष या उससे अधिक कारावास** का दंड निर्धारित है, वहां घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाने के लिए **फॉरेंसिक विशेषज्ञ (Forensic Expert) का जाना और पूरी प्रक्रिया की मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक वीडियोग्राफी करना अनिवार्य** कर दिया गया है!

4. **तलाशी और जब्ती की अनिवार्य वीडियोग्राफी — धारा 105 एवं 185:** पुलिस द्वारा की जाने वाली किसी भी तलाशी (Search) और जब्ती (Seizure) की श्रव्य-दृश्य (Audio-Video) रिकॉर्डिंग कराना और उसे बिना देरी के मजिस्ट्रेट को भेजना अनिवार्य है।

5. **हथकड़ी लगाने के स्पष्ट नियम — धारा 43(3):** आदतन या बार-बार अपराध करने वाले, हिरासत से भागने वाले, या संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों, मानव तस्करी, एसिड अटैक, बलात्कार, बच्चों के यौन शोषण, जाली नोट और राज्य के विरुद्ध अपराध के आरोपियों को गिरफ्तारी या कोर्ट में पेश करते समय पुलिस **हथकड़ी (Handcuffs)** लगा सकती है।

6. **पुलिस रिमांड (Police Custody) का लचीलापन — धारा 187 (पुरानी CrPC 167):** पहले पुलिस हिरासत केवल गिरफ्तारी के प्रथम 15 दिनों में ही ली जा सकती थी। अब BNSS की धारा 187 के तहत कुल **15 दिनों की पुलिस कस्टडी** को कुल 60 दिनों (या गंभीर अपराधों में 90 दिनों) की न्यायिक हिरासत के **प्रारंभिक 40 दिनों (या 60 दिनों) के भीतर टुकड़ों में भी** लिया जा सकता है!

7. **भगोड़े अपराधियों का 'अनुपस्थिति में विचारण' (Trial in Absentia) — धारा 356:** यदि कोई घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) न्याय से बचने के लिए फरार हो जाता है, तो वारंट जारी होने के **90 दिन बाद** न्यायालय उसकी अनुपस्थिति में ही मुकदमा चलाकर सजा सुना सकता है!

• **रोचक केस स्टडी (Case Study — विचाराधीन कैदियों (Undertrial Prisoners) के लिए BNSS धारा 479 का मानवीय कवच):**

जेलों में वर्षों से बंद गरीब विचाराधीन कैदियों को राहत देने के लिए **BNSS की धारा 479 (पुरानी CrPC 436A)** में बड़ा सुधार किया गया है: यदि कोई विचाराधीन कैदी **पहली बार अपराध करने वाला (First-time Offender)** है (जिसे पहले कभी दोषी नहीं ठहराया गया है) और उसने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की **एक-तिहाई (1/3) अवधि** हिरासत में बिता ली है, तो न्यायालय उसे जमानत बॉन्ड पर रिहा कर देगा (मृत्युदंड या आजीवन कारावास वाले अपराधों को छोड़कर; सामान्य कैदियों के लिए यह सीमा आधी 1/2 अवधि है)!

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):
BNSS ने औपनिवेशिक शब्दों — 'पागल' (Lunatic) या 'विकृत चित्त' (Unsound Mind) को हटाकर संवेदनशील शब्द **'बौद्धिक अक्षमता या मानसिक रुग्णता' (Intellectual Disability or Mental Illness)** कर दिया है, और मजिस्ट्रेटों की श्रेणी से **'मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट' (Metropolitan Magistrate)** तथा 'सहायक सत्र न्यायाधीश' के पद को पूर्णतः समाप्त कर पूरे देश में एकसमान मजिस्ट्रेट ढांचा लागू कर दिया है!

परीक्षा जाल (Exam Trap Alert):

• **जाल 1:** प्रसिद्ध **'धारा 144'** (अत्यावश्यक मामलों में उपद्रव या आशंकित खतरे को रोकने और कर्फ्यू/निषेधाज्ञा लगाने की जिला मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्ति) अब CrPC 144 नहीं रही — **BNSS 2023 में यह अब 'धारा 163' बन गई है!**

• **जाल 2:** पत्नी, बच्चों और माता-पिता के **भरण-पोषण (Maintenance)** का प्रसिद्ध प्रावधान जो पहले CrPC की **धारा 125** में था, वह अब **BNSS की धारा 144** बन गया है! (ध्यान दें: पुरानी 125 अब 144 है, और पुरानी 144 अब 163 है — यह परीक्षा का सबसे बड़ा जाल है!)

• **कहानी आधारित स्मृति ट्रिक (Story-Based Memory Trick — BNSS की समय-सीमाएं):**

• कहानी: **"3 दिन में ई-FIR पर साइन करो, 14 दिन में DSP से प्रारंभिक जांच कराओ, 7 दिन में मेडिकल रिपोर्ट भेजो, 60 या 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करो, 60 दिन में आरोप तय (Framing of Charge) करो, और बहस खत्म होने के 30 से 45 दिन के भीतर जज साहब फैसला (Judgment) सुना दो — वरना अधिकतम 2 से ज्यादा तारीख (Adjournment) नहीं मिलेगी!"**

अध्याय 3: भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA 2023) — इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल साक्ष्यों का प्राथमिक दर्जा एवं न्यायिक मानक

सैद्धांतिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण:

सर जेम्स फिटजेम्स स्टीफन द्वारा प्रारूपित 152 वर्ष पुराने **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (IEA — 167 धाराएं व 11 अध्याय)** के स्थान पर 1 जुलाई 2024 से **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA — India Code BSA)** लागू हुआ है, जिसमें कुल **170 धाराएं, 12 अध्याय और 1 अनुसूची** हैं।

BSA 2023 के मुख्य स्तंभ:

1. **इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को 'दस्तावेज' (Document) और 'प्राथमिक साक्ष्य' (Primary Evidence) का दर्जा:**

• **धारा 2(1)(d):** 'दस्तावेज' की परिभाषा में ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर/लैपटॉप/स्मार्टफोन की फाइलें, एसएमएस, वेबसाइट की सामग्री, लोकेशन डेटा और वॉयस मेल संदेशों को शामिल किया गया है।

• **धारा 57 (पुरानी IEA 62):** जहां इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड उचित अभिरक्षा (Proper Custody) में निर्मित या संग्रहीत है, वहां उसे और उसकी प्रत्येक वीडियो/डिजिटल फाइल को **'प्राथमिक साक्ष्य' (Primary Evidence)** माना जाएगा!

2. **इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राह्यता — धारा 61 एवं धारा 63 (पुरानी IEA 65B):**

• **धारा 61:** किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को केवल इस आधार पर साक्ष्य मानने से इनकार नहीं किया जाएगा कि वह इलेक्ट्रॉनिक रूप में है; उसका कानूनी प्रभाव, वैधता और प्रवर्तनीयता कागजी दस्तावेज के बराबर होगी।

• **धारा 63 (पूर्व में बहुचर्चित धारा 65B):** कंप्यूटर आउटपुट की ग्राह्यता के लिए BSA की **अनुसूची (Schedule)** में एक मानकीकृत दो-भाग वाला प्रमाणपत्र (भाग A: उपयोगकर्ता/मालिक द्वारा, और भाग B: साइबर/तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा, जिसमें **हैश वैल्यू/Hash Value — SHA-256 आदि** का उल्लेख होता है) अनिवार्य किया गया है ताकि डिजिटल छेड़छाड़ न हो सके।

3. **साक्ष्य का दायरा — श्रव्य-दृश्य (Audio-Video) माध्यम से गवाही:** 'साक्ष्य' (Evidence — धारा 2(1)(e)) की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (Video Conferencing) से दिए गए मौखिक कथनों को भी वैध मौखिक साक्ष्य मान लिया गया है।

• **रोचक केस स्टडी (Case Study — 'मृत्युकालिक कथन' (Dying Declaration - BSA धारा 26) और 'पुलिस के समक्ष संस्वीकृति' (BSA धारा 23)):**

साक्ष्य विधि का स्वर्णिम नियम है कि 'सुनी-सुनाई बात' (Hearsay Evidence) साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होती। किंतु इसका सबसे बड़ा अपवाद **BSA की धारा 26(a) (पुरानी IEA धारा 32(1) — मृत्युकालिक कथन / Dying Declaration)** है, जो लैटिन सूत्र "*Nemo moriturus praesumitur mentire*" ("मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता") पर आधारित है। यदि कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के कारण या उन परिस्थितियों के बारे में बयान देता है जिनसे उसकी मृत्यु हुई, तो वह बिना शपथ और बिना जिरह (Cross-examination) के भी सुसंगत और पर्याप्त साक्ष्य है!

दूसरी ओर, **BSA की धारा 23(1) (पुरानी IEA धारा 25)** कहती है कि किसी **पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई अपराध की संस्वीकृति (Confession)** अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी; परंतु **धारा 23(2) के परंतुक (पुरानी IEA धारा 27 — Discovery Statement)** के अनुसार यदि पुलिस हिरासत में अभियुक्त की सूचना के परिणामस्वरूप किसी नए तथ्य या अपराध के हथियार की **वास्तविक बरामदगी (Recovery/Discovery)** होती है, तो बयान का उतना हिस्सा साक्ष्य में पूर्णतः ग्राह्य है!

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):
BSA 2023 से औपनिवेशिक संदर्भों — जैसे 'यूनाइटेड किंगडम की संसद', 'लंदन गजट', 'क्राउन प्रतिनिधि' और 'प्रिवी काउंसिल' — जैसे 19वीं सदी के सभी ब्रिटिश शब्दों को पूर्णतः हटा दिया गया है!

परीक्षा जाल (Exam Trap Alert):
• **जाल 1:** पुरानी IEA की प्रसिद्ध धाराओं का BSA 2023 में नया क्रमांक:

- **Res Gestae (एक ही संव्यवहार के भाग बनने वाले तथ्य):** पुरानी धारा 6 -> **नई धारा 4**
- **अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक् (Plea of Alibi — कि घटना के समय अभियुक्त कहीं और था):** पुरानी धारा 11 -> **नई धारा 9**
- **पुलिस से संस्वीकृति व बरामदगी:** पुरानी धारा 25-27 -> **नई धारा 23**
- **मृत्युकालिक कथन (Dying Declaration):** पुरानी धारा 32(1) -> **नई धारा 26(a)**
- **विशेषज्ञों की राय (Opinion of Experts — फॉरेंसिक/हस्तलेख/DNA):** पुरानी धारा 45 -> **नई धारा 39**
- **इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का प्रमाणपत्र:** पुरानी धारा 65B -> **नई धारा 63**
- **सबूत का भार (Burden of Proof):** पुरानी धारा 101 -> **नई धारा 104**
- **दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा (Presumption as to Dowry Death):** पुरानी धारा 113B -> **नई धारा 118**!

★ कहानी आधारित स्मृति ट्रिक (Story-Based Memory Trick — BSA 2023 का क्रम):
• कहानी: **"धारा 4 में घटना का हिस्सा (Res Gestae) बना, धारा 9 में Alibi लेकर बाहर गया, धारा 23 में पुलिस को हथियार बरामद कराया, धारा 26 में मरते वक्त सच बोला, धारा 39 में फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया, धारा 57-63 में मोबाइल का प्राथमिक डिजिटल सर्टिफिकेट दिखाया, और धारा 104 में सबूत का भार उठाया!"**

अध्याय 4: पुलिस प्रणाली, पदानुक्रम, जांच प्रक्रिया, मानवाधिकार एवं विशेष अधिनियम (POCSO, SC/ST, NDPS, IT Act, Motor Vehicle Act)

सैद्धांतिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण:

भारतीय संविधान की **सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (State List) की प्रविष्टि 1 और 2** के अंतर्गत 'लोक व्यवस्था' (Public Order) और 'पुलिस' (रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित) राज्य के विषय हैं। पुलिस प्रशासन का मूल आधार **पुलिस अधिनियम, 1861** और सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक **प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006)** निर्णय है (जिसने राज्य सुरक्षा आयोग, पुलिस स्थापना बोर्ड और DGP व SP/SHO के लिए न्यूनतम 2 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के 7 निर्देश दिए)।

पुलिस थाने के 3 प्रमुख रजिस्टर और दस्तावेज:

1. **सामान्य डायरी / रोजनामचा (General Diary / Station Diary — BNSS धारा 192(2)):** थाने में 24 घंटे घटने वाली प्रत्येक गतिविधि, अधिकारियों की रवानगी-आमद, गिरफ्तारी और जब्ती का कालानुक्रमिक रिकॉर्ड।

2. **केस डायरी (Case Diary / विशेष डायरी — BNSS धारा 192(1), पुरानी CrPC 172):** अन्वेषण करने वाले अधिकारी (IO) द्वारा प्रतिदिन की गई जांच की कार्यवाही का गोपनीय विवरण (अभियुक्त या उसके वकील को इसे देखने का अधिकार नहीं होता, केवल न्यायालय इसका उपयोग विचारण में सहायता के लिए कर सकता है)।

3. **अंतिम रिपोर्ट (Final Report — BNSS धारा 193, पुरानी CrPC 173):** जांच पूरी होने पर यदि पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं तो मजिस्ट्रेट को भेजी जाने वाली रिपोर्ट **'आरोप-पत्र' (Charge-sheet / चालान)** कहलाती है; और यदि साक्ष्य नहीं मिलते या मामला झूठा पाया जाता है तो उसे **'क्लोजर रिपोर्ट' (Closure Report / अंतिम रिपोर्ट - FR)** कहते हैं।

• **रोचक केस स्टडी (Case Study — डी.के. बसु दिशानिर्देश और BNSS धारा 35(3) 'गिरफ्तारी के बजाय नोटिस' (अर्नेश कुमार केस)):**

क्या पुलिस हर संज्ञेय अपराध की FIR होते ही आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? **नहीं!** सर्वोच्च न्यायालय के अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) के फैसले और **BNSS की धारा 35(3) (पुरानी CrPC 41A)** के अनुसार, जिन अपराधों में अधिकतम सजा 7 **वर्ष तक** है, वहां पुलिस अधिकारी आरोपी को तब तक गिरफ्तार नहीं करेगा जब तक कि लिखित कारण न हों; इसके बजाय वह आरोपी को पुलिस के समक्ष उपस्थित होने का **'उपस्थिति नोटिस' (Notice of Appearance)** जारी करेगा! इसके अलावा **धारा 35(7)** में बुजुर्गों और बीमारों के लिए नया सुरक्षा कवच जोड़ा गया है: यदि अपराध में सजा 3 वर्ष से कम है और आरोपी **60 वर्ष से अधिक आयु का है या अशक्त (Infirm) है**, तो **DSP रैंक से नीचे के अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती!**

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):
किसी महिला को सामान्य परिस्थितियों में **सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले (After Sunset and Before Sunrise)** गिरफ्तार नहीं किया जा सकता (**BNSS धारा 43(5)**, पुरानी CrPC 46(4))। यदि असाधारण परिस्थितियों में ऐसा करना अति आवश्यक हो, तो एक **महिला पुलिस अधिकारी** को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की **पूर्व लिखित अनुमति** प्राप्त करनी होगी!

परीक्षा जाल (Exam Trap Alert):
• **जाल 1:** पुलिस रैंक के कंधे के बैज (Insignia) का क्रम (नीचे से ऊपर):

• **Constable:** सादा स्ट्रैप (कोई स्टार नहीं) -> **Head Constable:** बांह पर 3 फीती (Chevrons) -> **ASI:** 1 स्टार + लाल-नीली पट्टी -> **SI (दरोगा): 2 स्टार** + लाल-नीली पट्टी -> **Inspector (SHO): 3 स्टार** + लाल-नीली पट्टी -> **DSP / ACP: 3 स्टार** (बिना लाल-नीली पट्टी के) -> **ASP (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक):** अशोक स्तंभ (बिना स्टार) -> **SP (पुलिस अधीक्षक):** अशोक स्तंभ + 1 स्टार -> **SSP / DIG / IG / ADG / DGP (IPS सर्वोच्च रैंक: अशोक स्तंभ + क्रॉस तलवार और बैटन)**!

• **जाल 2:** प्रमुख विशेष अधिनियमों के वर्ष: **दहेज प्रतिषेध अधिनियम (1961), NDPS अधिनियम (1985), SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम (1989), मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (1993 — NHRC), मोटर वाहन अधिनियम (1988, संशोधन 2019), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act — 2000), घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम (2005), सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI — 2005)**, और **POCSO अधिनियम (2012 — 18 वर्ष से कम के बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण)**।

★ **कहानी आधारित स्मृति ट्रिक (Story-Based Memory Trick — गिरफ्तारी के संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 22 व BNSS):**
• कहानी: **"धारा 36 में अरेस्ट मेमो बनाओ, धारा 38 में वकील से मिलाओ, धारा 47 में गिरफ्तारी का कारण और जमानत का हक बताओ, धारा 48 में घरवालों को सूचित करो, और धारा 58 (संविधान अनुच्छेद 22(2)) के तहत यात्रा का समय छोड़कर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो!"**

अध्याय 5: विधीय अभिरुचि (Legal Aptitude — Torts, Contracts, Constitutional Law, Legal Maxims) एवं जनहित याचिका

सैद्धांतिक एवं विश्लेषणात्मक विवरण:

पुलिस सब-इंस्पेक्टर, CLAT, AILET और न्यायिक सेवा परीक्षाओं में 'विधीय अभिरुचि' (Legal Aptitude) के अंतर्गत चार प्रमुख क्षेत्र पूछे जाते हैं:

1. **अपकृत्य विधि (Law of Torts — सिविल दोष जिसमें अ-निर्धारित नुकसानी/Unliquidated Damages मिलती है):** इसके दो आधारभूत लैटिन सिद्धांत हैं:

• **Injuria Sine Damno* (बिना वास्तविक आर्थिक हानि के विधिक अधिकार का उल्लंघन): **यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का हनन हुआ है, तो भले ही उसे ₹1 का भी आर्थिक नुकसान न हुआ हो, वह मुआवजे का हकदार है!** ऐतिहासिक केस:** ***Ashby vs. White* (1703)** (मतदाता को वोट डालने से रोका गया, हालांकि उसका पसंदीदा उम्मीदवार ही चुनाव जीता — फिर भी मतदाता को मुआवजा मिला) और ***Bhim Singh vs. State of J&K*** (विधायक को अवैध रूप से हिरासत में रखकर विधानसभा सत्र में जाने से रोका गया)।

• ***Damnum Sine Injuria* (बिना विधिक अधिकार के उल्लंघन के आर्थिक हानि): **यदि वैध प्रतिस्पर्धा से किसी को भारी आर्थिक नुकसान हो जाए पर किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन न हो, तो कोई मुकदमा नहीं चलता!** ऐतिहासिक केस:** ***Gloucester Grammar School Case* (1410)** (एक शिक्षक ने पुराने स्कूल के सामने नया स्कूल खोलकर फीस आधी कर दी जिससे पुराने स्कूल को भारी घाटा हुआ — कोर्ट ने कहा यह वैध प्रतिस्पर्धा है, कोई अपकृत्य नहीं)।

2. **कठोर दायित्व बनाम पूर्ण दायित्व (Strict Liability vs. Absolute Liability):**

• *कठोर दायित्व (Rylands vs. Fletcher, 1868): यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर कोई खतरनाक वस्तु रखता है और वह बाहर निकलकर नुकसान पहुंचाती है, तो वह बिना लापरवाही के भी जिम्मेदार है (किंतु इसमें 5 अपवाद हैं: ईश्वरीय कृत्य Act of God*, वादी की स्वयं की गलती, तीसरे पक्ष का कृत्य आदि)।

• *पूर्ण दायित्व (M.C. Mehta vs. Union of India — श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर ओलियम गैस लीक केस, 1986, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती): **भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि यदि कोई उद्योग खतरनाक या अत्यंत जोखिमपूर्ण गतिविधि चलाता है और उससे किसी को नुकसान होता है, तो कंपनी पर** 'पूर्ण दायित्व' (*Absolute Liability* — बिना किसी अपवाद के 100% जिम्मेदारी)* लागू होगा!

3. **भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act — 1 सितंबर 1872 से लागू):**

$$प्रस्ताव (Proposal/Offer - धारा 2(a)) + स्वीकृति (Acceptance - धारा 2(b)) = वचन (Promise)$$

$वचन + प्रतिफल (Consideration - धारा 2(d)) = करार (Agreement - धारा 2(e))$

$$करार + विधि द्वारा प्रवर्तनीयता (Enforceability by Law) = संविदा (Contract - धारा 2(h))$$

मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष (1903): अवयस्क (Minor — 18 वर्ष से कम) के साथ किया गया कोई भी करार *आरंभ से ही शून्य (Void ab initio — धारा 11)* होता है!

• **रोचक केस स्टडी (Case Study — अपराध के 4 आवश्यक तत्व और 'Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea'):**

किसी भी कार्य को अपराध मानने के लिए 4 तत्व आवश्यक हैं: (1) मानव (Human Being), (2) *दुराशय / दोषी मन (Mens Rea — *Guilty Mind*), **(3)** आपराधिक कृत्य (Actus Reus — बाह्य कार्य या लोप), और (4) क्षति (*Injury*)। लैटिन सूत्र "Actus non facit reum nisi mens sit rea" का अर्थ है: **"केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता, जब तक कि उसका मन भी दोषी न हो।"** इसी सिद्धांत के कारण *BNS* के **अध्याय *IV* (धारा 14 से 44 — साधारण अपवाद / *General Exceptions*)** में तथ्य की भूल (Ignorantia facti excusat, ignorantia juris non excusat — तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है, धारा 14 व 17), 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कार्य (Doli Incapax — धारा 20, पुरानी *IPC* 82), **चित्तविकृति (धारा 22, पुरानी *IPC* 84 — मैकनॉटन नियम) और** निजी प्रतिरक्षा का अधिकार (*Right of Private Defence* — धारा 34 से 44, पुरानी *IPC* 96 से 106)* को अपराध की श्रेणी से मुक्त रखा गया है!

क्या आप जानते हैं? (Did You Know?):
भारत में **'जनहित याचिका' (PIL — Public Interest Litigation)** का जनक **न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती** और **न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर** को माना जाता है। भारत की *प्रथम जनहित याचिका 1979 में हुसैनआरा खातून बनाम बिहार राज्य*** (वकील पुष्पा कपिला हिंगोरानी — जिन्हें 'मदर ऑफ PIL' कहा जाता है, द्वारा बिहार की जेलों में बंद हजारों विचाराधीन कैदियों की रिहाई हेतु) दायर की गई थी, जिससे अनुच्छेद 21 के तहत 'त्वरित विचारण का अधिकार' (Right to Speedy Trial) मौलिक अधिकार बना!

परीक्षा जाल (Exam Trap Alert):

• **जाल 1: जमानती अपराध (Bailable Offence — BNSS धारा 2(1)(c))** में जमानत पाना अभियुक्त का **कानूनी अधिकार (Matter of Right)** है जो पुलिस थाने और कोर्ट दोनों से मिल जाती है; जबकि **गैर-जमानती अपराध (Non-Bailable Offence)** का अर्थ यह **नहीं** है कि जमानत कभी नहीं मिलेगी — इसका अर्थ केवल यह है कि जमानत अधिकार के रूप में नहीं मांगी जा सकती, बल्कि वह **न्यायालय के विवेकाधिकार (Discretion of Court — BNSS धारा 480 व 483)** पर निर्भर करती है!

• **जाल 2: अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail — गिरफ्तारी की आशंका पर गिरफ्तारी से पूर्व जमानत)** पहले CrPC की **धारा 438** में थी, जो अब **BNSS की धारा 482** बन गई है (यह केवल सत्र न्यायालय/Session Court या उच्च न्यायालय/High Court द्वारा ही दी जा सकती है)!

• **कहानी आधारित स्मृति ट्रिक (Story-Based Memory Trick — BNS के साधारण अपवाद धारा 14 से 44):**

• कहानी: *"धारा 14 में कानून से बंधा सिपाही, 16 में जज साहब, 18 में दुर्घटना, 20 में 7 साल से छोटा बच्चा (Doli Incapax), 21 में 7 से 12 साल का नासमझ बच्चा, 22 में मानसिक रोगी, 23 में अनैच्छिक नशा, और 34 से 44 में आत्मरक्षा (*Private Defence*) करने वाला व्यक्ति — कभी अपराधी नहीं होता!"*

भाग (ख): बुक 21 के 100 पूर्णतः हल किए गए विगत वर्षों के प्रश्न (100 Solved Chapter-wise PYQs)

अध्याय 1: भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) — धाराएं, दंड एवं अपराध (प्रश्न 1–35)

1. **[UP Police SI / RPF SI 2024]** तीन नए आपराधिक कानून — भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 — को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली और ये पूरे देश में किस तिथि से लागू हुए?

• **उत्तर:** राष्ट्रपति की स्वीकृति: **25 दिसंबर 2023**; लागू होने की तिथि: **1 जुलाई 2024** (PIB New Criminal Laws)।

• **व्याख्या:** इन तीनों अधिनियमों ने क्रमशः IPC (1860), CrPC (1973) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) का स्थान लिया है।

2. **[Delhi Police SI 2024]** पुरानी IPC (1860) और नई BNS (2023) में अध्यायों और धाराओं की संख्या की तुलना कीजिए।

• **उत्तर:** पुरानी IPC में 23 अध्याय और 511 धाराएं थीं; जबकि **BNS 2023 में 20 अध्याय और 358 धाराएं** हैं (India Code BNS)।

• **व्याख्या:** BNS में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं, 33 अपराधों में कारावास की सजा बढ़ाई गई है, 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है और 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है।

3. **[UP Police Constable 2024]** BNS 2023 की किस धारा में दंडों (Punishments) के प्रकार बताए गए हैं और छठा नया दंड कौन-सा जोड़ा गया है?

• **उत्तर: धारा 4** (पुरानी IPC धारा 53); छठा नया दंड: **सामुदायिक सेवा (Community Service — धारा 4(f))**।

• **व्याख्या:** BNSS की धारा 23 के स्पष्टीकरण के अनुसार सामुदायिक सेवा वह कार्य है जिसे न्यायालय द्वारा दंड के रूप में आदेशित किया जाता है जिससे समाज को लाभ हो और जिसके लिए दोषी को कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता।

4. **[CLAT 2025]** BNS की किस धारा के तहत 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है (*Doli Incapax*)?

• **उत्तर: BNS धारा 20** (पुरानी IPC धारा 82)।

• **व्याख्या: BNS धारा 21** (पुरानी IPC 83) के अनुसार 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ वाले बालक का कार्य भी अपराध नहीं है।

5. **[RPF SI 2024]** 'निजी प्रतिरक्षा का अधिकार' (Right of Private Defence — शरीर और संपत्ति दोनों की रक्षा हेतु) BNS 2023 की किन धाराओं में दिया गया है?

• **उत्तर: धारा 34 से धारा 44** (अध्याय III — पुरानी IPC धारा 96 से 106)।

• **व्याख्या: धारा 38** (पुरानी IPC 100) में वे 7 परिस्थितियां (मृत्यु या घोर उपहति की आशंका, बलात्कार, अप्राकृतिक कामतृष्णा, व्यपहरण/अपहरण, सदोष परिरोध, और एसिड फेंकने का प्रयास) दी गई हैं जिनमें शरीर की आत्मरक्षा में हमलावर की **मृत्यु तक कारित** की जा सकती है!

6. **[UP Police SI]** BNS 2023 में 'दुष्प्रेरण' (Abetment), 'आपराधिक षड्यंत्र' (Criminal Conspiracy) और 'प्रयास' (Attempt) को किस अध्याय में एक साथ समेकित किया गया है?

• **उत्तर:** अध्याय IV (धारा 45 से 62) — **धारा 45 से 60: दुष्प्रेरण**, **धारा 61: आपराधिक षड्यंत्र** (पुरानी IPC 120A/120B), और **धारा 62: अपराध करने का प्रयास** (पुरानी IPC 511)।

• **व्याख्या:** पुरानी IPC में षड्यंत्र अध्याय VA में और प्रयास सबसे अंत में धारा 511 में था; BNS ने तीनों प्रारंभिक अपराधों (Inchoate Offences) को तार्किक रूप से एक साथ रख दिया है।

7. **[Judiciary / APO Exam]** BNS 2023 में 'बलात्कार' (Rape) की परिभाषा और उसके लिए दंड किन धाराओं में हैं?

• **उत्तर:** परिभाषा: **धारा 63** (पुरानी IPC 375); दंड: **धारा 64** (पुरानी IPC 376 — न्यूनतम 10 वर्ष सश्रम कारावास जो आजीवन कारावास तक हो सकता है)।

• **व्याख्या: धारा 70** में 'सामूहिक बलात्कार' (Gang Rape — न्यूनतम 20 वर्ष से आजीवन कारावास; और यदि पीड़िता **18 वर्ष से कम आयु की बालिका** है तो धारा 70(2) के तहत **आजीवन कारावास या मृत्युदंड**!) का प्रावधान है।

8. **[SSC CPO 2024]** BNS की **धारा 69** में कौन-सा नया अपराध जोड़ा गया है जो पुरानी IPC में अलग से स्पष्ट नहीं था?

• **उत्तर:** छलपूर्ण साधनों (Deceitful Means — रोजगार, पदोन्नति का झूठा प्रलोभन या पहचान छिपाकर) अथवा विवाह करने का झूठा वादा करके (बिना उसे पूरा करने के इरादे के) महिला के साथ यौन संबंध बनाना (सजा: **10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना**)।

• **व्याख्या:** यह धारा 'बलात्कार' से भिन्न श्रेणी के रूप में अध्याय V में जोड़ी गई है।

9. **[UP Police SI]** महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला (Outraging Modesty), यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment), ताक-झांक (Voyeurism) और पीछा करना (Stalking) BNS की किन धाराओं में हैं?

• **उत्तर: धारा 74:** लज्जा भंग करना (पुरानी IPC 354); **धारा 75:** यौन उत्पीड़न (पुरानी IPC 354A); **धारा 76:** निर्वस्त्र करने के आशय से हमला (पुरानी IPC 354B); **धारा 77:** ताक-झांक (पुरानी IPC 354C); और **धारा 78:** पीछा करना/Stalking (पुरानी IPC 354D)।

• **व्याख्या: धारा 79** (पुरानी IPC 509) में शब्द, अंगविक्षेप या कार्य द्वारा महिला की लज्जा का अनादर करना दंडनीय है।

10. **[Bihar Daroga / SI]** 'दहेज मृत्यु' (Dowry Death — विवाह के 7 वर्ष के भीतर दहेज की मांग के लिए क्रूरता के कारण अप्राकृतिक मृत्यु) और 'पति या उसके नातेदारों द्वारा महिला के प्रति क्रूरता' BNS की किन धाराओं में हैं?

• **उत्तर:** दहेज मृत्यु: **BNS धारा 80** (पुरानी IPC धारा 304B — न्यूनतम 7 वर्ष से आजीवन कारावास); और पति या नातेदारों द्वारा क्रूरता: **BNS धारा 85 एवं 86** (पुरानी IPC धारा 498A — 3 वर्ष तक कारावास)।

• **व्याख्या:** पुरानी बहुचर्चित धारा 304B अब **धारा 80** और पुरानी 498A अब **धारा 85** बन गई है!

11. **[CLAT 2025]** BNS 2023 में 'आपराधिक मानव वध' (Culpable Homicide) और 'हत्या' (Murder) की परिभाषा तथा हत्या के लिए दंड किन धाराओं में हैं?

• **उत्तर:** आपराधिक मानव वध की परिभाषा: **धारा 100** (पुरानी IPC 299); हत्या की परिभाषा: **धारा 101** (पुरानी IPC 300); और **हत्या के लिए दंड: धारा 103(1)** (पुरानी IPC 302 — मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना)!

• **व्याख्या:** इस प्रकार फिल्मों और आम बोलचाल की प्रसिद्ध **'दफा 302' (हत्या की सजा) अब BNS में 'धारा 103'** बन गई है!

12. **[RPF SI 2024]** BNS की **धारा 103(2)** का ऐतिहासिक महत्व क्या है?

• **उत्तर:** इसमें पहली बार **'मॉब लिंचिंग' (Mob Lynching — भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या)** को स्पष्ट रूप से दंडनीय बनाया गया है: जब **5 या अधिक व्यक्तियों का समूह** नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर हत्या करता है, तो ऐसे प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा।

• **व्याख्या:** इसी प्रकार घोर उपहति (Grievous Hurt) में भी मॉब लिंचिंग का प्रावधान धारा 117(4) में किया गया है।

13. **[UP Police SI]** 'दहेज या उकसावे से आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण' (Abetment of Suicide) और 'हत्या का प्रयास' (Attempt to Murder) BNS की किन धाराओं में हैं?

• **उत्तर:** आत्महत्या का दुष्प्रेरण: **धारा 108** (पुरानी IPC 306 — 10 वर्ष तक कारावास); और **हत्या का प्रयास: धारा 109** (पुरानी IPC 307)!

• **व्याख्या:** क्या BNS में 'आत्महत्या का प्रयास' (पुरानी IPC 309) अभी भी सामान्य अपराध है? **नहीं!** सामान्य आत्महत्या के प्रयास को हटा दिया गया है; केवल **धारा 226** में किसी लोक सेवक को अपना आधिकारिक कर्तव्य करने से रोकने या बाध्य करने के आशय से आत्महत्या का प्रयास (जैसे सरकारी दफ्तर के सामने आत्मदाह की धमकी) दंडनीय है (1 वर्ष तक कारावास या सामुदायिक सेवा)!

14. **[Delhi Police SI]** BNS की **धारा 111**, **धारा 112** और **धारा 113** किन तीन नए गंभीर अपराधों से संबंधित हैं?

• **उत्तर: धारा 111:** संगठित अपराध (Organised Crime — माफिया, सिंडिकेट, फिरौती, सुपारी किलिंग, साइबर अपराध); **धारा 112:** छोटे संगठित अपराध (Petty Organised Crime — संगठित झपटमारी, पेपर लीक, जुआ, टिकट कालाबाजारी); और **धारा 113:** आतंकवादी कृत्य (Terrorist Act)।

• **व्याख्या:** धारा 113 के स्पष्टीकरण के अनुसार एसपी (SP) रैंक से नीचे का कोई अधिकारी यह निर्णय नहीं लेगा कि मामला धारा 113 (BNS) में दर्ज हो या UAPA (1967) में।

15. **[SSC GD / RPF Constable]** BNS की **धारा 116** (पुरानी IPC 320) के अनुसार 'घोर उपहति' (Grievous Hurt) में कितने प्रकार की गंभीर चोटें शामिल हैं, और स्थायी विकलांगता के लिए कितने दिनों तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहना आवश्यक है?

• **उत्तर:** 8 प्रकार की गंभीर चोटें (पुंस्त्वहरण, आंख की दृष्टि या कान की श्रवण शक्ति की स्थायी हानि, किसी अंग/जोड़ का विच्छेद, सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण, हड्डी या दांत का टूटना आदि); और पहले जो सीमा '20 दिनों' तक काम न कर पाने की थी, उसे **BNS धारा 116(h) में घटाकर '15 दिन' (15 Days)** कर दिया गया है!

• **व्याख्या:** यह 20 दिन से 15 दिन का बदलाव परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ष्म बिंदु है।

16. **[UP Police SI]** 'तेजाब हमला' (Acid Attack) और तेजाब फेंकने का प्रयास BNS की किस धारा में दंडनीय है?

• **उत्तर: BNS धारा 124(1) और 124(2)** (पुरानी IPC धारा 326A और 326B — 2013 के आपराधिक कानून संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी)।

• **व्याख्या:** धारा 124(1) में न्यूनतम 10 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना (जो पीड़िता के चिकित्सा खर्च को पूरा करने के लिए उचित हो और सीधे पीड़िता को दिया जाएगा) का प्रावधान है।

17. **[CLAT 2025]** 'सदोष अवरोध' (Wrongful Restraint — किसी व्यक्ति को एक निश्चित दिशा में जाने से रोकना) और 'सदोष परिरोध' (Wrongful Confinement — किसी व्यक्ति को चारों ओर की सीमा से बाहर न निकलने देना, जैसे कमरे में बंद कर देना) BNS की किन धाराओं में हैं?

• **उत्तर:** सदोष अवरोध: **धारा 126** (पुरानी IPC 339); सदोष परिरोध: **धारा 127** (पुरानी IPC 340)।

• **व्याख्या:** इसी प्रकार 'बल' (Force - धारा 129), 'आपराधिक बल' (Criminal Force - धारा 130) और 'हमला' (Assault - धारा 131) परिभाषित हैं।

18. **[RRB RPF SI]** 'व्यपहरण' (Kidnapping — वैध संरक्षकता या भारत से बाहर ले जाना) और 'अपहरण' (Abduction — बल या छल से किसी स्थान से ले जाना) BNS की किन धाराओं में हैं, और क्या अब लड़के और लड़की के लिए व्यपहरण की आयु अलग-अलग है?

• **उत्तर: धारा 137** (व्यपहरण — पुरानी IPC 359-361) और **धारा 138** (अपहरण — पुरानी IPC 362)। **बड़ा बदलाव:** पुरानी IPC 361 में लड़के के लिए आयु 16 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष थी; **BNS धारा 137(1)(b) ने इस लिंग-भेद को समाप्त कर दिया है और अब बालक या बालिका दोनों के लिए आयु एकसमान '18 वर्ष से कम' (Child) कर दी गई है!**

• **व्याख्या:** भीख मंगवाने के लिए बालक का व्यपहरण या अंग-भंग करना **धारा 139** (पुरानी IPC 363A) में गंभीर अपराध है।

19. **[UP Police SI]** पुरानी IPC की विवादित **'धारा 124A' (राजद्रोह / Sedition)** के स्थान पर BNS 2023 की किस धारा में 'भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य' को दंडनीय बनाया गया है?

• **उत्तर: BNS धारा 152**।

• **व्याख्या:** इसमें 'राजद्रोह' (Sedition) शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है; अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उकसाने पर आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक कारावास का प्रावधान है।

20. **[Delhi Police SI]** 'विधिविरुद्ध जमाव' (Unlawful Assembly — **5 या अधिक व्यक्तियों** का समूह जिनका सामान्य उद्देश्य अवैध बल प्रयोग या अपराध करना हो), 'बलवा' (Rioting) और 'दंगा' (Affray — सार्वजनिक स्थान पर **2 या अधिक व्यक्तियों** द्वारा लड़कर लोक शांति भंग करना) BNS की किन धाराओं में हैं?

• **उत्तर:** विधिविरुद्ध जमाव: **धारा 189(1)** (पुरानी IPC 141); बलवा: **धारा 191** (पुरानी IPC 146); और दंगा (Affray): **धारा 194** (पुरानी IPC 159)।

• **व्याख्या:** धर्म, नस्ल, जन्मस्थान या भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता संप्रवर्तित करना (पुरानी IPC 153A) अब **BNS की धारा 196** है!

21. **[SSC CPO 2024]** BNS की **धारा 197(1)(d)** में सोशल मीडिया और फेक न्यूज के युग को देखते हुए कौन-सा नया प्रावधान जोड़ा गया है?

• **उत्तर:** भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली **झूठी या भ्रामक जानकारी (False or Misleading Information — Fake News)** बनाना या प्रकाशित करना (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सहित) दंडनीय अपराध बनाया गया है (3 वर्ष तक कारावास या जुर्माना)।

• **व्याख्या:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कथनों के अंतर्गत जोड़ा गया है।

22. **[UP Police Constable]** संपत्ति के विरुद्ध अपराधों में — (i) चोरी (Theft), (ii) झपटमारी (Snatching), (iii) उद्यापन/जबरन वसूली (Extortion), (iv) लूट (Robbery), और (v) डकैती (Dacoity) — BNS की किन धाराओं में हैं?

• **उत्तर:** (i) चोरी: **धारा 303** (पुरानी IPC 378/379); (ii) झपटमारी: **धारा 304** (नई धारा); (iii) उद्यापन: **धारा 308** (पुरानी IPC 383); (iv) लूट: **धारा 309** (पुरानी IPC 390); और (v) डकैती: **धारा 310** (पुरानी IPC 391 — जब **5 या अधिक व्यक्ति** संयुक्त रूप से लूट करते हैं तो वह डकैती कहलाती है)!

• **व्याख्या:** "प्रत्येक डकैती में लूट होती है, और प्रत्येक लूट में या तो चोरी होती है या उद्यापन!" (BNS धारा 309(1))।

23. **[CLAT 2025]** यदि ₹5,000 से कम मूल्य की संपत्ति की चोरी पहली बार की गई है और अपराधी चोरी की संपत्ति वापस कर देता है, तो BNS की **धारा 303(2) के परंतुक** में क्या विशेष दंड दिया जा सकता है?

• **उत्तर: सामुदायिक सेवा (Community Service)**।

• **व्याख्या:** इससे पहली बार मामूली गलती करने वाले युवाओं को कठोर अपराधियों के साथ जेल में रहने से बचाया जा सकेगा।

24. **[Judiciary Exam]** 'आपराधिक दुर्विनियोग' (Criminal Misappropriation — जैसे सड़क पर पड़ी मिली अंगूठी का मालिक जाने बिना या जानने के बाद उसे स्वयं हड़प लेना), 'आपराधिक न्यासभंग' (Criminal Breach of Trust — पुरानी IPC 405/406) और 'छल/धोखाधड़ी' (Cheating — पुरानी IPC 415/420) BNS की किन धाराओं में हैं?

• **उत्तर:** आपराधिक दुर्विनियोग: **धारा 314** (पुरानी IPC 403); आपराधिक न्यासभंग: **धारा 316** (पुरानी IPC 405/406); और **छल/धोखाधड़ी (प्रसिद्ध पुरानी धारा 420): अब BNS की धारा 318 (धारा 318(4))** बन गई है!

• **व्याख्या:** इस प्रकार पुरानी **'दफा 420' (धोखाधड़ी) अब BNS में 'धारा 318(4)'** है!

25. **[RPF SI 2024]** 'रिष्टि' (Mischief — लोक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना), 'आपराधिक अतिचार' (Criminal Trespass), 'जालसाजी' (Forgery) और 'मानहानि' (Defamation) BNS की किन धाराओं में हैं?

• **उत्तर:** रिष्टि: **धारा 324** (पुरानी IPC 425); आपराधिक अतिचार: **धारा 329** (पुरानी IPC 441); जालसाजी: **धारा 336** (पुरानी IPC 463); और **मानहानि: धारा 356** (पुरानी IPC 499/500 — 2 वर्ष तक सादा कारावास या जुर्माना या दोनों, अथवा **सामुदायिक सेवा**)!

• **व्याख्या:** आपराधिक अभित्रास (Criminal Intimidation / धमकी देना — पुरानी IPC 503/506) अब **BNS की धारा 351** है।

26. **[UP Police SI]** पुरानी IPC की कौन-सी धाराएं (जैसे धारा 377 और धारा 497) BNS 2023 में पूर्णतः हटा दी गई हैं?

• **उत्तर:** 1. **जारकर्म (Adultery — पुरानी IPC 497)** जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018) में असंवैधानिक घोषित किया था; 2. **अप्राकृतिक अपराध (पुरानी IPC 377)** जिसे नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) में वयस्कों के मध्य सहमति संबंधों हेतु अपराध-मुक्त किया गया था; और 3. **ठगी (Thug — पुरानी IPC 310/311)**।

• **व्याख्या:** बालकों के विरुद्ध सभी प्रकार के यौन अपराध पहले से ही POCSO अधिनियम, 2012 के अंतर्गत कठोरता से दंडनीय हैं।

27. **[SSC CGL 2024]** BNS की **धारा 95** में बालकों से संबंधित कौन-सा नया विशिष्ट अपराध जोड़ा गया है?

• **उत्तर:** किसी अपराध को करने के लिए **बालक को काम पर रखना, नियुक्त करना या उसका उपयोग करना** (Hiring, employing or engaging a child to commit an offence — न्यूनतम 3 वर्ष से 10 वर्ष तक कारावास, और यदि अपराध हो जाता है तो उस अपराध की सजा भी मिलेगी)!

• **व्याख्या:** संगठित गिरोहों द्वारा नाबालिगों का अपराध में दुरुपयोग रोकने के लिए यह धारा जोड़ी गई है।

28. **[Bihar Daroga]** चिकित्सा या नर्सिंग होम में लापरवाही से उपचार के दौरान मृत्यु होने पर डॉक्टरों के लिए BNS की **धारा 106(1)** में सजा की क्या व्यवस्था की गई है?

• **उत्तर:** सामान्य लापरवाही से मृत्यु पर सजा 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है, परंतु **पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी (Registered Medical Practitioner)** द्वारा चिकित्सा प्रक्रिया करते समय यदि लापरवाही से मृत्यु होती है, तो सजा अधिकतम **2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना** ही रहेगी!

• **व्याख्या:** यह प्रावधान चिकित्सकों को निर्भय होकर आपातकालीन शल्य-चिकित्सा करने की सुरक्षा देता है।

29. **[UP Police SI]** 'एकांत परिरोध' (Solitary Confinement — BNS **धारा 11 और 12**, पुरानी IPC 73-74) की अधिकतम सीमा क्या है?

• **उत्तर:** संपूर्ण कारावास की अवधि में एकांत परिरोध कुल मिलाकर **अधिकतम 3 माह** से अधिक नहीं हो सकता (यदि कारावास 6 माह तक है तो अधिकतम 1 माह; 6 माह से 1 वर्ष है तो अधिकतम 2 माह; और 1 वर्ष से अधिक है तो अधिकतम 3 माह), तथा एक बार में लगातार **14 दिनों** से अधिक नहीं दिया जा सकता!

• **व्याख्या:** यह कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य और मानवाधिकारों की रक्षा करता है।

30. **[CLAT 2025]** BNS की **धारा 48** में भारत के बाहर बैठे किसी व्यक्ति द्वारा भारत में अपराध का दुष्प्रेरण (Abetment outside India for offence in India) क्यों जोड़ा गया है?

• **उत्तर:** विदेशों में बैठकर भारत में आतंकवादी हमलों, साइबर अपराधों या गैंगस्टर वारदातों की साजिश रचने और निर्देश देने वाले अपराधियों को सीधे BNS के दायरे में लाने के लिए (पुरानी IPC में केवल धारा 108A में भारत के भीतर से बाहर के अपराध के दुष्प्रेरण का प्रावधान था, उल्टा नहीं था!)।

• **व्याख्या:** BNS धारा 1(5) के अनुसार भारत में स्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को निशाना बनाकर विदेश से किया गया साइबर अपराध भी BNS के क्षेत्राधिकार में आता है।

31. **[RPF SI 2024]** रेल, बस या सार्वजनिक परिवहन अथवा सरकारी संपत्ति को आंदोलन के दौरान जलाने या नष्ट करने पर रिष्टि (BNS धारा 324–326) के साथ कौन-सा विशेष अधिनियम लागू होता है?

• **उत्तर:** लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 (Prevention of Damage to Public Property Act, 1984) और रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 150–151।

• **व्याख्या:** BNS की धारा 324(3) में भी सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर विशेष दंड है।

32. **[UP Police SI]** BNS की **धारा 226** क्या है?

• **उत्तर:** किसी लोक सेवक (Public Servant) को अपना आधिकारिक कर्तव्य करने से रोकने या बाध्य करने के आशय से **आत्महत्या करने का प्रयास** करना (दंड: 1 वर्ष तक का सादा कारावास या जुर्माना या दोनों या **सामुदायिक सेवा**)।

• **व्याख्या:** यह पुरानी IPC 309 के स्थान पर एक लक्षित प्रावधान है।

33. **[Delhi Police SI]** चुनाव में मतदाताओं को रिश्वत देना (Bribery) या अनुचित प्रभाव डालना BNS के किस अध्याय में शामिल है?

• **उत्तर:** अध्याय IX — निर्वाचन संबंधी अपराध (धारा 169 से 177, पुरानी IPC अध्याय IXA)।

• **व्याख्या:** इसी प्रकार सिक्कों, करेंसी नोटों और बैंक नोटों के कूटकरण (Counterfeiting) को अध्याय X (धारा 178 से 188) में समेकित किया गया है।

34. **[Judiciary Exam]** 'समान आशय' (Common Intention — **BNS धारा 3(5)**, पुरानी IPC 34) का ऐतिहासिक प्रिवी काउंसिल निर्णय कौन-सा है जिसमें कहा गया था कि "वे भी सेवा करते हैं जो केवल बाहर खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं"?

• **उत्तर: बारिन्द्र कुमार घोष बनाम सम्राट (1925 — पोस्टमास्टर हत्या केस)** और **महबूब शाह बनाम सम्राट (1945 — सिंधु नदी केस, जिसमें पूर्व-नियोजित योजना/*Pre-arranged Plan* को आवश्यक बताया गया)**।

• **व्याख्या:** धारा 3(5) स्वयं कोई स्वतंत्र अपराध सृजित नहीं करती, बल्कि यह संयुक्त दायित्व (Joint Liability) का एक नियम मात्र है।

35. **[UP Police SI]** यदि कोई चिकित्सक या अस्पताल एसिड अटैक (BNS धारा 124) या बलात्कार (BNS धारा 64-70) की पीड़िता का तुरंत निःशुल्क प्राथमिक उपचार करने से इनकार करता है, तो वह BNS की किस धारा के तहत दंडनीय है?

• **उत्तर: BNS धारा 200** (पुरानी IPC धारा 166B — पीड़िता का उपचार न करने पर 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों)!

• **व्याख्या:** साथ ही BNSS की धारा 397 के अनुसार सभी सरकारी व निजी अस्पतालों को ऐसी पीड़िता को तुरंत निःशुल्क प्राथमिक उपचार देना और पुलिस को तुरंत सूचना देना अनिवार्य है।

अध्याय 2: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS 2023) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA 2023) (प्रश्न 36–70)

36. **[UP Police SI 2024]** पुरानी CrPC (1973) और नई BNSS (2023) में धाराओं और अध्यायों की तुलना कीजिए।

• **उत्तर:** पुरानी CrPC में 484 धाराएं और 37 अध्याय थे; जबकि **BNSS 2023 में 531 धाराएं, 39 अध्याय और 2 अनुसूचियां** हैं (India Code BNSS)।

• **व्याख्या:** प्रथम अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण (संज्ञेय/असंज्ञेय, जमानती/गैर-जमानती और किस न्यायालय द्वारा विचारणीय) तथा द्वितीय अनुसूची में 56 प्रारूप (Forms) दिए गए हैं।

37. **[Delhi Police SI]** 'संज्ञेय अपराध' (Cognizable Offence — BNSS धारा 2(1)(g)) और 'असंज्ञेय अपराध' (Non-Cognizable Offence — BNSS धारा 2(1)(o)) में मुख्य अंतर क्या है?

• **उत्तर:** संज्ञेय अपराध (गंभीर अपराध जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण) में पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के **बिना** अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है और सीधे FIR (धारा 173) दर्ज कर जांच शुरू कर सकता है; जबकि असंज्ञेय अपराध (साधारण मारपीट, मानहानि आदि) में पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश (BNSS धारा 174, पुरानी CrPC 155 — NCR) के अन्वेषण नहीं कर सकती।

• **व्याख्या:** यदि किसी मामले में एक संज्ञेय और दो असंज्ञेय अपराध एक साथ जुड़े हों, तो BNSS धारा 174(4) के तहत पूरा मामला **संज्ञेय मामला** माना जाएगा!

38. **[RPF SI 2024]** BNSS की **धारा 173** (पुरानी CrPC 154) के तहत यदि थाना प्रभारी संज्ञेय अपराध की FIR दर्ज करने से मना कर देता है, तो पीड़ित व्यक्ति के पास क्या कानूनी उपचार हैं?

• **उत्तर:** 1. पीड़ित **BNSS धारा 173(4)** के तहत संबंधित **पुलिस अधीक्षक (SP/DCP)** को डाक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिकायत भेज सकता है; 2. यदि वहां से भी कार्यवाही न हो, तो वह **BNSS धारा 175(3)** (पुरानी CrPC 156(3)) के तहत हलफनामे (Affidavit) के साथ सीधे **न्यायिक मजिस्ट्रेट** को आवेदन दे सकता है, जो पुलिस को FIR दर्ज कर जांच करने का आदेश दे सकता है!

• **व्याख्या:** इसके अतिरिक्त यदि कोई लोक सेवक महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराध (BNS 64–71, 74–79, 124) की FIR लिखने से मना करता है, तो वह **BNS धारा 199** (पुरानी IPC 166A) के तहत दंडनीय अपराध (6 माह से 2 वर्ष कारावास) करता है।

39. **[UP Police SI]** BNSS की **धारा 176(1)** में बलात्कार की पीड़िता का बयान दर्ज करने के संबंध में क्या विशेष प्रावधान हैं?

• **उत्तर:** बयान पीड़िता के निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर, यथासंभव किसी **महिला पुलिस अधिकारी** द्वारा, उसके माता-पिता/अभिभावक या सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा और इसका **ऑडियो-वीडियो (मोबाइल फोन सहित) माध्यम से रिकॉर्ड किया जाना** सुनिश्चित किया जाएगा।

• **व्याख्या:** साथ ही मजिस्ट्रेट द्वारा **धारा 183(6)(a)** (पुरानी CrPC 164(5A)) के तहत भी पीड़िता का बयान तुरंत दर्ज किया जाएगा (यथासंभव महिला मजिस्ट्रेट द्वारा)।

40. **[CLAT 2025]** बलात्कार या यौन अपराध की पीड़िता की चिकित्सकीय जांच (Medical Examination — **BNSS धारा 184**, पुरानी CrPC 164A) सूचना मिलने के कितने समय के भीतर और रिपोर्ट कितने समय में मजिस्ट्रेट को भेजी जानी अनिवार्य है?

• **उत्तर:** पीड़िता की सहमति से सूचना मिलने के **24 घंटे के भीतर** पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जांच की जाएगी; और चिकित्सक अपनी मेडिकल रिपोर्ट **7 दिनों के भीतर** अन्वेषण अधिकारी (IO) को भेजेगा!

• **व्याख्या:** यह 7 दिन की स्पष्ट समय-सीमा BNSS 2023 में त्वरित न्याय के लिए जोड़ी गई है।

41. **[Judiciary / APO Exam]** 'डिफ़ॉल्ट बेल' या 'वैधानिक जमानत' (Default Bail / Statutory Bail — **BNSS धारा 187(3)**, पुरानी CrPC 167(2)) अभियुक्त को कब मिलती है?

• **उत्तर:** यदि पुलिस अभियुक्त की गिरफ्तारी की तिथि से निर्धारित अवधि — **मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास वाले अपराधों में 90 दिन**, और **अन्य सभी अपराधों में 60 दिन** — के भीतर न्यायालय में आरोप-पत्र (Charge-sheet) दाखिल करने में विफल रहती है, तो अभियुक्त को जमानत पर रिहा होने का अपरिहार्य कानूनी अधिकार (Indefeasible Right) मिल जाता है (बशर्ते वह जमानत देने को तैयार हो)!

• **व्याख्या:** 90 दिन की श्रेणी में पुरानी CrPC में "10 वर्ष से कम नहीं" शब्द थे, जिसे BNSS ने स्पष्ट कर "10 वर्ष या अधिक" कर दिया है।

42. **[UP Police SI]** BNSS की **धारा 193(3)** के अनुसार पुलिस को अन्वेषण (Investigation) की प्रगति की जानकारी पीड़ित/सूचनादाता को कितने दिनों में देनी अनिवार्य है?

• **उत्तर: 90 दिनों के भीतर** (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सहित)!

• **व्याख्या:** साथ ही आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद आगे की जांच (Further Investigation — धारा 193(9)) को भी न्यायालय की अनुमति से **90 दिनों के भीतर** पूरा करना अनिवार्य किया गया है।

43. **[Delhi Police SI]** BNSS की **धारा 194** (पुरानी CrPC 174) क्या है?

• **उत्तर:** आत्महत्या या संदिग्ध/अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई मृत्यु की पुलिस द्वारा जांच और पंचनामा रिपोर्ट (**Inquest Report / मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट**), जिसे **24 घंटे के भीतर** जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) को भेजा जाना अनिवार्य किया गया है!

• **व्याख्या:** यदि किसी विवाहिता की विवाह के 7 वर्ष के भीतर संदिग्ध मृत्यु होती है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा जांच (धारा 196) अनिवार्य है।

44. **[SSC CPO 2024]** प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), सत्र न्यायाधीश (Sessions Judge) और उच्च न्यायालय द्वारा दी जा सकने वाली अधिकतम सजा की सीमाएं (BNSS धारा 22–23) क्या हैं?

• **उत्तर:**

• **उच्च न्यायालय (High Court):** विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड;

• **सत्र न्यायाधीश / अपर सत्र न्यायाधीश:** विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड, किंतु **मृत्युदंड (Death Sentence) दिए जाने पर उच्च न्यायालय द्वारा उसकी पुष्टि (Confirmation — BNSS धारा 407, पुरानी CrPC 366)** होना अनिवार्य है;

• **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM): 7 वर्ष तक का कारावास** और कितना भी जुर्माना;

• **प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC): 3 वर्ष तक का कारावास** या **₹50,000 तक का जुर्माना** (पुरानी CrPC में ₹10,000 था!) या दोनों अथवा **सामुदायिक सेवा**;

• **द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMSC): 1 वर्ष तक का कारावास** या **₹10,000 तक का जुर्माना** (पुरानी CrPC में ₹5,000 था!) या दोनों अथवा सामुदायिक सेवा।

• **व्याख्या:** मजिस्ट्रेटों की जुर्माना लगाने की शक्ति को BNSS में 5 गुना (₹10,000 से ₹50,000 और ₹5,000 से ₹10,000) बढ़ा दिया गया है!

45. **[UP Police SI]** BNSS की **धारा 107** में अपराध की आय (Proceeds of Crime) से अर्जित संपत्ति को कुर्क (Attachment) और जब्त करने की कौन-सी नई शक्ति जोड़ी गई है?

• **उत्तर:** अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी DSP/SP के अनुमोदन से मजिस्ट्रेट को आवेदन देकर अपराध से अर्जित संपत्ति की कुर्की और पीड़ितों को उसकी आनुपातिक वापसी सुनिश्चित करा सकता है!

• **व्याख्या:** इससे आर्थिक अपराधियों और साइबर ठगों से पीड़ितों का पैसा वापस दिलाना आसान हो गया है।

46. **[RPF SI 2024]** दया याचिका (Mercy Petition) दायर करने के लिए BNSS की **धारा 472** में पहली बार क्या स्पष्ट समय-सीमा तय की गई है?

• **उत्तर:** मृत्युदंड प्राप्त दोषी (या उसका वैध उत्तराधिकारी/रिश्तेदार) जेल अधीक्षक द्वारा सूचित किए जाने के **30 दिनों के भीतर राज्यपाल को** और राज्यपाल द्वारा अस्वीकृत होने के **60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति को** (अनुच्छेद 72/161 के तहत) दया याचिका प्रस्तुत कर सकता है; और राष्ट्रपति के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी!

• **व्याख्या:** पुरानी CrPC में दया याचिका की समय-सीमा न होने से फांसी की सजा में दशकों की देरी होती थी।

47. **[CLAT 2025]** भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं, और इसका विस्तार कहां तक है?

• **उत्तर: 170 धाराएं, 12 अध्याय और 1 अनुसूची** (India Code BSA); यह सभी न्यायिक कार्यवाहियों (सिविल और आपराधिक दोनों) तथा सेना/नौसेना/वायुसेना अधिनियम के अलावा अन्य कोर्ट-मार्शल पर लागू होता है, किंतु **शपथपत्रों (Affidavits)** और **मध्यस्थ (Arbitrator)** के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता (धारा 1)।

• **व्याख्या:** पुरानी IEA में 167 धाराएं और 11 अध्याय थे।

48. **[Judiciary Exam]** BSA 2023 की **धारा 7** (पुरानी IEA धारा 9) के अंतर्गत 'शिनाख्त परेड' (Test Identification Parade — TIP) का साक्ष्यिक मूल्य क्या है?

• **उत्तर:** शिनाख्त परेड (TIP) स्वयं कोई सारभूत साक्ष्य (Substantive Evidence) नहीं है, बल्कि यह अन्वेषण का एक भाग है जिसका उपयोग न्यायालय में गवाह की पहचान को **संपुष्ट (Corroborate)** करने के लिए किया जाता है।

• **व्याख्या: BNSS की धारा 54** (पुरानी CrPC 54A) के अनुसार यदि पहचान करने वाला गवाह मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है, तो शिनाख्त परेड न्यायिक मजिस्ट्रेट की देखरेख में होगी और उसकी **ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग** अनिवार्य होगी।

49. **[UP Police SI]** BSA की **धारा 22** (पुरानी IEA 24), **धारा 23(1)** (पुरानी IEA 25) और **धारा 23(2)** (पुरानी IEA 26-27) में 'संस्वीकृति' (Confession) के तीन स्वर्णिम नियम क्या हैं?

• **उत्तर:**

1. **धारा 22:** उत्प्रेरणा, धमकी, प्रलोभन या दबाव से कराई गई संस्वीकृति विसंगत (अमान्य) है;

2. **धारा 23(1):** किसी पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी;

3. **धारा 23(2) व परंतुक:** पुलिस की अभिरक्षा (Custody) में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति तब तक साबित नहीं की जाएगी जब तक कि वह **मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति** में न की गई हो; किंतु यदि अभियुक्त की सूचना के फलस्वरूप किसी तथ्य/वस्तु की **बरामदगी (Discovery)** होती है, तो सूचना का उतना भाग साबित किया जा सकेगा!

• **व्याख्या:** मजिस्ट्रेट के समक्ष BNSS धारा 183 (पुरानी CrPC 164) के तहत दर्ज न्यायिक संस्वीकृति पूर्णतः वैध साक्ष्य है।

50. **[Delhi Police SI]** BSA की **धारा 39** (पुरानी IEA धारा 45) के अनुसार न्यायालय किन विषयों पर 'विशेषज्ञों की राय' (Opinion of Experts) लेता है?

• **उत्तर:** विदेशी विधि, विज्ञान या कला, हस्तलेख (Handwriting) या अंगुली-चिह्न (Finger Impressions) की पहचान, तथा किसी अन्य क्षेत्र के विशेष ज्ञान और **इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक (Examiner of Electronic Evidence — IT Act की धारा 79A)** की राय!

• **व्याख्या:** हस्तलेख विशेषज्ञ की राय एक परामर्शकारी (Corroborative) साक्ष्य है जबकि अंगुली-चिह्न (Fingerprint) का विज्ञान पूर्णतः सटीक माना जाता है।

51. **[SSC CPO 2024]** BSA की **धारा 58** (पुरानी IEA धारा 63) में 'द्वितीयक साक्ष्य' (Secondary Evidence) की परिभाषा में कौन-से 3 नए बिंदु जोड़े गए हैं?

• **उत्तर:** प्रमाणित प्रतियों और यांत्रिक प्रतियों के साथ अब — (i) मौखिक स्वीकृतियां (Oral Admissions), (ii) लिखित स्वीकृतियां (Written Admissions), और (iii) किसी ऐसे कुशल व्यक्ति का साक्ष्य जिसने उन मूल दस्तावेजों की जांच की हो जिनकी संख्या बहुत अधिक है और जिन्हें कोर्ट में आसानी से नहीं परखा जा सकता — को भी स्पष्ट रूप से धारा 58 में समाहित किया गया है।

• **व्याख्या:** दस्तावेजों को सामान्यतः 'प्राथमिक साक्ष्य' (Primary Evidence — धारा 57, मूल दस्तावेज) द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए (धारा 59)।

52. **[CLAT 2025]** आपराधिक मुकदमों में 'सबूत का भार' (Burden of Proof — **BSA धारा 104**, पुरानी IEA 101) सदैव किस पर होता है, और इसका अपवाद क्या है?

• **उत्तर:** सामान्य नियम ("*Presumption of Innocence*" — प्रत्येक व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसका दोष साबित न हो जाए) के अनुसार सबूत का प्रारंभिक भार सदैव **अभियोजन पक्ष (Prosecution / राज्य)** पर होता है कि वह अभियुक्त के दोष को **'युक्तियुक्त संदेह से परे' (Beyond Reasonable Doubt)** साबित करे; किंतु **BSA धारा 108** (पुरानी IEA 105) के अनुसार यदि अभियुक्त किसी 'साधारण अपवाद' (जैसे आत्मरक्षा या मानसिक पागलपन) का लाभ लेना चाहता है, तो उसे साबित करने का भार **स्वयं अभियुक्त** पर होता है!

• **व्याख्या:** इसी प्रकार **धारा 109** (पुरानी IEA 106) के अनुसार जो तथ्य किसी व्यक्ति के 'विशेष ज्ञान' (Especially within knowledge — जैसे घर के बंद कमरे में पति के साथ पत्नी की हत्या होना या बिना टिकट रेल यात्रा करना) में है, उसे साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है।

53. **[UP Police SI]** BSA की **धारा 111** (पुरानी IEA 107) और **धारा 112** (पुरानी IEA 108 — सिविल मृत्यु की उपधारणा) में जीवित या मृत होने की उपधारणा के लिए कितने वर्षों की अवधि निर्धारित है?

• **उत्तर:** यदि किसी व्यक्ति के बारे में यह दिखाया जाए कि वह पिछले 30 वर्षों के भीतर जीवित था तो उसके जीवित होने की उपधारणा की जाती है (धारा 111); किंतु **धारा 112** के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के बारे में पिछले **7 वर्षों से** उन लोगों द्वारा कुछ भी नहीं सुना गया है जो उसके जीवित होने पर स्वाभाविक रूप से उसके बारे में सुनते, तो उसके **मृत होने की उपधारणा (Presumption of Civil Death)** की जाती है!

• **व्याख्या:** यह 7 वर्ष का नियम बीमा दावों, उत्तराधिकार और पुनर्विवाह के मामलों में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

54. **[Judiciary Exam]** BSA की **धारा 120** (पुरानी IEA 114A) में बलात्कार के कतिपय अभियोजनों में 'सहमति न होने की उपधारणा' (Presumption as to absence of consent) क्या कहती है?

• **उत्तर:** यदि गंभीर बलात्कार के मामलों में मैथुन (Sexual Intercourse) साबित हो जाता है और पीड़िता न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कथन करती है कि उसने **सहमति नहीं दी थी**, तो न्यायालय यह **उपधारणा करेगा (Shall Presume)** कि उसने सहमति नहीं दी थी!

• **व्याख्या:** यह 1983 में प्रसिद्ध तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य (मथुरा बलात्कार केस) के बाद कानून में जोड़ा गया ऐतिहासिक सुधार था।

55. **[RPF SI 2024]** एक मूक गवाह (Dumb Witness — जो बोलने में असमर्थ है) के साक्ष्य के बारे में **BSA की धारा 125** (पुरानी IEA 119) क्या प्रावधान करती है?

• **उत्तर:** बोलने में असमर्थ गवाह अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिखकर या संकेतों (Signs) द्वारा या किसी दुभाषिए/विशेष शिक्षक की सहायता से दे सकता है, जिसकी ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और ऐसे साक्ष्य को **मौखिक साक्ष्य (Oral Evidence)** समझा जाएगा!

• **व्याख्या: BSA धारा 139** (पुरानी IEA 134) के अनुसार किसी भी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए **गवाहों की कोई निश्चित संख्या अपेक्षित नहीं है** — "*Evidence has to be weighed and not counted*" (साक्ष्य को तौला जाता है, गिना नहीं जाता; एक एकल विश्वसनीय चश्मदीद गवाह के बयान पर भी सजा हो सकती है)!

56. **[UP Police SI]** किसी गवाह की परीक्षा (Examination of Witness — **BSA धारा 142**, पुरानी IEA 137) के तीन क्रमिक चरण कौन-से होते हैं?

• **उत्तर:** 1. **मुख्य परीक्षा (Examination-in-Chief):** जिस पक्ष ने गवाह को बुलाया है उसके द्वारा परीक्षा; 2. **प्रतिपरीक्षा / जिरह (Cross-Examination):** विरोधी पक्ष (Adverse Party) द्वारा परीक्षा; और 3. **पुनः परीक्षा (Re-Examination):** जिरह में उत्पन्न अस्पष्टता को दूर करने के लिए बुलाने वाले पक्ष द्वारा पुनः परीक्षा।

• **व्याख्या:** 'सूचक प्रश्न' (Leading Questions — वे प्रश्न जिनमें उत्तर पहले से निहित हो, धारा 146) सामान्यतः मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा में नहीं पूछे जा सकते, किंतु **प्रतिपरीक्षा (Cross-examination)** में पूछे जा सकते हैं!

57. **[Delhi Police SI]** 'पक्षद्रोही गवाह' (Hostile Witness — वह गवाह जो न्यायालय में अपने पूर्व बयान से पलट जाता है) से संबंधित प्रावधान BSA की किस धारा में है?

• **उत्तर: BSA धारा 157** (पुरानी IEA धारा 154)।

• **व्याख्या:** न्यायालय अपने विवेकानुसार गवाह को बुलाने वाले पक्ष को ही उस गवाह से ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता है जो प्रतिपरीक्षा में विरोधी पक्ष द्वारा पूछे जाते हैं, और उस गवाह के बयान का जितना हिस्सा विश्वसनीय हो वह पूरी तरह खारिज नहीं होता।

58. **[SSC CPO 2024]** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2013) के ऐतिहासिक संविधान पीठ के निर्णय में क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था?

• **उत्तर:** यदि दी गई सूचना से **संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence)** का पता चलता है, तो पुलिस द्वारा **FIR दर्ज करना पूर्णतः अनिवार्य (Mandatory)** है और उस स्थिति में FIR दर्ज करने से पहले कोई प्रारंभिक जांच (Preliminary Inquiry) नहीं की जा सकती (केवल पारिवारिक विवाद, वाणिज्यिक अपराध, चिकित्सा लापरवाही, भ्रष्टाचार और असाधारण देरी से रिपोर्ट किए गए मामलों को छोड़कर)।

• **व्याख्या:** BNSS की धारा 173(3) ने अब 3 से 7 वर्ष की सजा वाले मामलों में DSP की अनुमति से 14 दिन की प्रारंभिक जांच को वैधानिक रूप दे दिया है।

59. **[UP Police SI]** 'डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस' (DGP) की नियुक्ति और पुलिस सुधारों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का सबसे प्रसिद्ध केस कौन-सा है?

• **उत्तर: प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006)**।

• **व्याख्या:** इसके तहत राज्यों को निर्देश दिया गया कि DGP का चयन UPSC द्वारा तैयार 3 वरिष्ठतम अधिकारियों के पैनल से किया जाए और उन्हें न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल दिया जाए तथा कानून-व्यवस्था (Law & Order) और अन्वेषण (Investigation) की शाखाओं को अलग किया जाए।

60. **[CLAT 2025]** गिरफ्तार व्यक्ति के मानवाधिकारों और हिरासत में यातना रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रसिद्ध केस में 11 सूत्रीय दिशानिर्देश दिए थे जिन्हें बाद में कानून (अब BNSS धारा 36, 47, 48) में शामिल कर लिया गया?

• **उत्तर: डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997)** और **जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1994)**।

• **व्याख्या:** इसके तहत गिरफ्तारी करने वाले पुलिस कर्मी की वर्दी पर स्पष्ट नेम-प्लेट होना, गिरफ्तारी का मेमो (Arrest Memo) बनाना जिस पर कम से कम एक गवाह व गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर हों, और रिश्तेदार को सूचना देना अनिवार्य है।

61. **[UP Police Constable]** प्रत्येक जिले और पुलिस थाने में एक 'नामित पुलिस अधिकारी' (Designated Police Officer — ASI रैंक से नीचे का नहीं) नियुक्त करने का प्रावधान, जो गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के नाम, पते और अपराध की सूची थाने के नोटिस बोर्ड और डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित करेगा, BNSS की किस धारा में है?

• **उत्तर: BNSS धारा 37** (पुरानी CrPC 41C को विस्तारित करते हुए)।

• **व्याख्या:** यह प्रावधान अवैध हिरासत (Illegal Detention) को पूर्णतः समाप्त करने के लिए बनाया गया है।

62. **[RPF SI 2024]** रेलवे सुरक्षा बल (RPF — स्थापना: रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957; जिसे 1985 में 'संघ का सशस्त्र बल' Armed Force of the Union घोषित किया गया; आदर्श वाक्य: 'यशो लभस्व') और राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) के कार्यों में क्या कानूनी अंतर है?

• **उत्तर: RPF** केंद्रीय रेल मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसका मुख्य कार्य **रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की सुरक्षा** करना तथा **रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम, 1966 (RPUP Act)** और **रेलवे अधिनियम, 1989** के तहत अपराधों की जांच व अभियोजन करना है; जबकि **GRP (Government Railway Police)** संबंधित राज्य पुलिस बल का एक हिस्सा है जो रेलवे स्टेशन और चलती ट्रेनों में होने वाले सामान्य दंड संहिता (BNS — चोरी, लूट, हत्या आदि) के संज्ञेय अपराधों की FIR दर्ज कर उनका अन्वेषण करती है!

• **व्याख्या:** RPF के अधिकारियों को रेलवे संपत्ति अधिनियम के तहत जांच की शक्ति है, किंतु वे CrPC/BNSS के तहत 'पुलिस अधिकारी' नहीं माने जाते (इसलिए RPF अधिकारी के समक्ष दिया गया बयान BSA धारा 23(1) से बाधित नहीं होता!)।

63. **[UP Police SI]** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act, 2000 — 17 अक्टूबर 2000 से लागू, संशोधन 2008) की प्रमुख धाराएं — धारा 43, 66, 66C, 66D, 66E, 66F और 67 — किन साइबर अपराधों से संबंधित हैं?

• **उत्तर:**

• **धारा 43 एवं 66:** कंप्यूटर सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश और हैकिंग (Hacking — 3 वर्ष कारावास या ₹5 लाख जुर्माना);

• **धारा 66C:** पहचान की चोरी (Identity Theft — किसी दूसरे के पासवर्ड या डिजिटल हस्ताक्षर का कपटपूर्ण उपयोग);

• **धारा 66D:** कंप्यूटर संसाधन द्वारा छद्म रूप धारण कर ठगी (Cheating by Personation — फिशिंग/साइबर ठगी);

• **धारा 66E:** गोपनीयता का उल्लंघन (निजी अंगों की तस्वीर बिना सहमति खींचना/प्रसारित करना);

• **धारा 66F: साइबर आतंकवाद (Cyber Terrorism — आजीवन कारावास)**;

• **धारा 67, 67A, 67B:** इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM — धारा 67B) का प्रकाशन या प्रसारण!

• **व्याख्या:** IT Act की बहुचर्चित **धारा 66A** (सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश भेजने पर गिरफ्तारी) को सर्वोच्च न्यायालय ने **श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015)** में अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के उल्लंघन के आधार पर **असंवैधानिक घोषित कर समाप्त** कर दिया था!

64. **[Delhi Police SI]** राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर क्या है और भारत की नोडल साइबर सुरक्षा आपातकालीन एजेंसी कौन-सी है?

• **उत्तर:** राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर: **1930** (वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्ट करने हेतु, पोर्टल: `cybercrime.gov.in`, गृह मंत्रालय के **I4C — Indian Cyber Crime Coordination Centre** द्वारा संचालित); और नोडल तकनीकी एजेंसी: **CERT-In** (Indian Computer Emergency Response Team — IT Act की धारा 70B के तहत)!

• **व्याख्या:** साइबर ठगी के शुरुआती 1–2 घंटे को 'गोल्डन ऑवर' कहा जाता है जिसमें 1930 पर कॉल करने से पैसा बैंक स्तर पर ही फ्रीज हो जाता है।

65. **[UP Police SI]** POCSO अधिनियम, 2012 (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम — 14 नवंबर 2012 से लागू, 2019 में संशोधित) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

• **उत्तर:** यह एक **लिंग-तटस्थ (Gender-Neutral)** कानून है जो **18 वर्ष से कम आयु** के सभी बालकों (लड़के और लड़कियां दोनों) की रक्षा करता है; धारा 4 व 6 (प्रवेशन लैंगिक हमला व गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला — 2019 के संशोधन द्वारा न्यूनतम 20 वर्ष से आजीवन कारावास या **मृत्युदंड**); धारा 19 (अनिवार्य रिपोर्टिंग); धारा 24 (बालक का बयान पुलिस वर्दी में नहीं लिया जाएगा); और धारा 28 (प्रत्येक जिले में विशेष POCSO न्यायालय जहां 1 वर्ष के भीतर विचारण पूरा करने का निर्देश है)।

• **व्याख्या:** POCSO की धारा 29 और 30 के तहत अभियुक्त के विरुद्ध 'दोष और आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा' (Reverse Burden of Proof) काम करती है।

66. **[Bihar Daroga]** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act — लागू: 30 जनवरी 1990, संशोधन 2015 व 2018) के तहत अपराधों का अन्वेषण कम से कम किस रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है और क्या इसमें अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) मिलती है?

• **उत्तर:** अन्वेषण (Investigation) **पुलिस उपाधीक्षक (DSP / CO)** रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा (नियम 7); और अधिनियम की **धारा 18 एवं 18A** के अनुसार इस अधिनियम के तहत अपराध करने वाले व्यक्ति पर अग्रिम जमानत (BNSS धारा 482 / पुरानी CrPC 438) का प्रावधान **लागू नहीं होता** (जब तक कि प्रथम दृष्टया कोई मामला ही न बनता हो)!

• **व्याख्या:** अन्वेषण अधिकारी को 60 दिनों के भीतर विशेष न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल करना होता है।

67. **[UP Police SI]** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC — मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत **12 अक्टूबर 1993** को स्थापित; मुख्यालय: नई दिल्ली) की संरचना, अध्यक्ष की योग्यता और कार्यकाल (2019 के संशोधन के बाद) क्या है?

• **उत्तर:** अध्यक्ष: भारत के **पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) या सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश** (2019 के संशोधन द्वारा अब सुप्रीम कोर्ट के किसी भी रिटायर्ड जज को अध्यक्ष बनाया जा सकता है); कार्यकाल: **3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु** (जो भी पहले हो — पहले यह 5 वर्ष था, और अब सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र भी हैं)!

• **व्याख्या:** NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति **प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति** (प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता) की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। NHRC घटना घटित होने के **1 वर्ष के बाद** किसी मामले की जांच नहीं कर सकता।

68. **[RPF Constable]** मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत सड़क दुर्घटना के पीड़ित की मदद करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है और उसे किस धारा के तहत कानूनी सुरक्षा प्राप्त है?

• **उत्तर: 'नेक व्यक्ति' (Good Samaritan — धारा 134A)**।

• **व्याख्या:** धारा 134A के तहत दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर (दुर्घटना के बाद का प्रथम 1 घंटा — धारा 2(12A)) में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति पर कोई सिविल या आपराधिक दायित्व नहीं होगा, और न ही पुलिस या अस्पताल उसे अपना नाम-पता बताने या गवाह बनने के लिए बाध्य कर सकते हैं!

69. **[SSC CGL 2024]** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act — 12 अक्टूबर 2005 से लागू) के तहत सामान्य स्थिति में और 'व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता' (Life or Liberty) से संबंधित मामले में जन सूचना अधिकारी (PIO) को कितने समय में सूचना देनी अनिवार्य है?

• **उत्तर:** सामान्य स्थिति में: **30 दिनों के भीतर**; और किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित मामले में: **48 घंटे के भीतर** (धारा 7(1))!

• **व्याख्या:** RTI अधिनियम की **धारा 8** में वे 10 विषय (भारत की संप्रभुता व सुरक्षा, कैबिनेट दस्तावेज, विदेशी सरकार से गोपनीय सूचना, व्यक्तिगत गोपनीयता आदि) दिए गए हैं जिनके प्रकटीकरण से छूट है, तथा **धारा 24** के तहत केंद्रीय खुफिया और सुरक्षा संगठनों (IB, RAW, BSF, CRPF, CISF आदि — भ्रष्टाचार व मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को छोड़कर) को RTI के दायरे से बाहर रखा गया है।

70. **[UP Police SI]** घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA — 26 अक्टूबर 2006 से लागू) की प्रकृति क्या है और इसके तहत नियुक्त अधिकारी को क्या कहते हैं?

• **उत्तर:** यह मूलत: एक **सिविल कानून (Civil Law)** है (जिसका उद्देश्य दंड देने के बजाय पीड़ित महिला को साझा गृहस्थी में निवास का अधिकार, संरक्षण आदेश, मौद्रिक राहत और अभिरक्षा आदेश दिलाना है; हालांकि संरक्षण आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 31 के तहत 1 वर्ष की सजा का आपराधिक प्रावधान है); इसके तहत राज्य सरकार द्वारा **'संरक्षण अधिकारी' (Protection Officer — यथासंभव महिला)** की नियुक्ति की जाती है।

• **व्याख्या:** मजिस्ट्रेट को पहली सुनवाई की तारीख आवेदन मिलने से **3 दिन** के भीतर और पूरे मामले का निपटारा **60 दिनों के भीतर** करने का प्रयास करना होता है।

अध्याय 3: संवैधानिक विधि, रिट अधिकारिता, विधीय सूत्र (Legal Maxims) एवं पुलिस अभिरुचि (प्रश्न 71–100)

71. **[CLAT 2025]** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) में नागरिकों को कौन-सी 3 अचूक आपराधिक सुरक्षाएं प्राप्त हैं?

• **उत्तर:**

1. *अनुच्छेद 20(1) — कार्योत्तर विधि से संरक्षण (Protection against Ex-post-facto Law):* किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने कार्य करते समय लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो, और न ही उस समय निर्धारित दंड से अधिक दंड दिया जाएगा (यह केवल आपराधिक कानूनों पर लागू होता है, सिविल/कर कानूनों पर नहीं);

2. *अनुच्छेद 20(2) — दोहरे दंड से संरक्षण (Protection against Double Jeopardy — "Nemo debet bis vexari" व *BNSS* धारा 337):* किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा;

3. *अनुच्छेद 20(3) — आत्म-अभिशंसन से संरक्षण (Protection against Self-Incrimination):* किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने ही विरुद्ध साक्षी (गवाह) बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा!

• **व्याख्या: सेल्फी बनाम कर्नाटक राज्य (2010)** में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियुक्त की सहमति के बिना उसका **नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ (लाई डिटेक्टर) और ब्रेन मैपिंग टेस्ट** करना अनुच्छेद 20(3) और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है (जबकि फिंगरप्रिंट, हस्तलेख, रक्त व DNA नमूने लेना काठी कालू ओघड़ केस 1961 और BNSS धारा 52/349 के तहत पूर्णतः वैध है)!

72. **[UP Police SI 2024]** अनुच्छेद 32 (सर्वोच्च न्यायालय) और अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) के तहत जारी की जाने वाली 5 संवैधानिक रिटों (Writs) के नाम और अर्थ क्या हैं?

• **उत्तर:**

1. *बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus — 'शरीर को प्रस्तुत किया जाए'):* अवैध रूप से हिरासत में रखे गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रिहा करने का आदेश (यह सरकारी और निजी दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध जारी हो सकती है);

2. *परमादेश (Mandamus — 'हम आदेश देते हैं'):* किसी लोक अधिकारी, सरकार या निचली अदालत को उसका वैधानिक कर्तव्य पूरा करने का आदेश (राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं होती);

3. *प्रतिषेध (Prohibition — 'रोकना'): **उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या अधिकरण को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से** निर्णय से पूर्व* रोकना;

4. *उत्प्रेषण (Certiorari — 'प्रमाणित होना/सूचित होना'): **निचली अदालत द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर या प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध दिए गए** आदेश को रद्द (*Quash*) करना*;

5. *अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto — 'किस प्राधिकार से?'):* किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद (Public Office) को धारण करने की वैधता की जांच करना।

• **व्याख्या:** डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहा था; उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) का रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) से व्यापक है क्योंकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा 'अन्य कानूनी अधिकारों' के लिए भी रिट जारी कर सकता है।

73. **[Judiciary Exam]** प्राकृतिक न्याय के दो मूलभूत लैटिन सिद्धांत (Principles of Natural Justice) कौन-से हैं?

• **उत्तर:**

1. ***Audi Alteram Partem*** ("दूसरे पक्ष को भी सुनो" / *No one should be condemned unheard* — बिना सुनवाई का अवसर दिए किसी के विरुद्ध आदेश पारित नहीं किया जाएगा);

2. ***Nemo Judex In Causa Sua*** ("कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता" / *Rule against Bias* — पक्षपात के विरुद्ध नियम)।

• **व्याख्या:** तीसरा आधुनिक सिद्धांत **'सकारण आदेश' (Reasoned Decision / Speaking Order)** है।

74. **[CLAT 2025]** अपकृत्य विधि (Law of Torts) में 'प्रतिनिधिक दायित्व' (Vicarious Liability — जब एक व्यक्ति के अपकृत्य के लिए दूसरा व्यक्ति उत्तरदायी होता है) के दो प्रमुख लैटिन सूत्र क्या हैं?

• **उत्तर:** 1. ***Qui Facit Per Alium Facit Per Se*** ("जो किसी दूसरे के माध्यम से कार्य करता है, वह मानो स्वयं कार्य करता है"); और 2. ***Respondeat Superior*** ("वरिष्ठ/मालिक को उत्तर देने दो" — जब कोई कर्मचारी अपने **रोजगार के अनुक्रम / Course of Employment** के दौरान कोई अपकृत्य करता है, तो उसका मालिक भी उत्तरदायी होता है)।

• **व्याख्या:** यह सिद्धांत मालिक-नौकर, प्रधान-एजेंट और फर्म के भागीदारों के संबंधों पर लागू होता है, किंतु स्वतंत्र ठेकेदार (Independent Contractor) पर सामान्यतः लागू नहीं होता।

75. **[UP Police SI]** लैटिन विधीय सूत्रों — (i) *Volenti non fit injuria*, (ii) *Res ipsa loquitur*, (iii) *Ubi jus ibi remedium*, और (iv) *Salus populi est suprema lex* — का क्या अर्थ है?

• **उत्तर:**

• (i) ***Volenti non fit injuria*:** "सहमति से किए गए कार्य में कोई क्षति/अपकृत्य नहीं होता" (जैसे क्रिकेट मैच देखने गए दर्शक को गेंद लग जाने पर या ऑपरेशन के लिए सहमति देने पर डॉक्टर पर अपकृत्य का केस नहीं चलता);

• (ii) ***Res ipsa loquitur*:** "वस्तु/परिस्थिति स्वयं बोलती है" (जब दुर्घटना की प्रकृति ही ऐसी हो कि प्रतिवादी की लापरवाही स्वतः स्पष्ट हो, जैसे ऑपरेशन के बाद मरीज के पेट में कैंची छूट जाना या नगरपालिका के घंटाघर का गिर जाना);

• (iii) ***Ubi jus ibi remedium*:** "जहां अधिकार है, वहां उपचार भी है";

• (iv) ***Salus populi est suprema lex*:** "जनता का कल्याण सर्वोच्च कानून है"।

• **व्याख्या:** ये चारों सूत्र CLAT और पुलिस SI की विधीय अभिरुचि में बार-बार पूछे जाते हैं।

76. **[Delhi Police SI]** पर्यावरण संरक्षण के तीन प्रमुख न्यायिक सिद्धांत — 'Polluter Pays Principle', 'Precautionary Principle' और 'Public Trust Doctrine' — किस न्यायालय और किस हरित अधिकरण से जुड़े हैं?

• **उत्तर:** सर्वोच्च न्यायालय (एम.सी. मेहता और वेल्लोर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम केस) तथा **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT — National Green Tribunal Act, 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को स्थापित; मुख्य पीठ: नई दिल्ली; 4 क्षेत्रीय पीठें: भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई)**!

• **व्याख्या:** NGT अधिनियम की धारा 20 के अनुसार अधिकरण निर्णय देते समय 'सतत विकास' (Sustainable Development), 'एहतियाती सिद्धांत' (Precautionary Principle) और 'प्रदूषक भुगतान करे' (Polluter Pays Principle) को लागू करता है, और वह सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) से बाधित न होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर काम करता है (मामलों का निपटारा 6 माह में करने का लक्ष्य)।

77. **[UP Police SI]** किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act, 2015 — निर्भया कांड के बाद संशोधित) के तहत 'जघन्य अपराध' (Heinous Offence — जिसमें न्यूनतम सजा 7 वर्ष या अधिक है) करने वाले किस आयु वर्ग के किशोर पर वयस्क (Adult) की भांति मुकदमा चलाया जा सकता है?

• **उत्तर: 16 से 18 वर्ष** के किशोर पर (धारा 15 के तहत **किशोर न्याय बोर्ड — JJB** द्वारा उसकी मानसिक व शारीरिक क्षमता और अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता का प्रारंभिक मूल्यांकन करने के बाद मामला बाल न्यायालय/सत्र न्यायालय को भेजा जा सकता है)!

• **व्याख्या:** फिर भी धारा 21 के अनुसार किसी भी किशोर (18 वर्ष से कम) को **मृत्युदंड या बिना रिहाई की संभावना वाला आजीवन कारावास नहीं दिया जा सकता**!

78. **[RPF SI 2024]** स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act, 1985) में 'अल्प मात्रा' (Small Quantity) और 'वाणिज्यिक मात्रा' (Commercial Quantity) में मुख्य अंतर क्या है?

• **उत्तर:** नशीले पदार्थों की मात्रा के आधार पर दंड तीन स्तरों में बंटा है: अल्प मात्रा (1 वर्ष तक कारावास), मध्यवर्ती मात्रा (10 वर्ष तक कारावास), और वाणिज्यिक मात्रा (न्यूनतम 10 से 20 वर्ष तक कठोर कारावास + ₹1 से ₹2 लाख जुर्माना, तथा धारा 37 के तहत अत्यंत कठोर जमानत शर्तें); बार-बार वाणिज्यिक मात्रा की तस्करी पर धारा 31A में मृत्युदंड/आजीवन कारावास का भी प्रावधान है।

• **व्याख्या: धारा 50** के तहत NDPS में किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी लेने से पहले उसे यह कानूनी अधिकार बताना अनिवार्य है कि यदि वह चाहे तो उसकी तलाशी किसी निकटतम **राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officer) या मजिस्ट्रेट** के समक्ष ली जा सकती है!

79. **[UP Police Constable]** पुलिस अभिरुचि (Police Aptitude): यदि आप एक थाना प्रभारी (SHO) हैं और आपके क्षेत्र में दो समुदायों के बीच अफवाह के कारण अचानक तनाव उत्पन्न हो जाता है, तो आपकी **सर्वप्रथम व्यावसायिक प्राथमिकता** क्या होनी चाहिए?

• **उत्तर:** पूर्ण निष्पक्षता और संयम बरतते हुए तुरंत पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचना, दोनों समुदायों के जिम्मेदार नागरिकों/शांति समिति (Peace Committee) से संवाद कर अफवाह का खंडन करना, संवेदनशील बिंदुओं पर पिकेट तैनात करना और उच्चाधिकारियों को सूचित कर कानून-व्यवस्था बनाए रखना।

• **व्याख्या:** पुलिस अभिरुचि के प्रश्नों में सदैव **संवैधानिक मूल्यों, विधि के शासन (Rule of Law), निष्पक्षता, संवेदनशीलता, न्यूनतम आवश्यक बल प्रयोग और त्वरित निवारक कार्यवाही** वाले विकल्प का चयन करना चाहिए।

80. **[UP Police SI]** यदि किसी पुलिस थाने में एक प्रभावशाली राजनेता का बेटा और एक गरीब रिक्शा चालक दोनों एक-दूसरे के विरुद्ध संज्ञेय अपराध की शिकायत लेकर आते हैं, तो थाना प्रभारी को क्या करना चाहिए?

• **उत्तर:** बिना किसी सामाजिक या राजनीतिक दबाव के **अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता)** और **BNSS धारा 173** का पालन करते हुए दोनों पक्षों की शिकायतों (Cross-FIR यदि दोनों ओर से संज्ञेय अपराध हुआ हो) को दर्ज कर साक्ष्यों व सीसीटीवी/फॉरेंसिक के आधार पर निष्पक्ष अन्वेषण करना चाहिए।

• **व्याख्या:** विधि के शासन (Rule of Law — प्रो. ए.वी. डायसी) का प्रथम सिद्धांत ही यह है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है।

81. **[CLAT 2025]** संविदा विधि (Contract Act, 1872) में 'स्वतंत्र सहमति' (Free Consent — धारा 14) कब नहीं मानी जाती, और ऐसे अनुबंध का प्रभाव क्या होता है?

• **उत्तर:** जब सहमति 5 तत्वों से प्रभावित हो: 1. **प्रपीड़न (Coercion — धारा 15, BNS द्वारा निषिद्ध कार्य की धमकी)**, 2. **असम्यक् असर (Undue Influence — धारा 16, नैतिक/पद के दबाव का दुरुपयोग)**, 3. **कपट (Fraud — धारा 17)**, 4. **दुर्व्यपदेशन (Misrepresentation — धारा 18)**, और 5. **भूल (Mistake — धारा 20–22)**। प्रथम चार (धारा 15–18) की स्थिति में संविदा पीड़ित पक्ष के विकल्प पर **'शून्यकरणीय' (Voidable — धारा 19 व 19A)** होती है, जबकि दोनों पक्षों की तथ्य संबंधी भूल (Bilateral Mistake of Fact — धारा 20) होने पर करार **'शून्य' (Void)** होता है!

• **व्याख्या:** बाजी के करार (Wagering Agreements — धारा 30) और व्यापार या विवाह में अवरोध डालने वाले करार (धारा 26–27) भी **शून्य (Void)** होते हैं।

82. **[Judiciary Exam]** सर्वोच्च न्यायालय के किन ऐतिहासिक निर्णयों ने भारतीय संविधान की व्याख्या को बदला — (i) केशवानंद भारती केस (1973), (ii) मेनका गांधी केस (1978), (iii) विशाखा केस (1997), और (iv) के.एस. पुट्टास्वामी केस (2017)?

• **उत्तर:**

• (i) **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (24 अप्रैल 1973 — अब तक की सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों की पीठ, 7:6 बहुमत):** 'संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) प्रतिपादित किया;

• (ii) **मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978):** अनुच्छेद 21 में 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' (Due Process of Law — प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त होनी चाहिए) तथा विदेश यात्रा के अधिकार को स्थापित किया;

• (iii) **विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997):** कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु दिशानिर्देश दिए (जिससे बाद में **POSH Act, 2013** बना);

• (iv) **न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017 — 9 न्यायाधीशों की पीठ): 'निजता का अधिकार' (Right to Privacy)** को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया!

• **व्याख्या:** एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग पर रोक व धर्मनिरपेक्षता/संघवाद को मूल ढांचा घोषित करने) से संबंधित है।

83. **[UP Police SI]** 'लोक अदालत' (Lok Adalat) को किस अधिनियम द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया है, और क्या लोक अदालत के फैसले (Award) के विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील हो सकती है?

• **उत्तर: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987 — 9 नवंबर 1995 से लागू, जिसके तहत NALSA, SALSA और DLSA का गठन हुआ)**; लोक अदालत का फैसला सिविल न्यायालय की डिक्री के समान अंतिम और बाध्यकारी होता है तथा चूंकि यह दोनों पक्षों की आपसी सहमति (Compromise) से होता है, इसलिए **इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं होती (धारा 21(2))**!

• **व्याख्या:** भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 39A** (42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा जोड़ा गया नीति निदेशक तत्व) में 'समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता' (Free Legal Aid) का प्रावधान है, और प्रतिवर्ष **9 नवंबर को 'राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस'** मनाया जाता है।

84. **[Delhi Police SI]** 'अभियोजन से वापसी' (Withdrawal from Prosecution — **BNSS धारा 360**, पुरानी CrPC 321) और 'सौदा अभिवाक्' (Plea Bargaining — **BNSS अध्याय XXIII, धारा 289 से 300**, पुरानी CrPC 265A-265L) में क्या अंतर है?

• **उत्तर:** धारा 360 में लोक अभियोजक न्यायालय की सहमति से (और पीड़ित को सुने बिना नहीं — नया BNSS प्रावधान!) किसी मामले के अभियोजन को वापस ले सकता है; जबकि **सौदा अभिवाक् (Plea Bargaining)** में अभियुक्त (मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 7 वर्ष से अधिक सजा वाले अपराध या महिलाओं व 14 वर्ष से कम के बच्चों के विरुद्ध अपराध तथा सामाजिक-आर्थिक अपराधों को छोड़कर) स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार कर पीड़ित को मुआवजा देने और कम सजा पाने का आवेदन (आरोप तय होने से **30 दिनों के भीतर** — नया BNSS नियम!) कर सकता है!

• **व्याख्या:** पहली बार अपराध करने वाले अभियुक्तों के लिए BNSS ने प्ली बार्गेनिंग में न्यूनतम सजा को घटाकर 1/4 या 1/6 करने का उदार प्रावधान किया है।

85. **[RPF SI 2024]** पुलिस बल में 'FIR' (First Information Report), 'NCR' (Non-Cognizable Report), 'GD' (General Diary) और 'CD' (Case Diary) के साथ प्रयुक्त होने वाले 'FSL', 'POST-MORTEM' और 'PANCHNAMA' का क्या महत्व है?

• **उत्तर:** FSL (Forensic Science Laboratory): वैज्ञानिक साक्ष्य (DNA, बैलिस्टिक, विसरा, साइबर, फिंगरप्रिंट) परीक्षण प्रयोगशाला; Post-Mortem (Autopsy): मृत्यु का सटीक चिकित्सीय कारण (Cause & Time of Death) जानने हेतु शव-परीक्षण; और Panchnama: घटनास्थल, बरामदगी या शव की स्थिति का स्वतंत्र गवाहों (पंचों) की उपस्थिति में तैयार किया गया पंचनामा दस्तावेज।

• **व्याख्या:** पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट केवल मृत्यु का चिकित्सीय कारण बताती है, वह स्वयं अपराधी का नाम नहीं बताती और विशेषज्ञ साक्ष्य (BSA धारा 39) के रूप में काम आती है।

86. **[UP Police SI]** राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA — National Investigation Agency) की स्थापना कब और किस घटना के बाद हुई, तथा क्या इसे राज्यों में आतंकवादी अपराधों की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति चाहिए?

• **उत्तर:** 26/11 (2008) मुंबई आतंकी हमले के तुरंत बाद **NIA अधिनियम, 2008** द्वारा स्थापना (मुख्यालय: नई दिल्ली); यह भारत की प्रमुख आतंकवाद-रोधी जांच एजेंसी है और इसे अनुसूचित अपराधों (आतंकवाद, जाली नोट, मानव तस्करी, साइबर आतंकवाद आदि) की पूरे भारत में (तथा 2019 के संशोधन से भारत के बाहर भारतीय नागरिकों/हितों के विरुद्ध हुए आतंकी अपराधों की भी) **राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना स्वतः संज्ञान (Suo-moto) लेकर जांच करने की शक्ति** प्राप्त है!

• **व्याख्या:** इसके विपरीत **CBI (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो — संथानम समिति की सिफारिश पर 1963 में स्थापित, जिसे 'दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946' DSPE Act से शक्ति मिलती है)** को किसी राज्य में जांच करने के लिए उस राज्य सरकार की 'सामान्य या विशिष्ट सहमति' (Consent under Section 6 of DSPE Act) अथवा उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की आवश्यकता होती है!

87. **[SSC CPO 2024]** भ्रष्टाचार निवारण के लिए स्थापित 'लोकपाल' (लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013) की संरचना क्या है और भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे?

• **उत्तर:** 1 अध्यक्ष + अधिकतम 8 सदस्य (जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य और कम से कम 50% SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होना अनिवार्य है); भारत के प्रथम लोकपाल: **न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष** (2019)।

• **व्याख्या:** 'लोकपाल' शब्द सर्वप्रथम 1963 में डॉ. एल.एम. सिंघवी ने गढ़ा था और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966 — मोरारजी देसाई) ने इसकी सिफारिश की थी; महाराष्ट्र (1971) लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य था।

88. **[CLAT 2025]** 'अवमानना' (Contempt of Court — न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 तथा संविधान के अनुच्छेद 129 व 215) के दो प्रकार कौन-से हैं?

• **उत्तर:** 1. **सिविल अवमानना (Civil Contempt — धारा 2(b)):** न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश या रिट की जानबूझकर अवज्ञा (Wilful Disobedience) करना; और 2. **आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt — धारा 2(c)):** किसी बात के प्रकाशन या कृत्य द्वारा न्यायालय की गरिमा को कलंकित (Scandalize) करना, न्यायिक कार्यवाही में पूर्वाग्रह उत्पन्न करना या न्याय प्रशासन में बाधा डालना।

• **व्याख्या:** अवमानना के लिए अधिकतम 6 माह का सादा कारावास या ₹2,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

89. **[UP Police SI]** उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली (Police Commissionerate System — जहां पुलिस आयुक्त को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं) किन 7 जिलों/महानगरों में लागू है?

• **उत्तर:** 1. **लखनऊ** (जनवरी 2020), 2. **गौतमबुद्ध नगर (नोएडा)** (जनवरी 2020), 3. **कानपुर नगर** (मार्च 2021), 4. **वाराणसी** (मार्च 2021), 5. **आगरा** (नवंबर 2022), 6. **गाजियाबाद** (नवंबर 2022), और 7. **प्रयागराज** (नवंबर 2022)!

• **व्याख्या:** उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति परीक्षाओं में ये 7 कमिश्नरेट जिले अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

90. **[UP Police Constable]** उत्तर प्रदेश की एकीकृत आपातकालीन सेवा **'UP-112'** (पूर्व में डायल 100) और महिला सुरक्षा हेल्पलाइन **'1090'** (वुमेन पावर लाइन) में कौन-सी सेवाएं शामिल हैं?

• **उत्तर: 112 (ERSS — Emergency Response Support System):** इसमें पुलिस (100), अग्निशमन (101), एम्बुलेंस (108/102) और महिला व बाल सहायता को एकीकृत कर दिया गया है; जबकि **1090 (वुमेन पावर लाइन, लखनऊ)** महिलाओं को फोन या सोशल मीडिया पर होने वाले उत्पीड़न के विरुद्ध बिना थाने बुलाए गोपनीय और त्वरित पुलिस सहायता प्रदान करती है।

• **व्याख्या:** महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा **'मिशन शक्ति'** अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रत्येक थाने में 'महिला हेल्प डेस्क' स्थापित की गई है।

91. **[RPF SI 2024]** रेल यात्रियों की सुरक्षा और सहायता के लिए भारतीय रेलवे और RPF का एकीकृत हेल्पलाइन नंबर क्या है, और RPF के प्रमुख राष्ट्रीय अभियानों के नाम बताइए?

• **उत्तर:** एकीकृत रेल मदद हेल्पलाइन नंबर: **139**; RPF के प्रमुख अभियान:

• **ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते:** घर से भागे या बिछड़े बच्चों को बचाना;

• **ऑपरेशन आहट (AAHT):** मानव तस्करी (Human Trafficking) को रोकना;

• **ऑपरेशन अमानत:** यात्रियों के छूटे हुए सामान को सुरक्षित लौटाना;

• **ऑपरेशन नार्कोस (NARCOS):** ट्रेनों के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना;

• **ऑपरेशन उपलब्ध:** दलालों (Touts) और अवैध टिकट सॉफ्टवेयर के विरुद्ध कार्यवाही;

• **मेरी सहेली पहल:** अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करना!

• **व्याख्या:** ये सभी RPF अभियान रेलवे और RPF परीक्षाओं के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।

92. **[Judiciary Exam]** 'शमननीय अपराध' (Compoundable Offences — जिनमें पीड़ित पक्ष आपसी समझौते से मामला समाप्त कर सकता है) का प्रावधान BNSS की किस धारा में है?

• **उत्तर: BNSS धारा 359** (पुरानी CrPC धारा 320)।

• **व्याख्या:** इसमें दो सारणियां हैं — पहली सारणी के अपराधों में पीड़ित बिना न्यायालय की अनुमति के समझौता कर सकता है, और दूसरी सारणी के अपराधों में **न्यायालय की अनुमति** से ही समझौता हो सकता है; समझौता होने का प्रभाव अभियुक्त के **'दोषमुक्ति' (Acquittal)** के समान होता है!

93. **[CLAT 2025]** 'दोहरा परिसंकट' (Double Jeopardy — **BNSS धारा 337**, पुरानी CrPC 300: "*Autrefois Acquit & Autrefois Convict*") और संविधान के अनुच्छेद 20(2) में क्या सूक्ष्म अंतर है?

• **उत्तर:** संविधान का अनुच्छेद 20(2) केवल तभी लागू होता है जब व्यक्ति को पूर्व में **'अभियोजित और दंडित' (Prosecuted AND Punished — अर्थात दोषसिद्ध)** किया जा चुका हो; जबकि **BNSS की धारा 337** का दायरा अधिक व्यापक है — यह पूर्व में **'दोषसिद्ध' (Convicted) होने के साथ-साथ 'दोषमुक्त' (Acquitted)** किए जा चुके व्यक्ति को भी उसी अपराध के लिए दोबारा मुकदमा चलाए जाने से पूर्ण संरक्षण देती है!

• **व्याख्या:** यह संविधान और दंड प्रक्रिया संहिता का सबसे प्रसिद्ध तुलनात्मक प्रश्न है।

94. **[UP Police SI]** राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (NSA — रासुका) के तहत किसी व्यक्ति को बिना औपचारिक आरोप और बिना विचारण के निवारक निरोध (Preventive Detention) में अधिकतम कितने समय तक रखा जा सकता है?

• **उत्तर:** अधिकतम **12 माह (1 वर्ष)** तक (सलाहकार बोर्ड — जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या समकक्ष व्यक्ति होते हैं — के समक्ष 3 सप्ताह के भीतर मामला रखना और बोर्ड द्वारा 7 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देना अनिवार्य है; संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अनुसार सलाहकार बोर्ड की मंजूरी के बिना किसी को 3 माह से अधिक निवारक निरोध में नहीं रखा जा सकता)।

• **व्याख्या:** निवारक निरोध का उद्देश्य अपराध होने के बाद दंड देना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के लिए खतरे को अपराध करने से पहले ही रोकना है।

95. **[Delhi Police SI]** अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (ITPA — Immoral Traffic Prevention Act) और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (PCMA) के मुख्य प्रावधान क्या हैं?

• **उत्तर:** ITPA 1956 वेश्यागृह चलाने, मानव तस्करी करने और वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीने को दंडनीय बनाता है; और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह करवाने, बढ़ावा देने या उसमें शामिल होने वाले वयस्कों के लिए 2 वर्ष तक का कठोर कारावास या ₹1 लाख तक जुर्माना निर्धारित है तथा प्रत्येक जिले में 'बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी' (CMPO) नियुक्त होते हैं।

• **व्याख्या:** बाल विवाह संबंधित नाबालिग पक्षकार के विकल्प पर 'शून्यकरणीय' (Voidable) होता है, और यदि नाबालिग का अपहरण या धोखे से विवाह कराया गया हो तो वह पूर्णतः 'शून्य' (Void — धारा 12) होता है।

96. **[UP Police SI]** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम और जल एवं वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किए गए थे?

• **उत्तर:**

• **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम:** 1972 (संशोधन 2022 — जिसमें अनुसूचियों की संख्या 6 से घटाकर 4 कर दी गई है!);

• **जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम:** 1974 (जिसके तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन हुआ);

• **वन (संरक्षण) अधिनियम:** 1980;

• **वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम:** 1981;

• **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (Umbrella Legislation): 1986** (भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 — मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस रिसाव के बाद पारित)!

• **व्याख्या:** जैव-विविधता अधिनियम वर्ष **2002** में पारित हुआ जिसके तहत चेन्नई में 'राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण' (NBA) की स्थापना हुई।

97. **[RPF SI 2024]** रेलवे अधिनियम, 1989 की कौन-सी धाराएं — (i) बिना उचित कारण के अलार्म चेन खींचना, (ii) ट्रेन की छत या पायदान पर यात्रा करना, (iii) रेलवे परिसर में गंदगी फैलाना या अनधिकृत फेरी लगाना, और (iv) नशे की हालत में उपद्रव करना — से संबंधित हैं?

• **उत्तर:** (i) बिना उचित कारण चेन पुलिंग: **धारा 141** (1 वर्ष तक कारावास या ₹1,000 जुर्माना); (ii) ट्रेन की छत, सीढ़ी या इंजन पर यात्रा: **धारा 156**; (iii) अनधिकृत रूप से टिकट बेचना (Tout): **धारा 143**; (iv) बिना अनुमति फेरी लगाना/भीख मांगना: **धारा 144**; और (v) नशे में उपद्रव: **धारा 145**!

• **व्याख्या:** रेलवे फाटक या पटरी को अनधिकृत रूप से पार करना (Trespassing) **धारा 147** में दंडनीय है।

98. **[UP Police SI]** 'जीरो FIR' (Zero FIR) की अवधारणा भारत में किस समिति की सिफारिश पर प्रचलन में आई थी और अब BNSS की किस धारा में इसे वैधानिक दर्जा मिल गया है?

• **उत्तर:** दिसंबर 2012 की घटना के बाद गठित **न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति (2013)** की सिफारिश पर; और अब **BNSS 2023 की धारा 173(1)** में ("अधिकारिता वाले क्षेत्र पर विचार किए बिना / irrespective of the area where the offence is committed") इसे पूर्ण वैधानिक दर्जा प्राप्त है!

• **व्याख्या:** जीरो FIR में थाने की नियमित क्रम संख्या देने के बजाय '0' नंबर डालकर तुरंत मामला दर्ज किया जाता है और फिर उसे क्षेत्राधिकार वाले थाने को भेजा जाता है।

99. **[CLAT 2025]** यदि कोई व्यक्ति किसी डूबते हुए बच्चे को तालाब के किनारे खड़े होकर देखता रहता है और तैरना जानने के बावजूद उसे नहीं बचाता, तो क्या वह आपराधिक मानव वध का दोषी है? इसके विपरीत यदि एक स्विमिंग पूल का नियुक्त लाइफगार्ड या जेलर कैदी को खाना न देकर मार डाले, तो क्या वह दोषी है?

• **उत्तर:** पहला व्यक्ति कानूनी रूप से किसी अपराध का दोषी **नहीं** है क्योंकि वह केवल एक नैतिक चूक (Moral Omission) है, उस पर कोई 'वैधिक कर्तव्य' (Legal Duty) नहीं था; किंतु दूसरे मामले में लाइफगार्ड और जेलर पर **कानूनी कर्तव्य (Legal Duty to Act)** था, इसलिए उनका 'अवैध लोप' (Illegal Omission — **BNS धारा 2(1) व धारा 3(4)**) आपराधिक कृत्य (*Actus Reus*) माना जाएगा और वे हत्या के दोषी होंगे!

• **व्याख्या:** कानून केवल 'अवैध लोप' (Illegal Omission — जहां विधि द्वारा कार्य करने का कर्तव्य हो) को ही दंडित करता है, शुद्ध नैतिक लोप को नहीं।

100. **[UP Police SI 2024]** गृह मंत्रालय और NCRB (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) द्वारा नागरिकों और पुलिस अधिकारियों को पुरानी IPC/CrPC/IEA और नई BNS/BNSS/BSA की धाराओं की तुरंत तुलना करने के लिए कौन-सा आधिकारिक मोबाइल ऐप और पोर्टल लॉन्च किया गया है?

• **उत्तर: 'संकलन' (Sankalan App / Portal)** (NCRB Sankalan Portal)!

• **व्याख्या:** इसके अतिरिक्त BPR&D द्वारा पुलिस प्रशिक्षण हेतु 'ई-साक्ष्य' (e-Sakshya — तलाशी व जब्ती की क्लाउड वीडियोग्राफी हेतु), 'न्याय श्रुति' (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट पेशी हेतु) और 'CCTNS 2.0' लागू किया गया है।

भाग (ग): बुक 21 का मास्टर एनसाइक्लोपीडिया टेबल (IPC/CrPC/IEA vs. BNS/BNSS/BSA 2023 Master Comparison Table)

क्र.	विषय / अपराध / प्रक्रिया का विवरण	पुराना कानून व धारा (IPC 1860 / CrPC 1973 / IEA 1872)	नया कानून व धारा (1 जुलाई 2024 से लागू: BNS / BNSS / BSA 2023)	मुख्य बदलाव / दंड / समय-सीमा / विशेष प्रावधान	आधिकारिक संदर्भ लिंक
1	संहिता की कुल संरचना	IPC: 511 धाराएं (23 अध्याय)	**BNS 2023: 358 धाराएं (20 अध्याय)**	सभी 39 परिभाषाएं **धारा 2** में वर्णमाला क्रम में; धारा 4(f) में छठा दंड **'सामुदायिक सेवा'**	India Code BNS
2	समान आशय एवं साधारण अपवाद	IPC धारा 34 (समान आशय); धारा 76–106 (अपवाद)	**BNS धारा 3(5)** (समान आशय); **धारा 14–44** (साधारण अपवाद)	धारा 20: 7 वर्ष से कम आयु (*Doli Incapax*); धारा 22: चित्तविकृति; धारा 34–44: निजी प्रतिरक्षा	NCERT BNS PDF
3	बलात्कार, सामूहिक बलात्कार व छल से संबंध	IPC धारा 375, 376, 376D	**BNS धारा 63 (परिभाषा), धारा 64 (दंड), धारा 70 (गैंगरेप)**	**नई धारा 69:** शादी/रोजगार के झूठे वादे से यौन संबंध (10 वर्ष सजा); नाबालिग गैंगरेप में मृत्युदंड	NCRB BNS PDF
4	दहेज मृत्यु एवं पति/रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता	IPC धारा 304B (दहेज मृत्यु) एवं धारा 498A (क्रूरता)	**BNS धारा 80 (दहेज मृत्यु)** एवं **धारा 85–86 (क्रूरता)**	महिला एवं बाल अपराध अध्याय V (धारा 63–99) में सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखे गए	PIB Highlights
5	आपराधिक मानव वध, हत्या एवं मॉब लिंचिंग	IPC धारा 299 (मानव वध), 300 (हत्या), **302 (हत्या का दंड)**	**BNS धारा 100, धारा 101, एवं धारा 103(1) (हत्या का दंड)**	**धारा 103(2): मॉब लिंचिंग** (5+ व्यक्तियों द्वारा नस्ल/जाति आदि पर हत्या = मृत्युदंड या आजीवन कारावास)	PRS BNS Text
6	लापरवाही से मृत्यु (Hit & Run) व हत्या का प्रयास	IPC धारा 304A (लापरवाही) एवं धारा 307 (हत्या का प्रयास)	**BNS धारा 106(1) व 106(2)** एवं **धारा 109 (हत्या का प्रयास)**	धारा 108: आत्महत्या का दुष्प्रेरण (पुरानी 306); डॉक्टर की लापरवाही पर अधिकतम 2 वर्ष कारावास	Vikaspedia BNS
7	संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध व आतंकवाद	मुख्य IPC में अलग से नहीं थे (MCOCA/UAPA में थे)	**BNS धारा 111 (संगठित), धारा 112 (छोटे संगठित), धारा 113 (आतंकवाद)**	सिंडिकेट, सुपारी किलिंग, साइबर अपराध, पेपर लीक को मुख्य संहिता में जोड़ा गया	PIB Highlights
8	देशद्रोह (संप्रभुता व एकता को खतरा)	IPC धारा 124A (राजद्रोह / Sedition)	**BNS धारा 152** ('राजद्रोह' शब्द पूर्णतः समाप्त)	भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने पर आजीवन या 7 वर्ष कारावास	PIB Highlights

क्र.	विषय / अपराध / प्रक्रिया का विवरण	पुराना कानून व धारा (IPC 1860 / CrPC 1973 / IEA 1872)	नया कानून व धारा (1 जुलाई 2024 से लागू: BNS / BNSS / BSA 2023)	मुख्य बदलाव / दंड / समय-सीमा / विशेष प्रावधान	आधिकारिक संदर्भ लिंक
9	चोरी, झपटमारी (Snatching), लूट, डकैती व छल	IPC 378/379 (चोरी), 390 (लूट), 391 (डकैती), **420 (छल)**	**BNS धारा 303 (चोरी), 304 (झपटमारी), 309 (लूट), 310 (डकैती), 318(4) (छल)**	₹5000 से कम पहली चोरी लौटाने पर सामुदायिक सेवा; धारा 356 (मानहानि) में भी सामुदायिक सेवा	India Code BNS
10	दंड प्रक्रिया संहिता बनाम BNSS 2023	CrPC 1973: 484 धाराएं (37 अध्याय)	**BNSS 2023: 531 धाराएं (39 अध्याय, 2 अनुसूचियां)**	**धारा 173 (पुरानी 154):** Zero FIR व e-FIR (3 दिन में हस्ताक्षर); 3–7 वर्ष सजा में 14 दिन प्रारंभिक जांच	India Code BNSS
11	फॉरेंसिक अनिवार्यता व तलाशी वीडियोग्राफी	CrPC धारा 157 एवं 100/165	**BNSS धारा 176(3) (फॉरेंसिक) एवं धारा 105/185 (वीडियोग्राफी)**	**7 वर्ष या अधिक सजा** वाले सभी अपराधों में घटनास्थल पर फॉरेंसिक विशेषज्ञ का जाना और वीडियोग्राफी अनिवार्य	India Code BNSS
12	भरण-पोषण एवं निषेधाज्ञा (पुरानी धारा 125 व 144)	CrPC धारा 125 (भरण-पोषण) एवं **CrPC धारा 144 (कर्फ्यू/ निषेधाज्ञा)**	**BNSS धारा 144 (भरण-पोषण)** एवं **BNSS धारा 163 (निषेधाज्ञा)**	पुरानी CrPC 125 अब BNSS 144 है; और पुरानी CrPC 144 अब **BNSS 163** बन गई है!	India Code BNSS
13	रिमांड, जमानत एवं विचाराधीन कैदी राहत	CrPC 167 (रिमांड), 438 (अग्रिम जमानत), 436A (विचाराधीन)	**BNSS धारा 187 (रिमांड), धारा 482 (अग्रिम जमानत), धारा 479 (विचाराधीन)**	15 दिन पुलिस रिमांड शुरुआती 40/60 दिन में टुकड़ों में संभव; प्रथम अपराधी को 1/3 सजा अवधि पर जमानत	PIB Highlights
14	साक्ष्य अधिनियम बनाम BSA 2023	IEA 1872: 167 धाराएं (11 अध्याय)	**BSA 2023: 170 धाराएं (12 अध्याय, 1 अनुसूची)**	इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड = 'दस्तावेज' (धारा 2(1)(d)) व 'प्राथमिक साक्ष्य' (धारा 57); **धारा 63 (पुरानी 65B) प्रमाणपत्र**	India Code BSA
15	BSA की प्रमुख साक्ष्य धाराएं	IEA 6 (Res Gestae), 11 (Alibi), 25-27 (पुलिस), 32(1) (Dying Decl.), 45 (Expert)	**BSA धारा 4, धारा 9, धारा 23, धारा 26(a), एवं धारा 39**	धारा 104 (सबूत का भार - पुरानी 101); धारा 118 (दहेज मृत्यु उपधारणा - पुरानी 113B); धारा 120 (बलात्कार सहमति)	India Code BSA

क्वालिटी ऑडिट, धारा सत्यापन एवं नवीन आपराधिक कानून (BNS, BNSS, BSA 2023) महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य पैक

(क) 10 सबसे अधिक भ्रमित करने वाले विधिक अपवाद एवं धारा परिवर्तन (1 जुलाई 2024 से प्रभावी)

• **1. अधिनियमन तिथि बनाम प्रवर्तन (लागू होने की) तिथि:** तीनों नए आपराधिक कानूनों (BNS Act 45 of 2023, BNSS Act 46 of 2023, BSA Act 47 of 2023) को राष्ट्रपति की स्वीकृति **25 दिसंबर 2023** को मिली, किंतु ये संपूर्ण भारत में **1 जुलाई 2024** से लागू हुए हैं।

• **2. BNS धारा 100, 101 और 103 का सूक्ष्म अंतर: धारा 100** = आपराधिक मानव वध (पूर्व IPC 299), **धारा 101** = हत्या की परिभाषा (पूर्व IPC 300), और **धारा 103(1)** = हत्या का दंड (पूर्व IPC 302)। **धारा 103(2)** में पहली बार **मॉब लिंचिंग (5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह में हत्या)** के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास जोड़ा गया है।

• **3. 'राजद्रोह (Sedition — पूर्व IPC 124A)' की समाप्ति बनाम 'BNS धारा 152':** BNS में 'राजद्रोह' शब्द को पूर्णतः समाप्त कर **धारा 152** में **'भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य'** को दंडनीय बनाया गया है।

• **4. BNSS धारा 173 में Zero FIR, e-FIR (3-दिन हस्ताक्षर नियम) एवं प्रारंभिक जाँच:** किसी भी पुलिस थाने में **Zero FIR** दर्ज हो सकती है। **e-FIR** में सूचना देने वाले को **3 दिन (72 घंटे) के भीतर हस्ताक्षर** करना अनिवार्य है। **3 से 7 वर्ष** से कम सजा वाले अपराधों में DSP की अनुमति से **14 दिन** में प्रारंभिक जाँच (Preliminary Inquiry) की जा सकती है।

• **5. BNSS धारा 187 में पुलिस रिमांड (Police Custody) का नया 40/60 दिन नियम:** कुल पुलिस रिमांड अधिकतम **15 दिन** ही रहेगी, किंतु अब इसे केवल पहले 15 दिनों के बजाय **प्रथम 40 दिनों** (60 दिन की कुल हिरासत वाले मामलों में) या **प्रथम 60 दिनों** (90 दिन की कुल हिरासत वाले मामलों में) के दौरान टुकड़ों में भी लिया जा सकता है।

• **6. BNSS धारा 176(3) में फॉरेंसिक विशेषज्ञ की अनिवार्यता:** जिन अपराधों में **7 वर्ष या उससे अधिक कारावास** का प्रावधान है, उनमें घटनास्थल पर **फॉरेंसिक विशेषज्ञ (Forensic Expert)** का जाना और वीडियोग्राफी करना अनिवार्य है।

• **7. BSA 2023 में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य (धारा 57, 61 और 63): धारा 57** डिजिटल रिकॉर्ड को **प्राथमिक साक्ष्य (Primary Evidence)** मानती है, **धारा 61** इसकी स्वीकार्यता सुनिश्चित करती है, और **धारा 63** प्रमाणपत्र (पूर्व IEA धारा 65B के समकक्ष) का प्रावधान करती है।

• **8. BNS धारा 4 में दंड के 6 प्रकार ('सामुदायिक सेवा' का समावेश):** मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास (कठोर व सादा), संपत्ति समपहरण और जुर्माने के साथ छठे दंड के रूप में पहली बार **'सामुदायिक सेवा (Community Service)'** को जोड़ा गया है।

• **9. BNSS धारा 356 (भगोड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में विचारण — Trial in Absentia):** उद्घोषित अपराधी के विरुद्ध नोटिस के **90 दिन बाद** उसकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाकर निर्णय सुनाया जा सकता है।

• **10. BNSS धारा 479 (विचाराधीन कैदियों की रिहाई):** प्रथम बार के अपराधी (First-time offender) द्वारा अधिकतम संभावित सजा का **एक-तिहाई (1/3)** (अन्य के लिए **1/2**) हिरासत में पूर्ण कर लेने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा (आजीवन कारावास या मृत्युदंड वाले अपराधों को छोड़कर)।

(ख) पुरानी बनाम नई धाराओं की मास्टर तुलनात्मक चीट-शीट सारणी (IPC/CrPC/IEA vs. BNS/BNSS/BSA 2023)

अपराध / कानूनी प्रावधान का नाम	पुराना कानून एवं धारा (IPC / CrPC / IEA)	नया कानून एवं धारा (BNS / BNSS / BSA 2023)	मुख्य बदलाव एवं परीक्षा बिंदु			
कुल अध्याय एवं धाराएँ	IPC: 23 अध्याय, 511 धाराएँ |	CrPC: 37, 484 |	IEA: 11, 167	**BNS: 20 अध्याय, 358 धाराएँ |	BNSS: 39, 531 |	BSA: 12, 170**	1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में प्रभावी
सामान्य आशय / निजी प्रतिरक्षा	IPC धारा 34 / धारा 96 से 106	**BNS धारा 3(5) / धारा 34 से 44**	7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कृत्य: **BNS धारा 20** (पूर्व IPC 82)			

अपराध / कानूनी प्रावधान का नाम	पुराना कानून एवं धारा (IPC / CrPC / IEA)	नया कानून एवं धारा (BNS / BNSS / BSA 2023)	मुख्य बदलाव एवं परीक्षा बिंदु
बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार	IPC धारा 375, 376, 376D	**BNS धारा 63 (परिभाषा), 64 (दंड), 70 (सामूहिक बलात्कार)**	झूठे वादे से यौन संबंध: **BNS धारा 69** (10 वर्ष तक कारावास)
दहेज मृत्यु एवं क्रूरता	IPC धारा 304B / धारा 498A	**BNS धारा 80 (दहेज मृत्यु) / धारा 85 (क्रूरता)**	महिला एवं बाल अपराध अध्याय-5 (धारा 63–99) में समेकित
हत्या, गैर-इरादतन हत्या व हिट एंड रन	IPC धारा 302, 304, 304A, 307	**BNS धारा 103 (हत्या), 105, 106 (हिट एंड रन), 109 (हत्या प्रयास)**	**धारा 103(2)** में मॉब लिंचिंग दंडनीय; आत्महत्या दुष्प्रेरण: **धारा 108**
संगठित अपराध एवं आतंकवादी कृत्य	(मुख्यत: विशेष कानूनों में)	**BNS धारा 111 (संगठित अपराध), 112 (छोटे संगठित), 113 (आतंकवाद)**	पहली बार मुख्य दंड संहिता में स्पष्ट रूप से परिभाषित
चोरी, झपटमारी (Snatching), लूट व डकैती	IPC धारा 379, 392, 395	**BNS धारा 303 (चोरी), 304 (झपटमारी), 309 (लूट), 310 (डकैती)**	₹5,000 से कम की प्रथम चोरी में संपत्ति लौटाने पर सामुदायिक सेवा
धोखाधड़ी (Cheating) एवं मानहानि	IPC धारा 420 / धारा 499–500	**BNS धारा 318(4) (धोखाधड़ी) / धारा 356 (मानहानि)**	मानहानि में सामुदायिक सेवा का विकल्प जोड़ा गया
भरण-पोषण (Maintenance) एवं निषेधाज्ञा (कर्फ्यू)	CrPC धारा 125 / धारा 144	**BNSS धारा 144 (भरण-पोषण) / धारा 163 (निषेधाज्ञा आदेश)**	CrPC 125 अब BNSS 144 बन गई है और CrPC 144 अब BNSS 163 है!
FIR, मजिस्ट्रेट कथन, रिमांड व चार्जशीट	CrPC 154, 164, 167, 173, 438	**BNSS 173 (FIR), 183 (कथन), 187 (रिमांड), 193 (चार्जशीट), 482 (अग्रिम जमानत)**	मृत्युकालिक कथन: **BSA धारा 26(a)**; इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य: **BSA धारा 57, 61, 63**